ला, खंड 6, अंक 1

बुधवार, 20 नवम्बर, 1991
29 कार्तिक, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 20 नवम्बर, 1991 / 29 कार्तिक, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
46	7	"श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री" के स्थान पर "श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री" पढ़िये।
47	13	"तदि" के स्थान पर "यदि" पढ़िये।
80	नीचे से पंक्ति 7	"डा. कार्तिकेश्वर पात्र" के स्थान पर "डा. कार्तिकेश्वर पात्र" पद्दिये।
92	नीचे से पंक्ति 9	"श्री घसुदेव आचार्य" के स्थान पर "श्री वसुदेव आचार्य" पद्दिये।
106	प्रथम पंक्ति	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पद्दिये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 6, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 1, बुधवार, 20 नवम्बर, 1991/29 कार्तिक, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—3
मालदीव के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	3—4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	4—19
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 3	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19—247
तारांकित प्रश्न संख्या 4 से 8 और 10 से 20	19—35
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 31, 33 से 39, 41 से 84, 86 से 110, 112 से 129, 131 से 156 और 158 से 201	35—247
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	247 और 267
वाराणसी में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में	248—267
सभा पटल पर रखे गए पत्र	269
उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा	270
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	270
रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	271—292
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	271
श्री सोमनाथ चटर्जी	273

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

श्री बसुदेव आचार्य 276

श्री जसवन्त सिंह 277

श्री हरि किशोर सिंह 279

श्री चित्त बसु 283

श्री लोकनाथ चौधरी 285

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी 286

श्री भोगेन्द्र झा 287

नियम 377 के अधीन मामले 292—296

(एक) "शाखामेठी" गांव के संबंध में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच विवाद की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने की आवश्यकता

डा० कार्तिकेश्वर पात्र 292

(दो) आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हरियाणा पुलिस को आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित करने और हरियाणा में, विशेषकर पंजाब की सीमा से लगते हुए जिलों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की अधिक कम्पनियां तैनात करने की आवश्यकता

कुमारी शैलजा 293

(तीन) महाबलेश्वर, महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में पेयजल प्रदान करने के लिए महाबलेश्वर-पंचगनी पहाड़ी सैरगाह क्षेत्र में वेन्ना नदी पर प्रस्तावित बांध को मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण 293

(चार) कर्नाटक में मंगलौर तेलशोधक कारखाना और पेट्रोरसायन परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्रीमती बासव राजेश्वरी 294

(पांच) वन सम्पदा को आग से बचाने की नई तकनीक विकसित करने की आवश्यकता

श्रीमती भावना चिखलिया 294

(छः) राजकोट से दिल्ली के बीच नियमित हवाई सेवा पुनः शुरू करने की आवश्यकता

श्री चन्द्रेश पटेल 295

विषय पृष्ठ

(सात) बिहार का द्रुत औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए भाड़ा समानीकरण नीति समाप्त करने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान 295

(आठ) देश में जल संसाधनों के संरक्षण और उचित प्रबन्ध के बारे में राष्ट्रव्यापी चर्चा आयोजित करने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 296

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक 296—322

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री कमल नाथ 296

श्री जसवन्त सिंह 298

श्री विजय कृष्ण हान्डिक 302

श्री ई० अहमद 303

डा० राम चन्द्र डोम 305

डा० कार्तिकेश्वर पात्र 307

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 309

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 311

श्री भोगेन्द्र झा 314

श्री राम कापसे 316

श्री के० पी० सिंह देव 317

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 321

कार्य मंत्रणा समिति 314

सातवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत

दसवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजलोज, श्री थाइल जॉन (अलप्पी)

अंसारी, श्री मुमताज (कोडरमा)

अकबर पाशा, श्री बी० (वैल्लोर)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अडईकलराज, श्री एल० (तिरुचिरापल्ली)

अन्तुले, श्री ए० आर० (कोलाबा)

अम्बारासु इरा, श्री (मद्रास मध्य)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मईलादुतुराई)

अरुणाचलम, श्री एम० (टेनकासी)

अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)

अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)

अशोकराज, श्री ए० (पैरम्बलूर)

अहमद, श्री ई० (मंजेरी)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजम, डा० फैयाजुल (बेतिया)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)

इ

इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)

इम्चालम्बा, श्री (नागालैंड)

इस्लाम, श्री नुरुल (धुबरी)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)

उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उम्बे, श्री लाईता (अरुणाचल पूर्व)

उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, प्रो० (तेनाली)

उराव, श्री ललित (लोहरदगा)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)

ओ

ओडियर, श्री चनैया (दावनगेरे)

ओवेसी, श्री सुलतान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)

कनोजिया, डा० जी० एल० (लखीमपुर खेरी)

कनोडिया, श्री महेश (पाटन)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)

करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कहांडोले, श्री जेड० एम० (मालेगांव)

कापसे, श्री राम (ठाणे)

कामत, श्री गुरूदास (मुम्बई-उत्तर पूर्व)

कामसन, प्रो० एम० (बाह्य मणिपुर)

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम (उस्मानाबाद)

कालका दास, श्री (करोलबाग)

कालियापेरूमल, श्री पी० पी० (कुड्डालोर)

काले, श्री शंकर राव दे० (कोपरगांव)

*काशीराम, श्री (इटावा)

*20-11-91 को शपथ-ग्रहण की ।

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)

कुटुमुला, कुमारी पद्मश्री (नेल्लोर)

कुन्जी लाल, श्री (सवाई माधोपुर)

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बतुर)

*कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)

कुमार, श्री वी० धनंजय (मंगलौर)

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन (सलेम)

कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)

कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)

कुसमरिया, श्री रामकृष्ण (दमोह)

कृष्ण कुमार, श्री एस० (क्विलोन)

कृष्ण स्वामी, श्री एम० (वन्डिवाश)

कृष्णणेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती (भरतपुर)

केनिधी, डा० विश्वानाथम (श्रीकाकुलम)

केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)

कोंमताला, श्री रामकृष्ण (अनकापल्ली)

कोरी, श्री गया प्रसाद (जालौन)

कोली, श्री गंगा राम (बयाना)

कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)

क्षीरसागार, श्रीमती केसरबाई सोनाजी (बीड)

ख

खण्डेलवाल, श्री ताराचन्द (चांदनी चौक)

खनोरिया, श्री डी० डी० (कांगड़ा)

खन्डूरी, श्री भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खां, श्री अयूब (झुंझुनू)

खां, श्री असलम शेर (बेतूल)

खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)

खां, श्री सुखेन्दु (विशनुपुर)

खुराना, श्री मदन लाल (दक्षिण दिल्ली)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)

---

*26-11-91 को शपथ ग्रहण की ।

ग

गंगवार, डा० परशुराम (पीलीभीत)

गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)

गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)

गफूर, श्री अब्दुल (गोपालगंज)

गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)

गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)

गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)

गिरिजा देवी, श्रीमती (महाराजगंज)

गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल (चित्रदुर्ग)

गुंडेवार, श्री विलास राव नागनाथ राव (हिंगोली)

गुडा डिन्नी, श्री बी० के० (बीजापुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गोगोई, श्री तरुण (कलियाबोर)

गोपालन, श्रीमती सुशीला (चिरयिंकील)

गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गोहिल, डा० महावीर सिंह हरि सिंह जी (भावनगर)

गौंडर, श्री ए० सेनापति (पलानी)

गौड, श्री के० वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरातेराव (वर्धा)

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

च

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त (हावड़ा)

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (डमडम)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्री पेरुम्बुदुर)

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी० (कराड)

चाक्को, श्री पी० सी० (त्रिचूर)

चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोडा भाई (आनन्द)

चावड़ा, श्री हरि सिंह (बनासकांठा)

चिखलिया, कु० दीपिका (बड़ोदा)

चिखलिया, श्रीमती भावना (जूनागढ़)

चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा० (तिरुपति)

चेन्नितला, श्री रमेश (कोट्टायम)

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां (मालदा)

चौधरी, डा० के० वी० आर० (राजामुन्दरी)

चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री राम प्रकाश (अंबाला)

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

चौरे, श्री बापूहरि (धूले)

चौहान, श्री चेतन पी० एस० (अमरोहा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

छ

छटवाल, श्री सरताज सिंह

छोटे लाल, श्री (मोहनलालगंज)

ज

जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)

जनार्दनन, श्री एम० आर० कादम्बूर (तिरुनेलवेली)

जवाली, डा० बी० जी० (गुलबर्गा)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयमोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)

जसवंत सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)
जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)
जाखड़, श्री बलराम (सीकर)
जाटव, श्री बारे लाल (मुरेना)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जीवरत्नम, श्री आर० (अर्कोनम)
जेना, श्री श्रीकान्त (कटक)
जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरोमल (खेड़ा)
जोशी, श्री अन्ना (पुणे)
जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा-बूंदी)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

ट

टण्डेल, श्री डी० जे० (दमण और दीव)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टिंडिवणम, श्री के० राममूर्ति (टिंडिवणम)
टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)

ठ

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपडवंज)
ठाकुर, महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)
डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)
डेलकर, श्री मोहन एस० (दादरा और नगर हवेली)
डोम, डा० राम चन्द्र (बीरभुम)

त

तंगाबालू, श्री के० वी० (धर्मपुरी)
तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० (चिकमगलूर)

तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)

तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तेजनारायण सिंह, श्री (बक्सर)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)

तोमर, श्री रमेश चन्द्र (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (कैसरगंज)

त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकथा)

थ

थामस, प्रो० के० वी० (एरणाकुलम)

थामस, श्री पी० सी० (मुवतुपुजा)

थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)

थोरट, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)

द

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दत्त, श्री सुनील (मुंबई-उत्तर)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दास, श्री द्वारकानाथ (करीमगंज)

दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)

दिघे, श्री शरद (मुंबई उत्तर-मध्य)

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र (वाराणसी)

दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)

दुबे, श्रीमती सरोज (इलाहाबाद)

देब, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)

देवगौड़ा, श्री एच० डी० (हसन)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई दक्षिण)

देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)

देवी, महारानी विभु कुमारी (त्रिपुरा पूर्व)
देशमुख, श्री अनंतराव (वाशिम)
देशमुख, श्री अशोक आनंदराव (परभनी)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानपुर)

ध

धर्मभिक्षम, श्री (नालगोंडा)
धूमल, प्रो० प्रेम (हमीरपुर)

न

नंदी, श्री येलेया (सिद्दीपेट)
नवले, श्री विदुरा विठोबा (खेड़)
नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
नायक, श्री ए० वेंकटेश (रायचूर)
नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)
नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)
नायक, श्री सुबास चन्द्र (कालाहांडी)
नायकर; श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)
नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)
नारायणन, श्री पी० जी० (गोबिचेट्टिपालयम)
निकाम, श्री गोविन्दराव (रत्नागिरी)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा (बागलकोट)

प

पंडियन, श्री डी० (मद्रास उत्तर)
पंवार, श्री हरपाल (कैराना)
पटनायक, श्री शरत् चन्द्र (बोलंगीर)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बलसाड़)
पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, श्री प्रफुल (भंडारा)
पटेल, श्री वृशिण (सीवान)

पटेल, श्री भीम सिंह (रीवा)

पटेल, श्री रामपूजन (फुलपुर)

पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)

पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्र नगर)

पटेल, श्री हरि भाई (पोरबन्दर)

पटेल, श्री हरि लाल ननजी (कच्छ)

पद्मा डा० (श्रीमती) (नागापट्टीनम)

पवार, डा० बसंत निवरटी (नासिक)

*पवार, श्री शरद चन्द्र गोविन्द राव (बारामति)

पांजा, श्री अजित (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)

पाटिल, श्री यशवंतराव (अहमनगर)

पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्डोल)

पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)

*पाटिल, कुमारी सूर्यकान्ता (नांदेड़)

पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)

पाटील, श्री अन्वरी बसवराज (कोप्पल)

पाटील, श्री प्रकाश बी० (सांगली)

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)

पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल (शाहबाद)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ (देवगढ़)

पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर (बालासौर)

पायलट, श्री राजेश (दोसा)

पाल, डा० देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू (खम्माम)

पासवान, श्री छेदी (सासाराम)

पासवान, श्री राम विलास (रोसेड़ा)

---

*20-11-91 को शपथ ग्रहण की ।

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री बलराज (नैनीताल)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पूसापति, श्री आनन्द गजपति राजू (बोब्बिली)

पेरूमान, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)

पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)

प्रकाश, श्री शशि (चैल)

प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुरा)

प्रभु, श्री आर० (नीलगिरिस)

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास (चामराजानगर)

प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)

प्रामाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)

प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा (पूर्व दिल्ली)

प्रेम, श्री मंगलराम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री आस्कर (उदीपी)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फातमी, मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फारुक, श्री एम० ओ० एच० (पांडिचेरी)

फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक (अकोला)

फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंडारू, श्री दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता-दक्षिण)

बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)

बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)

बालियान, श्री नरेश कुमार (मुजफ्फरनगर)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बसु, श्री चित्त (बारसाट)

बाला, डा० असीम (नबद्वीप)

बाला योगी, श्री जी० एम० सी० (अमालापुरम)

बीरबल, श्री (गंगानगर)

बूटा सिंह, श्री (जालौर)

बेरवा, श्री राम नारायण (टोंक)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान-निकोबार)

भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)

भट्टाचार्य, श्री नानी (बरहामपुर)

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)

भाग्ये गोवर्धन, श्री (मयूरभंज)

भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)

भोंसले, श्री तेजसिंह राव (रामटेक)

भोंसले, श्री प्रताप राव बी० (सतारा)

भोई, डा० कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानंद (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडल, श्री सूरज (गोड्डा)

मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)

मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)

मराण्डी, श्री कृष्ण (सिंहभूम)

मरान्डी, श्री साईमन (राजमहल)

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)

मल्लिकारजुनय्या, श्री एस० (तुमकुर)

मल्लु, डा० आर० (नगर कुरनूल)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महतो, श्री बिनोद बिहारी (गिरिडीह)

*महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती (अलवर)

माडे गौडा, श्री जी० (माण्डया)

माणे, श्री राजाराम शंकरराव (इचलकरांजी)

माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)

मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)

मिर्धा, श्री रामनिवास (बाड़मेर)

मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मीणा, श्री भेरू लाल (सलम्बर)

मुंडा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखर्जी, श्री सुब्रत (रायगंज)

मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृष्णनगर)

**मुजाहिद, श्री बी० एम० (धारवाड़ दक्षिण)

मुण्डो, श्री करिया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)

मुनियप्पा, श्री के० एच० (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के० (कालीकट)

मुरुगेसन, डा० एन० (करूर)

---

*20-11-91 को शपथ ग्रहण की ।

**26-11-91 को शपथ ग्रहण की ।

मुर्मु, श्री रूप चंद (झाड़ग्राम)

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम० वी० वी० एस० (विशाखापटनम)

मेघे, श्री दत्ता (नागपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैथ्यू, श्री पाला के० एम० (इदुक्की)

मोल्लाह, श्री हन्नाह (उलुबेरिया)

मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदोली)

य

यादव, श्री अर्जुन सिंह (जौनपुर)

यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)

यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री राम लखन सिंह (आरा)

यादव, श्री रामशरण (खगरिया)

यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)

यादव, डा० एस० पी० (सम्भल)

*यादव, श्री शरद (माधेपुर)

यादव श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)

यादव, श्री सूर्यनारायण (सहरसा)

युमनाम, श्री याइमा सिंह (आंतरिक मणिपुर)

र

रंगपी, डा० जयन्त (स्वशासी जिला)

रथ, श्री रामचन्द्र (आसका)

राजनारायण, श्री (वासगांव)

राजरवि वर्मा, श्री बी० (पोल्लाची)

राजुलु, डा० आर० के० जी० (शिवकासी)

राजू, श्री एस० विजयराम (पार्वतीपुरम)

राजू, श्री भू० विजय कुमार (नरसापुर)

---

*27-11-91 को शपथ ग्रहण की।

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्र कुमार, श्री एस० एस० आर० (चिंगलपट्टू)

*राजेश कुमार, श्री (गया)

राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)

राठवा, श्री नारायण भाई जमला भाई (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राम अवध, श्री (अकबरपुर)

राम, श्री प्रेमचन्द (नवादा)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)

रामदेव राम, श्री (पलामू)

रामबदन, श्री (लालगंज)

राम बाबू, श्री ए० जी० एस० (मदुरै)

राममूर्ति, श्री के० (कृष्णागिरि)

राम सागर, श्री (बाराबंकी)

राम सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)

रामासामी, श्री आर० (पेरियाकुलम)

रामय्या, श्री बोल्ला बुल्ली (एलरू)

राय, श्री एम० रमन्ना (कासरगोड़)

राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री रवि (केन्द्रपाड़ा)

राय, श्री रामनिहोर (रायबर्टसगंज)

राय, श्री लाल बाबू (छपरा)

राय, डा० सुधीर (बर्दवान)

राय, श्री हाराधन (आसनसोल)

राय चौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)

राव, श्री डी० वेंकटेश्वर (बापतला)

---

*26-11-91 को शपथ ग्रहण की।

*राव, श्री पी० वी० नरसिंह (नन्दयाल)

राव, श्री वी० कृष्ण (चिक्कबल्लापुर)

रावत, श्री प्रभुलाल (बांसवाड़ा)

रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)

रावत, प्रो० रासा सिंह (अजमेर)

रावल, डा० लाल बहादुर (हाथरस)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई-दक्षिण मध्य)

राही, श्री राम लाल (मिश्रिख)

रेड्डय्या यादव, श्री के० पी० (मछलीपटनम)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र (वारंगल)

रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री एम० बागा (मेडक)

रेड्डी, श्री जी० गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा (ओंगोले)

रेड्डी, श्री मुहासमुवम ज्ञानेन्द्र (चित्तूर)

रेड्डी, श्री बी० एन० (मिरयालगुडा)

**रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर (कुडप्पा)

रेड्डी, श्री विजय भास्कर (करनूल)

रोशन लाल, श्री (खुर्जा)

ल

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री (मुकुन्दपुरम)

लालजान बाशा, श्री एस० एम० (गुन्टूर)

लोढ़ा, श्री गुमान मल (पाली)

व

वघेला, श्री शंकरजी लक्ष्मणजी (गोधरा)

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)

वर्मा, श्री फूल चन्द (शाजापुर)

---

*20-11-91 को शपथ ग्रहण की।

**25-11-91 को शपथ ग्रहण की।

वर्मा, श्री भवानी लाल (जांजगीर)

वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)

वर्मा, श्रीमती रीता (धनबाद)

वर्मा, कु० विमला (सिवनी)

वर्मा, श्री शिवशरण (मछलीशहर)

वर्मा, श्री सुशीलचन्द्र (भोपाल)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)

वान्डायार, श्री के० तुलसिऐया (तंजावुर)

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण (बुलढाना)

विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)

विलियम्स, श्री आर० जी० (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारती)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र सिंह, श्री (मीर्जापुर)

वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई (राजकोट)

व्यास, डा० गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)

शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)

शर्मा, श्री जीवन (अल्मोड़ा)

शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)

शर्मा, श्री विश्वनाथ (हमीरपुर)

*शर्मा, श्री सतीश कुमार (अमेठी)

शाक्य, डा० महादीपक सिंह (इटोहा)

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)

शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास (सुल्तानपुर)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)

शिंगडा, श्री डामू बरकू (दहानू)

---

*20-11-91 को शपथ ग्रहण की।

शिवप्पा, श्री कोडाकनी गौडाना (शिमोगा)

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद (खलीलाबाद)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)

शैलजा, कुमारी (सिरसा)

श्रीधरण, डा० राजगोपालन (मद्रास दक्षिण)

श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी (डिन्डिगुल)

स

संगमा, श्री पूर्णो ए० (तुरा)

संघानी, श्री दिलीप भाई (अमरेली)

सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)

सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)

सरस्वती, श्री योगानन्द (भिंड)

सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ (जलगांव)

सलीम, श्री मोहम्मद युनुस (कटिहार)

साक्षी जी०, डा० (मथुरा)

सादुल, श्री धर्मण्णा मोंडय्या (शोलापुर)

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)

साय, श्री ए० प्रताप (राजमपेट)

सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)

सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)

साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)

सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिदनाल, श्री एम० बी० (बेलगांव)

सिलवेरा, डा० सी० (मिजोरम)

सिंह, श्री अजीत (बागपत)

सिंह, श्री अभय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अर्जुन (सतना)

सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

*सिंह, डा० छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जंगबीर (भिवानी)

सिंह, श्री दलबीर (शाहडोल)

सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)

सिंह, कु० पुष्पा देवी (रायगढ़)

सिंह, श्री प्रताप (बांका)

सिंह, श्री ब्रजभूषण शरण (गोण्डा)

सिंह, श्री मनफूल (बीकानेर)

सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राजबीर (आंवला)

सिंह, श्री राम (हरिद्वार)

सिंह, श्री राम नरेश (औरंगाबाद)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)

सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)

सिंह, श्री शिवशरण (वैशाली)

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)

सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)

सिंह, श्री सूर्यनारायण (बलिया)

सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)

*सिंहदेव, श्री के० पी० (ढेंकानाल)

सुखराम, श्री (मंडी)

सुन्दरराज, श्री एन० (पुडुक्कोट्टाई)

सुब्बाराव, श्री थोटा (काकिनाडा)

सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)

सुरेश, श्री कोड्डीकुनील (अडूर)

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (पोन्नानी)

---

*20-11-91 को शपथ ग्रहण की।

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सैकिया, श्री मुहीराम (नवगांव)

सैयद, श्री शाहबुद्दीन (किशनगंज)

सोढ़ी, श्री मनकूराम (बस्तर)

सोरन, श्री शिबू (दुमका)

सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)

सोन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस० (तिरुचेंगोड़)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)

स्वामी, श्री जी० वेंकट (पेड्डापल्ली)

स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)

ह

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जोरहाट)

हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री शिवराज वी० पाटिल

उपाध्यक्ष

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या

सभापति तालिका

राव राम सिंह

श्री शरद दिघे

श्री रशीद मसूद

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

श्री पी० एम० सईद

श्री राम नाईक

महासचिव

श्री के० सी० रस्तोगी

भारत सरकार

मंत्रिमण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; महासागर विकास; इलेक्ट्रानिकी; परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष; रसायन और उर्वरक; ग्रामीण विकास; नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण तथा उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार; मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी, जो मंत्रिमंडल स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं।	श्री पी० वी० नरसिंह राव
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री अर्जुन सिंह
कृषि मंत्री	श्री बलराम जाखड़
गृह मंत्री	श्री एस० बी० चव्हाण
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री एम० एल० फोतेदार
संसदीय कार्य मंत्री	श्री गुलाम नबी आजाद
रेल मंत्री	श्री सी० के० जाफर शरीफ
शहरी विकास मंत्री	श्रीमती शीला कौल
कल्याण मंत्री	श्री सीताराम केसरी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री के० विजय भास्कर रेड्डी
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री	श्री माधव राव सिंधिया
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
जल संसाधन मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
वित्त मंत्री	श्री मनमोहन सिंह
विदेश मंत्री	श्री माधव सिंह सोलंकी
रक्षा मंत्री	श्री शरद पवार

राज्य मंत्री
(स्वतन्त्र प्रभार)

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री एच० आर० भारद्वाज
वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी० चिदम्बरम
इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव
वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अशोक गहलोत
खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री तरुण गगोई
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कमल नाथ
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अजित कुमार पांजा
संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कल्पनाथ राय
कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी० ए० संगमा
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
खान मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बलराम सिंह यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कमालुद्दीन अहमद
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मार्गरेट अल्वा
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० अरुणाचलम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री	कुमारी ममता बनर्जी
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एदुआर्दो फैलीरो
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० ओ० एच० फारूक
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० एम० जैकब
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री रंगराजन कुमारमंगलम
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० कृष्ण कुमार

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी० जे० कुरियन
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० सी० लेंका
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मल्लिकार्जुन
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री चिन्ता मोहन
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री उत्तमभाई एच० पटेल
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शांताराम पोतदुखे
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री दलबीर सिंह
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी० के० थुंगन
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री रामेश्वर ठाकुर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ

उप-मंत्री

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री पवन सिंह घाटोवार
कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री के० कमला कुमारी
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सलमान खुर्शीद
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री पी० वी० रंगय्या नायडू
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री राम लाल राही
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	कुमारी गिरिजा व्यास
कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एस० बी० न्यामगौड

लोक सभा

बुधवार, 20 नवम्बर, 1991/29 कार्तिक, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

11.00 म० पू०

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री पी० वी० नरसिंह राव (नन्दयाल)

श्री शरद पवार (बारामती)

कुमारी सूर्यकान्ता पाटिल (नान्देड़)

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल)

श्री सतीश कुमार शर्मा (अमेठी)

डा० छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर)

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया)

11.05 म० पू०

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज जब हम यहां दो महीने के अन्तराल के पश्चात् एकत्रित हुए हैं तो मुझे इस सभा को अपने चार भूतपूर्व साथियों श्री रामनाथ गोयनका, श्री फ़िरन्दर दास, श्री के० आनन्द नाम्बियार और श्री के० लक्कप्पा के निधन के बारे में सूचित करने के दुःखद कार्य का निर्वाह करना है।

श्री रामनाथ गोयनका ने मध्य प्रदेश के विदिशा निर्वाचन क्षेत्र का 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया था। इससे पहले वे संविधान सभा के सदस्य थे और अंतरिम संसद के भी सदस्य थे। उससे पहले 1926-30 के दौरान वे मद्रास विधान परिषद् के सदस्य रहे।

बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी श्री गोयनका ने आजादी के संघर्ष में बड़ी सक्रियता से भाग लिया। अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे भारतीय लोगों की ओर विश्व के नेताओं का ध्यान आकृष्ट करने तथा उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्नों से सभी भली-भांति

परिचित हैं। आजादी से पहले उन्होंने जो प्रकाशन प्रकाशित करवाए तथा उसके पश्चात् भी जो कार्य किया, वह उनका देश प्रेम और उनकी निर्भीकता को प्रमाणित करता है। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसार के लिए उनके दो सुविख्यात ग्रन्थ "इंडिया रैवेज्ड" और "क्विट इंडिया" उसके ठोस प्रमाण हैं।

राष्ट्रपिता की भावनाओं के अनुरूप उन्होने 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान अपने सभी प्रकाशन बन्द कर दिए थे।

श्री गोयनका स्वतन्त्रता आन्दोलन से इतने करीब से जुड़े हुए थे कि 1926 में मद्रास विधान परिषद् में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी उन्होंने विधान परिषद् में राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहन देने के लिए विपक्ष से पूरा सहयोग किया।

भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते श्री गोयनका प्रेस में गहरी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने 1932 में 'इंडियन एक्सप्रेस' आरम्भ किया। शीघ्र ही उनके सशक्त मार्ग निर्देशन में यह समाचार पत्र अनेक भाषाओं में प्रकाशित होने लगा। उन्होंने अपने राष्ट्रीय विचारों की आम लोगों के समक्ष अभिव्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जो कि उस समय विदेशी ताकत द्वारा कुचले जा रहे थे।

श्री रामनाथ गोयनका का 89 वर्ष की आयु में 5 अक्तूबर, 1991 को बम्बई में देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु से राष्ट्र ने एक बहुआयामी व्यक्तित्व तथा प्रेस की आजादी और प्रजातांत्रिक मूल्यों का मसीहा खो दिया है। स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान उनकी राष्ट्र के लिए अतुल्य सेवाएं तथा बाद में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी सेवाओं को लम्बे समय तक याद रखा जायेगा।

श्री किन्दर लाल उत्तर प्रदेश के हरदोई निर्वाचन क्षेत्र से 1962-77 तथा 1984-89 के दौरान तीसरी, चौथी, पांचवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पहले 1952-77 के दौरान वे उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।

व्यवसाय से कृषक होने के नाते श्री किन्दर लाल ने समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से सम्बन्धित अनेक संगठनों में काम किया। अपने लम्बे संसदीय कार्यकाल में उन्होंने सभा का ध्यान शोषित और पद्दलित जनता की समस्याओं की ओर आकर्षित किया।

उन्होंने जनकल्याण की योजनाओं को बढ़ावा देने में गहरी रुचि दिखाई।

श्री किन्दर लाल का देहावसान लम्बी बीमारी के बाद 5 अक्तूबर, 1991 को 77 वर्ष की आयु में हरदोई में हुआ।

श्री के० आनन्द नाम्बियार पूर्ववर्ती मद्रास राज्य के मयूरम और त्रिचिरापल्ली निर्वाचन क्षेत्रों का 1952-57 तथा 1962-70 के दौरान पहली, तीसरी और चौथी लोक सभा में प्रतिनिधित्व करते रहे। इससे पहले वे 1946-51 के दौरान मद्रास विधान सभा के सदस्य रहे।

एक अग्रणी मजदूर नेता और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने संसद के भीतर और बाहर मजदूर वर्ग द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं की ओर हमेशा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। रेलवे के कर्मचारियों के कल्याण कार्यों में उन्होंने गहरी रुचि दिखायी।

अपने लम्बे संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसद की कार्यवाही में सक्रियता से भाग लिया और बहुमूल्य योगदान दिया।

श्री नाम्बियार का देहावसान लम्बी बीमारी के पश्चात् 11 अक्तूबर, 1991 को त्रिचिरापल्ली में 73 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री के० लक्कप्पा इस समय कर्नाटक विधान सभा के सदस्य थे। इससे पहले 1967 से 1984 के दौरान कर्नाटक राज्य के तुम्कुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वे लगातार चार बार — चौथी से सातवीं लोक सभा तक के सदस्य रहे थे। इससे पहले 1962 से 1967 तक वे तत्कालीन मैसूर विधान सभा के सदस्य रहे थे।

एक सक्रिय राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार में गहरी रुचि दिखाई तथा राज्य में बेरोजगार पढ़े लिखे युवकों के हितों के लिए लड़ने हेतु एक संगठन की भी स्थापना की। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया।

सक्षम सांसद होने के नाते श्री लक्कप्पा ने अपने लम्बे संसदीय कार्यकाल के दौरान किसानों, मजदूरों, युवाओं और ग्रामीण जनता की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का कोई अवसर नहीं खोया। वे विभिन्न संसदीय और विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बन्धित परामर्शदात्री समितियों के सदस्य थे।

श्री लक्कप्पा का देहावसान 8 नवम्बर, 1991 को 62 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

मित्रो, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में पिछले दिनों जो दर्दनाक घटना घटी, उसकी चर्चा मुझे करनी है।

जैसा कि इस सभा को विदित है कि 20 अक्तूबर, 1991 को उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों तथा साथ लगने वाले अन्य जिलों में भयंकर भूकम्प आया। इस विनाशकारी भूकम्प के कारण सैकड़ों लोग मारे गए तथा सम्पत्ति को भी काफी हानि हुई। हजारों परिवार बेघर हो गए हैं तथा उन्हें अपार कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। वहां बड़े पैमाने पर राहत कार्य चल रहा है।

मुझे विश्वास है कि यह सभा संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब संवेदना व्यक्त करने के लिए सभा के सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्य कुछ देर तक मौन खड़े रहे।

———

11.15 म० पू०　　　　3 - 4

मालदीव के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से मालदीव की सिटिजन मजलिस के अध्यक्ष महोदय, महामहिम श्री अहमद जकी तथा मालदीव के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का, जो इस समय भारत की यात्रा पर हैं और हमारे सम्मानित अतिथि हैं, स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

शिष्टमण्डल के अन्य माननीय सदस्य हैं :—

1. श्री अब्दुल्ला फारूक हसन, एम० पी०

2. श्री अली मोहम्मद, एम० पी०

3. श्री अब्दुल हसीब, एम० पी०

शिष्टमंडल 18 नवम्बर, 1991 की संध्या को दिल्ली पहुंचा था। इस समय वह विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम इस देश में उनकी मंगल यात्रा की कामना करते हैं उनके माध्यम से हम सिटिजन मजलिस के प्रेसीडेंट, मालदीव गणराज्य की सरकार और वहां की हमारी मित्र जनता के प्रति अपनी सद्भावनाएं और मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं।

———

11.16 म० पू०

4-6

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली विकास प्राधिकरण के धन का कथित दुर्विनियोग

[हिन्दी]

*1. श्री श्रवण कुमार पटेल† :
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली के विकास कार्य के लिए नियत दिल्ली विकास प्राधिकरण की 20 करोड़ रुपये की धनराशि के कथित दुर्विनियोग की जांच पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) पूर्वी दिल्ली के विकास कार्य में ठेके प्रदान करने तथा भुगतानों के सम्बन्ध में आरोपित अनियमितताओं से सम्बन्धित संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से बहुत-सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन आरोपों की दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो आरोप संसद सदस्यों

द्वारा लगाए गये हैं तथा गड्ढों को भरने के लिए जो करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है, जो कार्य कभी हुआ ही नहीं, उसके बारे में जो आरोप है, क्या वह सही हैं।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जायेगा, जैसा कि संसद सदस्यों द्वारा मांग की गई है।

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, हमने इस मामले को डी० डी० ए० की टिप्पणी के लिए भेजा है। टिप्पणी प्राप्त होने के पश्चात् इस मामले को हम अवश्य ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजेंगे।

श्री अवध कुमार पटेल : अगर आप दिल्ली के विभिन्न भागों, विशेषकर पूर्वी दिल्ली में, जाएं तो आपको पूर्ण अव्यवस्था तथा सभी प्रकार के अवैध कब्जों का दृश्य नजर आयेगा विशेषकर डी० डी० ए० की भूमि, पार्कों, खाली भूमि, यहां तक कि सड़क के साथ-साथ, जिससे कि यह पता चलता है कि डी० डी० ए० प्रशासन में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

महोदय, क्या मैं यह जान सकता हूं कि एक संसदीय समिति द्वारा समस्या के इस पक्ष के अध्ययन तथा जांच के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि डी० डी० ए० प्रशासन के पुनर्गठन द्वारा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके।

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, हमारे मंत्रालय ने विशेष रूप से दिल्ली के संसद सदस्यों से इस सम्बन्ध में चर्चा की है। अवैध कब्जों के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए मुझे आपको एक अलग नोटिस देना चाहिए, यह वर्तमान प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न में जिस आरोप पत्र भेजने की बात कही गयी है, वह मैंने ही भेजा था। डी० डी० ए० में सड़कें बनाने, मिट्टी उठाने और नालियों आदि के सम्बन्ध में, कुल मिलाकर तीन तरह के घोटाले हुए हैं। पहला यह कि कार्य हुआ ही नहीं और उसकी पेमेंट हो गयी: कागजों पर काम हुआ और पैसे ले लिये गए। दूसरा यह कि जो कार्य पहले हो चुके थे और जिनकी पेमेंट भी पहले हो चुकी थी, उन्हीं कामों को दोबारा दिखाकर, उसकी पेमेंट ले ली गयी। घोटालों का तीसरा प्रकार यह है कि कार्य कम हुआ जबकि उसकी पेमेंट ज्यादा कर दी गई। मान लीजिये वास्तव में 100 गज सड़क बनी तो 500 गज की पेमेंट कर दी गयी। मेरा कहना है कि ये आरोप केवल पूर्वी दिल्ली के सम्बन्ध में ही हैं। इसके अलावा भी, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर, 8000 मकान ऐसे हैं, जिनको बनाने में सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च हो गए, कई सालों से वे बन कर खड़े हैं लेकिन बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं होने से, उनकी एलॉटमेंट नहीं हो रही है। तो क्या इन मामले को सी० बी० आई० की जांच के लिए और डी० डी० ए० के अन्य कामों के लिए जहां-जहां घोटाले हुए हैं, उनके कार्यकलापों की जांच पार्लियामेंट्री कमेटी से या किसी हाई पॉवर कमेटी से कराने का क्या सरकार का विचार है?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : माननीय सदस्य ने वही मुद्दा उठाया है जो कि दिल्ली के संसद सदस्यों के साथ बैठक के दौरान उठाया गया था। हमने डी० डी० ए० से एक सम्बन्ध में टिप्पणी

मांगी है। जैसे ही हमें उनकी टिप्पणी प्राप्त होती है, हम इस पर विचार करेंगे तथा इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपेंगे।

श्री हरि किशोर सिंह : यह पत्र डी० डी० ए० को टिप्पणी के लिए कब भेजा गया? डी० डी० ए० मुख्यालय तथा शहरी विकास मन्त्रालय में कितनी दूरी है? डी० डी० ए० की सलाहकार समिति में लोक सभा के दो प्रतिनिधि होते हैं। मैं भी उनमें से एक रहा हूं। परन्तु डी० डी० ए० द्वारा अभी तक इस सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। मेरे विचार में सलाहकार समिति की बैठक कभी होती ही नहीं है। शायद श्री मदन लाल खुराना इस संबंध में कुछ और जानकारी दे सकें। मैं यह जानना चाहूंगा कि कब तथा किसके द्वारा यह पत्र भेजा गया तथा कब तथा किसके द्वारा यह पत्र प्राप्त किया गया तथा कब तक डी० डी० ए० से जवाब मिलने की सरकार को उम्मीद है? क्या कोई उत्तर मिलेगा भी या नहीं?

श्री एम० अरुणाचलम : इस सम्बन्ध में दो पत्र प्राप्त हुए हैं। एक इस सभा के 11 सदस्यों द्वारा प्रधान मन्त्री महोदय को लिखा गया है तथा दूसरा सीधा ही सतर्कता विभाग के आयुक्त को लिखा गया है। हमें सूचना परसों ही प्राप्त हुई है? (**व्यवधान**)

श्री हरि किशोर सिंह : किसके द्वारा तथा कब यह पत्र लिखा गया। (**व्यवधान**)

श्री एम० अरुणाचलम : 11 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रधान मन्त्री को संबोधित पत्र परसों ही मेरे मंत्रालय में प्राप्त हुआ है। (**व्यवधान**)

श्री हरि किशोर सिंह : नहीं, यह गलत है। (**व्यवधान**)

श्री एम० अरुणाचलम : हमने यह पत्र टिप्पणी के लिए डी० डी० ए० को भेज दिया है।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के उत्तर में जो कहा गया है कि डी० डी० ए० के पास इस मामले को फिर से भेजा गया है जांच के लिए, तो क्या इसके लिए कोई और दूसरा माध्यम नहीं हो सकता था क्योंकि यह तो उसी को भेजा गया है जिसके बारे में जांच होनी है। इसका मतलब तो यह हो गया कि जो अपराधी है उसी के पास फैसला करने के लिए भेजा गया है। किसी और माध्यम से जांच के लिए भेजा जाता तो एक अच्छी इसकी बुनियाद बनती। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्या इसकी जांच किसी और माध्यम से कराने का विचार रखती है?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : एक आई० ए० एस० अधिकारी के नेतृत्व में डी० डी० ए० का अपना सतर्कता विभाग है। हमें इस विभाग की टिप्पणी का इंतजार है जिसके पश्चात् हम यह मामला उचित संस्था को सौंप देंगे।

राज्यों को धनराशि का आवंटन

*2. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने उन्हें केन्द्रीय पूल के संसाधनों में से देय आवंटन में कटौती किए जाने की आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा 1980 के गाडगिल फार्मूले में संशोधन के कारण हुआ है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में कौन से उपचारी उपाय करने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों की योजना के लिए केन्द्रीय संसाधनों का आवंटन अगस्त, 1980 मे राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित आशोधित गाडगिल फार्मूले में निर्धारित मानदंड के अनुसार किया गया था। आठवीं योजना 1990-95 के संदर्भ में आशोधित गाडगिल फार्मूले में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अक्तूबर, 1990 में संशोधन किए गए थे तथा फार्मूले को "सहमति" फार्मूला कहा गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद् के "सहमति" फार्मूले के सम्बन्ध में कई राज्यों द्वारा दर्शायी गयी चिंता को ध्यान में रखकर, योजना आयोग ने उन परिस्थितियों, जिनके कारण राष्ट्रीय विकास परिषद् को अक्तूबर, 1990 में आशोधित गाडगिल फार्मूले में संशोधन करना पड़ा, संशोधनों (सहमति फार्मूला) के सम्बन्ध में कई राज्यों द्वारा दर्शायी गयी चिंताओं की जांच करने तथा आठवीं योजना, 1992-97 के दौरान केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फार्मूला सुझावों के लिए केन्द्रीय वित्त मन्त्री तथा योजना आयोग के एक सदस्य सहित उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति के सुझावों को ध्यान में रखकर उपरोक्त फार्मूले के संशोधन पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा, जिसके सदस्य मुख्य मन्त्री होते हैं, विचार किया जाएगा। समग्र केन्द्रीय पूल राशि को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित संशोधनो/फार्मूले के अनुसार राज्यों की आठवीं योजना, 1992-97 के लिए आवंटित किया जाएगा। उपरोक्त समिति की गठन की एक प्रति अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

अनुबन्ध

सं० 17/3/91-एफ० आर०
भारत सरकार
योजना आयोग
(वित्तीय संसाधन प्रभाग)

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 24 सितम्बर, 1991

आदेश

विषय : राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता आवंटन के सम्बन्ध में एक समिति का गठन।

यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सहायता के आवंटन हेतु सुझाए गए विभिन्न फार्मूलों की जांच करने तथा आठवीं योजना, 1992-97 के दौरान राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन हेतु एक सर्वाधिक उपयुक्त फार्मूले की राष्ट्रीय विकास परिषद् को अनुसंशा करने हेतु, एक समिति का गठन किया जाए।

2. समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :

(1) श्री प्रणव मुखर्जी उपाध्यक्ष योजना आयोग	अध्यक्ष
(2) डा० मनमोहन सिंह वित्त मन्त्री	सदस्य
(3) डा० सी० रंगराजन सदस्य योजना आयोग	सदस्य

3. समिति के विचारार्थ विषय हैं—

(1) उन परिस्थितियों की जांच करना जिनमें गाडगिल (आशोधित) फार्मूला के सम्बन्ध में कतिपय परिवर्तन आवश्यक समझे गये थे, तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपनी अक्तूबर, 1990 की बैठक में एक विकल्प पर विचार किया था।

(2) गाडगिल (आशोधित) फार्मूले तथा "सहमत" फार्मूले के सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त चिंताओं पर विचार करना; तथा

(3) ऐसे फार्मूले को सुझाना जो आठवीं योजना 1992-97 के दौरान राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता आवंटन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है।

4. समिति अपने गठन से एक माह के अन्तर्गत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. योजना आयोग का वित्तीय संसाधन प्रभाग समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

ह०/—
(आई० एस० अहलूवालिया)
निदेशक (प्रशासन)

श्री विजय नवल पाटिल : इस समिति की रिपोर्ट को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जाना था। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है या समिति अब भी इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है और रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संसद सदस्यों को इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाएगा।

श्री एच० आर० भारद्वाज : विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए मुखर्जी समिति ने विभिन्न राज्यों की शिकायतों को दूर करने के प्रश्न पर विचार किया। और जहां तक मुझे जानकारी है, समिति का कार्य पूरा हो चुका है और हम राष्ट्रीय विकास परिषद् की अगली बैठक की तैयारी कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य इस समिति के किसी भी निदेश पदों पर चर्चा करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि वह जिस किसी भी पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष या इसके किसी भी सदस्य से चर्चा कर सकते हैं।

श्री विजय नवल पाटिल : एक ओर तो हम राज्यों को अनुदान देते हैं और दूसरी ओर हम उनसे सहायता भी मांगते हैं। उदाहरण के लिए कोंकण रेलवे और ठाणे-बेलापुर रेलवे के मामले में अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से कुछ अनुदान या योगदान के रूप में देने के लिए कहा गया। क्या इसे भी समिति के निदेश पदों में शामिल किया गया है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : निदेश पदों में ऐसी कोई परियोजना नहीं है और यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि निदेश पद क्या हैं तो हम उन्हें उत्तर के साथ संलग्न निदेश पदों को देखने के लिए कहेंगे। लेकिन ऐसी कोई विशेष परियोजना नहीं है।

श्री राम कापसे : समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है और मंत्री जी ने अपने उत्तर के पृष्ठ दो पर कहा है :

> "समिति के सुझावों को ध्यान में रखकर उपरोक्त फार्मूले के संशोधन पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा, जिसके सदस्य मुख्य मंत्री होते हैं, विचार किया जाएगा। समग्र केन्द्रीय पूल राशि को अन्तिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित संशोधनों/फार्मूले के अनुसार राज्यों की आठवीं योजना, 1992-97 के लिए आबंटित किया जाएगा।"

एक जनवरी, 1992 बहुत नजदीक ही है। आप कब तक आशा करते हैं कि समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी और कब तक आप इन औपचारिकताओं को पूरा करेंगे ताकि वार्षिक योजना 1992 को शुरू करने में सुविधा हो सके ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मेरा यह कहना है कि समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और दिसम्बर, 1991 के आसपास राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक होगी और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब कोई विलम्ब है चूंकि हमें यह भी देखना पड़ा है कि विगत दो वर्षों के दौरान कोई भी योजना नहीं थी। यह सरकार जून, 1991 में सत्ता में आई और इस दौरान हमने बहुत कुछ काम पूरा कर लिया है जिसे पिछली सरकार ने अधूरा छोड़ दिया था। इसलिए मैं समझता हूं कि अब कोई विलम्ब नहीं है और जैसा कि मैंने कहा है कि राष्ट्रीय विकास आयोग सबसे उपयुक्त मंच है जहां निर्णय लिए जा सकते हैं। और हम सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास तथाकथित सर्वसम्मति फार्मूले के संबंध में राज्यों के कई सुझाव विचारार्थ लम्बित पड़े हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि सर्वसम्मति के फार्मूले को कई राज्यों ने स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने 1990 में कुछ सुझाव दिए थे। वे सुझाव लम्बित पड़े हैं और समिति ने उन सुझावों की जांच की है और उन्होंने उसमें कुछ सुधार लाने के प्रयास किए हैं और कई राज्यों

को संतुष्ट भी किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक होगी तो सभी मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं और मुख्य मंत्री भी उसमें होंगे और राज्यों के सामने जो भी समस्याएं हैं उन सभी पर चर्चा कराई जाएगी।

श्री के० पी० सिंह देव : मंत्री जी के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ही उपयुक्त मंच है, इस संबंध में मुझे यह कहना है कि वे मुख्य मंत्री जो राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्य थे विशेषकर 1990 में, जिन्होंने सर्वसम्मत फार्मूले को तैयार करने में योगदान दिया था, जिसे राज्यों ने तैयार किया था, वे केन्द्र सरकार से आर्थिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे विशेषकर उड़ीसा की यह मांग थी जिसका अपना कोई भी दृष्टिकोण परिष्कृत गाडगिल फार्मूले या सर्वसम्मत फार्मूले के सम्बन्ध में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति ने राज्यों में असंतोष के कारण और चूंकि उड़ीसा ने केन्द्र सरकार से आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की है इसे दृष्टिगत रखते हुए विचार किया है। इसलिए पिछड़े राज्यों के लिए न तो सर्वसम्मत फार्मूला और न परिष्कृत गाडगिल फार्मूला ही उचित है। इस संबंध में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब मैं नहीं समझता हूं। मेरी समझ में केवल इतना ही आता है कि जो धन देश के पास है उसका राज्यों के बीच समान बंटवारा कुछ उन सिद्धांतों के आधार पर किया जाना है जिससे राष्ट्र का मार्ग निर्देशित होता है। और उसी आधार पर उड़ीसा को उसका उचित भाग मिलता है और यदि माननीय सदस्य चाहते हैं— मुझे उड़ीसा सरकार से यह सुझाव प्राप्त हुआ है—मुझे विश्वास है कि उन सुझावों पर विचार किया जाएगा। उड़ीसा सहित आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सभी राज्यों में समस्याएं हैं लेकिन हमारे पास धन सीमित है और प्रश्न यह है कि हम किस तरह इसे समान रूप से वितरित करेंगे। इस सर्वसम्मति की आवश्यकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि यह एक तथाकथित सर्वसम्मत फार्मूला था, इसलिए एक फार्मूला या एक निर्णय राज्यों की स्वीकृति और सहमति के बिना उन पर थोप दिया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि कई राज्यों को वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ रहा है और मुझे यह पूरा विश्वास है कि अधिकतर राज्यों ने उस तथाकथित सर्वसम्मत फार्मूले का विरोध किया है। समिति क्या करने जा रही है मनमाने तरीके से जो कमी की गई है उसे कैसे पूरा किया जाएगा ? यह कैसे पूरा किया जायेगा ? सभी राज्य कठिनाई महसूस कर रहे हैं। एक समिति गठित की गई और वह अपना निर्धारित समय पूरा कर चुकी है। नवम्बर तक उसे अपनी रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए थी। अब यह नहीं होने वाला है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में होने वाली है। एक जनवरी से योजना लागू हो जाएगी। इस पर विचार करने के लिए राज्यों को कोई समय दिया जाएगा ? संसद के सदस्यों को अपने सुझाव देने के लिए आप कब मौका देंगे ? मैं यह जानना चाहता हूं कि मामले को सुलझाए जाने तक राज्यों की शिकायतों की जांच करने और आबंटन देने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किए गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार राज्यों की सहायता किस तरह करने जा रही है। प्रत्येक राज्य कठिनाई में है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, सर्वसम्मत फार्मूले के संबंध में मैं माननीय सदस्य

का इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के तुरन्त बाद राज्यों ने विरोध व्यक्त किया था और कहा था कि : "यह अच्छी व्यवस्था नहीं है।" और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी० पी० सिंह ने कहा था कि "प्रत्येक राज्यों से और बातचीत नहीं होगी और यदि कोई राज्य समस्याओं का सामना कर रहा है तो हम उस पर ध्यान देंगे।" तब योजना आयोग को सुझाव प्राप्त हुए और उन्हें सूचीबद्ध किया गया है और समिति ने अब प्रत्येक राज्यों की समस्या पर विचार किया है। आप योजना आयोग की इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे कि उसने थोड़े ही समय में उन सुझावों को सूचीबद्ध करके उनका विश्लेषण किया और राष्ट्रीय विकास परिषद् में माननीय मुख्य मंत्रियों के साथ पुनः उन मुद्दों पर चर्चा होगी। जब आप योजना तैयार करते हैं तो मुख्य मंत्री ही वह उपयुक्त व्यक्ति हैं जिनसे उस संबंध में विचार किया जा सकता है क्योंकि ये योजनाएं उन्हीं के लिए हैं···(व्यवधान) हम उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। आप कृपया याद करें कि उपाध्यक्ष जी ने हाल ही में हैदराबाद में क्या कहा है। उन्होंने मार्ग-निर्देश दिए जो रिपोर्ट की मूल बातें हैं जिसे उन्होंने तैयार किया है। इसमें कोई गोपनीय बात नहीं है। हम माननीय सदस्य से इस पर चर्चा कर सकते हैं यदि वह चाहें तो···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे का जवाब नहीं दिया गया है। क्या इसी प्रश्नकाल को आप दूरदर्शन पर दिखाना चाहते हैं? ··(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मंत्री जी बार-बार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक का उल्लेख कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिये जा रहे हैं और कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनका गंभीर प्रभाव हमारी आर्थिक प्रभुता पर पड़ रहा है। मेरी जहां तक जानकारी है प्रधानमन्त्री की पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक की तिथि निर्धारित नहीं हो सकी है और मुख्य मंत्री इसके लिए दबाव डाल रहे हैं। यहां तक कि समिति की रिपोर्ट भी नहीं सौंपी गयी है। कार्यसूची में शामिल करने के लिए मुख्य मंत्री अपने उन मुद्दों को कब तक देंगे जिन पर बैठक में चर्चा होनी है? मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, कारण जो भी हो, मैं उनका उल्लेख करने नहीं जा रहा हूं। मेरे सहयोगी इसका उत्तर देंगे। मेरी पूर्व निर्धारित व्यस्तताएं निश्चित रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक की तिथि जल्दी या बाद में निर्धारित करने के लिये जिम्मेवार नहीं हैं। मैंने उन्हें बताया है कि मैं उनकी सुविधानुसार कार्य को दृष्टिगत रखते हुए जो भी तिथि निर्धारित की जाती है उसके अनुरूप तालमेल बैठाने के लिए तैयार हूं। महोदय, यही स्थिति है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य को सही जानकारी है। प्रधानमन्त्री कार्यालय ने पहले ही तिथियां बता दी हैं। हमारे पास वे तिथि हैं। मैंने कहा है चूंकि इस बीच संसद का सत्र आ रहा है तो हम एक दिन को कहीं भी समायोजित कर लेंगे। लेकिन हम दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में बैठक बुला रहे हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, आठवीं योजना की अवधि पहले 1990 से 1995 तक थी। उत्तर में कहा गया है कि यह 1992 से 1997 तक है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान सरकार 1990 और 1991 का दो वर्ष योजना विहीन मानती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि योजना

अवधि 1990-95 को 1992-97 में बदलने का निर्णय कब लिया गया। इस पर संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मुद्दे पर संसद के चालू सत्र में चर्चा करने का विचार रखती है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, हम लोग यहां छुट्टी नहीं मना रहे हैं। यह तो पिछली सरकार थी जिसने छुट्टी मनाई।...(**व्यवधान**)

श्री राम कापसे : उस छुट्टी की कुछ अवधि का तो आपने भी आनन्द लिया था।... (**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मुद्दे पर सभा को अपने विश्वास में लेगी और योजना अवधि निर्धारित करने के बारे में चर्चा करेगी। मेरा यही प्रश्न था।

श्री एच० आर० भारद्वाज : जैसा कि मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया गया। वर्ष 1990 और 1991 में भी आवंटन किया गया। लेकिन उसके बाद समायोजित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा सिवाय इसके कि योजना अवधि को 1992 से 1997 कर दिया जाए क्योंकि विगत दो वर्ष की अवधि हमारे नियंत्रण से बाहर थी।

डा० जयन्त रंगपी : असम में करबी आंगलोंग और उत्तर में केदारनाथ के दो पहाड़ी पर्वतीय जिले हैं। उनके लिए अलग से पर्वतीय उप-योजना हैं। असम की पर्वतीय उप-योजना में प्रति व्यक्ति निवेश 200 से 300 प्रतिशत है जो पड़ोसी पर्वतीय क्षेत्र जैसे मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की तुलना में प्रति व्यक्ति निवेश से कम है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

डा० जयन्त रंगपी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या असम के पर्वतीय क्षेत्रों के अत्यन्त पिछड़ेपन को देखते हुए और पड़ोसी उत्तर पूर्व पर्वतीय राज्यों की तुलना में भी क्या सरकार असम की पर्वतीय उप-योजना में योजना निवेश उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों के समान करेगी ? क्या उक्त समिति ने उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति योजना निवेश की तुलना में असम के पर्वतीय क्षेत्रों की योजना निवेश के अन्तर के पहलू की जांच की है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : उत्तर पूर्व के क्षेत्रों के बारे में उनकी अपनी समस्याओं के कारण उन पर अलग से विचार किया जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, असम उत्तर पूर्व परिषद का भाग है। अन्य राज्यों द्वारा विरोध व्यक्त करने के बावजूद भी असम के उत्तर पूर्व क्षेत्र पर योजना की शुरुआत से ही विशेष ध्यान दिया गया है।

श्री जसवन्त सिंह : राज्यों की समस्याएं उचित हैं। योजना आयोग योजना प्रक्रिया और कार्यक्रमों की गति बढ़ाने वाली तथा कार्य की रूपरेखा बनाने वाली संस्था के रूप की मूल अवधारणा अब सही नहीं लगती है क्योंकि इसमें नौकरशाही अड़चनें डाल रही है और इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि अब योजना आयोग क्या निर्णय लेगा, मैं दो या तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं। योजना आयोग नाम की इस मृतप्राय संस्था के जारी रखने के तर्क पर चर्चा किए बगैर, हमें सूचित किया गया है कि जहां तक यूनिट ट्रस्ट अथवा लघु क्षेत्र की बचत

पर राज्यों के विस्तृत हितों का प्रश्न है, लघु स्तर की बचत में राज्यों का हिस्सा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। सरकार ने राज्यों को यह कहने के लिए लिखा है कि यूनिट ट्रस्ट पिछले वर्षों में जो निवेश कर रहा था वह अब नहीं करेगा। अत: राज्यों का हिस्सा कम हो जायेगा। इसका अर्थ है बचत कम हो जायेगी। उदाहरण के तौर पर, राजस्थान राज्य को दी जाने वाली तदनुरूप धनराशि भी बहुत अधिक घटा दी जाएगी। उदाहरणार्थ, हमें सूचना मिली है कि देश के लिए महत्व रखने वाली परियोजना और राजस्थान के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण राजस्थान नहर, जिसे दुबारा इन्दिरा गांधी नहर का नाम दिया गया है, के लिए जो 40 करोड़ रुपये का वार्षिक आबंटन किया गया था उसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में से हटा दिया गया है। इसका अर्थ है कि राजस्थान नहर के विकास के लिए राजस्थान राज्य को जो 200 करोड़ रुपयों की धनराशि मिलनी थी, वह अब नहीं मिलेगी। सामान्य पहलुओं का न सही, क्या माननीय मन्त्री महोदय इन दो विशेष प्रश्नों का उत्तर देंगे ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : राजस्थान सरकार ने केवल एक प्रस्ताव भेजा है कि केन्द्रीय सहायता के लिए क्षेत्र के पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किन्तु मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न को ध्यान से सुना है। मेरे पास इस समय यूनिट ट्रस्ट के सम्बन्ध में सूचना नहीं है। मैं वह सूचना एकत्र करके उन्हें जवाब भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : राजस्थान कैनाल के बारे में बताइये। राजस्थान कैनाल तो राजस्थान की जीवनदायिनी रेखा है, इसका पैसा आप बिदड़ा करेंगे तो हमारे लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति होगी, इसको स्पष्ट करिये कि आप क्या कर रहे हैं ?

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री के० पी० सिंह देव जी के प्रश्न के उत्तर के दरम्यान मंत्री महोदय ने बताया कि उड़ीसा के सिलसिले में बात हुई है और पहले सवाल का जवाब रिटन आंसर में भी नहीं मिला है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, वे कौन से राज्य हैं, जिन्होंने रिड्यूस एलोकेशन के बारे में शंका जाहिर की है ? ऐसे बहुत से राज्य हैं, जब से प्लानिंग शुरू हुई है, पिछड़े राज्य गिने जाते हैं। उड़ीसा और बिहार पिछड़े हुए राज्य हैं, जहां 38 प्रतिशत आदिवासी हरिजन हैं। इस तरह के पिछड़े हुए राज्यों में जहां आदिवासी हरिजनों का बाहुल्य है, उनके लिए स्पेशल स्तर पर विचार करके ज्यादा पैसा देने के लिए, वित्त देने के लिए इस कमेटी को हिदायत देंगे—यह मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमन्, जिन राज्यों ने प्रस्ताव भेजा है, वे हैं—आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। उड़ीसा ने जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें कहा गया है—

[अनुवाद]

> "'प्रति व्यक्ति आय' के मापदण्ड को महत्व दिया जाना चाहिए। 'कर अनुपात' के अधीन 'प्रति व्यक्ति कर प्रयास' मापदण्ड की गणना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के कुल उपभोग को घटाकर जो राज्य आय प्राप्त होती है, उसके सम्बन्ध में की जानी चाहिए।"

1992-97 की पंचवर्षीय योजना बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है। मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि दृढ़ता के साथ यह कह सकूं कि इसे स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद तथा योजना आयोग—यह एक राष्ट्रीय संस्था है—इस पर निर्णय लेता है। हमें तब तक प्रतीक्षा करनी है। मैं मानता हूं कि उड़ीसा में बहुत निर्धनता है तथा बहुत से आदिवासी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग वहां रहते हैं और यह सुनिश्चित करना हमारा राष्ट्रीय मतैक्य होना चाहिए कि ये स्थितियां कम हों तथा इनमें सुधार हो सके। इस बारे में कोई दो मत नहीं हैं। किन्तु इसी के साथ, जब हम किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो हम किसी एक राज्य पर अलग से चर्चा नहीं कर सकते। देश में अन्य कई क्षेत्र हैं जो समान रूप से निर्धन हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा।

[हिन्दी]

समस्त राष्ट्र की गरीबी के बारे में देखा जाए।

[अनुवाद] सरकारी) उपक्रम 14 – 19

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करना

*3. श्री के० एच० मुनियप्पा† :
श्री हाराधन राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो घाटे में चल रहे ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) घाटे में चल रहे उपक्रमों के बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) विवरण पटल पर रखा हुआ है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने औद्योगिक नीति के सम्बन्ध मे 24 जुलाई, 1991 को दिए गए वक्तव्य में यह घोषणा की है कि सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को, जो काफी लम्बे समय से रुग्ण चले आ रहे हैं तथा जिनका पुनरुद्धार संभव नहीं, नवीकरण/पुनर्स्थापन योजना के निर्माण हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल अथवा उक्त उद्देश्य से गठित अन्य सदृश संस्था को सौंप दिया जाए। पुनर्स्थापन सम्बन्धी इन कार्यक्रमों से प्रभावित होने वाले कामगरों के हितों की रक्षा के लिए एक सामाजिक सुरक्षातंत्र का सृजन किया जाएगा। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ में पारिभाषित सरकारी क्षेत्र की रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के दायरे के अंतर्गत लाने के लिए इस अधिनियम की धारा 3 (1) (ध) को संशोधित करने का निर्णय किया गया है। सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के कामगरों सहित अन्य कामगरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण

निधि के गठन की भी घोषणा की है। इन उपायों का सहारा लेने के लिए सरकार श्रमिक संघों तथा अन्य सम्बद्ध समूहों से परामर्श करेगी ताकि एकमत का निर्माण किया जा सके तथा कामगरों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।

श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि जिन रुग्ण उद्योगों को बन्द किया गया था, क्या उन्हें पुनः आरम्भ किया जायेगा। यदि ऐसा है, तो वे कौन से उद्योग है जिन्हें बन्द किया गया है तथा इन उद्योगों, विशेषतया कर्नाटक के सार्वजनिक उपक्रमों, को कब पुनः आरम्भ किया जायेगा ?

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, सरकार ने किसी एकक विशेष को बन्द करने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। किन्तु जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना है वह सभा-पटल पर रखे गए वक्तव्य में बताई गई है।

श्री के० एच० मुनियप्पा : ऐसी अफवाह है कि कोलार सोने की खानों को बन्द कर दिया जायेगा। ऐसा करना 11000 कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के प्रति बहुत अन्याय होगा। वहां पर पर्याप्त स्वर्ण उपलब्ध है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि कर्नाटक में कोलार स्वर्ण खानों को बन्द नहीं किया जायेगा।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस समय हमारे पास किसी भी एकक को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक कर्मचारियों के हितों का प्रश्न है, हम उनके कल्याण के बारे में बहुत रुचि रखते हैं तथा हम अवश्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी कर्मचारी सड़क पर न आए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे यह न समझते रहें कि विपक्ष, अथवा व्यापार संघ, केवल कर्मचारियों पर होने वाले केवल संभावित प्रतिकूल प्रभावों के बारे में चिन्तित है। सार्वजनिक क्षेत्र की सक्षमता में भी हमारी रुचि समान है। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। जिस वक्तव्य को सभा-पटल पर रखा गया है उसमें कुछ विरोधात्मक टिप्पणियां हैं। इसका यहां पर उल्लेख किया गया है : "सार्वजनिक संस्थान जो लम्बे समय से रुग्ण हैं तथा जिन्हें पुनः अर्थ सक्षम बनाए जाने की सम्भावना नहीं है"...इसका अर्थ है कि उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता—"उनके पुनर्जीवन तथा पुनः आवश्यक योजनाओं के लिए बी० आई० एफ० आर० अथवा अन्य उच्च स्तरीय संस्थाओं को सौंप दिया जायेगा।" अतः मन्त्री महोदय ने केवल यह कहा है कि विशेष संस्थाओं के सम्बन्ध में, अक्षम सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को बन्द करने की अभी कोई इच्छा नहीं है। किन्तु उन्होंने उस सामान्य नीति के बारे में कुछ नहीं कहा है जिसकी घोषणा देश के वित्त मन्त्री ने देश में नहीं बल्कि विदेश में, बैंगकाक में एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय बैठक में की थी। उन्होंने वहां एक वक्तव्य दिया था, जिसे खबरों में काफी विस्तार से बताया गया था, कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो लम्बे समय से रुग्ण हैं—रुग्ण होने से, मेरे विचार में, उनका यह अर्थ है कि तुलन पत्र के अनुसार वे घाटे में चल रहे हैं क्योंकि केवल इसी प्रकार से रुग्णता मापते हैं—उन्हें बन्द कर दिया जायेगा। अब उन्होंने इस वक्तव्य में जो कहा है वह भिन्न है और जो उन्होंने अपने जवाब में कहा है वह भी भिन्न है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि, उनकी आम नीति क्या है। मेरा

प्रश्न है : कि क्या सरकार ने, इस समय, बिना किसी विशिष्ट उपक्रमों का उल्लेख किए यह निर्णय ले लिया है कि उन सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को बन्द कर दिया जायेगा जो अपने तुलन पत्र में नकद घाटा दिखा रहे हैं कि वे आर्थिक तौर पर अक्षम हैं ? वे विशिष्ट एकक कौन से हैं, इसके बारे में वे बाद में बताएंगे। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि वह आम नीति क्या है जिसका उल्लेख किया गया है और क्या आर्थिक सक्षमता को किसी भी अन्य व्यावसायिक उपक्रम के समान लाभ और हानि लेखा के अनुसार मापा जायेगा अथवा इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये किसी उपक्रम विशेष के महत्त्व के अनुसार भी मापा जायेगा। यह किसी अन्य विशेष कारण से भी घाटे में जा सकती है जिसकी जांच की जानी चाहिए। व्यापार संघ केवल इसी बात से चिन्तित नहीं है कि कर्मचारियों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से कैसे बचा जाये अपितु व्यापार संघ इस बात का भी पता लगाते हैं कि कोई उपक्रम विशेष घाटा दिखा रहा है, इसके क्या कारण हैं, कौन से कारक उत्तरदायी हैं, उनका सुधार कैसे किया जा सकता है। क्या इस पर उनमें विश्वास दिखाया गया है ? कभी नहीं। अतः आर्थिक सक्षमता को केवल लाभ और हानि से नहीं मापा जा सकता है। दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि बन्द करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए तथा पुनः चालू करने की नीति क्या है। कृपया इनका जवाब दीजिए।

श्री पी० के० थुंगन : अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य द्वारा किए गए प्रश्न के लिए, मैं अनुगृहीत हूं और पूछे गए प्रश्नों में से अधिकतर का पहले ही जवाब दे दिया है···(**व्यवधान**)। मैं इस पर अपना मत व्यक्त करूंगा तथा जवाब दूंगा। जहां तक 24 जुलाई को सदन में सभा-पटल पर रखे गए औद्योगिक नीति के वक्तव्य में नीति निर्णय का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सार्वजनिक संस्थानों को जो लम्बे समय से रुग्ण हैं, और जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, उन्हें पुनर्जीवन तथा पुनः आवासीय योजनाओं के गठन के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया जायेगा। यहां यह कहा गया है कि यदि कोई एकक आर्थिक तौर पर सक्षम है, उसे बी० आई० एफ० आर० को सौंप दिया जायेगा। कृपया शब्दों पर ध्यान दें। यह कहा गया है : "सार्वजनिक संस्थानों को, जो लम्बे समय से रुग्ण हैं, और जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, उन्हें पुनर्जीवन तथा पुनः आवासीय योजनाओं के गठन के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के सुपुर्द कर दिया जायेगा।" (**व्यवधान**) बी० आई० एफ० आर० को सुपुर्द करने का प्रयोजन है पुनर्जीवन योजनाओं का पुनरुद्धार करना तथा उनका गठन करना और इस बात का पता लगाना कि विविधता इत्यादि किस प्रकार लाई जा सकती है। अतः,···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह 'इत्यादि' क्या है ? (**व्यवधान**)

श्री पी० के० थुंगन : अतः, जैसा कि मैंने कहा है कि माननीय सदस्य ने स्वयं अस्पष्ट-सा जवाब दिया है। मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि बी० आई० एफ० आर० को पुनरुद्धार के लिए सुपुर्द किया जाता है। बी० आई० एफ० आर० के कार्य की प्रक्रिया है कि उनके पास पर्याप्त··· (**व्यवधान**) यदि आप जवाब नहीं चाहते हैं तो मैं किस प्रकार मदद कर सकता हूं ? (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे कुछ उपक्रमों के परिसमापन के प्रस्ताव पर बी० आई० एफ० आर० की मुहर चाहते हैं। वे इसे बी० आई० एफ० आर० की मुहर के साथ प्राथमिकता देते हैं। क्या ऐसा है।

श्री पी० के० थुंगन : जैसा कि मैं पहले विस्तार से बता रहा था, हम एककों को बन्द नहीं करना चाहते और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। किन्तु, पुनर्जीवन हेतु, हमें कुछ विशेषज्ञ संस्थाओं के सुपुर्द करना होगा क्योंकि आर्थिक तौर पर अक्षम तथा घाटे में चल रहे एककों को हम नहीं चला सकते। (**व्यवधान**) अतः, हमें उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। (**व्यवधान**) मैं इस मुख्य मुद्दे के बारे में कह रहा था। बी० आई० एफ० आर० की कार्य प्रक्रिया पुनरुद्धार योजनाओं का गठन करना तथा पुनरुद्धार के लिए जो भी सम्भव हो वह करना है।

श्री चन्द्रशेखर : मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अत्यन्त मौलिक प्रश्न उठाया है। मैं उद्योग मन्त्री से इस प्रकार के जवाब की आशा नहीं करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों के पीछे यह दर्शन था कि कुछ बड़े, विशेष मामलों में भारत जैसे देश की आकृति और सम्मान वाला देश विदेशी स्रोत पर निर्भर नहीं कर सकता और इसीलिए सार्वजनिक उपक्रम कुछ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे। यह एकदम अलग मामला है कि वे घाटे में चल रहे हैं अथवा लाभ कमा रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि जब माननीय वित्त मन्त्री देश के बाहर कोई वक्तव्य देते हैं, उन्हीं शक्तियों को आश्वस्त करने के लिए जिनके विरुद्ध यह उपाय किया गया था, तो यह हमारी आधारभूत नीति से एकदम भिन्न है। यह बी० आई० एफ० आर० का प्रश्न नहीं है। यह एक वित्तीय मामला है। यह प्रश्न एक वित्तीय प्रश्न नहीं है। यह राष्ट्र की प्रभुसत्ता, अखण्डता व सम्मान से सम्बन्धित एक सामरिक राजनैतिक प्रश्न है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। क्योंकि माननीय वित्त मन्त्री जी के उस वक्तव्य से, जो उन्हें नहीं देना चाहिए था, कई शंकाएं उठी हैं। बैंकोक में वह वक्तव्य देने की क्या आवश्यकता थी? दिल्ली में बहुत जगह थी। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्राधिकारियों की उपस्थिति में वक्तव्य देने के स्थान पर उन्हें दिल्ली पहुंचने की धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। श्री इन्द्रजीत गुप्त उस मूलभूत मुद्दे का उल्लेख कर रहे थे। यदि सरकार इस मुद्दे पर हमें सूचना देना चाहती है, तो उसका स्वागत है। अन्यथा कृपया जवाब न दें। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन उत्तर देगा। (**व्यवधान**)

श्री पी० के० थुंगन : बेचैन होने का कोई कारण नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। (**व्यवधान**)···मैं वह कहना चाहता हूं जो श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है। सार्वजनिक उपक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए नकद लाभ ही एकमात्र मानदण्ड नहीं है। तभी मैं दुहरा रहा था कि जहां तक राष्ट्रीय अखण्डता और राष्ट्र के गौरव का प्रश्न है ऐसे कई एकक हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अतः, यदि ऐसे एककों को पुनर्जीवित करना है तो हम उसे एकदम से नहीं कर सकते। हर पहलू का विस्तृत उल्लेख करके हम यह कार्य करना चाहते हैं।

और जो दूसरे पहलू की बात उठाई गई थी—बहुत अधिक शोर के कारण मैं इसका जवाब उस समय नहीं दे पाया था—वह यह थी कि इन सब कदमों को उठाते समय कर्मचारी संघ सहित सभी सम्बद्ध लोगों के मतैक्य को ध्यान में रखा जायेगा तथा उनका परामर्श लिया जायेगा। हम आंख बन्द करके अन्धाधुन्ध तरीके से कुछ नहीं करना चाहते। हम सबके विचारों की अनुकूलता चाहते हैं, हम सभी सम्बद्ध व्यक्तियों का परामर्श चाहते हैं क्योंकि यह राष्ट्र के अधिक हित में है। अतः, इस मुद्दे पर, मेरे विचार में माननीय सदस्य आश्वस्त हो सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मन्त्री यहां हैं क्योंकि यह प्रश्न स्पष्टतया वित्त मन्त्री के बैंकाक में दिए गए उसी वक्तव्य से उठा है और उसका जवाब स्पष्ट, सीधे तौर पर नहीं दिया गया है। प्रश्न पूछने वाले ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक रूप से अक्षम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने का निर्णय ले लिया है। और जवाब में वही कहा गया है जो पहले ही औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में कहा जा चुका है, जिससे हम सब वाकिफ हैं। और मेरे विचार में श्री इन्द्रजीत जी तथा श्री चन्द्रशेखर जी ने जो कहा है वह बहुत तर्कसंगत है, यदि हम उस मत को बदल रहे हैं जिसने पिछले चार दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति हमारे दृष्टिकोण का महत्व कम कर दिया है। उसी तरीके से, जिसमें ऐसा महसूस हो कि जबकि निर्णय भिन्न होंगे फिर भी मत-सिद्धान्त लगातार वही रहेगा, कार्य करने की अपेक्षा इसे स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। अतः, जैसा कि मैंने कल कहा था, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन तथा उसकी कार्य प्रणाली के बारे में एक श्वेत पत्र निकालने की इच्छुक है कि उनमें से कौन से आर्थिक रूप से सक्षम हैं, कौन से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तथा सरकार का उनके बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है, ताकि निर्णय लिए जा सकें। अब तक के अनुभव को देखते हुए सम्पूर्ण सदन को विश्वास में लिया जाता है कि क्या पिछली नीति अथवा दृष्टिकोण को बदला गया है।

प्रधान मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : महोदय, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर एक पूरी बहस करनी चाहिए। इन प्रश्नों को प्रश्न काल के दौरान पूछकर उनका जवाब नहीं मिल सकता। महोदय, मेरा सुझाव है कि हम इस पर पूरी बहस करें। मैं सदस्यों के विचार, सुझाव, इत्यादि जानकर फिर यह निष्कर्ष निकालना चाहता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। अतः मैं चाहता हूं कि हम इस पर दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में चर्चा करें; जब मैं कराकास से लौट आऊंगा, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। **(व्यवधान)** इस बीच, इस चर्चा से पहले, सरकार एक अर्थपूर्ण चर्चा के लिए सदस्यों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगी।

श्री बसुदेव आचार्य : वित्त मन्त्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में क्या कहेंगे ? **(व्यवधान)** उन्होंने इसका प्रतिवाद किया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठिए। श्री बसुदेव आचार्य, मेरे विचार में सरकार की ओर से यह अच्छी बात है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। हम इस मुद्दे पर चर्चा निर्धारित करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए। इस पर कब और कैसे चर्चा की जानी है, इस पर हम कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : वित्त मन्त्री बैंकाक में वक्तव्य दे चुके हैं और सरकार ने इसका प्रतिवाद नहीं किया है। **(व्यवधान)** वित्त मंत्री यहां हैं, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री मुरली देवड़ा : बी० आई० एफ० आर० के अब तक के रिकार्ड के अनुसार वे अब तक उन्हें पुनर्जीवित नहीं कर पाए हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय नवीकरण कोष के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है जिसे सरकार का विचार कर्मचारियों के लिए स्थापित करने का है।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, कई पहलुओं पर गौर किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर 19

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की रोजगार योजना

*4. श्री राम शरण यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने हेतु राज्यों में जिला-स्तर के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा किया है, और इससे कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 8वीं योजना के लिए एक नीति का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्य सरकारों तथा आयोग के समर्थन तथा सहायता से राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यान्वित करना है।

इस कार्यक्रम के अधीन गहन विकास के लिए 96 ग्रामोद्योगों को हाथ में लेना है। इनमें कृषि प्रसंस्करण, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण जैसे बहुत से परम्परागत उद्योग और इलैक्ट्रानिक्स तथा जैम तथा डाइमन्ड कटिंग एवं पालिशिंग जैसे नये उद्योग शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का विशेष बल अनु० जातियों/अनु० जनजातियों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए अधिक रोजगार की व्यवस्था करना होगा। इस समय लाभान्वित व्यक्तियों में अनु० जातियों/अनु० जन-जातियों का हिस्सा 30% और महिलाओं का हिस्सा लगभग 46% है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधीन रोजगार के लगभग 87 प्रतिशत कार्यकलाप ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित हैं।

अगली योजना अवधि के लिए प्रस्तावित नीति के अनुसार देश में मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को विद्यमान 47 लाख व्यक्तियों से बढ़ाकर 70 लाख व्यक्ति करने का विचार है।

[अनुवाद] 19-20

रसायनों और उर्वरकों की वितरण एजेंसियों का आवंटन

*5. श्री सुधीर सावन्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार के उर्वरकों और रसायनों की वितरण एजेंसियों का आवंटन करते समय सहकारी समितियों को कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) सहकारी क्षेत्र में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० (इफको) और कृषक भारती कोआपरेटिव लि० (कृभको) जैसे उर्वरक उत्पादक एकक उनके द्वारा उत्पादित अधिकांश उर्वरक का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से करते हैं ।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उर्वरक उत्पादन एकक उर्वरकों का वितरण राज्यों में कार्य कर रहे निजी व्यापार के तंत्र तथा सहकारी समितियों एवं अन्य संस्थागत अभिकरणों के माध्यम से करते हैं । सहकारी समितियों को स्वीकृत वितरण लाभ उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया है ताकि सहकारी संस्थाओं द्वारा उर्वरकों की बिक्री को प्रोत्साहित किया जा सके । इसके अतिरिक्त, हाल ही में चालू की गयी छोटे और सीमान्तरीय किसानों के लिए उर्वरकों की राज-सहायता योजना कई राज्यों द्वारा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रचालित की जा रही है । तदनुसार, राज्यों को सहकारी अभिकरणों के माध्यम से उर्वरकों के वितरण को बढ़ाने में लचीलापन प्रदान किया गया है ।

रसायनों का वितरण अनेक माध्यमों से किया जाता है जैसे निजी व्यापार सहकारी समितियों, अन्य संस्थागत अभिकरणों तथा उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री के द्वारा जैसा भी उपयुक्त हो ।

[हिन्दी]

रोहिणी में भूखंडों का आवंटन

*6. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी आवास योजना के अंतर्गत पंजीकृत कितने व्यक्तियों को अब तक भूखंड आवंटित किए गए हैं;

(ख) प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष पंजीकृत व्यक्तियों को भूखंड कब तक आवंटित किए जाएंगे;

(ग) इन भूखंडों को आवंटितियों को किस मूल्य पर बेचा गया तथा प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों के लिए इनका क्या मूल्य निर्धारित किया गया है;

(घ) एक ही योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न बिक्री-मूल्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में यदि कोई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं, तो वे क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) रोहिणी आवास योजना के अंतर्गत अब तक 41,176 पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाट आवंटित किए गए हैं ।

(ख) पानी, पालिका सेवाओं तथा भूमि की उपलब्धता के अध्यधीन, 1994-95 तक सभी पंजीकृत व्यक्तियों को लाभान्वित करने की आशा है ।

(ग) अब तक निकाले गए विभिन्न ड्रा में आवंटित किए गए प्लाटों की दरें संलग्न विवरण

में दी गई हैं। प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों से लिया जाने वाला मूल्य अभी निर्धारित नहीं किया है।

(घ) रोहिणी आवास योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाटों के आबंटन के मूल्य अधिग्रहण की बढ़ी हुई लागत तथा विकास की लागत में वृद्धि के कारण समय-समय पर संशोधित किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

प्लाटों की दर तथा आकार

श्रेणी	प्लाट का आकार वर्ग-मीटर में	प्रति वर्गमीटर दरें (रु०) ड्रा-वार			
		1982-84 I, II, III	1987 IV	1989 V	1991 VI
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता	26	100	205	248	498
निम्न आय वर्ग	32	125	273	273	662
	48	150	273	273	662
मध्यम आय वर्ग	60	200	410	496	996
	90	200	410	496	996

[अनुवाद]

भूमि सुधार कानूनों का लागू किया जाना

*7. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अनुसूचित जातियों के लोगों पर अत्याचारों को रोकने के लिए भूमि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन को एक महत्वपूर्ण कदम मानती है; और

(ख) यदि हां, तो फालतू भूमि का पता लगाने एवं उसे प्राप्त करने और इस भूमि को निर्धारित अवधि के अन्दर भूमिहीन गरीब लोगों में वितरित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने नीति सम्बन्धी मार्गदर्शिकायें निर्धारित की हैं तथा राज्यों में भूमि सुधार उपायों की प्रगति की निगरानी की जा रही है। इस विषय पर समय-समय पर राजस्व मंत्रियों तथा मुख्यमंत्रियों के सम्मेलनों में भी विचार-विमर्श किया गया है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर 4-5 अक्तूबर, 1991 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारों द्वारा कब्जे में ली गई अधिकतम सीमा से फालतू भूमि 31 मार्च, 1992 तक पात्र ग्रामीण गरीबों में वितरित की जानी चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने भी संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों को लिखा है।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में की गयी नियुक्तियों की पुनरीक्षा

*8. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना करके अप्रैल से लेकर जून, 1991 तक केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में शीर्षस्थ पदों पर की गयी नियुक्तियों की सरकार ने पुनरीक्षा पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सभी मंत्रालयों से चुनाव अवधि के दौरान किए गए सभी चयनों/नियुक्तियों की पुनरीक्षा करने तथा यदि वे आवश्यक समझें तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ए० सी० सी०) को प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। सभी मंत्रालयों ने पुनरीक्षा कार्य अभी पूरा नहीं किया है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता से बिहार में जल आपूर्ति योजनाएं

*10. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पटना, रोहतास और भोजपुर जिलों में विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से जल आपूर्ति की कोई परियोजनाएं अथवा योजनाएं शुरू की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर कितनी लागत आएगी तथा इनके किस वर्ष तक पूरी होने की सम्भावना है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं।
(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता

*11. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जा रहे घटिया किस्म के खाद्यान्नों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अंतर्गत उचित औसत गुणता (फेयर एवरेज क्वालिटी) का चावल और गेहूं निर्मुक्त करता है। चावल और गेहूं की अधिप्राप्ति देश में विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से की जाती है। इसलिए विभिन्न गोदामों से एक साथ निर्मुक्त किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणता में विनिर्दिष्ट मानकों में थोड़ा-सा अन्तर होने से पूर्णतः इन्कार नहीं किया जा सकता।

उचित दर दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं के वितरण का कार्य राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण व्यवस्था को कड़ा करें, ताकि उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का गेहूं और चावल उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

संयुक्त ब्रांड नामों का प्रयोग

*12. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भारतीय निर्माता, जिन्होंने विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग किया हुआ है, संयुक्त ब्रांड नामों/संकर नामों जैसे हीरो-होंडा, मारुति-सुजुकी, डीसीएम-टोयटा, स्वराजमाजदा, आलविन-निशान/महिन्द्रा-निशान इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन संयुक्त ब्रांड नामों के उपयोग का सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों सहित स्वदेशी निर्माताओं की बिक्री पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) क्या इन संयुक्त ब्रांड नामों के उपयोग पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस बात का कोई सबूत नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

बीड़ी श्रमिकों को संरक्षण

*13. श्री दिग्विजय सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बीड़ी उद्योग में लगे मजदूरों के संरक्षण के लिए कोई विशेष कानून बनाने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार बीड़ी मजदूरों को ठेका श्रम प्रणाली के अंतर्गत शामिल करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार बीड़ी उद्योग में लगे सभी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) बीड़ी कर्मकारों के संरक्षण के लिए सरकार का कोई अन्य विशेष कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मौजूदा विशेष कानून अर्थात् बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 में बीड़ी कर्मकारों के हितों की रक्षा करने तथा उनके रोजगार की शर्तों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त कानूनी उपबंध मौजूद हैं।

2. यदि प्रतिष्ठान में या ठेकेदार द्वारा 20 या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किए जाते हैं तो ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 भी बीड़ी कर्मकारों पर लागू होता है।

3. राज्य सरकारें समुचित सरकारों के रूप में समय-समय पर बीड़ी कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा बीड़ी कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

4. कुछ राज्यों में बीड़ी कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया है।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों का शीर्षस्थ अधिकारियों के बिना कार्य करना

*14. श्री हरि किशोर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के जो उपक्रम शीर्षस्थ अधिकारियों के बिना कार्य कर रहे हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) ये कब से इन अधिकारियों के बिना कार्य कर रहे हैं;

(ग) इनकी नियुक्ति करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और ये रिक्त पद कब तक भर दिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या सरकार का केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के चयन कार्य को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 15-11-1991 को ऐसे 25 केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम हैं जहां मुख्य अधिकारियों के पद रिक्त हैं। इन पदों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ये रिक्तियां, पदधारी की अधिवर्षिता, सेवा की समाप्ति, कार्याविधि की समाप्ति, त्यागपत्र तथा एक उद्यम से दूसरे उद्यम में पार्श्विक स्थानांतरण जैसे विभिन्न कारणों से हुई थी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक उद्यम चयन बोर्ड को बोर्ड स्तर के पदों के लिए चयन पर विचार करना तथा अपनी सिफारिश करनी होती है। इसके बाद सरकार द्वारा इन पर कार्यवाही की जाती है तथा अन्तिम नियुक्तियां केवल नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के चरित्र तथा पूर्ववृत का सत्यापन उनके पूर्व कार्यनिष्पादन तथा सतर्कता अनापत्ति जैसी औपचारिकताओं के पूरा होने पर की जाती है। उन मामलों में भी देरी हो जाती है जहां नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने में समय लेता है अथवा अन्ततः कार्यभार ग्रहण नहीं करता है। कुछ मामलों में विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों को खोजने की आवश्यकता होती है अतः ऐसे पदों को भरने के लिए समय लगता है। बोर्ड स्तर के पदों का चयन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इन पदों को यथासंभव रूप से शीघ्र भरने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

क्र० सं०	पद/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	रिक्ति की तारीख
1	2	3
1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	22-3-1990
2.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान कापर लि०	7-9-1991
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	1-6-1991
4.	प्रबंध निदेशक, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मेसियूटिकल्स लि०	23-4-1991
5.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, फर्टीलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया	18-9-1991
6.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मेसियूटीकल्स लि०	26-3-1991
7.	प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट्स लि०	19-4-1991
8.	प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान फ्लूरो कार्बन्स लि०	25-12-1990

1	2	3
9.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हाऊसिंग एंड अर्बन डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लि०	1-10-1991
10.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि०	1-3-1991
11.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान वेजिटेबल्स आइल्स कार्पोरेशन लि०	12-7-1990
12.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन टूरिज्म डेवल्पमेंट कार्पोरेशन	15-9-1990
13.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कार्पोरेशन लि०	22-3-1990
14.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आयल इण्डिया लि०	22-4-1990
15.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बोंगयी-गांव रिफायनरी एन्ड पेट्रोकैमिकल्स लि०	11-5-1991
16.	प्रबन्ध निदेशक, एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट्स इण्डिया लि०	4-1-1991
17.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन० टी० सी० (यू० पी०)	28-11-1985
18.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन० टी० सी० (ए० पी० के०)	10-9-1990
19.	प्रबन्ध निदेशक, रिहैबलीटेशन इन्डस्ट्रीज लि०	10-1-1991
20.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, माडर्न फूड ईडस्ट्रीज लि०	21-6-1990
21.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश ड्रग्स एन्ड फार्मेसियुटीकल्स लि०	7-4-1988
22.	प्रबन्ध निदेशक, टेनरी फुट वेयर कार्पोरेशन लि०	24-4-1991
23.	प्रबन्ध निदेशक, वायुदूत लि०	7-9-1990
24.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, गैस अथारिटी आफ इंडिया लि०	3-11-1991
25.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नैशनल अल्यूमीनियम कंपनी लि०	1-11-1991

[हिन्दी]

गुजरात में औद्योगिक क्षमता

*15. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बड़े पैमाने पर औद्योगिक रुग्णता व्याप्त है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त राज्य में औद्योगिक रुग्णता दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी किए गए मार्ग-निर्देशों और उपलब्ध किए गए संसाधनों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) बैंकों से सहायता पाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सितम्बर, 1989 के अंत में गुजरात राज्य में लघु उद्योगों से भिन्न 154 रुग्ण एकक और 6302 लघु रुग्ण एकक थे ।

(ख) औद्योगिक रुग्णता के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के कई कारण उत्तरदायी होते हैं । बैंकों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार मुख्य कारणों में विपणन समस्याएं, वित्तीय समस्याएं, श्रमिक समस्याएं, प्रबंधकीय कमियां, बिजली की कमी, मांग में कमी, प्राकृतिक विपदा, उत्पादन समस्याएं आदि शामिल हैं ।

(ग) जहां तक लघु क्षेत्र से भिन्न रुग्ण एककों का संबंध है, इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है । सीमांत धन योजना के अधीन केन्द्र सरकार रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराती है । तथापि इस योजना के आरंभ होने के समय से इसके अधीन कोई राशि स्वीकृत करने हेतु उद्योग मंत्रालय को गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

[अनुवाद]

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा स्टालों की स्वीकृति

*16. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका ने गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए श्रेणीवार कुल कितने रुपये स्वीकृत किये;

(ख) क्या इस मामले में युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं तथा दंगा पीड़ितों को कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा, वाणिज्यिक तथा पुनर्वास के उपाय के रूप में, दोनों ही आधार पर स्टाल्स आबंटित किए जाते हैं ।

2. केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले श्रेणियों के लिए,

वाणिज्यिक आधार पर, स्टाल आबंटित करने के मामले में आरक्षण की एक नीति है। आरक्षण का यह कोटा 12.8 प्रतिशत तय किया गया है। तथापि, विगत 3 वर्षों के दौरान, संपदा निदेशालय द्वारा सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणियों में किसी को भी, कोई स्टाल आबंटित नहीं किया गया है।

3. भारत के उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा फेरीवालों/अनधिवासियों के अधिकारों को तय करने के लिए दिनांक 30 अगस्त, 1989 को दिए गए निर्णय के अनुसरण में नई दिल्ली नगर पालिका ने अपने दिनांक 10 नवम्बर, 1989 के संकल्प संख्या 28 द्वारा एक नीति तैयार की थी। इस नीति के अनुसार, पुनर्वास उपाय के रूप में, स्टालों के आबंटन में निम्नलिखित आरक्षण निर्धारित किया गया था :—

1.	सामान्य श्रेणी	60%
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	12½%
3.	विकलांग	10%
4.	भूतपूर्व सैनिक	2½%
5.	वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाएं	2%
6.	स्वतंत्रता सेनानी	3%
7.	महान विपत्ति तथा मानवीय आधार	10%

4. विगत 3 वर्षों के दौरान, पुनर्वास उपाय के रूप में, प्रवर्तन विभाग द्वारा 39 स्टाल्स आबंटित किए गए। इनमें से, 10 स्टाल्स अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (9 अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति श्रेणी) के व्यक्तियों को आबंटित किए गए और शेष सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को आबंटित किए गए।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

*17. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में गैस पर आधारित कुछ मध्यम वर्ग के उर्वरक संयंत्र स्थापित करने तथा अत्यधिक घाटे में चल रहे कोयले पर आधारित संयंत्रों के कार्यकरण में सुधार करने की संभावना का पता लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में गैस पर आधारित नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना पर कुल कितनी निवेश करने का विचार है और ये संयंत्र कब तक पूरे हो जाएंगे;

(घ) कोयले पर आधारित संयंत्रों के अत्यधिक घाटे में चलने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) कृष्णा

गोदावरी बेसिन (आंध्र प्रदेश) में एक मध्यम आकार का अमोनिया (450 मी० टन प्रतिदिन) तथा यूरिया (750 मी० टन प्रतिदिन) संयंत्र स्थापित करने के लिए प्राकृतिक गैस उपलब्ध हैं। इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। आवेदनों से पूर्ण ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया है।

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफसीआई) ने रामागुण्डम तथा तालचर स्थित कोयले पर आधारित संयंत्रों के चरण-I पुनरुद्धार के लिए क्रमश: लगभग 171.94 करोड़ रु० तथा 126.74 करोड़ रु० की अनुमोदित लागत के प्रस्ताव भेजे हैं।

(ग) स्थापित किए जा रहे गैस पर आधारित नये उर्वरक संयंत्रों तथा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित संयंत्रों का अनुमानित कुल निवेश निम्न प्रकार हैं :

संयंत्र और प्रवर्तक कंपनी	क्षमता टनों में प्रतिदिन		मूल अनुमोदित लागत (रु० करोड़ों में)	पूर्ण होने की संभावित समय सूची
	अमोनिया	यूरिया		
I. पहले ही कार्यान्वयनाधीन है				
(1) गडेपन (मैसर्स चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०	1350	2250	764.00	1993
(2) बबराला (मैसर्स टाटा केमिकल्स लि०)	1350	2250	750.00	1994
(3) शाहजहांपुर (मैसर्स बिन्दल एग्रो केमिकल्स लि०)	1350	2200	695.00	शून्य तारीख अभी आरंभ नहीं हुई, परन्तु 1995 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
II. आयोजित				
(1) विजयपुर एक्सपेंशन (मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०)	1350	2250	694.56	शून्य तारीख आरंभ नहीं हुई है।

★

(2) आंवला एक्सपेंशन (मैसर्स इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआप० लि०)	1350	2250	787.00	-वही-	*
(3) कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक मध्यम आकार का संयंत्र (प्रवर्तक का निर्णय नहीं लिया गया)	450	750	उपलब्ध नहीं	-वही-	

(घ) और (ङ) डिजाइन कमियों तथा उपस्कर असंतुलन, अपर्याप्त पावर तथा घटिया किस्म के कोयले के परिणामस्वरूप निम्न क्षमता उपयोगिता के कारण कोयले पर आधारित संयंत्र आरम्भ से ही घाटा उठा रहे हैं। पुनरुद्धार प्रस्तावों के अतिरिक्त, पहले ही किए गए उपचारी उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) तालचर में केपटिव पावर संयंत्र की स्थापना;

(2) तालचर को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में सुधार करना;

(3) रामागुण्डम तथा तालचर दोनों जगह अतिरिक्त स्टीम जेनरेशन सुविधाएं स्थापित करना; और

(4) उपस्कर की प्रतिस्थापना और नवीकरण।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों का शोषण

*18. श्री मृत्युंजय नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा से बड़ी संख्या में बच्चों को दूसरे राज्यों को श्रमिकों के रूप में भेजा जा रहा है जहां उनका शोषण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा से बड़ी संख्या में बच्चों को श्रमिकों के रूप में अन्य राज्यों में भेजे जाने संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जहां कि उनका शोषण किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

डी० डी० ए० फ्लैटों की आवश्यकता

*19. श्री डी० एस० शर्मा "प्रेम" :
श्री मदन लाल खुराना :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि यहां कितने फ्लैटों की आवश्यकता है और इस समय कुल कितने फ्लैट उपलब्ध हैं;

(ख) दिल्ली की आवश्यकता के अनुसार फ्लैटों का निर्माण करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा श्रेणीवार कितने फ्लैट आवंटित किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवास निर्माण में वृद्धि के प्रयासों को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जा रहा है । रिहायशी एककों की संख्या बढ़ाने हेतु सहकारी समितियों को भी आवंटन किए जा रहे हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए गए फ्लैटों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित किए गए फ्लैटों के ब्यौरे निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

क्र० सं०	वर्ष	आबंटित किए गए फ्लैटों की श्रेणीवार संख्या			स्व-वित्त योजना	आबंटित फ्लैटों की कुल संख्या†
		मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता		
1.	1988-89	4675	8319	7774	11,379	32,147
2.	1989-90	2796	9361	9715	3,573	25,445
3.	1990-91	800	4497	8315	1,480	15,092

इसके अतिरिक्त, विशेष आवास पंजीकरण योजना, 1985 के अन्तर्गत मलिन बस्ती विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान 1356 फ्लैट निर्मित/आबंटित किए गए थे।

†आबंटित एककों की संख्या में वे फ्लैट भी शामिल हैं जिनका निर्माण पूर्ववर्ती वर्षों में आरंभ किया गया है तथा जो सम्बद्ध वर्षों के दौरान आबंटन हेतु उपलब्ध होंगे।

उत्तर प्रदेश में उद्योग विहीन जिले 35

*20. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें उद्योग विहीन जिलों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन जिलों में औद्योगिक एकक स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां तो इनमें औद्योगिक एककों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) उत्तर प्रदेश में बांदा, चमोली, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा कानपुर देहात को 'उद्योग रहित जिले' घोषित किया गया है।

(ख) से (घ) किसी क्षेत्र का औद्योगीकरण मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकार का दायित्व है। केन्द्र सरकार जहां सम्भव होता है, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण हेतु सरकार ने एक विकास केन्द्र योजना आरम्भ की है जिसके अधीन उत्तर प्रदेश को आठ विकास केन्द्र आबंटित किए गए है। ये विकास केन्द्र एक झांसी, एक शाहजहांपुर, एक मुरादाबाद, एक इटावा, एक बुलंदशहर, एक जौनपुर, एक गोरखपुर तथा एक पौड़ी गढ़वाल जिले में हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले विकास केन्द्रों के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

[अनुवाद] 35-37

शहरीकरण संबंधी राष्ट्रीय आयोग

1. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरीकरण संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) देश मे शहरीकरण की स्थिति, प्राथमिक कार्रवाई वाले क्षेत्रों की पहचान तथा द्रुत शहरीकरण के प्रबंध के उद्देश्य से कार्य योजना बनाने के निमित दिशा निर्देश तैयार करने पर विचार करने के लिए, शहरीकरण राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। शहरी पुनर्वास व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के लिए, जो समानता तथा सामाजिक न्याय के साथ द्रुत आर्थिक विकास का निर्माण

करने के लिए, आयोग व्यापक पैमाने पर, आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप के विशेष सुझावों के साथ अस्तित्व में आया। आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

1. 49 स्थानीय प्राथमिकता वाले शहरीकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत आगे चले पता लगाए गए 329 शहरी केन्द्रों के आर्थिक तथा वास्तविक आधार को समेकित करना, मजबूत बनाना तथा विस्तार करना।

2. कुल योजना नियतन में शहरी क्षेत्रों के लिए, चालू अंश को 4% से 8% तक बढ़ाना।

3. शहरी लघु व्यापार विकास बैंक की देख-रेख में, एक उपयुक्त ऋण सहायता कार्यक्रम के द्वारा, शहरी स्व-रोजगार को प्रोत्साहन देना।

4. शहरी विकास के लिए संस्थागत वित्त के अन्तर्वाह में वृद्धि करने के लिए 4 प्रमुख बैंकिंग संस्थाओं का गठन करना।

5. विकसित भूमि तथा कम लागत के आश्रय की आपूर्ति में वृद्धि करना, उनमें सुधार करना और मलिन बस्तियों का उन्नयन तथा मकानों की कुल मौजूदा संख्या को संरक्षण प्रदान करना।

6. बाजार में भूमि की व्यापक आपूर्ति के लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करना।

7. निर्धनों के लिए किराएदारी तथा वर्तमान किराएदारी में सुरक्षा को सीमित करने और किराए में वार्षिक संशोधन की व्यवस्था करने के लिए मौजूदा किराया नियंत्रण कानून में संशोधन करना।

8. वर्तमान नगरों के ढांचों का पुनर्गठन करना तथा स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मे सुधार करना।

9. राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों को संसाधनों के पर्याप्त अन्तरण के लिए राज्य सरकार वित्त आयोगों का गठन करना।

(ग) और (घ) आयोग की रिपोर्ट पर, भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों तथा संघशासित सरकारों के परामर्श से तथा कई सम्मेलनों तथा सेमिनारों में भी विस्तार से विचार किया गया जिनमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। कहने को शहरी विकास एक राज्य का विषय है अत: केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के साथ, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता के लिए उनसे संबंधित विशेष मामलों पर जैसे नगरों का चयन आदि की कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी चाहिए।

आयोग द्वारा सुझाए गए कुछ सिफारिशों पर, चालू आवास तथा शहरी विकास कार्यक्रमों के एक भाग के रूप मे अमल किया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल है :—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना करना।

(ii) विभिन्न स्थानीय निकायों/राज्य एजेंसियों द्वारा अवसंरचना विकास के लिए, निधियों की व्यवस्था करने के निमित, हुडको में एक पृथक व्यवस्था की शुरूआत करना।

(iii) शहरी गरीबी उन्मूलन के उपाय के रूप में नेहरू रोजगार योजना की शुरूआत।

(iv) शहरी बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था।

(v) आईडीएसएमटी की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत शिनाख्त किए गए नगरों को सहायता प्रदान करना।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम पहले ही संशोधित हो चुका है और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपने राज्यों में, किराया नियंत्रण कानूनों में, यदि कोई हो, इसी प्रकार के संशोधनों पर विचार करें।

आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

37 - 38

प्लाटों की नीलामी

2. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों की नीलामी के समय बोली लगाने वाले को कुल लागत का 25 प्रतिशत तुरन्त ही जमा करना पड़ता है और शेष 75 प्रतिशत 90 दिन में देना पड़ता है;

(ख) यदि खरीददार लागत का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान नहीं कर पाता है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने नियमों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही करता है;

(ग) क्या 1980-90 के दौरान प्लाट खरीदने वाले लोगों में से अधिकांश ने लागत के 75 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लागत का 75 प्रतिशत वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के अनुसार, जिस व्यक्ति की बोली स्वीकार की गई है, अपनी बोली के 25 प्रतिशत की राशि के तुल्य बयाना राशि का भुगतान करेगा तथा वह प्राधिकरण को शेष राशि का भुगतान बोली स्वीकार होने के 15 दिन के भीतर अथवा ऐसी अवधि जो उपाध्यक्ष सार्वजनिक सूचना में विशेष रूप से उल्लेख करें, के भीतर होगा।

(ख) ये नियम यह उपबंध करते हैं कि जो व्यक्ति दी गई अवधि के भीतर बोली की शेष राशि का भुगतान करने में चूक करते हैं, की बयाना राशि जब्त हो जाएगी तथा यह भूखंड पुनः नीलामी हेतु उपाध्यक्ष के लिए वैध होगा।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी] आवास, दिल्ली विकास प्राधिकरण
38 - 40

मकानों के आवंटन के लिए डी० डी० ए० द्वारा पंजीकृत किए गए व्यक्ति

3. **श्री मुमताज अंसारी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान मकानों के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्षवार कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत किये गये;

(ख) इन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा टाइप-वार कितने-कितने व्यक्तियों को मकान आबंटित किए गए हैं; और

(ग) सांसदों के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है तथा प्रतिवर्ष कितने-कितने सांसदों को मकान आबंटित किये गये ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) संलग्न विवरण-1 के अनुसार।

(ख) संलग्न विवरण-2 के अनुसार।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-1

गत 10 वर्षों के दौरान मकान आबंटित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं :

क्र० सं०	योजना का नाम	पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या
1	2	3
1.	स्व-वित्त पोषित योजना (7-1-81—7-3-81)	8615
2.	स्व-वित्त पोषित योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष योजना। (8-1-81—7-3-81) और (22-5-82—14-8-82)	3242
3.	योजना-V (15-5-82—14-8-82)	37258

1	2	3
4.	योजना-VI (25-5-85—14-8-85)	17805
5.	अम्बेडकर आवास योजना (नवंबर, दिसम्बर, 1989)	13000 (अभी 7000 और व्यक्तियों को पंजीकृत करना है)

विवरण-2

गत 10 वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जिन व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित किए गए, के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं† ।

क्र० सं०	वर्ष	श्रेणीवार आवंटित किए गए फ्लैटों की संख्या			स्व-वित्त पोषित योजना	योग
		मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता		
1.	1981-82	2437	5143	6444	—	14024
2.	1982-83	222	311	140	1620	2293
3.	1983-84	3351	2479	2142	2893	10865
4.	1984-85	961	2842	2445	2142	8390
5.	1985-86	9046	7529	6217	5025	27817
6.	1986-87	—	—	1957	1877	3834
7.	1987-88	4840	2682	2935	3957	14414
8.	1988-89	4675	8319	7774	11379	32147
9.	1989-90	2796	9361	9715	3573	25445
10.	1990-91	800	4497	8315	1480	15092

† जिन व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं की संख्या में 1981-82 से पहले पंजीकृत व्यक्ति शामिल हैं ।

सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन

4. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान सरकारी कर्मचारियों को संसद सदस्यों की सिफारिश पर क्वार्टरों के आबंटन हेतु पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका निपटान कब तक कर दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संसद सदस्यों अथवा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सिफारिशों पर, मकानों के विवेकाधिकार आबंटन के लिए, नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों, सार्वजनिक कोटि के मामलों के बजाए, व्यक्तिगत अनुरोधों की कोटि में आते हैं।

डी० डी० ए० की स्व-वित्त पोषित योजनाएं

[अनुवाद]

5. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० डी० ए० की स्व-वित्त पोषित योजनाओं में योजनावार आरंभिक पंजीकृत लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने पंजीकृत लोगों को योजनावार अंतिम रूप से आबंटन हेतु योग्य पाया गया;

(ग) 31 मार्च, 1991 तक वास्तविक आबंटियों की योजनावार संख्या कितनी है;

(घ) 31 मार्च, 1991 को आबंटन प्रतीक्षा में योग्य पंजीकृत लोगों की योजनावार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वार्षिक आधार पर एक स्व-वित्त पोषित योजना नियमित रूप से शुरू करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) इस समय फ्लैटों के नियतन के लिए प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत व्यक्तियों की अधिक संख्या के कारण।

विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	पंजीकृत व्यक्तियों की कुल सं०	रद्द किए गए/राशि वापस ली गई	नियतन किए गए	31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार शेष
1.	योजना-I (15-9-77—30-4-78)	2743	296	2447	शून्य
2.	योजना-II (27-11-78—31-1-79)	4393	469	3924	शून्य
3.	योजना-III (12-11-79—30-11-79)	3616	220	3396	शून्य
4.	योजना-IV (7-1-81—7-3-81)	8615	858	7757	शून्य
5.	एस० एस० एफ० के अंतर्गत सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष योजना (8-1-81—7-3-81) और (22-5-83—22-7-83)	3242	95	3147	शून्य
6.	स्कीम-V (15-5-82—14-8-82)	37258	4232	25872	7154
7.	स्कीम-VI (25-5-85—14-8-85)	17805	1007	2317	14481
		77672	7177	48860	21635

वसंत एन्कलेव में अवैध निर्माण

6. श्री केशरी लाल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसंत एन्कलेव, नई दिल्ली में डी० डी० ए० फ्लैट आवंटितियों ने अवैध निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वसंत इन्क्लेव, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में आबंटियों द्वारा किया गया अनधिकृत निर्माण का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) 26 आबंटियों ने, अपने फ्लैटों के इर्द-गिर्द कांटेदार तारों की चारदीवारी कर रखी है।

(ii) 105 आबंटियों ने, उपलब्ध खाली सरकारी भूमि पर अपने घरों के सम्मुख ग्रिल लगा रखी है।

(iii) 15 आबंटियों ने अपने आंगन की दीवालों का विस्तार कर रखा है।

(iv) 17 आबंटियों ने, बरसाती, बालकोनियों अथवा सरकारी भूमि पर बने पिलरों पर संवर्धन/परिवर्तन/कमरों का निर्माण कर रखा है।

(ग) ऊपर उल्लिखित सभी मामलों में, दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन आवश्यक कारंवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है तथा फ्लैटों का निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में चल रहा है।

दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में अनधिकृत कब्जा

7. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अनधिकृत कब्जे रोकने के लिए कोई विशेष योजना तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे अनधिकृत कब्जों को सरकार किस तरह से रोकेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) यह सूचना मिली है कि दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ) कोई विशेष योजनाओं पर विचार नहीं किया जा रहा है। अतिक्रमण/

अनधिकृत निर्माण एक सतत समस्या है। जब कभी भी ऐसे मामलों का पता चलता है, इस प्रकार की गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, दिल्ली विकास अधिनियम (नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के मामले में यथाउपयुक्त) पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 तथा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के अधीन सील करने, गिराने, हटाने आदि की उपयुक्त कारंवाई की जा रही है। दिल्ली प्रशासन के स्थानीय एजेंसियों को कड़े अनुदेश जारी किए गए हैं।

रिक्त पद

8. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उन पदों की संख्या कितनी है, जिनके लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति की मंजूरी की आवश्यकता होती है और जो 31 अक्तूबर, 1991 से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) सरकार का इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-10-1991 को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 28 और कार्यात्मक निदेशकों के 60 ऐसे पद रिक्त थे जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ए० सी० सी०) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बोर्ड स्तर के पदों के लिए चयन किया जाना निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इन पदों को निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार यथा-शीघ्र भरे जाने के प्रयास किए जाते हैं।

भारत सरकार के सभी वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इन सभी पदों की रिक्ति संबंधी स्थिति से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीकृत रूप में नही रखी जाती है।

इन पदों को भरने के लिए निरन्तर प्रक्रिया चलती है, और इन्हें निर्धारित मानदण्डों तथा क्रियाविधि के अनुसार भरा जाता है; और रिक्त पदों को भरे जाने संबंधी प्रस्तावों पर भिन्न-भिन्न स्तरों पर कारंवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

अशोक पेपर मिल्ज को पुनः चालू करना

9. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या प्रधान मंत्री 17 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 282 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य सरकार ने पेपर मिल्ज के रामेश्वर नगर एकक का राष्ट्रीयकरण किए जाने हेतु संशोधित प्रारूप अध्यादेश इस बीच प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या बिहार राज्य सरकार से इस मामले में शीघ्रता करने को कहा गया है;

(ग) क्या बिहार राज्य सरकार को चीथड़ों से लुग्दी तैयार करने और और बिजली पैदा करने की योजनाएं तैयार कर भेजने के लिए कहा गया है; और

(घ) जोगीघाघोपा एकक में कब तक उत्पादन शुरू हो जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकार से मामले को शीघ्र निपटाने के लिए दोबारा कहा गया है।

(ग) और (घ) इस बारे में आवश्यक कार्रवाई क्रमशः बिहार और असम की राज्य सरकारों को करनी है।

[अनुवाद]

लोगों के लिए आवास की व्यवस्था

10. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न और मध्यम आय समूहों के लोगों को आवासीय मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आवास विकास वित्त निगम द्वारा मकानों के लिए दिए जाने वाले ऋण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह के जिन व्यक्तियों ने लाभ प्राप्त है, उनकी राज्यवार संख्या कितनी है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आवास राज्य का विषय है। भिन्न-भिन्न आय वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न सामाजिक आवास योजनाएं विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रतिपादित एवं कार्यान्वित की जा रही हैं। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनाएं चलाई जा रही हैं यथा, ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना, नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी निर्धनों के लिये आश्रय उन्नयन तथा शहरी फुटपाथ निवासियों के लिये रैन बसेरे। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य आवास तथा शहरी विकास अभिकरणों के लिए राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक एवं हुडको के माध्यम से वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी की जाती है।

(ख) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार, आवास विकास वित्त निगम ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों तथा मध्यम आय वर्गों से सम्बन्धित लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 5,14,739 रिहायशी एककों के निर्माण हेतु 2903.13 करोड़ रुपये की राशि के ऋण स्वीकृत किए हैं। आवास विकास वित्त निगम ने लाभभोगियों को दिए गए आवास ऋणों के कोई राज्य-वार सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे हैं। तथापि, कम्पनी को राज्य-वार आंकड़े रखने का परामर्श दिया गया है।

पटसन उद्योग में भविष्य निधि की बकायादार मिलें

11. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग ने केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार से भविष्य निधि के मामले में मिलों से पटसन का सामान लाने ले जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन बकायादार मिलों के नाम क्या हैं तथा उन पर कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

डी० डी० ए० द्वारा फ्लैटों का आवंटन

12. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० फ्लैट केवल उन्हीं व्यक्तियों को आबंटित किए जाते हैं जिनका दिल्ली में मकान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो डी० डी० ए० फ्लैट आबंटन सम्बन्धी नियम क्या हैं;

(ग) ऐसे कितने व्यक्तियों को डी० डी० ए० फ्लैट आवंटित किये गये है जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) शर्त के अनुसार, आवेदक के पास नई दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली कंटोनमेंट में या तो उनके अपने नाम पर अथवा उसकी पत्नी/उनके पति के नाम पर अथवा उसके किसी नाबालिग बच्चे अथवा आश्रित बच्चों अथवा आश्रित सम्बन्धियों के नाम पर, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आधार पर, पूरा-का-पूरा अथवा उसका कोई भाग, कोई निजी रिहायसी मकान अथवा प्लाट नहीं होना चाहिए। तथापि, यदि, रिहायसी आवास के अन्तर्गत, संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले प्लॉट अथवा भूमि पर आवेदक का व्यक्तिगत हिस्सा 75/80 वर्ग गज से कम है, तब उस दिशा में पंजीकरण के लिए आवेदन दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य भू-स्वामित्व विभाग द्वारा निर्मित कोई मकान/फ्लैट पहले ही आबंटित किया जा चुका है तथा वह मकान/फ्लैट यहां तक कि 75/80 वर्ग गज से कम है, तो भी वह व्यक्ति दूसरे फ्लैट के लिए पंजीकरण कराने का पात्र नहीं होगा।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अवैध घोषित हड़तालें

13. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कर्मचारियों की कितनी हड़तालों को अवैध घोषित किया था; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) सरकार के पास हड़ताल को

अवैध घोषित करने की शक्ति नहीं होती। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन समुचित सरकार हड़ताल की वैधता के सम्बन्ध में न्यायनिर्णयन करने के लिए उसे श्रम न्यायालय को भेज सकती है। केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 1989-90 और 1990-91 के दौरान ऐसी कोई हड़ताल नहीं हुई जिसे अवैध घोषित किया गया हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी] 47-48

सरकारी आवास को खाली करना

14. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से मन्त्रियों, संसद सदस्यों और राज्यपालों ने सरकारी आवास खाली नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) उन भूतपूर्व मन्त्रियों, संसद सदस्यों, जिन्होंने साधारण पूल वास खाली नहीं किया है, के ब्यौरे प्रस्तुत करने वाला एक विवरण संलग्न है। इस समय किसी भी भूतपूर्व राज्यपाल के पास सरकारी वास का अनधिकृत कब्जा नहीं है।

विवरण

भूतपूर्व संसद सदस्यों के अनधिकृत कब्जे में सामान्य पूल वास

क्र० सं०	नाम (सर्व/श्री)	बंगला नम्बर
1	2	3
1.	भजमन बेहरा	1, तीन मूर्ति लेन
2.	दिनेश सिंह	1, त्यागराजा मार्ग
3.	एच० के० एल० भगत	34, पृथ्वीराज रोड
4.	जनार्दन पुजारी	7, अकबर रोड
5.	महावीर प्रसाद	17, तीन मूर्ति मार्ग
6.	एम० थमबी दुरई	25, तुगलक रोड
7.	वसंत पी० साठे	3, कृष्णा मेनन मार्ग

1	2	3
8.	अजय सिंह	5, सफदरजंग लेन
9.	आरिफ मोहम्मद खान	3, सुनहरी बाग रोड
10.	जगदीप धनखड़	4, कम्प्लेक्स लेन
11.	मुफ्ती मोहम्मद सैयद	10, अकबर रोड
12.	शरद यादव	9, अकबर रोड
13.	शरवर हुसेन	57, लोधी एस्टेट
14.	के० सी० पंत	7, त्यागाराजा मार्ग
15.	श्रीमती आर० के० बाजपेयी	6, अशोका रोड
16.	मनोज पांडे	सी-2/67, मोती बाग
17.	जी० के० मूपनार	24, अकबर रोड
18.	जगत पाल सिंह	20, कैनिंग लेन
19.	स्व० श्री दरबारा सिंह	9, कृष्णा मैनन मार्ग
20.	पुरुषोत्तम कौशिक	13, बी० आर० मेहता लेन
21.	जनेश्वर मिश्र	23, सफदरजंग रोड
22.	श्रीमती वैजयंती माला बाली	76, लोधी एस्टेट
23.	हरमोहन धवन	11, तीन मूर्ति मार्ग
24.	एस० के० सहाय	12, सफदरजंग रोड
25.	भक्त चरण दास	14, तीन मूर्ति लेन
26.	देवीलाल	1, विलिंगडन क्रीसेंट
27.	श्रीमती सुमति ओरेन	3, इलैक्ट्रिक लेन

[अनुवाद]

LB-LA

लेवी चीनी नीति की समीक्षा

15. **प्रो० अशोकराव आनन्दराव देशमुख :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लेवी चीनी की नीति की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र को दो "रिकवरी जोनों" के बदले

बीच जोनों में विभाजित करने और सरकारी अवकर कार्यालयों द्वारा ऋणों की अदायगी हेतु समुचित समायोजन करने का है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) जी, नहीं।

खाद्यान्नों की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्य

16. श्री के० वी० तंगाबालू : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने 1991-92 के लिए राज्यवार खाद्यान्नों की खरीद के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) गत वर्ष की तुलना में यह लक्ष्य कितना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) चूंकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन खाद्यान्नों (गेहूं, धान और मोटे अनाजों) की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और विपणन मौसम के दौरान होने वाले उत्पादन की मात्रा की प्रतिशतता के आधार पर मिल-मालिकों/व्यापारियों से सांविधिक आदेशों के अधीन लेवी चावल एकत्रित किया जाता है, इसलिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है। रबी विपणन मौसम 1991-92 के दौरान, 15 नवम्बर, 1991 तक केन्द्रीय पूल के लिए कुल 77.51 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली कर ली गई थी, जबकि पिछले रबी विपणन मौसम में इसी अवधि के दौरान 127.23 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी। खरीफ विपणन मौसम 1991-92 के दौरान, 15 नवम्बर, 1991 तक केन्द्रीय पूल के लिए कुल 32.45 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की गई है जबकि 1990-91 की इसी अवधि के दौरान 39.62 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की गई थी। चावल की इस वसूली में तमिलनाडु सरकार द्वारा वसूल किया गया 0.83 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) शामिल नहीं है क्योंकि वे केन्द्रीय पूल में अपना अंशदान नहीं देते हैं।

महाराष्ट्र में पेय जल की समस्या

17. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पेय जल की समस्या सुलझाने के लिए केन्द्रीय सरकार से किसी वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) महाराष्ट्र में कितने गांवों में अभी पेय जल उपलब्ध कराया जाना है; और

(ग) राज्य में पेय जल की सप्लाई के लिए इस वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) 1-10-1991 की स्थिति के अनुसार, 52 "बिना जल स्रोत वाले" समस्याग्रस्त गांवों में अभी स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराई जानी हैं। अन्य सभी गांवों में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र के लिए 1991-92 हेतु 33.90 करोड़ रुपये की सहायता आबंटित की गई है। इसमें से 28.80 करोड़ रुपये की राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, 1991-92 के दौरान लातूर जिले के लिए 71.76 लाख रुपये तथा सतारा जिले के लिए 15.67 लाख रुपये की सहायता आबंटित की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 2000 बसावटों में पीने के पानी की सप्लाई के लिए भी 4 करोड़ रुपये की सहायता दिये जाने की सम्भावना है।

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को अल्कोहल की सप्लाई

18. श्री धर्म भिक्षम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों के उत्पादन हेतु अल्कोहल की कमी का सामना कर रहे सरकारी क्षेत्र के एककों को अल्कोहल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में प्राप्त सुझावों का ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) दवाइयों के उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र के एककों को अल्कोहल की आवश्यकता को समय-समय पर अंतर्राज्यीय/राज्य के अन्दर आबंटनों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

लोक शिकायतें

19. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1990 से लेकर 31 मार्च, 1991 तक की अवधि के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय को कितनी लोक शिायतें मिली हैं;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतें पर कार्यवाही की जा चुकी है;

(ग) इनमें से कितनी सच निकलीं; और

(घ) जो शिकायतें सही पाई गईं, उनके मामलों में कितने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1991 के दौरान लगभग 15,000 शिकायतें प्राप्त हुई। उन पर शीघ्रता से आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए उन्हें संबंधित मन्त्रालयों/विभागों को भेज दिया गया था। यथेष्ठ रूप से, शिकायतों पर कार्रवाई, मन्त्रालयों/विभागों, जो प्रशासनिक तौर पर विषय वस्तु से संबंधित होते हैं, द्वारा की जाती है। वे शिकायतों पर उपयुक्त कार्रवाई करते हैं और उस बारे में शिकायतकर्ता/आवेदनकर्ता को सूचना भेजते हैं। अलग-अलग शिकायतों के संबंध में की गई कार्रवाई को अभिलेखबद्ध करने हेतु कोई केन्द्रीकृत प्रणाली प्रचलित नहीं है।

सरकारी आवास का आवंटन

20. श्री जीवन शर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली में सरकारी फ्लैट सरकारी कर्मचारियों और संसद सदस्यों से इतर अन्य व्यक्तियों को आबंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किए गए मानदण्ड का ब्यौरा क्या है जिन्हें फ्लैट आबंटित किए गए हैं और यह प्रथा कब से प्रचलित है तथा इस मानदण्ड में कितनी बार संशोधन किया गया;

(घ) उन श्रेणियों के व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें फ्लैट आबंटित किए गए थे और कितनी अवधि के लिए और उनके लिए अनुमत्य अवधि क्या है;

(ङ) क्या प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कोई अधिकतम आय सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसे आबंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1, विवरण-2, विवरण-3, विवरण-4, विवरण-5, विवरण-6 में दिया है।

मंत्रिमंडल की आवास समिति की व्यैक्तिक मामलों में स्वीकृति लेने के पश्चात् कतिपय अपात्र श्रेणियों जैसे स्वतंत्रता सेनानियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा कलाकारों को शुरू से ही आबंटन किए गए थे। तथापि, मंत्रिमंडल की आवास समिति के अनुमोदन सहित औपचारिक मार्गदर्शी सिद्धांत 1991 में प्रतिपादित किए गए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का 1985 में तथा पुन: 1990 में पुनरीक्षण किया गया था। प्रेस पूल से पत्रकारों को आबंटन पृथक मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा शासित है (इस संबंध में विभिन्न आदेशों की प्रतियां संलग्न विवरण-7, विवरण-8, विवरण-9, विवरण-10 और विवरण-11 पर हैं)। स्पष्टत:, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में शामिल शर्तों के अनुसार व्यक्ति अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होना चाहिए तथा दिल्ली में उसका मकान न हो। संबंधित मंत्रालय/विभाग की सिफारिशें भी आवश्यक हैं और आबंटन एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया जाता है। इन श्रेणियों के संबंध में नीति फिलहाल पुनरीक्षणाधीन है।

(घ) निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं :—

1. स्वतंत्रता सेनानी
2. ख्यातिप्राप्त कलाकार
3. सामाजिक कार्यकर्ता (एशियाड फ्लैट्स)
4. विविध श्रेणियां

5. प्रेस पूल

6. वैज्ञानिक, शिल्पवैज्ञानिक, विख्यात परिवास्तवस्क इत्यादि (एक्रियाक्रेडिट्स)

सामान्यतः, पुनरीक्षण की शर्तों पर आबंटन 3 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए किया जाता है।

(ङ) और (च) स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों को छोड़कर 3000/- रुपये की अधिकतम आय सीमा निर्धारित की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ऐसी कोई सीमा विनिर्दिष्ट नहीं है।

विवरण-1

स्वतंत्रता सेनानी जिनके अधिभोग में सामान्य पूल रिहायशी आवास हैं

क्र० सं०	स्वतंत्रता सेनानी का नाम (सर्व/श्री)	परिसर सं०	आबंटन/कब्जा लेने की तारीख	आबंटन की अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती मोहिनी सहगल	डी-1169, पंडारा रोड	9-1-81	निश्चित नहीं की गई है
2.	शिवदत्त उपाध्याय	ए-177, पंडारा रोड	10-8-81	3 वर्ष
3.	एच० डी० मालवीय	डी-11/44, काकानगर	21-5-81	निश्चित नहीं की गई है
4.	एस० एन० मिश्रा	ए-23/132, लोधी रोड	23-9-82	-वही-
5.	जी० एन० सिंह	ए-23/159, लोधी रोड	12-4-83	-वही-
6.	श्रीमती कौशल्या देवी	222, लक्ष्मीबाई नगर	21-1-84	-वही-
7.	हरि किशोर ठाकुर	एच-59, पंडारा रोड	31-1-84	-वही-
8.	काशीराम	9-बी, टेलीग्राफ लेन	1-8-81	लाइसेंस रद्द
9.	श्रीमती शकुंतला देवी	256, लक्ष्मीबाई नगर	24-2-84	निश्चित नहीं की गई है
10.	दिग्विजय नारायण सिंह	जी-187 (जी-1747), नानकपुरा	25-2-84	-वही-
11.	सय्यद मीर कासिम	6, लोधी एस्टेट	15-5-90	2 वर्ष
12.	वाल्मीकी चौधरी	ए-119, पंडारा रोड	13-6-84	निश्चित नहीं की गई है
13.	अर्जुन सिंह भदोड़िया	सी-221, नानकपुरा	21-3-85	-वही-

1	2	3	4	5
14.	मधु लिमये	बी-11, पंडारा रोड	13-5-85	निश्चित नहीं की गई है
15.	रामायण राय	40, सीमल बाग अपार्टमेंट	21-8-85	2 वर्ष
16.	बी० एस० दरबार	ए-23/211, लोधी रोड	24-8-85	उल्लेख नहीं किया गया है
17.	एच० एन० बहुगुणा	ए-21/93, लोधी रोड	6-12-85	2 वर्ष
18.	श्रीमती सुभद्रा जोशी	डी-11/27, काकानगर	6-8-86	2 वर्ष लाइसेंस रद्द (सी सी ए मामला)
19.	इन्दरदीप सिन्हा	ए-263, पंडारा रोड	7-11-86	2 वर्ष
20.	तुलमोहन राम	ई-139, नानकपुरा	6-12-86	-वही-
21.	बी० डी० जत्ती	ए बी-2, डा० जाकिर हुसेन मार्ग	30-5-87	1-3-89 से 3 और वर्षों के लिए मकान में बने रहने की अनुमति
22.	जैनेन्द्र कुमार जैन	डी-1/85, भारती नगर	30-7-87	रद्द सीसीए का मामला
23.	लक्ष्मीनारायन शुक्ला	337, लक्ष्मीबाई नगर	—	2 वर्ष
24.	सादिक अली	ए-23/139, लोधी कालोनी	17-7-90	-वही-
25.	ब्रह्म प्रकाश	एस-XII/1145, आर० के० पुरम	23-4-88	-वही-
26.	यशपाल	एस-XII/37, आर के पुरम	12-5-88	-वही-
27.	वारियम सिंह ठाकुर	एस-IX/4/8, आर० के० पुरम	22-6-88	-वही-
28.	पी० एन० टंडन	ए-बी/4 (एस० एस०) पेश्वा रोड	4-8-88	-वही-

29.	श्रीमती शकुंतला डोगरा	ए-21/121, लोधी कालोनी	26-9-88	-वही-
30.	जगन्नाथ मिश्रा	बी-50, नानकपुरा	28-6-88	-वही-
31.	गौरी शंकर राय	4, कालीबाड़ी अपार्टमेंट्स	1-12-88	-वही-
32.	श्रीमती ममता आर० मेहता	351, लक्ष्मीबाई नगर	3-12-88	-वही-
33.	एम० आई० सिंह	बी-211, नानकपुरा	7-12-88	-वही-
34.	नागेश्वर द्विवेदी	एस० IV/397, आर० के० पुरम	13-12-88	-वही-
35.	जगदीश चन्द्र	एस-1/11/190, आर० के० पुरम	—	-वही-
36.	एम० आई० द्विवदी	13 (11) कालेज रोड	8-6-75	अवधि तय नहीं की गई है
37.	श्रीमती उर्मिला झा	सैक्टर-III/508 ए, आर० के० पुरम	6-9-88	2 वर्ष
38.	जी० एस० ढिल्लों	सी-1/11, पंडारा रोड	19-7-90	एक वर्ष सी सी ए का मामला
39.	श्रीमती लीला सलपेकर	आई-161, सरोजिनी नगर	18-2-88	2 वर्ष
40.	सरदुल सिंह	ए-155, पंडारा रोड	17-6-89	-वही-
41.	अम्बिका प्रसाद सिंह	ए-99, पंडारा रोड	11-8-89	-वही-
42.	कैलाशपति राय	8-बी, रंजीत प्लेस	5-10-89	1 वर्ष
43.	भगत सिंह	बी-66, पंडारा रोड	3-11-89	2 वर्ष
44.	जैड० ए० अहमद	एच-107, पंडारा रोड	8-12-88	-वही-
45.	बी० के० बरूआ	ए-21/95, लोधी रोड (डी)	20-2-86	3 वर्ष
46.	जयदत्त बैला	एस-11/53, आर० के० पुरम	26-12-89	2 वर्ष
47.	पारसराम	ए-1:6, पंडारा रोड (डी)	24-4-90	-वही-

1	2	3	4	5
48.	मौलवी मेंहदी हसन	एच-1 (एम० एस०), मिंटो रोड	26-4-91	11-12-91 तक
49.	गुलाम रसूल कर	ए-23/145, लोधी रोड (डी)	31-5-90	2 वर्ष
50.	विजय कुमार	137-डी, थाम्पसन रोड	19-11-90	-वही-
51.	श्रीमती सत्यवती	2, टेलीग्राफ लेन	18-9-90	-वही-
52.	श्रीमती लज्जा वर्मा	एस-IV/1045, आर० के० पुरम	2-2-91	-वही-
53.	सतपाल कपूर	एस-IV/665, आर० के० पुरम	12-2-91	-वही-
54.	रमेश सिन्हा	एस-IV/1081, आर० के० पुरम	14-6-91	-वही-
55.	टोखा राम	1077, बी० के० एस० मार्ग (टी-सी)	12-6-91	-वही-
56.	पुरुषोत्तम काकोडकर	ए-23/133, लोधी कॉलोनी	18-6-91	-वही-
57.	इन्द्र सेन सिंह	एम-111/91, सादिक नगर	19-6-91	-वही-
58.	रमाकान्त शास्त्री	18-डी, विल्सन स्क्वेयर (IV)	27-6-91	-वही-
59.	विधू भूषण सैन	एस-IV/149, आर० के० पुरम	17-7-91	-वही-
60.	श्रीमती एम० बी० मेहता	351, लक्ष्मीबाई नगर	3-12-88	-वही-
61.	स्वर्गीय राजनारायण	207, लक्ष्मीबाई नगर	4-10-88	2 वर्ष सी सी ए

विवरण-2

उन कलाकारों की सूची जिन्हें साधारण पूल आवास आवंटित किए गए हैं।

क्र० सं०	नाम (सर्व श्री)	फ्लैट संख्या	आवंटन की तारीख	कब्जा तारीख	आवंटन अवधि/सीमा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	शीला भाटिया	डी-II/2, शाहजहां रोड	4-8-77	12-8-77	14-7-91 तक विस्तारित	—
2.	यामिनी कृष्णामूर्ति	डी-I/39, चाणक्यपुरी	1968	21-2-68	31-12-87 तक नियमन	सी० सी० ए० मामला
3.	सरिता देवी	डी-I/12, भारती नगर	31-1-79	21-2-79	24-5-87 तक विस्तारित	लाइसेंस रद्द
4.	बिरजु महाराज	डी-II/33, शाहजहां रोड	21-2-78	15-3-78	11-10-85 तक विस्तारित	—
5.	एलिजाबेथ बर्नियर	डी-I/75, रविन्द्र नगर	5-12-63	-12-63	11-10-85 तक विस्तारित	—
6.	उस्ताद विलायत खान	डी-II/55, पंडारा रोड	6-10-78	7-10-78	11-10-85 तक विस्तारित	—
7.	मैना देवी	डी-II/59, काका नगर	16-1-76	29-1-76	30-4-89 तक विस्तारित	लाइसेंस रद्द

1	2	3	4	5	6	7
8.	कोमल वाडंन	डी-II/19, काका नगर	21-3-85	4-4-85	तारीख 10-11-89 के पत्र के अंतर्गत 3 वर्ष के लिए विस्तारित	—
9.	गुरू जितेन्द्र महाराज	एस-IV/251, आर० के० पुरम	28-10-87	28-10-87	3 वर्ष	10-2-91 से लाइसेंस रद्द
10.	बी० एम० शाह	एस-IV/1023,	28-12-84	28-2-84	उल्लेख नहीं	आगे अवधारण विचाराधीन
11.	श्रीमती रीता गांगुली	1 (1 एफ०), कालेज रोड	9-3-89	19-4-89	5-2-90 तक	—
12.	प्रो० मोहन महर्षि	ए-61, पंडारा रोड	14-12-84	19-12-84	3 वर्ष	—
13.	कु० शालिम सुन्दरी	बी-43, पंडारा रोड	23-12-76	31-12-76	उल्लेख नहीं	—
14.	राजा रेड्डी	बी-53, पंडारा रोड	3-12-76	24-12-76	उल्लेख नहीं	—
15.	श्रीमती अरुणा देवी	11-सी, माल रोड	6-5-83	10-5-83	5/87 तक	पुनरीक्षणाधीन

विवरण-3

उन कलाकारों की सूची जिन्हें एशियाड गांव में आबंटित किया है

क्र० सं०	नाम (सर्व श्री)	फ्लैट नं०	आबंटन कब्जा तारीख	आबंटन अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	जयारामा राव	एफ-II/99	28-7-87	3 वर्ष हेतु	4-10-89 से लाइसेंस रद्द

2.	उस्ताद माहदुर खान	एफ-II/123	12-10-87	-वही-
3.	चरण गिरधर चान्द	एफ-II/124	11-11-87	-वही-
4.	तेज प्रकाश तुलसी	एफ-II/135	13-10-89	-वही-
5.	गुरू नारायणन्	एफ-II/136	1-9-87	-वही-
6.	एस० एम० खान	एफ-II/141	19-9-88	-वही-
7.	हबीब तनवीर	एफ-II/142	5-1-88	प्रतिसंहरण 19-9-89
8.	गितांजलि लाल	एफ-I/366	4-8-88	3 वर्ष हेतु
9.	हरेकृष्णा बेहरे	एफ-I/127	11-8-87	-वही-
10.	योग शर्मा	एफ-I/140	29-7-87	प्रतिसंहरण 17-4-91
11.	भारती शिवजी	एफ-I/104	28-7-87	3 वर्ष हेतु
12.	पी० वी० बालकृष्णन्	एफ-I/122	19-9-87	-वही-
13.	गुरू मायाधर कान्त	एफ-II/360	29-19-87	-वही-
14.	जतीन दास	एफ-I/134	5-3-88	-वही-
15.	सुनयना हजारी लाल	एफ-I/367	24-4-88	-वही-
16.	विसालम वेंकटचलम्	एफ-I/372	25-6-88	-वही-
17.	देवर ब्रदर	एफ-I/379	30-6-88	-वही-
18.	गुरू नालकसर	एफ-I/373	30-7-88	-वही-
19.	सुमती मटाकर	एफ-I/98	27-1-89	-वही-
20.	एन० वी० वेंकटरामन	एफ-I/378	29-10-88	-वही-

1	2	3	4	5	6
21.	के० एस० कुलकर्णी	एफ-I/361	3-11-87	3 वर्ष हेतु	
22.	जाय माइकल	एफ-I/121	7-7-89	-वही-	
23.	वी० सदासिवम्	एफ-I/103	17-9-89	-वही-	
24.	असद अली खान	एफ-I/197	12-12-89	-वही-	
25.	गुलाम सादिक खान	ई-I/59	13-12-89	-वही-	
26.	के० एन० दक्षिण मूर्ति	ई-I/56	12-12-89	-वही-	
27.	डी० देवराज	ई-I/55	13-12-89	-वही-	
28.	के० जे० गोविंदा राजन्	ई-I/94	19-12-89	-वही-	
29.	सबीर खान	ई-I/764	16-3-90	-वही-	
30.	सरला कुमारी	ई-II/768	19-3-90	-वही-	
31.	लीला सैमरानं	ई-I/777	31-8-90	-वही-	

विवरण-4

(व्यक्तियों की सूची जिनको दिल्ली में प्रेस पूल आवास आवंटित है)

क्र० सं०	नाम (सर्व/श्री)	फ्लैट नं०	कब्जा तारीख	दर
1	2	3	4	5
1.	एस० के० चड्ढा	डी-II/39/1, एन्ड्रूज गंज	—	मूल नियम 45-क या वेतन का 10% जो कि उच्च है।
2.	बी० एम० सलूजा	डी-II/6/4, एन्ड्रूज गंज	21-6-78	-वही-
3.	आर० एम० शर्मा	डी-II/41/1, एन्ड्रूज गंज	21-9-78	-वही-
4.	कश्मीरी लाल	डी-II/42/1, एन्ड्रूज गंज	5-3-82	-वही-
5.	एन० त्यागराजन्	6 (एल० एफ०) बाबर प्लेस	11-11-65	-वही-
6.	सितांशु दास	डी-I/53, भारती नगर	—	-वही-
7.	बी० के० मारवाह	डी-I/75, भारती नगर	8-1-82	-वही-
8.	सुकुमार दत्त	डी-I/2, चाणक्यपुरी	6-9-78	-वही-
9.	बी० वी० विजयन	डी-I/90, चाणक्यपुरी	28-4-79	-वही-
10.	निरदानन्द ठाकुर	डी-I/186, चाणक्यपुरी	25-1-81	-वही-
11.	पी० एन० वाजपाई	डी-II/28, काका नगर	31-10-69	-वही-
12.	निखिल चक्रवर्ती	डी-II/35, काका नगर	1-5-71	-वही-

1	2	3	4	5
13.	के० नटराजन	के-II/51, काका नगर	—	मूल नियम 45-क या वेतन का 10% जो कि उच्च है।
14.	दिपिता सेन	डी-II/52, काका नगर	25-7-79	-वही-
15.	के० वी० एस० रामास्वामा	डी-II/53, काका नगर	16-1-85	-वही-
16.	जे० पी० चतुर्वेदी	डी-II/55, काका नगर	2-2-64	-वही-
17.	विरेन्द्र कुमार	डी-II/56, काका नगर	4-4-78	-वही-
18.	एन० बी० लाला	डी-II/62, काका नगर	1-8-68	-वही-
19.	एस० वेंकटस	डी-II/66, काका नगर	1-2-79	-वही-
20.	एस० के० कोतरू	डी-II-83, काका नगर	13-6-79	-वही-
21.	आर० रंगाराजन	डी-II/91, काका नगर	27-3-69	-वही-
22.	ई० पी० राधाकृष्णन	डी-II/97, काका रगर	7-1-70	-वही-
23.	एन० श्रीनिवासन	डी-II/125, काका नगर	28-10-78	-वही-
24.	गिरीश माथुर	डी-II/137, काका नगर	8-5-74	-वही-
25.	ए० राघवन	डी-II/145, काका नगर	9-6-73	-वही-
26.	श्रीमती उषा राय	डी-II/161, काका नगर	1-6-82	-वही-
27.	एन० एन० मेनन	डी-II/183, काका नगर	14-11-78	-वही-
28.	डी० के० जोशी	डी-II/201, काका नगर	23-3-73	-वही-
29.	सुरिन्द्र कपूर	ए-152, पंडारा रोड	28-7-83	-वही-

30.	पी० वी० चेरकल	ए-190, पंडारा रोड	18-4-78	-वही-
31.	साधन मुखर्जी	ए-269, पंडारा रोड	—	-वही-
32.	अशिम चौधरी	बी-4, पंडारा रोड	18-10-73	-वही-
33.	टी० एस० सत्यन	बी-5, पंडारा रोड	5-11-73	-वही-
34.	पी० के० वरदराजन	बी-67, पंडारा रोड	26-10-78	-वही-
35.	गणेश शुक्ला	बी-87, पंडारा रोड	24-5-68	मार्किट किराया वेतन का 10%
36.	कसिल विक्टर	बी-105, पंडारा रोड	23-4-83	-वही-
37.	इनबीर अहमद	डी-II/1, पंडारा रोड	10-12-65	-वही-
38.	पी० नील कटैया	डी-II/6, पंडारा रोड	24-4-80	-वही-
39	एम० सी० रामास्वामी	डी-II/58, पंडारा रोड	26-10-78	-वही-
40.	एम० जी० तपेश्वरी	डी-II/71, पंडारा रोड	—	-वही-
41.	आनन्द वर्धन	डी-II/89, पंडारा रोड	13-8-84	-वही-
42.	उपेन्द्र बाजपाई	डी-II/315, पंडारा रोड	28-2-70	-वही-
43.	ए० के० किदवई	डी-II/317, पंडारा रोड	3-11-73	-वही-
44.	के० डी० सरकार	डी-II/323, पंडारा रोड	24-9-71	-वही-
45.	एच० के० दुआ	डी-II/325, पंडारा रोड	28-6-78	-वही-
46.	बी० पी० अग्रवाल	डी-II/348, पंडारा रोड	—	-वही-
47.	बी० एन० नायर	डी-II/352, पंडारा रोड	2-11-73	-वही-
48.	प्राण सबरवाल	सी-I/27, पंडारा पार्क	—	-वही-

1	2	3	4	5
49.	पी० के० एस० कुट्टी	सी-11/15, तिलक मार्ग	22-9-78	मार्किट किराया वेतन का 10%
50.	बी० एस० सांघवी	10-ए, एस० एस० पार्क	25-5-78	-वही-
51.	बी० के० माथुर	ए-21/99, लोदी रोड	3-4-81	-वही-
52.	एस० एल० टिंगरा	डी-II/13, शाहजांह रोड	30-6-83	-वही-
53.	शैलेन चटर्जी	डी-II/15, शाहजांह रोड	4-7-69	-वही-
54.	एस० शोभारमन	डी-II/15, शाहजांह रोड	27-5-73	-वही-
55.	जी० एस० छावला	डी-II/67, शाहजांह रोड	26.10.72	-वही-
56.	बी० वी० ईश्वरन्	सी-II/79, शाहजांह रोड	1-1-75	-वही-
57.	विरेन्द्र प्रभाकर	सी-II/32, जेड० एच० मार्ग	—	-वही-
58.	बी० पी० पंडित	डी-II/248, विनय मार्ग	2-4-83	-वही-
59.	एस० पी० एस० श्रीवास्तव	डी-II/296, विनय मार्ग	29-10-74	-वही-
60.	के० आर० व्यास	849, एल० बी० नगर	28-10-79	-वही-
61.	के० के० भट्ट	52, अशोका रोड	—	-वही-
62.	के० पी० श्रीवास्तव	8-1/6, पेशवा रोड	19-10-79	-वही-
63.	ए० एम० दास	36, केनिंग लेन	12-12-68	-वही-
64.	बक्कन श्रीवास्तव	सी-256, मिंटो रोड	11-2-81	-वही-

65.	अरविन्द घोष	जी-201, नानक पुरा	10-3-83	-वही-
66.	किशोर चन्द	एस-12/101, आर० के० पुरम	7-5-71	-वही-
67.	डी० पी० सबरवाल	डी-II/एम० 2800, नेताजी नगर	2-1-68	-वही-
68.	आर० के० शर्मा	डी-II/2500, नेताजी नगर	29-9-78	-वही-
69.	एस० आर० वेंकटाचलम	डी-II/50, किदवई नगर वेस्ट	18-7-80	-वही-
70.	टी० आर० चोपड़ा	डी-II/76, किदवई नगर ईस्ट	—	-वही-
71.	टी० वी० आर० सेनोय	डी-II/100, किदवई नगर ईस्ट	27-10-78	-वही-
72.	आर० सी० पांडे	डी-II/119, किदवई नगर वेस्ट	—	-वही-
73.	के० श्रीनिवासन	डी-II/127, किदवई नगर वेस्ट	14-3-67	1/2 मार्किट पर
74.	बी० एस० पदमनाभन्	डी-II/158, किदवई नगर वेस्ट	1-6-76	वेतन का 10% या 45%
75.	आर० पी० चड्ढा	डी-II/169, किदवई नगर वेस्ट	5-8-68	-वही-
76.	एन० रामाचन्द्रन	डी-II/221, किदवई नगर वेस्ट	3-5-81	-वही-
77.	आर० सुन्दरम	डी-II/152 बी, मोती बाग	27-10-64	-वही-
78.	राघुराज	डी-I/1, रविन्द्र नगर	20-10-83	-वही-
79.	चेतन चड्ढा	डी-I/6, रविन्द्र नगर	1-7-78	-वही-
80.	द्विजेन्द्र नन्दी	डी-I/21, रविन्द्र नगर	4-7-69	-वही-
81.	वी० एम० एम० कुट्टी	डी-I/25, रविन्द्र नगर	1-7-69	-वही-
82.	श्रीमती मनुहारी पाठक	डी-I/47, रविन्द्र नगर	17-5-82	-वही-
83.	राज गिल	डी-I/89, रविन्द्र नगर	1-6-79	-वही-

1	2	3	4	5
84.	नवीन चन्द्र शाह	डी-I/98, रविन्द्र नगर	26-6-69	वेतन का 10% या 45%
85.	सुभाष चन्द्र	डी-I/99, रविन्द्र नगर	10-10-80	-वही-
86.	सुमेर कौल	डी-I/115, रविन्द्र नगर	19-6-75	-वही-
87.	बी० सरकार	डी-II/145, भारती नगर	—	-वही-
88.	प्रमोद माथुर	बी-6, पंडारा रोड	12-2-85	-वही-
89.	दीपक कुमार चौधरी	जी-92, एस० एस० पार्क	—	-वही-
90.	प्रमेश्वर दयाल	1 (यू० एफ०), कालिज रोड	5-3-80	-वही-
91.	ए० डी० गुहा	बी-47, पंडारा रोड	3-7-85	-वही-
92.	शरद द्विवेदी	ए-158, पंडारा रोड	10-12-85	-वही-
93.	कृष्ण कुमार	1 (एल० एफ०), टोडरमल रोड	—	-वही-
94.	पी० रामास्वामी	डी-I/17, भारती नगर	10-11-65	-वही-
95.	स्नेह लता भाटिया	डी-II/13, काका नगर	17-8-78	-वही-
96.	आर० बी० वेदी	सी-II/41, तिलक मार्ग	6-10-71	-वही-
97.	डी० एस० मेहता	डी-II/226, चाणक्यपुरी	26-6-83	-वही-

टिप्पणी : किसी भी मामले में आबंटन की समयावधि का उल्लेख नहीं किया है।

विवरण-5

विविध श्रेणी के कब्जे में आवास का ब्योरा

क्र० सं०	वैयक्तिक/संगठन का नाम सर्व/श्री	आवंटित क्वार्टर संख्या	आवंटन/कब्जा तारीख	आवंटन अवधि
1	2	3	4	5
टाईप-IV				
1.	प्रमोद शर्मा	बी० जी०-2, पेशवा रोड	15-2-88	3 वर्ष हेतु
2.	के० एल० कौल	3 (यू० एफ०), टोदर मल रोड	20-7-87	-वही-
3.	सुरेन्द्र शर्मा	3 (एफ), एम० एस० मिन्टो रोड	8-7-88	-वही-
4.	प्रो० एस० एम० भाटिया	ए-160, पंडारा रोड	8-8-83	-वही-
5.	शिवेन्द्र सिन्हा	ए-247, पंडारा रोड	18-8-86	-वही-
6.	कुमारी सुरेखा विज	591, लक्ष्मीबाई नगर	6-7-89	-वही-
7.	आई० जे० अब्राहिम	69, सेक्टर-XII, आर० के पुरम०	21-12-87	-वही-
8.	देवकी नन्दन पाण्डे	19, लक्ष्मी बाई नगर	21-11-87	-वही-
9.	कुमारी विमला सिन्धी	14-बी, वेलिंगटन क्रिसेंट	9-6-87	विनिर्दिष्ट नहीं

1	2	3	4	5
10.	श्रीमती ललिता शर्मा	ए-24, पंडारा रोड	23-8-89	3 वर्ष हेतु
11.	के० गोपाल	ए-255, पंडारा रोड	21-3-84	-वही-
12.	हसन अहमद	बी-39, पंडारा रोड	9-11-89	-वही-
13.	कुमारी आभा	देव नगर, टाईप-सी	88	-वही-
टाईप-V				
14.	कु० राज ऊषा चोपड़ा	6-ए, टेलिग्राफ लेन	11-5-89	
15.	श्रीमती अमिता मलिक	डी-11/77, काका नगर		

विवरण-6

सामाजिक कार्यकर्ताओं की सूची जिन्हें एशियाड गांव में आबंटन किया गया है

क्र० सं०	नाम सर्व/श्री	फ्लैट नं०	आवंटन कब्जा तारीख	आबंटन अभ्युक्ति अवधि
1.	शीला चमन	एफ-I/139	4-8-87	3 वर्ष
2.	जया अरुणाचम	एफ-II/356	14-10-87	-वही-
3.	प्रमिला बालासुन्दरम्	एफ-II/357	15-12-89	-वही-
4.	अनुराधा प्रसाद	एफ-II/100	11-1-89	-वही-
5.	श्रीमती निर्मला देशपाण्डे	ए-223, पंडारा रोड	27-4-89	-वही-

टिप्पणी : श्री अमिताभ कान्त, अवर सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय को आबंटित फ्लैट नं० ई-1/789, एशियाड गांव के विरुद्ध साधारण पूल में समायोजित ।

विवरण-7

सं० 12016(2)/80-नीति-II (खण्ड-III) (i)

भारत सरकार

सम्पदा निदेशालय

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय : स्वतन्त्रता सेनानियों को साधारण पूल आवास के आवंटन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पुनरीक्षण ।

मंत्रिमंडल की आवास-समिति ने 12 सितम्बर, 1985 को आयोजित अपनी बैठक में स्वतन्त्रता सेनानियों को साधारण पूल आवास के आबंटन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पुनरीक्षण किया था और निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुमोदित किए गए हैं :

2. अखिल भारतीय स्तर के प्रतिष्ठित स्वतन्त्रता सेनानियों को साधारण पूल रिहायशी आवास आबंटित किए जा सकते हैं बशर्ते कि :

(क) उनके स्वयं के नाम पर या उनके परिवार के सदस्यों अथवा आश्रितों के नाम पर भारत में कहीं भी कोई मकान अथवा फ्लैट न हो ।

(ख) स्वतन्त्रता सेनानी के वास्तविक मेडिकल उपचार हेतु, जिसके लिए स्वतन्त्रता सेनानी

के राज्य निवास स्थान में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हों, उनके द्वारा की आवश्यकता है।

(ग) गृह मन्त्रालय द्वारा मामले की विशेषत: सिफारिश की गई हो। गृह मंत्रालय द्वारा स्वतन्त्रता सेनानी को आवास के आवंटन की अनिवार्यता का विस्तृत औचित्य दिया जाना चाहिए तथा प्रभारी मंत्री, गृह मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

(घ) आवास का प्रकार टाईप-डी और उससे नीचे सीमित होगा।

(ङ) अनुज्ञप्ति शुल्क मूल नियम 45क के अन्तर्गत वसूल किया जाएगा और आवंटन की अवधि उस समय तक सीमित होगी जिसके लिए स्वतन्त्रता सेनानी का दिल्ली में मेडिकल उपचार किया जाना है। इसकी अधिकतम अवधि दो वर्ष तक हो सकती है।

3. उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए सभी आवंटनों का पुनरीक्षण किया जाए। भविष्य में आवंटन भी उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सुनिश्चित किए जाएं।

हस्ता०/-

(वी० एस० रामन)

सम्पदा उप-निदेशक

सेवा में,

1. सहायक सम्पदा निदेशक (सी० डी० एन० 1 अनुभाग)।
2. सम्पदा निदेशालय में सभी आवंटन अनुभाग, हास्टल/रिजन अनुभाग।
3. सभी उप-निदेशक।
4. गृह मंत्रालय (श्री ई० एन० सिंह, अवर सचिव) (स्वतन्त्रता सेनानी अनुभाग)।
5. श्री एच० आर० गोयल, उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।

विवरण-8

गोपनीय

सं० 12016/2/80-नीति-II (भाग) (ii)

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

संपदा निदेशालय

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ख्याति प्राप्त कलाकारों को साधारण पूल आवास के आवंटन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पुनरीक्षण।

मंत्रिमंडल की आवास समिति ने 12 सितम्बर, 1985 को आयोजित अपनी बैठक में

ख्याति प्राप्त कलाकारों को साधारण पूल आवास के आबंटन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पुनरीक्षण किया था और निम्नलिखित परिशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुमोदित किए गए हैं :

2. 15 तक ख्याति प्राप्त कलाकारों को साधारण पूल आवास आबंटित किए जा सकते हैं बशर्ते कि :

(क) उनके स्वयं के अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य अथवा आश्रित के नाम भारत में कहीं भी कोई मकान अथवा भूखंड न हो;

(ख) प्रभारी मंत्री के अनुमोदन सहित संस्कृति विभाग और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक मामले में विशिष्ट रूप से सिफारिश की गई है।

(ग) कलाकार का समाज के प्रति उपयोगी योगदान हो और सभी स्रोतों से उनकी कुल आय रुपये 3,000 प्रतिमाह से अधिक न हो;

(घ) आवास का प्रकार टाइप-डी अथवा उसके नीचे का होना चाहिए;

(ङ) उच्चतर टाइप में किए गए मौजूदा आबंटनों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए;

(च) विभागीय प्रभारों सहित अनुज्ञप्ति शुल्क मूल नियम 45-ख के अन्तर्गत प्रभारित किया जाना चाहिए;

(छ) आबंटन की अवधि तीन वर्ष होगी और आबंटन के मामलों का तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षण किया जाए।

अनुरोध है कि सभी मौजूदा आबंटनों का पुनरीक्षण किया जाए और पूर्णतः यह सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रिमंडल की आवास समिति के उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही आबंटन किए जाते हैं।

हस्ता०/-

(के० एस० रामन)

संपदा उप-निदेशक

प्रतिलिपि अंग्रेजी पाठ के अनुसार प्रस्तुत।

विवरण-9

गोपनीय

सं० 12016(2)/89-नीति-II (खंड-III) (vii)

भारत सरकार

सम्पदा निदेशालय

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय : विविध श्रेणियों के व्यक्तियों (राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के उपयोगी कार्य में लगे व्यक्ति) को साधारण पूल आवास के आबंटन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पुनरीक्षण।

मंत्रिमंडल की आवास समिति की 12 सितम्बर, 1985 को आयोजित बैठक के समक्ष

राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के उपयोगी कार्यों में लगे व्यक्तियों को साधारण पूल आवास के आबंटन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त विचारार्थ रखे गए थे और समिति द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुमोदित किए गए हैं :

(क) मौजूदा निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के उपयोगी कार्यों में लगे इन श्रेणियों के व्यक्तियों को कुल 15 तक मकान आबंटित किए जा सकते हैं, बशर्ते कि :

(i) उसका या परिवार के किसी सदस्य का अथवा आश्रित व्यक्ति का दिल्ली में अपना मकान या कोई भू-खंड न हो;

(ii) प्रभारी मंत्री के अनुमोदन सहित सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा मामले की विशेष रूप से सिफारिश की गई हो;

(iii) सभी स्रोतों से व्यक्ति की कुल आय 3,000 रुपये प्रति माह से अधिक न हो;

(iv) आवास का प्रकार टाईप-डी तक प्रतिबंधित होगा;

(v) विभागीय प्रभारों सहित अनुज्ञप्ति शुल्क मूल नियम 45-ख के अन्तर्गत प्रभारित किया जाएगा;

(vi) संबंधित व्यक्ति सरकारी अथवा किसी अर्द्ध-सरकारी/गैर-सरकारी संगठन में नियमित सेवा में न हो;

(vii) आबंटन की अवधि तीन वर्ष के लिए होगी औक इसके पश्चात् समयावधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के सन्दर्भ में सभी मौजूदा मामलों का पुनरीक्षण किया जाए तथा अनुवर्ती कार्रवाई की जाए और भविष्य में पूर्णत: सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रि-मंडल की आवास समिति द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही आबंटन किए जाते हैं।

हस्ता०/-

(बी० एस० रामन)

सम्पदा उप-निदेशक

सेवा में,

1. सहायक निदेशक (समन्वय-1)।

2. होस्टल/रिजन अनुभागों सहित सभी आबंटन अनुभाग।

3. सभी सम्पदा उप-निदेशक।

विवरण-10

सं० 12016(1)/89-नीति-II

भारत सरकार

सम्पदा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 11-7-90

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मान्य प्रेस संवाददाताओं और पत्रकारों को साधारण पूल आवास के आबंटन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का पुनरीक्षण ।

मन्त्रिमण्डल द्वारा अपनी 9-5-90 को आयोजित बैठक में मान्य प्रेस संवाददाताओं तथा पत्रकारों को प्रेस पूल से आवास के आबंटन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का पुनरीक्षण किया गया था। मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया कि मौजूदा पूल के 110 रिहायशी एककों, जिनको कि पहले 103 एककों तक कम कर दिया गया था, को मान्य प्रेस संवाददाताओं और समाचार कैमरामैन के लिए आवास की व्यवस्था के निमित्त निम्नलिखित शर्तों की शर्त पर 120 एककों तक बढ़ा दिया जाए :—

(क) उसके स्वयं के नाम पर अथवा उसके परिवार के सदस्य या आश्रितों के नाम पर दिल्ली में आबंटन के समय या उसके बाद कोई मकान न हो।

(ख) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति की सिफारिशों पर ध्यान देने के पश्चात् मामले को अन्तिम रूप दिया जाएगा। जांच समिति के प्रमुख प्रधान सूचना अधिकारी होंगे जिनमें संयुक्त सचिव/अवर सचिव (सम्पदा) और सम्पदा निदेशक पदेन सदस्य होंगे तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मनोनीत किए जाने वाले चार पत्रकार सदस्य होंगे।

(ग) वह भारतीय प्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संवाददाता हो और न कि किसी विदेशी प्रेस/मिडिया का।

(घ) वाहन भत्ते को छोड़कर संबंधित व्यक्ति 3000/- रुपये तक का वेतन ले रहा हो; और

(ङ) इन आबंटियों के ऐसे आबंटिति जो 3000/- रुपये की परिलब्धियां ले रहे हैं उनसे मूल नियम 45-क के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति शुल्क या मूल नियम 45-क के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति शुल्क की समान दर, जो भी अधिकतम हो, प्रभारित की जाएगी। जो 3000/- रुपये प्रति माह से ज्यादा ले रहे हैं उनसे विशेष अनुज्ञप्ति शुल्क प्रभारित किया जाएगा जहां वे विगत में आबंटित आवास का कब्जा लिए हुए हों।

(च) कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर आवास का प्रकार निर्धारित किया जाएगा

लेकिन टाईप-V-ए या उससे नीचे की टाईपों तक प्रतिबंधित होगा; टाईप-V-ए से उच्चतर आवास के आबंटियों को टाईप-V-ए आवास आवास आबंटित किए जा सकते हैं यदि वे अन्यथा तत्काल पात्र हों।

(छ) आबंटन की अवधि तीन वर्ष तक होगी; इसके पश्चात स्थिति का पुनरीक्षण किया जाए।

(ज) मान्य प्रेस संवाददाताओं/समाचार कैमरामैनों का आवधिक पुनरीक्षण किया जाएगा। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और सम्पदा निदेशालय को परिवर्तनों, यदि कोई हों, के बारे में सूचित किया जाएगा ताकि वे आबंटन निरस्तीकरण में समर्थ हों।

(झ) प्रेस पूल/साधारण पूल के आबंटन हेतु समाचार-पत्र का कोई सम्पादक पात्र नहीं माना जाए।

(ञ) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची को ध्यान में रखकर आबंटन किया जाएगा।

2. अनुरोध है कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उपर्युक्त वर्णित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाए।

हस्ता०/-

(एच० एल० भाटिया)

सम्पदा उप-निदेशक (नीति)

सेवा में,

1. आबंटन अनुभागों के सहायक निदेशक।

2. समन्वय-I अनुभाग।

3. सम्पदा निदेशालय में सभी उप-निदेशक।

प्रतिलिपि प्रेषित :—

1. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय।

2. प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

3. मन्त्रिमण्डल सचिवालय।

हस्ता०/-

(मुनिश गिरधर)

सम्पदा सहायक निदेशक (नीति-II)

विवरण-11

सं॰ 12035(13)/84 नीति-II

भारत सरकार

सम्पदा निदेशालय

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13-1-87

कार्यालय ज्ञापन

विषय : एशियाड ग्राम में विशेष श्रेणी के सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को आबंटन के लिए फ्लैटों को अलग रखना।

सरकार ने एशियाड ग्राम में दिल्ली विकास प्राधिकरण से 150 फ्लैट खरीदे हैं। विभिन्न श्रेणियों के सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को फ्लैटों क आबंटन के प्रश्न पर विचार किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा आबंटन करने के लिए जो निर्णय लिया गया वह इस प्रकार है :—

क्र॰ सं॰	श्रेणी	फ्लैटों की संख्या
1.	वैज्ञानिक तथा शिल्प वैज्ञानिक जिन्हें सरकार की सेवा में अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा अथवा अनुसन्धान संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा।	60
2.	विख्यात शिक्षाविद/प्रबन्धक/प्रशासक, जिनकी सरकार को, तदर्थ नियुक्ति पर, अल्प अवधि के लिए आवश्यकता पड़ेगी अथवा जवाहरलाल नेहरू शोधवृत्ति जैसी, शोधवृत्ति प्रदान की गई हो बशर्ते कि आबटन की अवधि से अधिक नहीं होगी अथवा शोधवृत्ति की अवधि जो भी कम हो।	30
3.	संगीत, नृत्य तथा अन्य विशेष विधाओं से संबंधित अखिल भारतीय स्तर के सुप्रसिद्ध कलाकार।	20
4.	सामाजिक कार्यकर्ता, विशेष रूप से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की महिलाएं।	20

2. इन फ्लैटों के आबंटन के लिए दिशा निर्देश इस प्रकार हैं :—

(1) **वैज्ञानिक/शिल्प वैज्ञानिक :**

(i) ऐसे वैज्ञानिक/शिल्प वैज्ञानिक जिनकी अनुबन्धित आधार पर भारत सरकार की सेवा में नियुक्ति की जाती है अथवा अनुसन्धान संस्थानों/विश्वविद्यालयों आदि से उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली जाती हों।

(ii) उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी भी आश्रित सदस्य के पास दिल्ली में अपना कोई मकान/फ्लैट न हो।

(iii) मामले की सिफारिश, सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग द्वारा सम्बन्धित सचिव/मन्त्री के अनुमोदन से की जाती है।

(iv) आबंटित किए जाने वाले आवास की किस्म का निर्णय वैज्ञानिकों/शिल्प वैज्ञानिकों के वेतन के आधार पर लिया जाता है।

(v) अनुज्ञप्ति फीस, सामान्य दर पर वसूल की जाएगी जैसे कि उसी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।

(2) **विख्यात शिक्षाविद/प्रबन्धक/प्रशासक आदि :**

(i) ऐसे शिक्षाविद/प्रबन्धक/प्रशासकों को जिनकी सेवाओं की तदर्थ नियुक्ति अल्प अवधि के लिए सरकार को आवश्यकता पड़ती है अथवा जवाहर लाल नेहरू शोधवृत्ति जैसी, शोधवृत्ति प्रदान की जाती है।

(ii) उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी भी आश्रित सदस्य के पास दिल्ली में अपना कोई मकान/फ्लैट न हो।

(iii) अनुज्ञप्ति फीस, इसी प्रकार के श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों से वसूल की जाने वाली दरों पर वसूल की जाएगी।

(iv) आबंटन की अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी अथवा शोधवृत्ति की अवधि जो भी कम हो।

(v) मामले की सिफारिश सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग द्वारा सचिव/मन्त्री के अनुमोदन से की जाती है।

(3) **सुप्रसिद्ध कलाकार :**

(i) वह व्यक्ति संगीत, नृत्य तथा अन्य सम्बन्धित विधाओं में अखिल भारतीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध कलाकार होना चाहिए।

(ii) वह अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य अथवा आश्रित दिल्ली में मकान/फ्लैट का स्वामित्व नहीं रखता हो/रखती हो।

(iii) मामला संस्कृति विभाग अथवा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा प्रभारी मन्त्री के अनुमोदन के साथ विशेष रूप से अनुशासित होना चाहिए।

(iv) ऐसे कलाकार जो समाज को उपयोगी योगदान प्रदान करते हैं तथा उनकी सभी स्रोतों से मासिक आय 3000/- रुपये से अधिक न हो।

(v) आवास की किस्म दो शयन कक्ष वाला (टू बे डस्ट) फ्लैट (टाइप-डी) होना चाहिए।

(vi) आबंटन की अवधि तीन वर्षों की होगी तथा प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् मामले की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

(vii) अनुज्ञप्ति शुल्क (लाइसेंस फीस) विभागीय प्रभारों सहित मूल नियम 45-ख के तहत प्रभारित किया जाएगा।

(4) सामाजिक कार्यकर्त्ता विशेषकर राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त महिलाएं :

(i) सम्बन्धित व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के उपयोगी कार्य में लगा हुआ होना चाहिए तथा सुप्रसिद्ध संगठनों से संबंधित होना चाहिए।

(ii) उस व्यक्ति अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य अथवा आश्रित व्यक्ति के पास दिल्ली में अपना मकान/फ्लैट नहीं होना चाहिए।

(iii) मामला संबंधित मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से विशेष रूप से अनुशासित किया गया हो।

(iv) व्यक्ति की सभी स्रोतों से कुल आय 3000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(v) आवास की किस्म दो बेडरूम फ्लैट (टाइप-डी) तक ही सीमित होगी।

(vi) आबंटन की अवधि 3 वर्ष की होगी।

(vii) अनुज्ञप्ति शुल्क विभागीय प्रभारों के साथ मूल नियम 45-ख के अन्तर्गत वसूल किया जाएगा।

3. उपर्युक्त दिशा-निर्देश मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में इस अनुरोध के साथ लाए जाते हैं कि यदि, उनके पास उपर्युक्त दिशा-निर्देशों से पूर्णतया संबंध रखने वाला कोई मामला पड़ा हो तो, वे कृपया एशियाई खेल गांव में फ्लैट आबंटन हेतु उसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ भिजवाने की व्यवस्था करें। सरकारी अधिकारियों के संबंध में आवेदन विधिवत भरे गए डी० ई० II फार्म के साथ तथा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के बाद भेजे जाने चाहिए।

हस्ता०/-

(आई० चौधरी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(सचिवों के नाम द्वारा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :—

1-5- × × ×

हस्ता०/-

(वी० एस० रमण)

सम्पदा उप-निदेशक (पी)

आपथल्मिक और आप्टिकल ग्लास की मांग

21. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आपथल्मिक और आप्टिकल ग्लास की वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) इन ग्लासों की कितनी मात्रा का उत्पादन देश में होता है और कितनी मात्रा का आयात किया जा रहा है;

(ग) आपथल्पिक और आप्टिकल ग्लासों के आयात पर कुल कितनी लागत आती है;

(घ) क्या इनके उत्पादन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ताकि विदेशी मुद्रा में बचत की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) आपथल्मिक ग्लास की अनुमानित मांग 1200 मी० टन प्रतिवर्ष और आप्टिकल ग्लास की मांग 300 मी० टन प्रतिवर्ष है।

(ख) से (घ) सिर्फ मै० भारत आपथल्मिक ग्लास लि० इन मदों की निर्माण करने वाली यूनिट है। इनका औसत उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 65 मी० टन है। देश में आपथल्मिक ग्लास और आप्टिकल ग्लास के आयात की कुल लागत 20 करोड़ रुपये से अधिक है जिसकी मात्रा 1435 मी० टन प्रतिवर्ष है।

(ङ) मै० भारत आपथल्मिक ग्लास लि० ने सूचित किया है कि निरन्तर प्रक्रिया प्रौद्योगिकी पर आधारित 1000 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता का एक संयंत्र लगाने की उनकी योजना है जो देश की आप्टिकल ग्लास सहित सभी प्रकार के आपथल्मिक ग्लासों की जरूरत को पूरा करेगा और इससे लगभग 20 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान

22. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने की कार्य विधि का विवरण क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसा कोई उपाय किया है जिससे पीड़ितों को बिना किसी खास परेशानी के उनका मुआवजा मिल सके;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस शिकायत की जांच की है कि गैस पीड़ितों के लिए राहत कोष की धनराशि का दुरुपयोग अन्य कार्यों जैसे शहर को सुन्दर बनाने के लिए किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) मुआवजा के अधिनिर्णय और वितरण की प्रक्रिया भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कारंवाई) अधिनियम, 1985 और उसके अन्तर्गत तैयार की गई योजना में निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार एक कल्याण आयुक्त होगा जिसको उचित सहायता प्राप्त होगी और वह अलग-अलग मामलों पर कारंवाई करेगा। कल्याण आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है और अधिनिर्णय की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय द्वारा कारंवाई शुरू करने के लिए निर्धारित तिथि 3 फरवरी, 1992 तक आरम्भ होगी।

(ग) और (घ) अनुमोदित कार्य योजना में भोपाल को सुन्दर बनाने का काम शामिल नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस काम के लिए कोई व्यय नहीं किया गया है। स्लम बस्तियों में प्राथमिक सुविधाएं प्रदान करने के कार्यक्रम पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत चलाए जा रहे हैं। 79-80

जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि का नियतन

23. **प्रो० उम्मा रेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार रोजगार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों के स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष रूप से धनराशि का नियतन करती है;

(ख) क्या इस योजना के वांछित परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थानीय निकायों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग अथवा दुर्विनियोजन के मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को भारत सरकार द्वारा निधियों का आबंटन किया जाता है लेकिन ये निधियां राज्य सरकारों के माध्यम से आबंटित की जाती हैं।

(ख) और (ग) योजना के अन्तर्गत निष्पादन की निगरानी रोजगार के सृजित श्रमदिवसों के रूप में की जाती है। रोजगार सृजन के निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों को देखकर यह कहा जा

सकता है कि इसके वांछित परिणाम सामने आये हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान योजना के तहत रोजगार सृजन के निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का विवरण नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	रोजगार सृजन		उपलब्धि प्रतिशत
	लक्ष्य	उपलब्धि	
1989-90	8757.25	8643.87	98.71
1990-91	9291.04	8736.58	94.03

(ख) जब कभी भारत सरकार को ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई जवाहर रोजगार योजना की निधियों के दुरुपयोग किए जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन शिकायतों को उचित उपचारी कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा ऐसी शिकायतों पर की गई कार्रवाई के ब्यौरों की निगरानी नहीं रखी जा रही है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में कमीशन एजेंटों की नियुक्ति

24. **डा० असीम बाला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के प्रबन्ध ने सरकारी और अर्ध सरकारी अस्पतालों के कार्यों के लिए कमीशन एजेंटों की नियुक्ति कब से शुरू कर दी है और वर्षवार इन एजेंटों को, इनकी नियुक्ति से लेकर मार्च, 1991 तक कितने कमीशन का भुगतान किया गया, और

(ख) कमीशन एजेंटों की नियुक्ति के पश्चात् पिछले वर्षों जब कमीशन एजेंटों की नियुक्ति नहीं की गयी थी अर्थात् 1985-86, 1986-87 और 1987-88 की तुलना में 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में बिक्री की क्या स्थिति रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन

25. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा जैसे बाढ़ प्रवण और पिछड़े राज्यों में कृषि के सुव्यवस्थित विकास हेतु डी० पी० ए० पी० के समान कोई बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के समान बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए एक अलग योजना आरम्भ करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

[हिन्दी]

अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकरण

26. श्री बारे लाल जाटव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत श्रेणीवार कुल कितने पंजीकरण किये गये हैं;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत आज तक कुल कितने पंजीकृत व्यक्तियों को आवास का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या उक्त योजना में जिन व्यक्तियों को आवास का आबंटन नहीं किया गया है, उन्हें कुछ अन्य योजनाओं के अन्तर्गत फ्लैट आबंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग श्रेणी के फ्लैटों के लिए 10,000 व्यक्ति तथा जनता श्रेणी के फ्लैटों के लिए 3,000 व्यक्ति पहले से ही पंजीकृत हैं । मध्यम आय वर्ग श्रेणी के लिए 7,000 व्यक्तियों को अभी पंजीकृत किया जाना है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को अब तक कोई फ्लैट आबंटित नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) अम्बेडकर आवास योजना में कुल 20,000 व्यक्तियों के पंजीकरण का लक्ष्य है और अतः, असफल आवेदकों को किसी अन्य योजना के तहत फ्लैट आबंटित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

27. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री राजवीर सिंह :
श्री राम नाईक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है;

(ख) गत वर्ष के मूल्यों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1990 की तुलना में अक्तूबर, 1991 में चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में आए प्रतिशत उतार-चढ़ाव को दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, खरीफ और रबी दोनों फसलों (जैसे धान, गेहूं, दालें और तिलहन इत्यादि) के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि, दालों जैसी वस्तुओं में मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि आदि के संचित प्रभाव के कारण हुई कही जा सकती है।

(ग) और (घ) वर्तमान सरकार मूल्य वृद्धि को उचित सीमा में रखने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि पर रोक लगाने, शीघ्र प्रभावित होने वाली वस्तुओं का मांग-प्रबंध सुनिश्चित करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने, जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा इस बीच अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को मॉनीटर करने तथा उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयोजन से सरकार ने केंद्रीय वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में मूल्य सम्बन्धी एक मन्त्रिमण्डल समिति गठित की है। सरकार ने खुले बाजार में बिक्री हेतु 3 लाख मी० टन० गेहूं पहले ही निर्मुक्त कर दिया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तंत्र के जरिए वितरण हेतु पामोलीन तेल का आयात किया है। थोक मूल्य सूचकांकों में सितम्बर, 1991 के प्रथम सप्ताह से मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में कमी देखी गई है।

विवरण

चुनी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव का प्रतिशत

वस्तु	प्रतिशत उतार-चढ़ाव चालू वर्ष (अक्तू०, 91/अक्तू, 90)	प्रतिशत उतार-चढ़ाव गत वर्ष (अक्तू०, 90/अक्तू०, 89)
1	2	3
चावल	+ 21.3	+ 4.9
गेहूं	+ 19.8	+ 9.7
ज्वार	+ 61.5	− 20.9
बाजरा	+ 62.6	+ 4.7
चना	— 10.2	− 1.4
अरहर	+ 20.2	+ 26.6

1	2	3
मूंग	+ 18.4	— 1.2
मसूर	+ 22.8	+ 6.9
उड़द	+ 20.6	+ 2.4
आलू	+ 44.4	+ 33.5
प्याज	+ 11.5	+ 65.8
दूध	+ 10.4	+ 2.8
मछली	— 2.0	+ 25.8
गोश्त	+ 11.4	+ 7.8
मिर्च (सूखी)	+ 249.8	— 40.8
चाय	— 9.3	— 3.0
कोक	स्थिर	स्थिर
मिट्टी का तेल	— 0.1	+ 12.1
आटा	+ 17.5	+ 1.7
चीनी	+ 11.2	— 3.5
गुड़	— 0.5	— 2.4
नमक	+ 24.9	+ 7.0
वनस्पति	+ 9.5	+ 28.6
सरसों का तेल	+ 22.5	+ 51.5
नारियल का तेल	+ 40.6	+ 27.1
मूंगफली का तेल	+ 17.9	+ 29.9
सूती कपड़ा (मिल का)	+ 13.9	+ 7.7
कपड़े धोने का साबुन	+ 10.2	+ 2.5
दियासलाइयां	स्थिर	स्थिर
समग्र वस्तुएं	+ 14.0	+ 8 9

[अनुवाद]

पट्टा प्रणाली की समाप्ति

28. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली तथा चंडीगढ़ में पट्टा प्रणाली समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को अभी तक कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर 500 वर्ग मीटर आकार तक के प्लाटों, डी० डी० ए० फ्लैटों तथा ग्रुप हाऊसिंग द्वारा निर्मित फ्लैट के सम्बन्ध में लीज होल्ड अधिकारों को फ्री-होल्ड में परिवर्तन के आदेश 11-3-1991 को जारी किए गए थे। इन आदेशों के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्षेत्र तथा विस्तृत रूपात्मकताएं सरकार के विचाराधीन हैं।

कोका कोला को अनुमति

29. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला और उसकी सहयोगी कम्पनियों ने भारत में अपने ब्रांड नाम के अन्तर्गत उत्पादन कार्य आरम्भ करने की अनुमति के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस प्रस्ताव को किन मानदंडों के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) हांगकांग स्थित कम्पनी मै० जे० एम० आर० पी० सी० ओ० ने, जिसके पास एन० आर० आई० की अधिक इक्विटी और मै० कोका-कोला दक्षिण-एशिया की कम इक्विटी है, मुख्यतः निर्यात प्रयोजन से लिए विभिन्न प्रकार के नाश्ता आहार और "कोकाकोला", "फैन्टा", "स्प्राइट" आदि पंजीकृत ट्रेड मार्क्स के अधीन स्वदेशी बिक्री के लिए गैर-एल्कोहालिक पेय क्षारक/सम्मिश्रण तैयार करने के लिए मै० ब्रिटेनियां इंडस्ट्रीज लिमिटेड और महाराष्ट्र राज्य सरकार के एक उपक्रम के सहयोग से महाराष्ट्र के पिछड़े जिले में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना का एक प्रस्ताव हाल ही में विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ० आई० पी० बी०) को प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव की विदेशी पूंजी-निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है।

85-92

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में चीनी मिलों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना

30. श्री विलासराव नागनाथराव गुन्डेवार : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में चीनी मिलों की स्थापना के लिए 1 जनवरी, 1991 से आज तक कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; कितने आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है तथा इन मिलों को किन-किन जिलों में स्थापित किया जाएगा;

(ग) उक्त अवधि में कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए; और

(घ) इन लाइसेंसों को जारी करने के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए 1 जनवरी, 1991 से 31-10-1991 तक 2 आशय पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में 1 जनवरी, 1991 से 30 सितम्बर, 1991 तक नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु 42 लम्बित विचारार्थ आवेदन पत्रों की जिलेवार स्थिति विवरण-1 पर है।

(ग) शून्य।

(घ) उपरोक्त 2 आशय पत्र सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत जारी किए गए थे जिसकी प्रति विवरण-2 पर है।

केन्द्र सरकार ने चीनी वर्ष 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97) के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अभी हाल ही में घोषणा की है, जिसकी प्रति विवरण-3 पर है।

विवरण-1

महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी फैक्टरियों की स्थापना के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु 1 जनवरी से 30 सितम्बर, 1991 तक प्राप्त आवेदनपत्रों, जो विचारार्थ लम्बित हैं, की जिलेवार स्थिति

क्र० सं०	जिले का नाम	विचारार्थ लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	परभनी	1

1	2	3
2.	कोल्हापुर	2
3.	बीड	3
4.	औरंगाबाद	6
5.	चंद्रपुर	1
6.	उस्मानाबाद	1
7.	गडचिरोली	1
8.	लटूर	2
9.	सांगली	2
10.	अहमदनगर	2
11.	सोलापुर	5
12.	अमरावती	1
13.	यवतमाल	2
14.	पुणे	2
15.	जालना	3
16.	सतारा	2
17.	जलगांव	1
18.	नांदेड	3
19:	बुलधाना	2
	कुल	42

विवरण-2

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

प्रेस नोट सं० 1

(1987 सिरीज)

विषय : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त।

सरकार ने गन्ने के और विकास के लिए संभाव्यता के साथ गन्ने की आश्वासित उपलब्धता के क्षेत्रों में चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और चीनी फैक्ट्रियों का विस्तार करने के लिए

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय किया है।

2. इस सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले मुख्य-मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे दिए जाते हैं :

(1) नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए पहले सहकारी क्षेत्र को और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के लाइसेंस देने की छठी योजनावधि के दौरान अपनाई गई नीति सातवीं योजनावधि में भी जारी रहेगी। तथापि, ऐसे क्षेत्रों में जहां के लिए इन दोनों क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं, उस दशा में निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

(2) नयी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मूल कसौटी प्रस्तावित फैक्ट्री स्थान के इर्द-गिर्द के सुसम्बद्ध क्षेत्र में गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता होगी। गन्ने की खेती के लिये सम्भाव्यता केवल अतिरिक्त घटक होगा।

(3) ऐसे स्थानों में जहां एक ही जिले में भारी संख्या में चीनी फैक्ट्रियां स्थित हैं, उस जिले में किसी मौजूदा फैक्ट्री की क्षमता में विस्तार करने अथवा नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के अनुरोध पर विचार करने से पहले राज्य सरकारों को प्रत्येक मौजूदा चीनी फैक्ट्री के लिए गन्ना क्षेत्रों के उचित जोन बनाने चाहिए। राज्य सरकारों को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन ऐसे क्षेत्रों के आरक्षण को विनियमित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(4) वर्तमान क्षमता और भावी विस्तार के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ने की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान यूनिट के 40 किलोमीटर के दायरे में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए सामान्यतया कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

(5) जहां तक सातवीं योजनावधि के दौरान नए चीनी यूनिटों को प्रारंभिक लाइसेंसशुदा क्षमता और मौजूदा यूनिटों के विस्तार के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस का सम्बन्ध हैं, नये यूनिटों को 2500 टी० सी० डी० की प्रारंभिक क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे और गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता की शर्त पर मौजूदा यूनिटों में 3500 टी० सी० डी० तक विस्तार करने की अनुमति दी जाएगी।

मौजूदा यूनिटों में अधिकतम 5000 टी० सी० डी० तक विस्तार करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि 3500 टी० सी० डी० से अधिक गन्ने की अतिरिक्त आवश्यकता को बढ़ाई गई उत्पादकता से और न कि गन्ने के अधीन क्षेत्र को बढ़ाकर पूरा किया जाता है।

(6) गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त को पूरा करने पर पिछड़े हुए क्षेत्र में नये चीनी यूनिट स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने को अग्रता दी जाएगी।

(7) नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और मौजूदा यूनिटों का विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक

अनुमोदन सचिवालय को भेजने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आवेदन पत्र भेजते समय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित फैक्ट्री क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता स्थिति के स्पष्ट और व्यापक ब्यौरों सहित अपनी विशिष्ट सिफारिशें भेजी जानी चाहिएं।

हस्ता०/-
(पी० के० एस० अय्यर)
निदेशक

फा० संख्या 10/133/86-एल० पी० नई दिल्ली, 2-1-1987

प्रेस सूचना ब्यूरो से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रेस नोट का व्यापक प्रचार करें।

प्रेस सूचना ब्यूरो,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

विवरण-3

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

प्रेस नोट सं० 16

(1991 श्रृंखला)

विषय : चीनी वर्ष 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93—1996-97) के लिए नई चीनी फैक्ट्रियों तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु लाइसेंस देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

(क) इस मंत्रालय के दिनांक 23-7-90 के प्रेस नोट संख्या 4 (1990 श्रृंखला) के तहत नई चीनी फैक्ट्रियों तथा मौजूदा फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए लाइसेंस देने हेतु जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों की भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गई है। उपरोक्त प्रेस नोट का अधिक्रमण करते हुए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न प्रकार बनाए गए हैं :—

(1) 2500 टन दैनिक गन्ना पेराई की न्यूनतम आर्थिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाने जारी रहेंगे। ऐसी क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी।

तथापि भारत सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि जलवायु आधार पर गन्ना विकास के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए गए क्षेत्रों में सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में 1750 टी० सी० डी० की प्रारंभिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाएंगे बशर्ते कि ये इकाइयां उत्पादन प्रारंभ करने के 5 वर्ष के भीतर अपनी क्षमता में 2500 टी० सी० डी० तक विस्तार कर लें।

(2) नई चीनी फैक्ट्रियों को इस शर्त पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे कि प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्री तथा मौजूदा/पहले लाइसेंस दी गई चीनी फैक्ट्री के बीच की दूरी 25 कि० मी० होनी चाहिए। विशेष मामलों में जहा गन्ना पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो 25 कि० मी० की दूरी को कम करके 15 कि०मी० किया जा सकता है।

(3) नई चीनी इकाइयों के लिए लाइसेंस प्रदान करने का मूल मानदंड उनकी व्यवहार्यता होगा जिसमें मुख्य रूप से गन्ना उपलब्धता और गन्ना विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

(4) सभी नए लाइसेंस इस अनुबद्धता पर दिए जाएंगे कि गन्ने की कीमत सुक्रोज तत्वों के आधार पर देय होगी।

(5) अन्य बातों के समान रहने पर निजी क्षेत्र की तुलना में क्रमश: सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

किसी क्षेत्र से एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में पहले प्राप्त हुए आवेदन पत्र को वरीयता दी जाएगी ऐसे मामलों में भी क्रमश: सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा इसके बाद निजी क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी चाहे पहले दो-नों क्षेत्रों के आवेदन पत्र बाद की तारीख में प्राप्त हुए हों।

(6) 2500 टी० सी० डी० से कम क्षमता वाली चीनी फैक्ट्रियों को उपर्युक्त न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार के लिए वरीयता दी जानी जारी रहेगी।

(7) नई इकाइयों और विस्तार परियोजनाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात् 1996-97 तक सृजित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(8) नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय शीरे के प्रयोग अर्थात् औद्योगिक अल्कोहल आदि के लिए डाउन स्ट्रीम इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस शीघ्रता से दिए जाएंगे।

(ख) लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रों की सर्वप्रथम खाद्य मंत्रालय की जांच समिति द्वारा जांच की जाएगी। ऐसे आवेदन पत्रों की जांच करते समय संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के विचार भी मांगे जाएंगे। राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को अपनी टिप्पणी खाद्य मन्त्रालय से प्राप्त पत्र के तीन मास के भीतर भेजनी होगी।

(ग) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा वर्तमान इकाइयों में विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र फार्म आई० एल० में सीधे औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजे जाने चाहिए। इसके साथ 2500 रुपये की निर्धारित फीस भी भेजी जानी चाहिए। इसकी एक प्रति खाद्य मंत्रालय को भी भेजी जाए।

(घ) उपरोक्त प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांत उद्यमियों के ध्यान में सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए लाए जा रहे हैं।

ह०/-

(एस० भवानी)

उप सचिव, भारत सरकार

एफ सं० 10 (74) 91-एल० पी० नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1991

उपरोक्त प्रैस नोट की विषयवस्तु व्यापक प्रचार के लिए प्रेस सूचना कार्यालय को अग्रेषित।

प्रधान सूचना अधिकारी,
प्रधान सूचना कार्यालय,
नई दिल्ली

[अनुवाद]

लाइसेंस जारी करने के मानदंडों की समीक्षा

31. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा लाइसेंस जारी करने के संबंध में निर्धारित मानदंडों की समीक्षा करने और चीनी तथा गन्ने के मूल्य ढांचे को युक्तियुक्त बनाने हेतु चीनी उद्योग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का चीनी उद्योग में लाइसेंस जारी किए जाने संबंधी मार्ग-निर्देशों मे परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार द्वारा 23-7-90 के प्रेस नोट के तहत पहले जारी किए गए लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा की गई थी तथा 8-11-91 के प्रेस नोट के तहत संशोधित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा की गई है, जिसकी प्रति संलग्न विवरण में है।

विवरण

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

प्रेस नोट सं० 16

(1991 श्रृंखला)

विषय : चीनी वर्ष 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93—1996-97) के लिए नई चीनी फैक्ट्रियों तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु लाइसेंस देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

(क) इस मंत्रालय के दिनांक 23-7-90 के प्रेस नोट संख्या 4 (1990 श्रृंखला) के तहत नई चीनी फैक्ट्रियों तथा मौजूदा फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए लाइसेंस देने हेतु जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों की भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गई है। उपरोक्त प्रेस नोट का अधिक्रमण करते हुए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न प्रकार बनाए गए हैं :—

(1) 2500 टन दैनिक गन्ना पेराई की न्यूनतम आर्थिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाने जारी रहेंगे। ऐसी क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी।

तथापि भारत सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि जलवायु आधार पर गन्ना विकास के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए गए क्षेत्रों में सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में 1750 टी० सी० डी० की प्रारंभिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाएंगे बशर्ते कि ये इकाइयां उत्पादन प्रारंभ करने के 5 वर्ष के भीतर अपनी क्षमता में 2500 टी० सी० डी० तक विस्तार कर लें।

(2) नई चीनी फैक्ट्रियों को इस शर्त पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे कि प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्री तथा मौजूदा/पहले लाइसेंस दी गई चीनी फैक्ट्री के बीच की दूरी 25 कि० मी० होनी चाहिए। विशेष मामलों में जहां गन्ना पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो 25 कि० मी० की दूरी को कम करके 15 कि० मी० किया जा सकता है।

(3) नई चीनी इकाइयों के लिए लाइसेंस प्रदान करने का मूल मानदंड उनकी व्यवहार्यता होगा जिसमें मुख्य रूप से गन्ना उपलब्धता और गन्ना विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

(4) सभी नए लाइसेंस इस अनुबद्धता पर दिए जाएगे कि गन्ने की कीमत सुक्रोज तत्वों के आधार पर देय होगी।

(5) अन्य बातों के समान रहने पर निजी क्षेत्र की तुलना मे क्रमशः सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

किसी क्षेत्र से एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में पहले प्राप्त हुए आवेदन पत्र को वरीयता दी जाएगी, ऐसे मामलों में भी क्रमशः सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा इसके बाद निजी क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी चाहे पहले दो-दो क्षेत्रों के आवेदन पत्र बाद की तारीख में प्राप्त हुए हों।

(6) 2500 टी० सी० डी० से कम क्षमता वाली चीनी फैक्ट्रियों को उपर्युक्त न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार के लिए वरीयता दी जानी जारी रहेगी।

(7) नई इकाइयों और विस्तार परियोजनाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात् 1996-97 तक सृजित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(8) नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय शीरे के प्रयोग अर्थात्

औद्योगिक अल्कोहल आदि के लिए डाउन स्ट्रीम इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस शीघ्रता से दिए जाएंगे।

(ख) लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रों की सर्वप्रथम खाद्य मंत्रालय की जांच समिति द्वारा जांच की जाएगी। ऐसे आवेदन पत्रों की जांच करते समय संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के विचार भी मांगे जाएंगे। राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को अपनी टिप्पणी खाद्य मन्त्रालय से प्राप्त पत्र के तीन मास के भीतर भेजनी होगी।

(ग) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा वर्तमान इकाइयों में विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र फार्म आई० एल० में सीधे औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजे जाने चाहिए। इसके साथ 2500 रुपये की निर्धारित फीस भी भेजी जानी चाहिए। इसकी एक प्रति खाद्य मंत्रालय को भी भेजी जाए।

(घ) उपरोक्त प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांत उद्यमियों के ध्यान में सूचना तथा मार्ग-दर्शन के लिए लाए जा रहे हैं।

ह०/-

(एस० भवानी)

उप-सचिव, भारत सरकार

एफ सं० 10(74) 91-एल० पी० नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1991

उपरोक्त प्रेस नोट की विषयवस्तु व्यापक प्रचार के लिए प्रेस सूचना कार्यालय को अग्रेषित।

प्रधान सूचना अधिकारी,
प्रधान सूचना कार्यालय,
नई दिल्ली

भारत आप्थैलमिक ग्लास लिमिटेड की उत्पादन क्षमता

33. श्री वसुदेव आचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्थित भारत आप्थैलमिक ग्लास लिमिटेड का आधुनिकीकरण करने एवं इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) चूंकि आधुनिकीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है अत: आधुनिकीकरण, नवीकरण, प्रतिस्थापन आदि के माध्यम से दुर्गापुर में भारत आप्थैलमिक ग्लास लिमिटेड के उत्पादन में वृद्धि के विभिन्न प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया है।

[हिन्दी]

34. श्री मोहन सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल, 1991 में केन्द्रीय सरकार को ऐसे अनुदेश जारी किए हैं कि वह केन्द्रीय सीरा बोर्ड को विभिन्न राज्यों की दोषी चीनी मिलों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने हेतु सर्वाधिक अधिकार प्रदान करे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बोर्ड को इतने अधिकार देने का विचार है जिससे उसके अनुदेश देश के सभी चीनी मिलों पर बाध्य हों; और

(ग) केन्द्रीय सीरा बोर्ड को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने 10 अप्रैल, 1991 को एक निर्णय दिया था जिसमें इसने अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय शीरा बोर्ड को कानूनी अधिकार देने की सम्भावना की जांच करने को कहा है जिसमें शीरे के आबंटन के लिए बाध्यकारी निर्देश देने तथा राज्य नियंत्रकों के लिए आदेशों को बाध्यकारी बनाने की गुंजाइश को परिकल्पना की गई हो। तदनुसार मामले की जांच की जा रही है और सम्बन्धित प्राधिकारियों से परामर्श करके यथा समय अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

[अनुवाद] Corrigenda 93-94

किराएदारों को निकालने संबंधी अधिस्थगन

35. श्री राम नाईक :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत रिहायसी और वाणिज्यिक किरायेदारों को निकालने पर अधिस्थगन जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब और अधिस्थगन की अन्तिम तिथि क्या थी;

(ग) क्या सरकारी परिसरों के लिए किराएदारों के लिए राज्य अभिधृति अधिनियमों के उपबन्धों को उपयुक्त बनाने हेतु उपर्युक्त अधिनियम में उचित संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) लोक परिसर (अधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत आवासीय और वाणिज्यिक किरायेदारों की बेदखली के बारे में कोई आम अधिस्थगन जारी नहीं किया गया था। तथापि,

कुछ बैंकिंग संस्थानों द्वारा मूल किरायेदारों के विरुद्ध प्रारम्भ की गई बेदखली कार्यवाहियों को अक्तूबर, 1991 तक स्थगित किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार का विचार है कि सरकारी स्वामित्व वाले संगठनों के परिसरों द्वारा उपयोग किए जा रहे लोक परिसर अधिनियम का संरक्षण बना रहना चाहिए। तथापि, अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों द्वारा लोक परिसर अधिनियम के प्रावधानों के मनमाने उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से दिशा-निर्देशों का एक सैट निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी] 94-95

आंवला (उत्तर प्रदेश) में चीनी मिलें स्थापित करना

36. **श्री राजवीर सिंह** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंवला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां और ये मिलें पूर्ण रूप से कब तक चालू हो जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों का प्रस्ताव नहीं करती है। किसी विशेष स्थान पर नई चीनी मिल स्थापित करने हेतु आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त होते हैं, तदुपरांत उन पर सरकार द्वारा उस समय के लाइसेंस सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विचार किया जाता है। तथापि 30-9-91 तक नई चीनी फैक्टरियों की स्थापना के लिए जिला बरेली से 9 तथा जिला बदायूं से एक आवेदनपत्र प्राप्त हुआ है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

केन्द्र सरकार ने हाल ही में लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन किया है। इन सभी लम्बित आवेदनपत्रों पर संशोधित नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाएगा।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली और बदायूं जिलों में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए आशय-पत्र प्रदान करने हेतु प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की स्थिति

(30-9-1991 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	स्थान सहित प्रस्तावित फैक्ट्री का नाम
	जिला बरेली
1.	केशव माथुर, शुगर यूनिट, नवाबगंज
2.	मैसर्स दि सिम्भावली शुगर मिल्स लि०, निकट मीरगंज
3.	मैसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लि०, फतेहगंज वैस्ट
4.	मैसर्स ओसवाल स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० औरंगाबाद, पो० ओ० नवाबगंज
5.	मैसर्स अम्रापाली इन्टरनेशनल, नवाबगंज, तहसील नवाबगंज
6.	श्री डी० के० श्रीवास्तव, नवाबगंज, तहसील नवाबगंज
7.	श्री एन० के० श्रीवास्तव, नवाबगंज, तहसील नवाबगंज
8.	मैसर्स जे० के० इण्डस्ट्रीज लि०, मीरगंज
9.	मैसर्स ओसवाल स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, निकट मीरगंज
	जिला बदायूं
1.	श्री अब्दुल दबीर, बिसौली, तहसील बिसौली

[अनुवाद] 95-96

अत्यधिक चीनी जारी करने के कारण घाटा

37. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन सुगर मिल्स एसोसिएसन और नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव सुगर फैक्टरीज लिमिटेड ने कहा है कि अत्यधिक चीनी जारी करने, विशेष रूप से 1 अक्तूबर, 1991 को खुली बिक्री की चीनी का अतिरिक्त कोटा देने के कारण चीनी उद्योग को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) 1 अक्तूबर, 1991 से प्रत्येक सप्ताह के अन्त में मिल पर प्रति क्विंटल चीनी का मूल्य कितना-कितना था ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) भारतीय चीनी मिल संघ तथा राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि० ने इस विषय पर अभ्यावेदन दिए हैं।

(ख) त्यौहार मौसम के दौरान चीनी की उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमतों को नियन्त्रण में रखने के लिए अक्तूबर मास के लिए 6.65 लाख टन खुली बिक्री तथा 85,000 टन अतिरिक्त खुली बिक्री चीनी की रिलीज की घोषणा क्रमश: 19-9-91 तथा 3-10-91 को की गई थी।

(ग) चीनी की एक्स मिल कीमतों का संकलन साप्ताहिक आधार पर नहीं अपितु मासिक आधार पर किया जाता है। अक्तूबर, 1991 मास के लिए आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

9. . 97

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को अधिक कारगर बनाना

38. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 20-सूत्री कार्यक्रम और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं को पुनर्गठित करने का है;

(ख) क्या आठवीं योजनाओं में एक नया पांच सूत्री कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सातवीं योजनावधि के दौरान विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास तथा सीधे रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रमों के जरिये ओर दिये जाने वाले क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन क्षेत्र भी एक होगा। आठवीं योजना दस्तावेज में शामिल करने के लिए स्कीम की ब्यौरेवार विशेषताएं तैयार की जा रही हैं।

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के स्वरोजगार कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना के मजदूरी रोजगार पर खर्च की गई कुल राशि 1126 करोड़ रु० थी। शहरी गरीब उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए, शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (एस० ई० पी० यू० पी०) स्कीम सितम्बर, 1986 में शुरू की गयी थी, इसे सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और केन्द्र सरकार ऋण की कुल राशि के 25% की दर से आर्थिक सहायता प्रदान करती है और इसे सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के जरिये दी जाती है। केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को इमदाद जारी करती है।

र सातवीं योजना अवधि के दौरान 120 करोड़ रु० की राशि भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की गयी थी।

नेहरू रोजगार योजना नामक दूसरा शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 1989-90 के उत्तरार्द्ध में शुरू की गई थी। 145.65 करोड़ रु० की राशि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वितरित की गयी थी। वास्तविक व्यय सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

उड़ीसा में ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

39. श्री अनादि चरण दास : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान संशोधित नीति और पिछली नीति के अन्तर्गत ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और उड़ीसा में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया था। 1987-88 से ग्रामीण स्वच्छता को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया था। पहले की मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत 1988-89 ओर 1989-90 के दौरान और संशोधित मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय, रिलीजों और खर्च तथा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट प्रावधान और खर्च के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :

वित्तीय प्रगति

(लाख रुपये में)

वर्ष	केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम			न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	
	आवंटन	रिलीज	खर्च	बजट प्रावधान	खर्च
1988-89	70.40	36.00	13.35	40.00	25.86
1989-90	63.00	—	13.35	40.00	2.56
1990-91	63.00	25.00	18.88	100.00	3.83

भौतिक प्रगति (बनाए गए स्वच्छ शौचालयों की संख्या)

वर्ष	केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम		न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1988-89	1452	1526	4500	6391
1989-90	872	966	3333	350
1990-91	1575	1532	3333	321

डी० डी० ए० के फ्लैटों का सर्वेक्षण

41. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई ऐसा व्यापक सर्वेक्षण कराया है जिसके अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न कालोनियों में भूमिगत कोटर होने के कारण (धंसने के) जोखिम वाले फ्लैटों का पता लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई० डी० पी० एल०) का निजीकरण

42. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजीकरण की स्थिति में श्रमिकों को रोजगार जारी रखने का आश्वासन दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा उद्योगों की स्थापना

43. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने विदेशी सहयोग और अनिवासी भारतीयों को सहायता से कुछ उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने किन-किन क्षेत्रों में उद्योग लगाने की सिफारिश की है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनमें से कोई प्रस्ताव स्वीकार किया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) नवम्बर, 1983 में विशेष अनुमोदन समिति के गठन से लेकर जून, 1991 तक मध्य प्रदेश राज्य में आशय-पत्र, विदेशी सहयोग अनुमोदन और पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के लिए कुल 25 अनुमोदन

जारी किए गए हैं। इन प्रस्तावों में ऑटोमोबील टायर और ट्यूब, फोर्जिंग्स, भेषज, ऐल्यूमिनियम उत्पादों इत्यादि जैसी मदों का विनिर्माण शामिल है।

उड़ीसा सैंड कम्प्लेक्स का बन्द होना

44. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गंजम जिले में बरहामपुर के निकट इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के प्रबंधाधीन सैंड कम्प्लेक्स को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सैंड कम्प्लेक्स को पुन: खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) उड़ीसा खनिज रेत उद्योग समूह को बन्द नहीं किया गया है। तथापि, वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहारिक न होने के कारण उड़ीसा खनिज रेत उद्योग समूह में अनुसंधान, विकास और अनुरक्षण संबंधी कार्यों को छोड़कर अन्य उत्पादन सम्बन्धी कार्य तब तक के लिए रोक दिया गया है जब तक कि उड़ीसा खनिज रेत उद्योग समूह में पहले जमा माल बिक नहीं जाता तथा संयंत्र में प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सुधार कार्य पूरे नहीं हो जाते। किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं गया है।

[हिन्दी]

पूर्वी राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

45. श्री साईमन मरांडी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में 50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में रहने वाले लोगों का जीवन-स्तर सुधारने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई समीक्षा की गई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों में अत्यंत गरीब लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कोई विशेष योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण 1987-88 के परिणामों से प्राप्त अनुमानों के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से

नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता 50% से अधिक नहीं है। लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रकीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) और शहरी क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना (एन० आर० वाई०) तथा शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (एस० ई० पी० यू० पी०) जैसे विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर दिया जाएगा।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए इन राज्यों को आवंटित की गई तथा उपयोग में लाई गई धनराशि निम्न प्रकार थी :

क्र० सं०	राज्य	आवंटन	उपयोग
1.	असम	18,143.33	17,873.88
2.	बिहार	131,686.96	125,291.24
3.	उड़ीसा	43,362.17	39,807.28
4.	पश्चिम बंगाल	71,532.74	64,118.25

शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जो स्थिति है उसे नीचे दिया गया है :

(1) **शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम** : यह स्कीम सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है तथा केन्द्र सरकार ऋण की कुल धनराशि के 25% की दर से पूंजी इमदाद प्रदान करती है जो कि सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों के जरिये दी जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा यह इमदाद भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की जाती है। इस योजना के तहत निधियों का राज्यवार कोई आवंटन नहीं है। वर्ष 1988-91 की अवधि के दौरान 76.65 करोड़ रु० की राशि भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की जा चुकी है।

(2) **नेहरू रोजगार योजना** : सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

सीकर जिले में पायराइट्स के भंडार

46. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सीकर जिले में पायराइट्स का विशाल भंडार पाया गया है;

(ख) क्या पायराइट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड ने वहां एक सल्फ्यूरिक एसिड एण्ड सुपर फास्फेट संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है; और

(ग) इसे सरकार द्वारा कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०, सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी ने सल्फ्यूरिक एसिड और सिंगल सुपर फास्फेट के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। परियोजना के अनुमोदित किए जाने की कोई संभावित तारीख नहीं दी जा सकती।

[अनुवाद]

केरल में अनन्नास प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना

47. **श्री पी० सी० थामस** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा कोई अन्य वित्त पोषित एजेंसी केरल में मूवत्तुपुजा या इसके निकट किसी स्थान पर अनन्नास प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए धन देने हेतु सहमत हो गयी है;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय या किसी अन्य बाह्य एजेंसी ने इस आशय का निरीक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) केरल राज्य के लिए अनन्नास प्रसंस्करण सहित एक बागवानी और कृषि प्रसंकरण विकास परियोजना तैयार की गई थी और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता के लिए इसे प्रस्तुत किया गया था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मूल्यांकन दल ने केरल के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और परियोजना का मूल्यांकन किया।

(ग) परियोजना के तकनीकी और प्रशासनिक प्रावधान का मसौदा भारत सरकार, केरल सरकार और यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

ग्रामीण सड़क निगम

48. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण सड़क निगम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

3ट13।

उद्योगों का विकेन्द्रीकरण

49. श्री लेहता अब्बारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) छोटे, मझौले और बड़े उद्योगों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से अब तक सरकार की क्या उपलब्धि है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) नयी औद्योगिक नीति के अधीन 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को छोड़कर अन्य स्थापना-स्थलों के लिए केन्द्र सरकार से औद्योगिक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें 18 उद्योगों की एक लघु सूची शामिल नहीं है, जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। कोई भी उद्यमी भारत में कहीं भी औद्योगिक एकक लगा सकता है बशर्ते कि वे सरकार की स्थापना-स्थल संबंधी नीति के अनुरूप हों और क्षेत्रीयकरण तथा भूमि उपयोग विनियमों तथा पर्यावरण कानूनों का पालन करते हों।

(ख) संगठित क्षेत्र में डीजीटीडी में पंजीकृत मौजूदा एककों और राज्य/संघ शासित क्षेत्र उद्योग निदेशालय में पंजीकृत लघु एककों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) नयी औद्योगिक नीति के तहत उद्यमी को मुख्यतया आंकड़ा प्रयोजनों के लिए केवल औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम) प्रस्तुत करना होता है। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% विदेशी इक्विटी तक सीधे विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन देने तथा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के भीतर आने वाले विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों की मंजूरी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार दिए गए हैं, जो परियोजनाएं भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए लाभदायक समझी जाती हैं और जो मौजूदा नीति के मानदण्डों के भीतर नहीं आती हैं, उनमें अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने तथा निवेश को आसान करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की भी स्थापना की गयी है। तारीख 27 सितंबर, 1991 के एक अध्यादेश के जरिए एम आर टी पी अधिनियम, 1969 में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 21 और 22 के अधीन कंपनी कार्य विभाग की स्वीकृति लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संगठित क्षेत्र में मौजूदा एककों की संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के उद्योग निदेशालय में स्थायी आधार पर पंजीकृत लघु एकक
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	422	85470

1	2	3	4
2.	असम	76	12429
3.	बिहार	177	71408
4.	गुजरात	732	78441
5.	हरियाणा	358	69365
6.	हिमाचल प्रदेश	65	11107
7.	जम्मू और कश्मीर	26	19877
8.	कर्नाटक	465	74182
9.	केरल	171	57738
10.	मध्य प्रदेश	284	167676
11.	महाराष्ट्र	1494	66807
12.	मणिपुर	1	4152
13.	मेघालय	3	1233
14.	नागालैंड	3	581
15.	उड़ीसा	85	17619
16.	पंजाब	238	115003
17.	राजस्थान	180	59931
18.	तमिलनाडु	786	107503
19.	त्रिपुरा	1	4411
20.	उत्तर प्रदेश	641	185566
21.	पश्चिम बंगाल	628	137526
22.	सिक्किम	2	185
23.	अरुणाचल प्रदेश	11	474
24.	चंडीगढ़	16	2656
25.	दादरा एण्ड नगर हवेली	7	284
26.	दिल्ली	119	25774

1	2	3	4
27.	गोवा द्विव एंड दमन	42	5291
28.	लक्षदीव मिनीकाय	शून्य	शून्य
29.	मिजोरम	शून्य	2245
30.	पांडीचेरी	31	2893
31.	अंडमान एण्ड निकोबार	2	653
	कुल	7066*	1378480*

* 15 नवम्बर, 1991 को उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थिति ।

अखबारी कागज का उत्पादन

50. **श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखबारी कागज का प्रतिवर्ष देश में कुल कितना उत्पादन होता है और कितना आयात किया जाता है;

(ख) क्या मांग तथा देश में उत्पादित और आयात किये गये अखबारी कागज की मात्रा के बीच भारी अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) अगले दो वर्षों के दौरान देश में अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) इस अवधि के दौरान गैर-सरकारी, सहकारी और सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज के कितने उद्योग स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(च) क्षेत्रवार उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान अखबारी कागज का कुल घरेलू उत्पादन तथा आयातित मात्रा क्रमशः 2.79 लाख मी० टन तथा 2.26 लाख मी० टन था ।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के लिए अखबारी कागज की आवश्यकता 5.65 लाख मी० टन आंकी गई थी ।

(घ) से (च) इस समय अखबारी कागज का स्वदेशी उत्पादन सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । तो भी, अखबारी कागज की पर्याप्त क्षमता हेतु औद्योगिक लाइसेंसों/आशयपत्रों की मंजूरी के रूप में दे दी गयी है जो मौजूदा 3.13 लाख मी० टन की अधिष्ठापित क्षमता के अलावा है । इसकी कार्यान्वयन संबंधी प्रगति संतोषजनक नहीं है जो मुख्य

रूप से अधिक पूंजीगत लागत और कम लाभ होने के कारण है। फिर भी, सरकार अखबारी कागज के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु भरपूर प्रयास कर रही है।

टी० वी० सैटों का निर्माण

51. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सहायता से किन-किन राज्यों में टी० वी० सैट विनिर्माण फैक्टरियां स्थापित की गई हैं; और

(ख) क्या सरकार का राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को यह निदेश देने का विचार है कि वह रंगीन टी० वी० सैटों के बढ़ते मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक टी० वी० सैटों का निर्माण करने हेतु अपनी फैक्टरियां स्थापित करने के लिए छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अपने कच्चे माल सहायता कार्यक्रम के तहत इलैक्ट्रोनिक उपकरण, कच्चे माल और उपकरण प्राप्त करने में टी० वी० विनिर्माता इकाइयों को सहायता देती रही है। निगम ने तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली व चंडीगढ़ की इकाइयों को सहायता दी है।

(ख) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

उपग्रहों का निर्माण और उनका छोड़ा जाना

52. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने अन्तरिक्ष में सफलतापूर्वक कितने उपग्रह छोड़े और उनका कार्यकाल कितना है;

(ख) प्रत्येक उपग्रह की विशेष उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) भारत से ही उपग्रह को छोड़ने की तकनीकी के विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) उपग्रहों के निर्माण और उनको छोड़ने के क्षेत्र में किन-किन देशों से सहायता ली जाती है और यह सहायता किस रूप में होती है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन उपग्रहों के निर्माण पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने अन्तरिक्ष में दो उपग्रह—भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-I डी (इन्सैट-I डी) जून 12, 1990 को तथा भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-I बी० (आई० आर० एस० I बी०) अगस्त 29, 1991 को सफलतापूर्वक छोड़े थे। इंसैट-1 डी० के 1998 तक तथा आई० आर० एस०-I बी० के 1994 तक कार्य करने की सम्भावना है।

(ख) इन्सैट-1 डी० उपग्रह अब संचार, राष्ट्रीय टी० वी० नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क सहित प्रसारण और मौसमविज्ञान, आपदा चेतावनी तथा सुदूर क्षेत्र संचार के क्षेत्रों में देश को अन्तरिक्ष आधारित प्रचालनात्मक सेवाएं प्रदान कर रहा है। मार्च, 1988 में अपने प्रमोचन के समय से आई०आर०एस०-I ए० उपग्रह के साथ-साथ, आई०आर०एस०-I बी० उपग्रह प्रचालनात्मक सेवा में है और ये उपग्रह राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् फसल का एकड़वार और पैदावार का आंकलन, सूखा चेतावनी और मूल्यांकन, बाढ़ नियन्त्रण तथा क्षति आंकलन, कृषि-जलवायवी आयोजना के लिए भूमि उपयोग/भूमि आवरण मानचित्रण, परती भूमि विकास, जल संसाधन प्रबन्ध जैसे पेयजल मिशन के लिए भूमिगत जल की खोज, हिम गलन बाह की प्रागुक्ति, जलविभाजक और कमाण्ड क्षेत्रों का प्रबन्ध, महासागर विकास, अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योग विकास, शहरी विकास, खनिज की संभावना का पता लगाना, वन संसाधन सर्वेक्षण और प्रबन्ध, जिला/ग्राम विकास के लिए भूमि और जल संसाधनों का समेकित विकास इत्यादि के क्षेत्रों में अन्तरिक्ष-आधारित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(ग) प्रमोचक राकेट कार्यक्रम में क्रमिक विकास की योजना बनाई गई है। इस क्षेत्र में प्रथम कदम पृथ्वी की निकट कक्षा में 50 किग्रा० भार की श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने में सक्षम उपग्रह प्रमोचक राकेट (एस० एल० वी०-3) का डिजाइन, विकास और सफल प्रमोचन था। इस क्षेत्र में प्रमाणित क्षमता 1979-83 के समय ढांचे में अर्जित की गई। कुछ महत्वपूर्ण प्रमोचक यान प्रौद्योगिकियों को वैध बनाने के लिए 150 किग्रा भार की श्रेणी के वैज्ञानिक नीतभार को छोड़ने के लिए संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट का विकास, तथा आई० आर० एस० श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) का विकास भी प्रगति में है। इन्सैट श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन के लिए भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी० एस० एल० वी०) के विकास द्वारा इस क्षमता का और अधिक संवर्धन किया जा रहा है। ए०एस०एल०वी० की तृतीय विकासात्मक उड़ान और पी०एस०एल०वी० की प्रथम विकासात्मक उड़ान 1992 के लिए निर्धारित है। जी०एस०एल०वी० के विकास के लिए कार्य पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है। इन प्रमोचनों के लिए भू-सहायक सुविधाएं भी साथ-साथ स्थापित की जा रही हैं।

(घ) (1) भारतीय डिजाइन के अनुरूप विदेश में निर्मित तथा विदेश से प्रमोचित उपग्रह निम्न प्रकार हैं :

इन्सैट-1 शृंखला (चार उपग्रह)—यू० एस० ए०

(2) भारत में निर्मित तथा विदेशी प्रमोचकों की सहायता से छोड़े गए उपग्रह निम्न प्रकार हैं :

आर्यभट	सोवियत संघ
भास्कर-I और II	सोवियत संघ
एरियन पैसैन्जर नीतभार परीक्षण (एप्पल)	यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी
आई० आर० एस० I ए और I बी	सोवियत संघ

(ङ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

	1989-90	1990-91	1991-92
इंसैट-I उपग्रह	2.87	9.41	1.43
आई० आर० एस० उपग्रह	1.21	1.49	0.95

[अनुवाद]

श्रीलंका से चीनी

53. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी उच्च स्तरीय भारतीय शिष्टमंडल ने मई-जून, 1991 के दौरान श्रीलंका की यात्रा की थी और विश्व बाजार की तुलना में कम कीमत पर, वहां की समस्त चीनी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु, चीनी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शिष्टमंडल में कौन-कौन सदस्य थे;

(ग) इस चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) श्रीलंका सरकार के समक्ष कौन-कौन-सी रियायतें देने का प्रस्ताव रखा गया था ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) श्रीलंका को चीनी की आपूर्ति के सम्बन्ध में मई-जून, 1991 के दौरान किसी भी उच्च स्तरीय सरकारी शिष्टमंडल ने श्रीलंका का दौरा नहीं किया।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मोटर गाड़ी नीति

54. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति के समनुरूप वर्ष 1985 की मोटरगाड़ी नीति की समीक्षा/संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वाणिज्यिक यात्री कार/गाड़ियों का निर्माण करने के लिए परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकार के पास कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) नई औद्योगिक नीति के अनुसार मोटरकारों को छोड़कर सभी प्रकार की ओटोमोबिल्स को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। नीति बनाना एक गतिशील अवधारणा है और उद्योग के विकास के लिए इसे बदल रही आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। अतः विभिन्न नीति सम्बन्धी उपायों का

निरन्तर मूल्यांकन करना एक तर्कसंगत जरूरत है। आटोमोबील नीति इसका अपवाद नहीं हो सकती।

(ग) यात्री कारों के निर्माण के लिए तीन प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित हैं। इन प्रस्तावों पर नीति के प्रावधानों के अनुसार गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

वर्ग "ग" और "घ" के लिए संवर्ग पुनरीक्षा समिति

55. **प्रो० राम कापसे :** क्या शहरी विकास मंत्री 8 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 304 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिपिकीय, नक्शानवीश तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संवर्ग पुनरीक्षा को वर्ग "क" अधिकारियों की दूसरी संवर्ग पुनरीक्षा के कार्यान्वयन के कारण रोक लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1991-92 के बजट में आवश्यक प्रावधान करके लिपिकीय, नक्शानवीश तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए संवर्ग पुनरीक्षा लागू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) कुछ लिपिकीय पदों की संवर्ग पुनरीक्षा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा और केन्द्रीय विद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी सेवा के ग्रुप "ए" अधिकारियों की द्वितीय संवर्ग पुनरीक्षा के साथ जुड़ी है। इस पर निर्णय लेने के लिए ग्रुप "ए" के संवर्ग पुनरीक्षा के अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी आवश्यक होगी। तथापि, ग्रुप "ए" सेवाओं से न जुड़े हुए शेष लिपिकीय पदों और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ के संवर्ग पुनरीक्षा सम्बन्धी प्रस्तावों पर अलग से कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने ड्राइंग स्टाफ के संवर्ग पुनरीक्षा के लिए एक संवर्ग पुनरीक्षा समिति का गठन भी किया है।

चूंकि, मामले में अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श से विचार करना अपेक्षित है इसलिए, लिपिकीय, ड्राइंग और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ हेतु संवर्ग पुनरीक्षा को अन्तिम रूप देने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र

56. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूकम्प के तेज झटकों का सामना कर सकने की दृष्टि से नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र के सुरक्षा पहलुओं की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संयंत्र के भूकम्पीय जोन में स्थित होने के कारण इस सम्बन्ध में क्या पूर्वोपाय करने का विचार है ताकि संयंत्र भूकम्प के तेज झटकों को सहन कर सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) रूड़की विश्वविद्यालय के भूकम्प अभियांत्रिकी विभाग के परामर्श से संयंत्र के डिजायन के प्राचलों का अध्ययन भूकम्प सह सकने की दृष्टि से स्थल विशेष को ध्यान में रखकर किया गया है । ऐसा करते समय दो स्तरों की भूकम्प डिजायन अवधारणाओं का अनुसरण किया जाता है—पहली अवधारणा प्रचालन व्यवस्था पर आधारित है और दूसरी जमीन की गतिशीलता पर आधारित है जिसका सम्बन्ध सुरक्षा सम्बन्धी उन सभी प्रणालियों से है जिनसे यह अपेक्षित है कि रिएक्टर को सुरक्षित रूप से बन्द कर दिए जाने के बाद वे पूर्ण रूप से काम करने योग्य हों । नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र का डिजायन सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन दोनों आधारों पर तैयार किया गया है ।

(ग) संयंत्र का डिजायन जितने बड़े जोर वाले भूकम्प आने की सम्भावना को ध्यान में रखकर बनाया गया है उससे बड़े जोर के भूकम्प आने की सम्भावना बहुत ही कम है । तथापि, यंत्रावलियों को इस तरह से अनुकूल बनाया गया है कि सुरक्षा सम्बन्धी प्रणालियों के लिए अपनाए जाने वाले डिजायन स्तर (0.3 जी०) की तुलना में रिएक्टर को अपेक्षाकृत निम्न भौम त्वरण (0.1 जी०) स्तर पर बन्द किया जा सके । इस प्रकार के प्रतिनियंत्रण से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी ।

[हिन्दी] 107-10

उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं

57. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में त्वरित योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि आबंटित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की उन पेय जल योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) इन प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव राज्य के आठ पर्वतीय जिलों से प्राप्त हुए हैं; और

(ग) अब तक योजनावार कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास कोई भी योजना लम्बित नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता रिलीज की जाती है । ऐसी निधियां योजनावार आधार पर रिलीज नहीं की जाती हैं । तथापि, राज्य के पर्वतीय जिलों के "बिना जल स्रोत वाले" सभी बकाया समस्याग्रस्त गांवों में 31-3-1993 तक स्वच्छ पेयजल सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 36.48 करोड़ रुपये

की विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है । इसमें से 18.24 करोड़ रुपये पहले ही रिलीज किये जा चुके हैं ताकि राज्य सरकार समस्या वाले गांवों में स्वच्छ पेयजल की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये अग्रिम कारंवाई कर सके ।

[अनुवाद]

त्रिपुरा को खाद्य आपूर्ति

58. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा को खाद्य की पूर्ति हेतु कोई "हमारी जानें बचाओ" सन्देश प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संकट का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या त्रिपुरा में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने अक्तूबर, 1991 में सूचित किया था कि त्रिपुरा के पहाड़ी इलाकों में झूमिंग खेती विफल हो जाने के कारण वहां की जनता को काफी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी सूचित किया गया था कि कमी और विपदा को दूर करने के लिए राज्य सरकार राज्य के पहाड़ी इलाकों में राशन दुगुना करने जा रही है । राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए लगभग 4000 मीटरी टन अतिरिक्त चावल की आवश्यकता है । उन्हें यह मात्रा केन्द्रीय पूल से आवंटित कर दी गई है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

रोहतास जिले में डालमिया नगर की यूनिटों को पुन: चालू करना

59. श्री छेदी पासवान : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के रोहतास जिले में डालमियां नगर की चार इकाइयों को पुन: चालू किया गया है; और

(ख) सरकार ने अन्य दो इकाइयों को पुन: चालू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां । मै० रोहतास इन्डस्ट्रीज लि० डालमियां नगर, बिहार की एस्बेस्टोज यूनिट और वनस्पति यूनिट को पुन: चालू

किया गया है और उन्होंने क्रमशः फरवरी, 1991 तथा जुलाई, 1991 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ख) सीमेंट यूनिट के 25-11-91 से और स्टील फाउन्ड्री यूनिट के 25-12-91 से परीक्षण उत्पादन शुरू करने की आशा है।

[अनुवाद]

आठवीं योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र

60. **श्री रमेश चन्द्र तोमर** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम और द्वितीय दृष्टिकोण पत्रों को स्वीकृति कब दी गई थी;

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा इन पर कब विचार किया गया था;

(ग) आठवीं योजना हेतु तीसरे दृष्टिकोण पत्र को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और संसद के समक्ष रख दिया जाएगा;

(घ) आठवीं योजना के अन्तिम दस्तावेज के कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इन दृष्टिकोण पत्रों में पिछले दृष्टिकोण पत्रों की तुलना में सुधार को किस प्रकार दर्शाया गया है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) का प्रथम प्रारूप दृष्टिकोण पत्र योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1989 में अनुमोदित किया गया था। तदन्तर, एक नया प्रारूप दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया तथा फरवरी, 1990 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।

(ख) नवम्बर, 1989 में केन्द्र सरकार के परिवर्तन होने के कारण प्रथम प्रारूप पत्र पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार नहीं किया गया। द्वितीय पत्र जून, 1990 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के संदर्भ में तैयार किया गया एक दिशात्मक पत्र राष्ट्रीय विकास परिषद् की अगली बैठक में रखे जाने के लिए निर्धारित है। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित तथा स्वीकृत होने के बाद इसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचार के लिए आठवीं योजना का अन्तिम प्रारूप दस्तावेज मार्च, 1992 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है।

(ङ) प्रथम दृष्टिकोण पत्र को सकल घरेलू उत्पाद के विकास की 6% औसत दर के

आधार पर तैयार किया गया था । द्वितीय दृष्टिकोण पत्र में निम्नलिखित उद्देश्यों की परिकल्पना की गई है :

(1) संघीय ढांचे को मजबूत बनाना,

(2) शक्तियों का विकेन्द्रीकरण,

(3) लोगों की भागीदारी,

(4) ग्रामीण क्षेत्रक का विकास,

(5) आर्थिक गतिविधि में महिलाओं की भूमिका पर जोर, तथा

(6) रोजगार ।

आठवीं योजना (1992-97) के दिशात्मक पत्र में आधारभूत संरचना (ऊर्जा, परिवहन तथा संचार क्षेत्र में), मानव विकास पूर्ण साक्षरता (रोजगार, जनसंख्या नियंत्रण, न्यूनतम स्वास्थ्य देखरेख तथा पेय जल) तथा कृषि विकास (देश के अन्य भागों में हरित क्रांति लाना तथा निर्यात के लिए कृषि सम्बन्धी अधिशेष का सृजन करना) के लिए विशिष्ट उद्देश्य रेखांकित हैं ।

इसमें 1992-97 की अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद की 5.6% वार्षिक औसत विकास दर की परिकल्पना की गई है । 112 . 13

आठवीं योजना की प्राथमिकताओं पर चर्चा

61. **श्री शरद दिघे** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक ने आठवीं योजना के मुख्य आयाम और प्राथमिकता के सम्बन्ध में 25 अक्तूबर, 1991 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई और आठवीं योजना के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक द्वारा यदि कोई सुझाव दिए गए तो वे क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां ।

(ख) बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक को आठवीं योजना के प्रारूप के बृहद् आयामों तथा प्राथमिकताओं से अवगत कराया । इनमें अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कि आधारभूत संरचना, मानव विकास, साक्षरता, जनसंख्या, कृषि तथा रोजगार-सृजन तथा आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास में निजी पहल की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नीतियां, भुगतान संतुलन के संकट से उबरने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम शामिल थे । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक ने हाल ही में

किए गए नीतिगत परिवर्तनों, योजना प्राथमिकताओं तथा कार्यनीतियों के प्रति अपनी प्रशंसा जताई। विचार-विमर्श सामान्य रहा तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध-निदेशक ने कोई विशेष सुझाव नहीं दिए।

भूकम्प का पूर्वानुमान

62. **श्री पी० एम० सईद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने हिमालय क्षेत्र में भूकम्प का पूर्वानुमान लगाने के उद्देश्य से कोई अध्ययन कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) क्या इस अध्ययन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और यदि हां, तो उसकी समय अवधि क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग ने हिमालय क्षेत्र में भूकम्पों का पूर्वानुमान लगाने के उद्देश्य से कोई अध्ययन नहीं किया है। इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के पास दक्षिणी भारत में गोरीबिदनूर नामक स्थान पर एक मध्यम आकार के द्वारक वाला भूकम्पीय आव्यूह, दिल्ली में एक छोटा-सा आव्यूह तथा पश्चिमी महाराष्ट्र के भाटसा बांध के नजदीक एक रेडियो दूरमापी क्षेत्रीय भूकम्प नेटवर्क है। ये भूकम्पीय संस्थापनाएं प्राकृतिक रूप से आने वाले भूकम्पों तथा भूमिगत विस्फोटों दोनों की भूकम्पनीयता पर लगातार निगरानी रखती हैं।

[हिन्दी]

उड़ीसा के छोटे और मझोले शहरों का विकास

63. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के छोटे और मझौले शहरों के विकास के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान छोटे और मझोले शहरों के विकास पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत नगरों का चयन राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई प्राथमिकता नगरों की सूची तथा शहरी विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध बजट प्रावधानों के आधार पर प्रतिवर्ष किया जाता है। वर्ष 1991-92 के दौरान छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत 8 नगरों को शामिल करने के लिए उड़ीसा सरकार से हमें एक सूची प्राप्त हुई है। प्राथमिकता क्रम से निम्नानुसार नगर हैं :—

1. भद्रक
2. सुन्दरगढ़
3. जगतसिंहपुर
4. अथागढ़
5. बासदेवपुर
6. झारसुगुडा
7. भजनपुर
8. जाजपुर

राज्य सरकार ने परियोजना रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

नगर एंव ग्राम नियोजन संगठन

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

छोटे तथा मध्यम वर्गों के नगरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत दी गई राज्यवार सहायता
(पिछले तीन वर्ष के दौरान)

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1988-89	1989-90	1990-91	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	61.50	85.09	85.00	231.59
2.	असम	59.50	59.50	65.00	184.00
3.	बिहार	79.50	120.085	47.50	252.535
4.	गोवा	—	—	10.00	10.00
5.	गुजरात	191.60	59.50	80.08	331.18
6.	हरियाणा	76.00	86.50	—	162.50

1	2	3	4	5	6
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
8.	जम्मू तथा कश्मीर	8.00	1.82	42.50	52.32
9.	कर्नाटक	180.441	52.57	68.50	301.511
10.	केरल	61.25	5.00	55.81	122.06
11.	मध्य प्रदेश	130.32	182.23	185.00	497.55
12.	महाराष्ट्र	110.635	125.255	218.31	454.20
13.	मणिपुर	—	—	54.24	54.24
14.	मेघालय	46.00	63.50	24.60	134.10
15.	मिजोरम	—	3.50	—	3.50
16.	नागालैंड	24.00	24.00	26.20	74.20
17.	उड़ीसा	71.00	68.00	178.25	317.25
18.	पंजाब	46.00	89.64	—	135.64
19.	राजस्थान	36.00	89.75	82.50	208.25
20.	सिक्किम	20.00	29.75	—	49.75
21.	तमिलनाडु	64.27	244.42	279.34	588.05
22.	त्रिपुरा	27.00	20.00	20.00	67.00

23.	उत्तर प्रदेश	195.026	44.00	198.50	437.526
24.	पश्चिम बंगाल	110.06	82.69	135.73	328.48
25.	अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
26.	दादरा तथा नगर हवेली	23.235	23.75	—	46.985
27.	लक्षदीप	—	—	25.00	25.00
28.	पाण्डिचेरी	25.00	23.75	28.00	76.75
	योग	1646.357	1593.300	1910.06	5149.717

[अनुवाद]

सुपर बाजार में पामोलिन की अनुपलब्धता

64. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धारा और पामोलीन जैसे खाद्य तेल सुपर बाजार में नियमित रूप से उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ये तेल उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं । सुपर बाजार में पामोलीन और धारा खाद्य तेल की उपलब्धता मैसर्स हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन तथा गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लि० से प्राप्त सप्लाई पर निर्भर करती है ।

(ख) और (ग) सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेल आबंटित करती है । आबंटित तेल को उठाने और वितरित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है ।

चूंकि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण खाद्य तेल आयात नहीं किया गया था, इसलिए अप्रैल से सितम्बर, 1991 के महीनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य तेलों का आबंटन नहीं किया गया था । तथापि, सीमित मात्रा में खाद्य तेल (पामोलीन) के आयात के बाद, अक्तूबर और नवम्बर, 91 के महीनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उक्त खाद्य तेल का आबंटन किया गया है । "धारा" राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का उत्पाद है इसलिए इस समय इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

कम्प्यूटरों का आयात

65. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटरों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों से कम्प्यूटरों का आयात किया गया है; और

(ग) कम्प्यूटरों के आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं जबकि देश में कम्प्यूटरों का उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी हां, पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्यतः संयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी तथा जापान से कम्प्यूटरों का आयात किया गया है ।

(ग) कम्प्यूटरों के आयात की अनुमति दो श्रेणियों के अन्तर्गत दी जाती है :

(i) अपने ही संगठन में प्रयोग के लिए, तथा

(ii) साफ्टवेयर के निर्यात के लिए।

अपने ही संगठन के विशिष्ट अनुपयोगों के लिए आयात की अनुमति, उन मामलों को छोड़कर जिनमें देश की विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती है, यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाती है कि स्वदेश में उपलब्ध प्रणालियों से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। साफ्टवेयर निर्यात की परियोजनाओं के लिए निर्यात बाध्यता के अन्तर्गत कम्प्यूटरों के आयात की अनुमति दी जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में जाली नियुक्तियां

66. **श्री पंकज चौधरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में कुछ जाली नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कराने के आदेश दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने मामलों का पता चला है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मामले को जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया है। जांच पूरी होने तक आमतौर उनके द्वारा जांच किए गए मामलों के सम्बन्ध में जानकारी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रकट नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

रिफैम्पिसिन निर्माताओं द्वारा अधिक मूल्य वसूलना

67. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रिफैम्पिसिन निर्माता काफी समय से अधिक मूल्य वसूल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह आरोप लगाये गये हैं कि औषध कंपनियों द्वारा रिफैम्पिसिन की अधिक कीमत ली जा रही है। इनकी जांच की जा रही है।

पेप्सी फूड्स द्वारा आशय पत्रों की शर्तों का उल्लंघन

68. **श्री रवि राय** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेप्सी फूड्स द्वारा आशय पत्र में नियत शर्तों का तथाकथित उल्लंघनों की जांच करने हेतु एक अन्तर-मंत्रालय समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपने निष्कर्षों को सरकार को भेज दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न यूनिटों का दिसम्बर, 1990 में तीन सदस्यीय दल ने दौरा किया था जिसकी रिपोर्ट में निहित तथ्यों की जांच के लिए एक अन्तरमंत्रालयी समिति का गठन किया गया था जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वित्त, वाणिज्य, कृषि, कानून मंत्रालयों और औद्योगिक विकास विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए हैं जिन्हें कानूनी सलाह के लिए अन्य मुद्दों के साथ विधि मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।

इन्सैट-I डी० का कार्यनिष्पादन

69. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्सैट-I डी० का कार्यनिष्पादन कक्षा में संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इस उपग्रह द्वारा क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त होने की संभावनाएं हैं; और

(ग) इस उपग्रह की सेवाएं कब से देश को प्राप्त होनी प्रारंभ होंगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय इन्सैट-I डी० उपग्रह दूरसंचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में देश को अन्तरिक्ष आधारित प्रचालनात्मक सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस उपग्रह के कुछ लाभदायक उपयोगों में राष्ट्रीय दूरसंचार और दूरदर्शन नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, आपदा चेतावनी तथा सुदूर क्षेत्र संचार संबंधी कार्य शामिल हैं।

(ग) इन्सैट-I डी० उपग्रह जून, 1990 में अपने प्रमोचन के समय से ही देश की सेवा कर रहा है, तथा इसके 1998 तक अपनी निर्धारित कालावधि तक कार्य करने की संभावना है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन

70. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामगार बनाम रेपटेक्स ब्रेट एंड कम्पनी लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 31 अक्तूबर, 1991 को दिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस निर्णय को देखते हुए सरकार का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) कामगार बनाम रेपटेक्स ब्रेट एण्ड कं० लि० के प्रबंधतंत्र के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1991 को सिविल अपील सं० 4336 (एन० एल०) पर 31 अक्तूबर, 1991 के अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि कंपनी में लगभग तीस वर्षों से चले आ रहे महंगाई भत्ते की स्लेब पद्धति को समाप्त करने का औद्योगिक अधिकरण का निर्णय न्यायपूर्ण नहीं है। औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचाट और उच्च न्यायालय के निर्णय को न मानकर कर्मकारों की अपील दायर करने की अनुमति देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर महंगाई भत्ते के पुनर्गठन के मामले में कंपनी के संदर्भ को रद्द कर दिया और उसे अस्वीकार कर दिया। मुख्य मुद्दों पर विचार करते समय उच्चतम न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने वाले मापदंडों पर भी विचार-विमर्श किया और कहा कि भारतीय श्रम सम्मेलन की त्रिपक्षीय समिति द्वारा स्वीकार किए गए वर्तमान मापदण्डों के अतिरिक्त उद्योग में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित छठा घटक शामिल किए जाने की आवश्यकता है : "बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकता, न्यूनतम मनोरंजन जिनमें त्योहार/उत्सव भी शामिल हैं और वृद्धावस्था और शादी आदि की व्यवस्था करने के लिए इसमें कुल न्यूनतम मजदूरी का 25% और जोड़ा जाना चाहिए।"

(ख) से (घ) न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने वाले मापदंड न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का हिस्सा नहीं है। अतः अधिनियम में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

बरौनी तथा सिन्दरी में उर्वरक कारखानों में हुआ घाटा

71. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बरौनी तथा बिहार में सिन्दरी में स्थित उर्वरक कारखानों को घाटे में चलने के कारण बंद करने का है;

(ख) क्या इन एककों को बंद कर देने से हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे और क्या इससे राज्य में कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार कारखानों में घाटा कम करने हेतु समुचित कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बरौनी तथा सिन्दरी उर्वरक एककों में हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :

1. समस्यात्मक उपस्करों के प्रतिस्थापन/नवीकरण द्वारा क्षमता उपयोगिता में सुधार करना;

2. निवारक और भविष्यसूचक रख-रखाव द्वारा सतत निगरानी; और

3. विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित कर्मचारियों का समावेश।

संबंधित कम्पनियों ने भी साधारण निवेश के साथ इन एककों के पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव भेजे हैं।

[अनुवाद]

बसन्त कुंज और प्रसाद नगर-II में डी० डी० ए० फ्लैट

72. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसंत कुंज डी० डी० ए० कालोनी के दो ब्लाक धंस गए हैं और एक फ्लैट की बाल्कनी की छत गिर गई है तथा डी० डी० ए० प्रसाद नगर-II में रिसने वाले मकानों पर अपनी लापरवाही छुपाने की कोशिश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भूमि का पूर्व निरीक्षण किए बिना बसंत कुंज में फ्लैट बनाने के क्या कारण हैं; और प्रसाद नगर-II में फ्लैटों के रिसने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली नगर निगम द्वारा भवनों को गिराया जाना

73. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1991 के दौरान शकरपुर, लक्ष्मीनगर और पांडव नगर में निर्माणाधीन/विस्ताराधीन भवनों को गिराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भवन गिराये जाने के तुरन्त पश्चात ही भवन मालिकों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित परिसरों में से किसी में भी कोई और अनधिकृत परिवर्धन नहीं किया गया है। तथापि, कुछ

मालिकों/भवन निर्माताओं द्वारा कुछ मरम्मत कार्य प्रारंभ किया गया था जिसे तुरन्त बंद कर दिया था।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	सम्पत्ति सं०/अवस्थिति
	अगस्त, 1991
1.	एस-511, शकरपुर
2.	10/370, शकरपुर
	सितम्बर, 1991
1.	एस-511, शकरपुर
2.	एस-513, शकरपुर
3.	1/10, ललिता पार्क, लक्मीनगर
4.	1/10, पार्ट, ललिता पार्क, लक्मी नगर
5.	1/50, लक्मी नगर, विकास मार्ग
6.	2/71, ललिता पार्क, लक्मी नगर
	अक्तूबर, 1991
1.	ए-47, गुरु अंगद नगर, लक्मी नगर
2.	10/370, ललिता पार्क
3.	10, ललिता पार्क

राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के श्रमिकों में कैंसर की घटनाएं

74. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 28 सितम्बर, 1991 के समाचार पत्र "टाइम्स ऑफ इंडिया" में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के श्रमिकों और इसके आसपास के क्षेत्रों में कैंसर की अधिक से अधिक घटनाओं की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से इस परियोजना के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की उपेक्षा कर दी गई है जिसके कारण लोगों में चिंता और भय बढ़ रहा है; और

(घ) इन शर्तों के बारे में संबंधित अधिकारियों ने क्या निर्णय लिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के पिछले 24 वर्षों के रिकार्ड के अनुसार, संयंत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों में कैंसर होने के मामले राष्ट्रीय औसत से काफी कम हैं। व्यवस्था के कारण पड़ने वाले विकिरण प्रभाव की मात्रा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं से कम है। आम जनता पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव पर भी निगरानी रखी जाती है तथा रिकार्ड ये बताते हैं कि इस प्रकार का प्रभाव वातावरण में प्राकृतिक रूप से विद्यमान विकिरण की मात्रा का अंश मात्र है और निर्धारित न्यूनतम मानक सीमा से कम है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं का विस्तार करने के दौरान, पर्यावरण के बचाव के संबंध में उन सभी शर्तों का अनुपालन किया जाता है जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आबंटन

75. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) 30 अक्तूबर, 1991 तक जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान वास्तव में व्यय की गई धनराशि तथा पैदा किए गए रोजगार के अवसरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1991-92 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन और 30 अक्तूबर, 1991 तक रिलीज की गई निधियां संलग्न विवरण-1 में दर्शायी गई हैं।

(ग) 1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों के राज्यवार उपयोग और सृजित रोजगार को संलग्न विवरण-2 में दर्शाया गया है।

विवरण-1

1991-92 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन और 30-10-91 तक रिलीज की गई राशि

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	आबंटित संसाधन (राज्य अंश सहित)	रिलीज किए गए संसाधन (राज्य के मैचिंग अंश सहित)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	19166.20	7169.45

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	330.67	28.77
3.	असम	5114.59	1734.54
4.	बिहार	38466.78	15183.66
5.	गोआ	357.27	119.09
6.	गुजरात	8090.71	3260.36
7.	हरियाणा	1926.82	1315.68
8.	हिमाचल प्रदेश	1135.28	566.83
9.	जम्मू और कश्मीर	1611.51	1616.11
10.	कर्नाटक	12059.70	5423.32
11.	केरल	6396.19	2132.06
12.	मध्य प्रदेश	26402.50	9707.25
13.	महाराष्ट्र	20424.85	16059.16
14.	मणिपुर	423.83	113.83
15.	मेघालय	495.91	75.00
16.	मिज़ोरम	208.90	89.14
17.	नागालैण्ड	531.58	177.19
18.	उड़ीसा	13094.93	4567.44
19.	पंजाब	1675.65	1300.74
20.	राजस्थान	12805.28	7916.45
21.	सिक्किम	193.54	129.03
22.	तमिलनाडु	17223.66	5741.21
23.	त्रिपुरा	550.49	225.61
24.	उत्तर प्रदेश	51093.28	17752.64
25.	पश्चिम बंगाल	21786.94	7547.44
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	156.56	52.16

1	2	3	4
27.	चंडीगढ़	38.81	
28.	दादर व नगर हवेली	84.99	28.33
29.	दमन व द्वीव	50.07	
30.	दिल्ली	184.18	
31.	लक्षद्वीप	78.49	
32.	पांडिचेरी	153.25	51.08
	कुल	262313.37	110083.57

विवरण-2

1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों का राज्यवार उपयोग और रोजगार सृजन

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उपयोग किए गए संसाधन (लाख रुपयों में)	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिवस)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	19317.09	810.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	208.77	8.44
3.	असम	5648.57	126.02
4.	बिहार	42645.86	1130.11
5.	गोआ	277.12	8.88
6.	गुजरात	7513.03	188.82
7.	हरियाणा	2085.43	35.03
8.	हिमाचल प्रदेश	1270.68	35.86
9.	जम्मू और कश्मीर	1636.30	54.27
10.	कर्नाटक	10684.41	473.20
11.	केरल	6819.92	180.96

1	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	24234.17	958.57
13.	महाराष्ट्र	19254.92	860.22
14.	मणिपुर	482.45	12.16
15.	मेघालय	339.35	7.88
16.	मिजोरम	833.41	19.69
17.	नागालैण्ड	617.46	18 98
18.	उड़ीसा	12845.26	341.97
19.	पंजाब	1222.55	21.81
20.	राजस्थान	17029.54	506.01
21.	सिक्किम	197.78	17.03
22.	तमिलनाडु	19661.60	755.21
23.	त्रिपुरा	525.40	19.05
24.	उत्तर प्रदेश	45773.98	1628.27
25.	पश्चिम बंगाल	17019.09	516.85
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	102.02	2.97
27.	चंडीगढ़	12.29	0.11
28.	दादर व नगर हवेली	66.53	2.84
29.	दमन व दीव	15.46	0.63
30.	दिल्ली	56.84	0.89
31.	लक्षद्वीप	64.11	2.23
32.	पांडिचेरी	164.48	4.89
	कुल	258625.87	8740.51

[हिन्दी]

जूट उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी

76. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी के कारण मोम उद्योग संकट में है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग का कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) देश में टाइप-I व टाइप-II का जितना पैराफीन मोम उपलब्ध होता है वह सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देश में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार समय-समय पर टाइप-I व टाइप-II के पैराफीन मोम के आयात की मंजूरी देती है। 1991-92 के दौरान सरकार ने टाइप-I व टाइप-II के 25000 मी० टन पैराफीन मोम के आयात की अनुमति दी है।

[अनुवाद]

निर्धनों के लिए आवासीय मकानों की व्यवस्था

77. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के निर्धनों तथा उपेक्षित वर्गों को आवासीय मकान उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की रूपरेखा तथा उसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी; और

(घ) यदि इस प्रयोजनार्थ ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) आवास का प्रबन्ध राज्य का विषय है और राज्य तथा संघ शासित सरकारें अपनी प्राथमिकता तथा वित्तीय संसाधनों के अनुसार और राज्य योजना उपबन्धों के माध्यम से, विभिन्न लक्षित समूहों के लिए, आवास योजनाएं तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। केन्द्रीय सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना, नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी निर्धनों के लिए आश्रय उन्नयन, शहरों में पटरी पर सोने वालों के लिए रैन बसेरे तैयार करने की केन्द्रीय योजना चलाता है। सरकार, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा हुडको जैसे राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से राज्य आवास तथा शहरी विकास एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी व्यवस्था करती है। अन्य विशेष योजना, फिलहाल विचाराधीन नहीं हैं।

सरकार, आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रिहायसी मकानों का निर्माण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों के बीच निर्धन लोगों के लिए प्राथमिकता प्रदान करने की इच्छुक है। इस कार्यक्रम में नए निर्माण के साथ-साथ मौजूदा जीर्ण-शीर्ण यूनिटों के उन्नयन पर भी विचार है। निर्धनों के लिए तैयार किए जाने वाले विशेष योजनाओं को चलाने तथा राज्य स्तर पर उनके कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ शासित सरकारों को वार्षिक योजना

1992-93 के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तथा अपने आठवें योजना प्रस्ताव में योजना आयोग को वित्तीय आवश्यकता का पूरा आकलन प्रस्तुत करने की सलाह दी है ।

[हिन्दी]

129

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तथाकथित बोगस भुगतान

78. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों के दौरान ठेकेदारों को बोगस भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में आज तक कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण 129

79. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अन्धाधुन्ध अनधिकृत निर्माण होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे अनधिकृत निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) अनधिकृत निर्माण एक सतत समस्या है । जब भी, ऐसा क्रियाकलाप ध्यान में आता है, संबद्ध कानूनों के तहत स्थानीय अभिकरणों द्वारा कार्रवाई की जाती है । दिल्ली प्रशासन ने स्थानीय अभिकरणों और पुलिस को इस सम्बन्ध में कई अनुदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

129-3

सरकारी हास्टल

80. श्री मनोरंजन भक्त : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सरकारी हास्टल कार्य कर रहे हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ख) इनमें कितना आवास उपलब्ध है तथा प्रत्येक हास्टल में कितना किराया लिया जाता है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शासित हास्टल तथा हालीडे होम के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	हास्टल का नाम	अवस्थिति	एकक की संख्या	किराया
1	2	3	4	5
1.	प्रगति विहार हास्टल (सभी डबल स्यूट)	दिल्ली	792	सुसज्जित
				284 रु० प्रति माह
2.	(न्यू) मिन्टो रोड हास्टल (सभी डबल स्यूट)	-वही-	184	असज्जित
				190 रु० प्रति माह
				185 रु० प्रति माह
3.	(पुराना) मिन्टो रोड हास्टल			
	(i) डबल स्यूट	-वही-	32	181 रु० प्रति माह
	(ii) रसोई सहित सिंगल स्यूट	-वही-	64	131 रु० प्रति माह
4.	टैगोर रोड हास्टल			
	(i) डबल स्यूट	-वही-	32	181 रु० प्रति माह
	(ii) सरोई सहित सिंगल स्यूट	-वही-	64	132 रु० प्रति माह
5.	वर्किंग गर्ल्स हास्टल	-वही-	137	दो सिटर 96 रु० प्रति माह
				तीन सिटर 104 रु० प्रति माह
6.	एशिया हाऊस हास्टल			
	(i) हास्टल डबल स्यूट	-वही-	128	173 रु० प्रति माह
	(ii) रसोई रहित हास्टल डबल स्यूट	-वही-	03	88 रु० प्रति माह

1	2	3	4	5
7.	कर्जन रोड हास्टल			
	(i) हास्टल डबल स्यूट	दिल्ली	256	289 रु० प्रति माह
	(ii) रसोई सहित हास्टल सिंगल स्यूट	-वही-	96	168 रु० प्रति माह
	(iii) रसोई सहित हास्टल सिंगल स्यूट	-वही-	126	153 रु० प्रति माह
	(iv) सर्वेंट क्वार्टर	-वही-	168	28 रु० प्रति माह
	(v) कार गैरेज	-वही-	54	8 रु० प्रति माह
8.	वेस्टर्न कोर्ट हास्टल	नई दिल्ली	74 स्यूट	
			12 डबल	345 रु० प्रति माह
			62 सिंगल	207 रु० प्रति माह
9.	वी० पी० हाऊस	नई दिल्ली	150 स्यूट	
			110 सिंगल	199 रु० प्रति माह
			40 डबल	284 रु० प्रति माह

टिप्पणी : एफ ब्लाक, कर्जन रोड अपार्टमेंट में 40 सिंगल स्यूट (रसोई रहित) दौरे पर आए केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को ठहराने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। प्रत्येक कमरे की लाइसेंस फी 10 रु० प्रति दिन है।

दिल्ली के बाहर केन्द्र सरकार के हास्टल

क्र० सं०	स्थान का नाम	यूनिटों की संख्या		किराया
1	2	3		4
	(क) केन्द्र सरकार के टूरिंग आफीसर्स हास्टल			
1.	निजाम पैलेस, कलकत्ता	सिंगल स्यूट	13	रु० 05 प्रति दिन
		डबल स्यूट	31	रु० 10 प्रति दिन
		कामन बाथ के साथ सिंगल कम	8	रु० 03 प्रति बिस्तर प्रति दिन
			52	

1	2	3		4
2.	ओल्ड सी० जी० ओ० बिल्डिंग, चौरंगी, बम्बई	सिंगल स्यूट	2	यथोक्त
		डबल स्यूट	3	
		डोरमेटरी		
		फोर बेडेड	1	
		टू बेडेड	2	
		वन बेडेड	2	
3.	नपेअन सी रोड, बम्बई	सिंगल स्यूट	8	यथोक्त
		डबल स्यूट	9	उपरोक्त दरें एअर कंडीसनर्स, मीजर्स, कम्बल आदि प्रभारों के अलावा हैं।
		योग	27	
4.	शास्त्री भवन, मद्रास	डबल स्यूट	7	यथोक्त
		डोरमेटरी (दो बिस्तर)	3	
		योग	10	
5.	डेमलुर, बैंगलोर	डबल रूम	1	यथोक्त
		सिंगल रूम	4	
			5	
6.	बेलायर, पुंकुलम, त्रिवेन्द्रम	डबल बेड रूम	4	यथोक्त
	(ख) होलीडे होम्स			
1.	1. ग्राण्ड होटल, शिमला	सिंगल बेड स्यूट	18	10 रु०
		डबल बेड स्यूट	56	15 रु०

1	2	3		4
		चार बेड स्यूट	33	20 रु०
				उपरोक्त दरें कम्बलों आदि प्रभारों के अलावा हैं।
			107	
2.	विवेकानन्द केंद्र, कन्याकुमारी	डबल बेड स्यूट	5	10 रु०
		तीन बेड स्यूट	2	25 रु०
			7	

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में खाद्यान्नों एवं खाद्य तेलों के भण्डार की स्थिति

81. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेल की माहवार भण्डारण स्थिति क्या थी;

(ख) क्या सरकार की संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों और खाद्य तेलों का 6 महीने की अवधि के लिए भण्डार रखने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) विवरण-1, विवरण-2 और विवरण-3 जिनमें (1) चावल और गेहूं की भंडारण स्थिति, (2) लेवी चीनी एवं (3) खाद्य तेलों की आवंटित और उठाई गई मात्रा दर्शाई गई है, संलग्न हैं।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम ने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में एक 5,000 मी० टन का गोदाम बनाया है। भारतीय खाद्य निगम जल्दी ही इन गोदामों को चालू करने वाला है तथा द्वीप समूह के अन्दर ही खाद्यान्न का स्टाक बनाने का प्रयास करेगा। केवल आयातित खाद्य तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किया जाता है। आयातित खाद्य तेल का आवंटन आयात पर निर्भर करता है।

विवरण-1

संघ शासित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पिछले दो वर्षों के दौरान चावल तथा गेहूं की कुल भंडार (अनन्तिम) की माहवार स्थिति

(हजार मी० टन में)

के अनुसार	चावल	गेहूं
1	2	:
1-1-89	2.2	4.5
1-2-89	4.0	3.8
1-3-89	3.0	3.0
1-4-89	4.1	2.4
1-5-89	3.6	1.9
1-6-89	6.6	1.2
1-7-89	5.1	0.6
1-8-89	3.4	0.5
1-9-89	3.4	1.2
1-10-89	1.6	0.9
1-11-89	1.7	0.6
1-12-89	3.3	2.1
1-1-90	2.8	3.1
1-2-90	4.4	3.1
1-3-90	4.8	1.7
1-4-90	3.4	1.4
1-5-90	4.1	2.5
1-6-90	2.6	1.8
1-7-90	4.4	2.2
1-8-90	4.4	3.0

1	2	3
1-9-90	4.6	3.2
1-10-90	4.0	2.5
1-11-90	4.7	1.7
1-12-90	3.8	1.0
1-1-91	5.5	2.1
1-2-91	3.9	1.4
1-3-91	5.4	1.6
1-4-91	4.2	0.9
1-5-91	5.0	1.2
1-6-91	3.6	0.5
1-7-91	3.1	0.6
1-8-91	3.1*	0.6*
1-9-91	3.1*	0.6*
1-10-91	3.1*	0.6*

* 1-7-91 की स्थिति की पुनरावृत्ति

विवरण-2

तेल वर्ष के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को/द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेल का आवंटन तथा उठाई गई मात्रा

(मात्रा मी० टन में)

माह	1989-90		1990-91	
	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5
नवम्बर	200	200	200	—
दिसम्बर	200	100	—	—
जनवरी	200	—	—	—

1	2	3	4	5
फरवरी	200	50	200	200
मार्च	200	—	200	—
अप्रैल	200	100	200	200
मई	200	50	—	200
जून	200	150	—	—
जुलाई	200	200	—	—
अगस्त	250	—	—	—
सितम्बर	250	—	—	—
अक्तूबर	250	250	100	—
योग	2550	1100	900	600

विवरण-3

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को लेवी चीनी की आवंटित/उठाई गई मात्रा

(आंकड़े मी० टनों में)

आवंटन की अवधि	आवंटन	उठाई गई मात्रा	
		माह	मात्रा
1	2	3	4
जनवरी, 1990 से जून, 1990	1485	नवम्बर, 1989	492
		दिसम्बर, 1989	250
		जनवरी, 1990	50
		फरवरी, 1990	668
			1460

1	2	3	4
जुलाई, 1990 से दिसम्बर, 1990	1482	जून, 1990	1472
		अक्तूबर, 1990	37
सितम्बर, 1990 (त्यौहार कोटा)	+37		
	1519		1509
जनवरी, 1991 से जून, 1991	1482	अक्तूबर, 1990	327
		नवम्बर, 1990	35
अक्तूबर, 1990 (त्यौहार कोटा)	37	दिसम्बर, 1990	1084
	—	मार्च, 1991	73
	1519		1519
जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1991	1481	मार्च, 1991	227
		अप्रैल, 1991	1168
अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 (5% की तदर्थ वृद्धि)	60	अगस्त, 1991	16
			1411
अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1991 (त्यौहार कोटा)	74	सितम्बर, 1991	—
		अक्तूबर, 1991	156
	1615		1567

137 - ...

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भविष्य निधि के बकायादार

82. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान संघ राज्य क्षेत्र, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में प्राइवेट और सरकारी भविष्य निधि के अलग-अलग वर्षवार कितने बकायादार हैं; और

(ख) बकाया धनराशि वसूल करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में केवल एक भविष्य निधि चूककर्ता (गैर-सरकारी) है।

(ख) चूककर्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध आवश्यक कानूनी और वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र में सुरक्षोपाय

83. **श्री विजय नवल पाटील :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र अनेक समस्याओं से ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र में किस प्रकार के दोष हैं;

(ग) इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या सुरक्षा/उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या परमाणु विद्युत संयंत्र को ठंडा करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पानी स्थानीय नदी से प्राप्त किया गया था और वापस उसी नदी में मोड़ दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थानीय जनसंख्या पर इस दूषित पानी का क्या प्रभाव पड़ा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां, अपने पहले यूनिट के बारे में। लेकिन यह समस्या एण्ड शील्ड मे शीतलक पानी के रिसाव से सम्बन्धित है नाभिकीय ईंधन से नहीं।

(ग) बारीक दरारें पड़ने की वजह से साधारण (भारी नहीं) पानी का रिसाव हुआ था और उस रिसाव को आधुनिक यंत्रों की सहायता से बन्द करने की व्यवस्था द्वारा रोक दिया गया है। सन् 1987 से इस यूनिट के विद्युत उत्पादन स्तर को 100 मेगावाट तक सीमित किया हुआ है। उपर्युक्त व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा की गई है।

(घ) और (ङ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले तथा दूसरे यूनिट ने नदी से पानी निकालकर उसे वापिस उसी में बहाकर एक बार ही काम में लाई जाने वाली शीतलक प्रणाली अपनाई है। इस पानी का उपयोग उस शीतलक प्रणाली में किया जाता है जो विकिरण सक्रिय नहीं होती है और जिसका नाभिकीय ईंधन अथवा रिएक्टर की विकिरण सक्रियता से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। अनेक अवरोधकों और संबंधी व्यवस्थाओं को काम में लाया जाता है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की विकिरण सक्रियता की विद्यमानता का पता लगाने की दृष्टि से नदी में बहाए जाने वाले पदार्थों का मानीटरन किया जाता है ताकि इस सम्बन्ध में निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों का अनुपालन किया जा सके।

वनस्पति के उत्पादन में कमी

84. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति के उत्पादन में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) वनस्पति के उत्पादन में कमी के ये मुख्य कारण प्रतीत होते हैं :

(1) वनस्पति के मूल्यों की तुलना में परिष्कृत बिनौले के तेल, सोयाबीन के तेल आदि जैसे सस्ते पकाने के वैकल्पिक माध्यमों की प्रचुर उपलब्धता, और

(2) खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के कारण सस्ते कच्चे माल की सीमित उपलब्धता।

(ग) वनस्पति की कोई कमी नहीं है। वनस्पति की कीमतें किसी सरकारी विनियम के अन्तर्गत नहीं हैं। सरकार वनस्पति के विनिर्माण में अप्रधान/अपरम्परागत तेलों के प्रयोग पर उत्पाद शुल्क में छूट दे रही है। शहरी भूमि 139-41

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की पुनरीक्षा

86. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों में सक्षम प्राधिकारियों को अतिरिक्त भूमि की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितनी विवरणियां प्राप्त हुई और कितनों का निपटान किया गया;

(घ) कुल कितनी भूमि को अतिरिक्त खाली भूमि घोषित किया गया;

(ङ) क्या महानगरों में विशाल भू-क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है और इसके कारण भूमि की कीमतें आसमान छू रही हैं;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार का नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

(ख) मन्दगति तथा अप्रभावी कार्यान्वयन के कारण नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की आलोचना की गई है। राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अधिनियम में संशोधन करने की भी सिफारिश की है (सिफारिशें विवरण-I पर हैं)।

(ग) और (घ) राज्य/संघ शासित क्षेत्र की जानकारी, जिन पर नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) अधिनियम लागू होता है, विवरण-2 में दी गई है।

(ङ) शहरी क्षेत्रों में भूमि के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। अतः भारत सरकार भूमि का उपयोग तथा भूमि के मूल्य पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी एकत्र नहीं करती।

(च) और (छ) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के संशोधन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

विवरण-1

नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशें

(क) अधिनियम की धारा 20 और 21 के अधीन अनुज्ञप्त विवेकी छूटों को हटा दिया जाए।

(ख) यदि आवश्यक समझा जाए तो सभी छूटों को, इसके अधिकार क्षेत्र में विस्तार करके धारा 19 के परिधि में लाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो छूट की परिधि में है वह अनिवार्य है तथा जिसमें छूट नहीं दी गई है, उसमें किसी भी प्राधिकारी द्वारा छूट नहीं दी जा सकती।

(ग) कठिनाइयों को दूर करने, विसंगतियों को ठीक करने तथा ऐसे विशेष मामलों को निपटाने के लिए, जहां भूमि का उपयोग या तो अव्यवहार्य, विकास के लिए संभव न होने या मौजूदा उपयोग के साथ असंगत होने के कारण फालतू घोषित किया गया है, प्रावधान किए जाने चाहिए।

(घ) सारी भूमि, जो रिक्त है तथा फालतू है, का विकास पांच वर्षों की निर्धारित अवधि के दौरान, प्रत्येक में 80 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र के आवासीय यूनिटों का निर्माण करने के लिए किया जाना चाहिए अथवा समझौते के द्वारा राज्य, राज्य के उपक्रम, सांविधिक निगम या आवास के कार्य में लगे प्राधिकरण तथा शहरी विकास अथवा आवास के लेन-देन करने वाले सहकारी संगठन को अंतरित किया जाना चाहिए।

(ङ) अनुज्ञेय मानकों के विपरीत विकसित सभी सम्पत्तियां, कुछ भी हो, बिना किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान किए, राज्य द्वारा जब्त कर दी जानी चाहिए।

(च) विलम्बन की अवधि समाप्त होने पर अविकसित भूमि, निर्धारित धनराशि का भुगतान करके स्वतः ही राज्य सरकार को मिल जानी चाहिए।

(छ) उस अवधि के दौरान, जब अधिकतम सीमा से अधिक भूमि रिक्त रखी जाती है नगर का आकार, स्थानीय स्थिति आदि पर निर्भर करते हुए, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर से लेकर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक एक उपकर अथवा कर प्रभारित किया जाना चाहिए और उससे प्राप्त आय को उस प्रत्येक शहरी केन्द्र के लिए गठित की

जाने वाली अवधि में जमा की जानी चाहिए, जिस पर अधिनियम लागू होता है। दूसरे शब्दों में, अधिसूचित कस्बों तथा नगरों में किसी को भी, इसके लिए बिना किसी भुगतान के अथवा निर्धारित मानकों के अनुसार नगर का विकास करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए, अधिक रिक्त भूमि को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे तत्परता से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि फालतू भूमि का समुचित उपयोग हो तथा इससे भूमि पर्याप्त रूप में उपलब्ध हो सकेगी।

विवरण-2

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	अतिरिक्त रिक्त भूमि के प्राप्त विवरणों की संख्या	निपटाए गए विवरणों की संख्या	फालतू घोषित भूमि की सीमा (हैक्टे० में)
1. आंध्र प्रदेश	35,712	16,202	12,364.37
2. असम	2,135	356	73.43
3. बिहार	1,091	288	235.45
4. गुजरात	43,460	33,023	32,513.00
5. कर्नाटक	33,595	21,548	9,744.27
6. मध्य प्रदेश	18,144	8,476	16,007.73
7. महाराष्ट्र	77,247	33,427	53,342.36
8. उड़ीसा	696	378	124.60
9. पंजाब	6,432	4,411	1,851.16
10. राजस्थान	9,775	3,564	27,369.14
11. उत्तर प्रदेश	1,20,147	91,737	56,690.23
12. पश्चिम बंगाल	31,514	1,829	5,007.00
संघशासित क्षेत्र			
1. दिल्ली	9,106	6,834	341.06
2. पांडिचेरी	1,267	635	254.15
3. चंडीगढ़	210	67	13.63
4. छावनी क्षेत्र	4,297	3,651	606 18

मयूर विहार फेज-1 में विपणन केन्द्र का निर्माण

87. **श्री बो० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मयूर विहार फेज-1, विस्तार, (नोएडा रोड) दिल्ली में स्थानीय विपणन केन्द्र के लिए भवन के नक्शे की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण के लिए निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो विपणन केन्द्र कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) निविदाएं अभी आमन्त्रित की जानी हैं।

(ग) मयूर विहार फेज-1 एक्सटेंशन (नोएडा रोड), दिल्ली में स्थानीय विपणन केन्द्र का निर्माण, आवश्यक अनुमोदन की उपलब्धता की शर्त पर मार्च, 1993 तक पूरा होने की सम्भावना है।

कृषि श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

88. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने बिहार मे, विशेष रूप से मुजफ्फरपुर में कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कौन-कौन-सी बड़ी कल्याण योजनाएं मंजूर की हैं; और

(ख) इन योजनाओं से कितने कृषि श्रमिक लाभान्वित हुए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

किसानों पर उर्वरकों के मूल्य में हुई वृद्धि का प्रभाव

89. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को किसानों पर उर्वरकों के मूल्य में हुई वृद्धि के प्रभाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग कृषि क्षेत्र के लिए संसाधनों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उर्वरकों की मूल्य वृद्धि के संभावित प्रभाव से उबरने के लिए सरकार ने प्राप्ति मूल्य में

पहले ही अधिक बढ़ोत्तरी कर दी है। इसके अतिरिक्त छोटे तथा सीमांत किसान पहले के मूल्यों पर ही उर्वरक प्राप्त करेंगे। इस तरह उर्वरकों की मूल्य वृद्धि का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण में कृषि तथा अन्य सैक्टरों के लिए संसाधन आबंटन निर्धारित करते समय योजना आयोग सभी उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखेगा।

कृषि उत्पादों के लिए विपणन प्रणाली

90. श्री आर्थर फर्नान्डीज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बढ़ते कृषि उत्पादन का प्रबन्ध करने के लिए बाजार संबंधी जानकारी, भंडारण तथा परिवहन सुविधाओं के सुदृढ़ आधार स्तंभ सहित एक कुशल विपणन प्रणाली का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं के समन्वित विकास के उद्देश्य से राज्य सरकारों को मंडियों की स्थापना तथा गोदामों की स्थापना हेतु राज्य मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। केन्द्रीय सरकार भी यथासंभव मंडियों को विनियमन की परिधि में लाने के लिये राज्य सरकारों पर जोर देती आ रही है। केन्द्रीय सरकार इन मंडियों में आधारभूत सुविधायें मुहैया करवाने के लिए वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ मंडियों की आयोजना और अभिकल्पना हेतु राज्य सरकारों को तकनीकी मार्गदर्शन भी दे रही है। राज्य सरकारों के सहयोग से बाजार संबंधी जानकारी एकत्र करने तथा इसका प्रचार-प्रसार करने के लिये भी प्रबन्ध किये गए हैं। इसके अलावा, केन्द्र और राज्य सरकारों के नियंत्राधीन सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां देश भर में कृषि उत्पादों की खरीद, भण्डारण तथा इन्हें देश के कोने-कोने में पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।

महाराष्ट्र में शहरी आधारभूत सेवा योजना के अन्तर्गत शहरों का विकास

91. प्रो० अशोक राव आनन्द राव देशमुख : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान शहरी आधारभूत सेवा योजना के अन्तर्गत किन-किन शहरों का विकास किया गया है; और

(ख) महाराष्ट्र में वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए किन-किन शहरों का चयन किया गया है और इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1986-90 के दौरान शहरी मूलभूत सेवाएं योजना रत्नागिरी जिले के खेड, चीपलम, राजापुर और रत्नागिरी

की निगम परिषदों में और सिन्धुदुर्ग जिले के आलवान, स्वन्तावडी तथा वेंगुरला की निगम परिषदों में कार्यान्वित की गई थी।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवाएं संशोधित योजना के अन्तर्गत 1-4-91 से निम्नलिखित 15 कस्बों का चयन किया है: (1) पारबणी (2) बीड (3) चन्द्रपुर (4) उसमानाबाद (5) अकोला (6) धूले (7) मालेगांव (8) मनमाड (9) भंडारा (10) गोंडिया (11) भुसावल (12) चालीसगांव (13) जलाना (14) लाटूर (15) छोपडा।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य के लिए 189.00 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

ग्रामीण जनसंख्या

92. प्रो० अशोक राव आनन्द राव देशमुख : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की राज्यवार ग्रामीण जनसंख्या कितनी है;

(ख) इस समय राष्ट्रीय आय का कितनी प्रतिशत धनराशि ग्रामीण विकास योजनाओं पर व्यय की जा रही है; और

(ग) ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं पर व्यय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार राज्यवार ग्रामीण जनसंख्या सारणी के रूप में संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय लेखा आंकड़े ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निवेश के अलग-अलग अनुमान प्रस्तुत नहीं करते; तथापि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) अनुमान जनगणना वर्षों के लिए तैयार किए जाते हैं। 1980-81 में ग्रामीण निवल घरेलू उत्पाद देश के औसत निवल घरेलू उत्पाद का 58.85% है।

(ग) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर योजना व्यय छठी योजना में 4291 करोड़ रु० से बढ़कर सातवीं योजना में 11781 करोड़ रु० हो गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अन्तर्गत स्कीमें भी केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर योजना व्यय छठी योजना में 6497 करोड़ रुपये की तुलना में सातवीं योजना में 13243 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों से भी ग्रामीण क्षेत्र को लाभ पहुंचता है।

विवरण

भारत में ग्रामीण जनसंख्या (अनन्तिम) —राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार, 1991

	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण जनसंख्या, 1991
	1	2
	भारत	627,146,597
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	48,541,866
2.	अरुणाचल प्रदेश	753,586
3.	असम	19,823,674
4.	बिहार	74,969,964
5.	गोआ	689,201
6.	गुजरात	27,010,042
7.	हरियाणा	12,272,545
8.	हिमाचल प्रदेश	4,666,255
9.	जम्मू और कश्मीर	5,879,300*
10.	कर्नाटक	30,955,766
11.	केरल	21,356,457
12.	मध्य प्रदेश	50,787,815
13.	महाराष्ट्र	48,251,865
14.	मणिपुर	1,320,866
15.	मेघालय	1,431,547
16.	मिजोरम	369,177
17.	नागालैंड	1,005,478
18.	उड़ीसा	27,279,615
19.	पंजाब	14,189,913

	1	2
20.	राजस्थान	33,840,522
21.	सिक्किम	368,521
22.	तमिलनाडु	36,611,285
23.	त्रिपुरा	2,325,844
24.	उत्तर प्रदेश	111,377,720
25.	पश्चिम बंगाल	49,360,718
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	204,301
2.	चंडीगढ़	66,079
3.	दादरा और नागर हवेली	126,681
4.	दमन और द्वीव	53,901
5.	दिल्ली	943,392
6.	लक्षद्वीप	22,592
7.	पांडिचेरी	290,111

* जम्मू व कश्मीर में 1991 की जनगणना नहीं हुई। 1991 के लिए जम्मू और कश्मीर की ग्रामीण जनसंख्या; जनसंख्या प्रायोजना पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति 1 अक्तूबर, 1989 के अनुसार है।

स्रोत: पेपर-2, 1991 शृंखला-1, अनन्तिम जनसंख्या जोड़; ग्रामीण—शहरी वितरण—भारत की जनसंख्या 1991, भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त (विवरण 10, पृष्ठ 19)

146-47

महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल की कमी

93. प्रो० अशोकराव आनन्दराव देशमुख : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में विशेषकर गर्मी के दिनों में पेयजल की भारी कमी रहती है;

(ख) यदि हां, तो पेयजल की कमी को दूर करने के लिये पेयजल मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) इन क्षेत्रों के लिए इस मिशन के अन्तर्गत अन्य विचाराधीन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आठवीं योजना के अन्तर्गत क्या प्रावधान शामिल करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से गर्मी के दिनों में पीने के पानी की भारी कमी के बारे में महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई रिपार्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूमिहीन कृषि मजदूरों जैसे समाज के गरीब वर्गों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें भी जल सप्लाई की सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध हो रही हैं । सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज की गई निधियों में से कम से कम 10 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पेयजय सप्लाई करने हेतु उपयोग में लाई जाएंगी। ऐसी निर्धारित निधियों का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा । 1991-92 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 2000 बसावटों में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को 4 करोड़ रुपये की सहायता दिए जाने की सम्भावना है ।

(घ) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्ययों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में फ्लोराइड युक्त पेयजल से प्रभावित गांव

94. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा और अन्य जिलों में फ्लोराइड युक्त पेयजल से प्रभावित गांवों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ख) क्या इन गांवों की सहायता के लिए नीदरलैंड ने कुछ धनराशि दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कराया गया अनुसंधान

95. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने ताड़ी से चीनी का उत्पादन करने और ताड़ी का एक वर्ष के लिए परिरक्षण करने के लिए कोई अनुसंधान कराया है; और

(ख) नारियल जटा और पाम उत्पाद पर आधारित उद्योगों के विकास की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) खजूर की चीनी का उत्पादन केवल नीरा, जो खजूर का बिना खमीरा उठा रस है, से किया जाता है न कि ताड़ी से। ताड़ी खजूर का खमीरा उठाया गया रस होता है। खादी ग्रामोद्योग तमिलनाडु में, जहां खजूर गुड़ उद्योग फल-फूल रहा है, आपन पान बायलिंग सिस्टम/वैक्यूम पान बायलिंग सिस्टम से नीरा (खजूर का रस) से खजूर की चीनी का उत्पादन कर रहा है।

(ख) केयर आधारित उत्पादों के निर्यात और घरेलू बाजार के विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए भूरे नारियल जटा के विकास में नारियल जटा क्षेत्र में सहकारीकरण की योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। परम्परागत सफेद नारियल जटा क्षेत्र की मात्रा और उन्नयन तथा नारियल जटा रेशे को सूत में बदलने के लिए एककों को स्थापित करने और भूरे नारियल जटा क्षेत्र में मूल्यवर्धक उत्पादों के लिए कुशल कारीगरों के विकास की योजना शुरू की जाएगी।

के० वी० आई० सी० ने प्राकृतिक कच्चे माल का इस्तेमाल करके खजूर फूटी के विकास और खजूर चीनी तथा खजूर के शीरे के फोर्टिफिकेशन एवं खजूर टेम्परों की उन्नत तकनीकों को शुरू करने हेतु उपाय किये हैं। 148

औद्योगिक विवादों संबंधी रामानुजम समिति

96. श्री धर्म भिक्षम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक सम्बन्ध विधि संबंधी रामानुजम समिति की सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) रामानुजम समिति की रिपोर्ट की जांच राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके की जा रही है। इसे भारतीय श्रम सम्मेलन के अगले सत्र में विचार-विमर्श के लिये रखने का भी प्रस्ताव है।

148-47

आय के आधार पर राशन कार्ड जारी करना

97. श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राशन कार्डधारी उचित दर की दुकानों से चावल अथवा गेहूं नहीं लेते हैं बल्कि केवल चीनी ही लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का आय के आधार पर राशन कार्ड जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों से वस्तुएं लेना उपभोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर करता है तथा सरकार को इस संबंध में ब्यौरे की जानकारी नहीं है ।

(ग) और (घ) राशन कार्ड जारी करने के संबंध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वव्यापी स्वरूप की है और इसमें आय के आधार पर लाभानुभोगियों में अन्तर नहीं किया जाता ।

[हिन्दी]

149 – 50

बिहार में लघु उद्योगों के लिए कंप्यूटर एडेड केन्द्र

98. **श्री राम शरण यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का बिहार में छोटे दर्जे के उद्योगों के लिए "कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मशीन सेंटर, टूल रूम एण्ड प्रोटोटाइप डिजाइन सेंटर" स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) बिहार में प्रोटोटाइप डिजाइन सेंटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु बिहार के जमशेदपुर में कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मशीन सुविधाओं वाला केन्द्रीय औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र (एक भारत डेनमार्क परियोजना) स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) दोनों सरकारों के बीच एक समझौते पर जून, 1989 में हस्ताक्षर किए गए थे । आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति ने इस परियोजना को मार्च, 1991 में मंजूरी दे दी है । आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

— भूमि, भवन और मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य सरकार का अंशदान ।	रु० 357.00 लाख
— मशीनों, उपकरणों, सलाहकारों, शिक्षावृत्ति, इत्यादि के लिए डेनमार्क सरकार का अंशदान ।	रु० 852.00 लाख
— स्वदेशी मशीनों, सीमा-शुल्क, करों और 5 वर्ष के लिए आवर्ती खर्चों के लिए भारत सरकार का अंशदान ।	रु० 1436.00 लाख
	रु० 2645.00 लाख

(मूल वर्ष 1988)

औजार कक्ष सोसाइटी पंजीकरण कर दिया गया है। परियोजना के लिए भूमि पहले ही निर्धारित कर दी गई है।

खगड़िया में चीनी मिलों की स्थापना

99. श्री राम शरण यादव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खगड़िया (बिहार) में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) खगड़िया (बिहार) में नई चीनी फैक्टरी की स्थापना के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से खाद्य मंत्रालय में अभी तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली में सुपर बाजार को हुए लाभ/घाटे का लेखा

100. श्री राम शरण यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सुपर बाजार को वर्ष 1989-90 में कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) यह लाभ और घाटे के आंकड़े वर्ष 1988-89 की तुलना में कितने हैं; और

(ग) सरकार का सुपर बाजार के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) लाभ और हानि लेखा के अनुसार 1989-90 की अवधि में स्टोर ने 53.38 लाख रुपये का लाभ कमाया तथा विनियोजन लेखा के अनुसार सामान्य आरक्षित निधि के लिए 13.35 लाख रुपये और सदस्यों के लाभांश के लिए 6.36 लाख रुपये का प्रावधान करने के बाद स्टोर ने 33.67 लाख रुपये का निवल लाभ कमाया है।

(ख) जुलाई, 87 से मार्च, 89 (आयकर अधिनियम में संशोधन के कारण 21 महीनों में) तक की अवधि में स्टोर ने 93.97 लाख रुपये का लाभ कमाया। लाभ और हानि लेखा के अनुसार स्टोर ने सामान्य आरक्षित निधि में 23.49 लाख रुपये, अंशधारियों को लाभांश देने के लिए 11.81 लाख रुपये अन्तरित किए तथा निवल लाभ के रूप में 58.67 लाख रुपये कमाये।

वर्ष 1987-89 के अवधि के लाभ की तुलना 1989-90 के लाभ से सीधे नहीं की जा सकती, 1989-90 का केवल 12 महीनों के लिए है जबकि पिछले वर्ष का लाभ 21 महीनों के लिए था जो कि आयकर अधिनियम में संशोधन के अनुरूप लेखा वर्ष में परिवर्तन के कारण हुआ था।

वर्ष 1987-89 के दौरान बिक्री पर सकल लाभ 6.07% था, जबकि वर्ष 1989-90

की अवधि में यह 7.28% था। व्यापार खर्च जो वर्ष 1986-87 के दौरान 1.94% था, वर्ष 1987-89 में घटकर 1.37% हो गया तथा वर्ष 1989-90 में व्यापार खर्च और घटकर 1.02% पर आ गया है।

(ग) मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सुपर बाजार के कार्यों की समीक्षा की जाती है। सुपर बाजार को सलाह दी गई है कि वह कुल बिक्री में बढ़ोतरी करे, कठोर वित्तीय नियंत्रण लागू करे, खर्च में कमी लाये और स्टोर को कार्यविधि के सभी पहलुओं की समय-समय पर समीक्षा किया करे।

151

उत्तर प्रदेश और बिहार में औद्योगिक दुर्घटनाएं

101. **श्री राम शरण यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय करने हेतु इन राज्यों में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनुदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितने औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने इन सुरक्षा उपायों को अपनाया है तथा इसके क्या परिणाम मिले हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं की सख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या	
	प्राणघातक	अघातक
1989	77	6943
1990	83	5298

बिहार में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) कारखानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पहलुओं का नियमन करने वाले प्रावधान समय-समय पर यथासंशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में दिये गये हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत, जहां तक यथोचित रूप से संभव हो, कारखाने का अधिष्ठाता कारखाने में कार्य के दौरान सभी कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।

151-52

[अनुवाद]

"मिमको" की खानों में मजदूरों की छंटनी

102. **श्री सुधीर सावंत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोवा में न्यू इंडिया माइनिंग कम्पनी "निमको" की खानों में मजदूरों की छंटनी करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) और (ख) सरकार ने गोवा स्थित न्यू इंडिया माइनिंग कम्पनी "निमको" को उसके कामगारों की छंटनी करने की कोई अनुमति नहीं दी है। मैसर्स न्यू इंडिया माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-ढ की उपधारा 9 के अन्तर्गत रेडी खानों (महाराष्ट्र) में 227 कामगारों की निम्नलिखित आधार पर छंटनी करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया था :—

1. समुद्र में अधिभार डालने पर प्रतिषेध।

2. मालवाहक जहाजों (ट्रान्सशिपर) का उपलब्ध न होना।

3. निर्यात आर्डर न मिलना।

4. वित्तीय नुकसान।

इस मामले पर विचार किया गया और सरकार ने 14-8-91 को 227 कामगारों को तीन महीने के लिए छंटनी किए जाने की अनुमति इस आधार पर दी कि बाद में उसकी समीक्षा की जायेगी। यह सूचित किया गया है कि 4-10-1991 को छंटनी की शुरुआत की गयी। प्रबंध तंत्र ने छंटनी को जारी रखने के लिए एक और आवेदन दिया। प्रबंध तंत्र तथा यूनियन(नों) की सुनवाई करने के बाद प्रबंधतंत्र के अनुरोध पर लम्बित अन्तिम निर्णय पर प्रबंधतंत्र को अपने कामगारों को 16-11-91 से तीन सप्ताह की अवधि के लिए छंटनी करने की अनुमति दे दी गयी है।

152-53

महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

103. श्री सुधीर सावन्त : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने हेतु महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में फल प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या खाद्य पदार्थों की पैकिंजिग और बोतलों को आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कोई विशेष सहायता दी जा रही है;

(ग) क्या कोंकण क्षेत्र के युवाओं को विशेषत: आम, काजू, कटहल, जामुन, नारियल, अनन्नास आदि के प्रसंस्करण हेतु विशेष प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है; और

(घ) क्या सहकारी क्षेत्र को कोई विशेष रियायतें और सुविधाएं दी जा रही हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अंगूरों

के लिए एकीकृत फसलोत्तर व्यवस्था परियोजना से संबंधित एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीम के अन्तर्गत वित्त पोषण के लिए प्रस्ताव को सिद्धान्तः अनुमोदित कर दिया गया है। इस परियोजना से अंगूरों के निर्यात में तेजी आएगी।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक योजना स्कीम है जिसके अन्तर्गत लघु प्रसंस्करण यूनिटों द्वारा निर्मित फल एवं सब्जी उत्पादों के विपणन के लिए सहायता दी जा सकती है। यह सहायता राज्य सरकार के उपक्रमों, सहकारिता समितियों और संयुक्त क्षेत्र के संगठनों को दी जा सकती है। फिर भी यूनिट की संपूर्ण विपणन योजना के अंग के रूप में आकर्षक और प्रतिस्पर्धात्मक पैकिंग तैयार की जा सकती है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए एक योजना स्कीम तैयार करने की संभावनाओं का भी पता लगा रहा है और इच्छुक व्यक्ति इन केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे परन्तु इस समय कोंकण क्षेत्र के युवकों को फल एवं सब्जी प्रसंस्करण में प्रशिक्षण देने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है।

(घ) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना या उन्नयन, फल एवं सब्जी उत्पादों के विपणन, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग में पिछड़े सम्पर्क सूत्रों को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता देकर सहकारिता सेक्टर में सहायता की अनेक योजना स्कीमें हैं।

[हिन्दी] 153

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का तथाकथित वाणिज्यिक उपयोग

104. श्री अरविन्द नेताम :

श्री पंकज चौधरी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रायः सभी रिहायशी कालोनियों में भूमितल फ्लैटों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ग्राउंड फ्लोर फ्लैटों के कुछ आबंटी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अपने फ्लैटों का आंशिक रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं।

(ख) और (ग) ऐसे मामलों में, दुरुपयोग/अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन नोटिस जारी किए जाते हैं। ऐसे मामलों में, 1-4-91 से आज तक लगभग 680 मामलों में नोटिस जारी किए गए थे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में टेलीफोन पर व्यय

105. श्री अरविन्द नेताम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष एक वर्ष के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रतिनिधि कार्यालय, नई दिल्ली के टेलीफोनों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रतिष्ठान में व्यय पर नियन्त्रण लगाने के लिए कोई कदम उठाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली के स्थानीय प्रतिनिधि के कार्यालय में तीन टेलीफोन लगे हुए हैं और वर्ष 1990-91 में इन तीन टेलीफोनों पर खर्च की गई कुल राशि 3,01,302 रु० है।

(ख) सरकार ने सामान्य किफायती उपाय के रूप में सितम्बर-नवम्बर, 1990 की अवधि के लिए टेलीफोन खर्च में 10% कटौती लागू की है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा धनराशि का आवंटन

106. श्री अरविन्द नेताम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के दो जिलों के लिए करोड़ों रुपए की राशि आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसे आवंटन के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ककरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में आग लगना

107. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी गुजरात में सूरत में ककरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में अक्तूबर, 1991 को भयंकर आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो इस आग के कारण अनुमानतः कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई;

(ग) इस आग लगने के कारण क्या थे;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अब कोई कदम उठाने का विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां । परियोजना में आग लगने की एक स्थानिक घटना हुई थी । (यह घटना किसी न्यूक्लियर प्रणाली से संबंधित नहीं थी) ।

(ख) 70 लाख रुपए से 100 लाख रुपए के बीच ।

(ग) यह घटना पहले यूनिट के मध्यम वोल्टता वाले स्विचगियर में हुई खराबी से संबंधित थी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रबन्ध निदेशक ने इस घटना की जांच करने तथा कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने के वास्ते एक समिति गठित की है । इस समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर प्रणालियों को फिर से सामान्य तौर पर काम करने योग्य बनाया गया है और उन्हें चालू करने के कार्य किए जा रहे हैं । आशा है कि यह समिति दिसम्बर, 1991 तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे देगी और उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा ।

भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यकरण की पुनरीक्षा

108. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
　　श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यकरण की व्यापक पुनरीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय उत्पाद प्रमाणीकरण प्रणाली को विश्व में स्वीकार्य बनाने की दृष्टि से सरकार का विचार मानकीकरण और गुणवत्ता के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विकसित देशों को निर्यातित भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता निर्धारित स्तर की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित कदमों से भारत के और विकसित देशों के बाजारों में गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में किस हद तक सहायता मिलेगी ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) सचिव, नागरिक पूर्ति उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित एक अन्तर मंत्रालयीय कार्य दल इस समय इस मामले की जांच कर रहा है और इस संबंध में किए जाने वाले उपयुक्त उपाय सुझाएगा ।

(घ) जी हां, ये बहुत हद तक विकसित देशों के मानकों के साथ तुलनीय हैं।

(ङ) ब्यूरो ने पहले ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग को अपने उत्पादों की गुणता में सुधार लाने हेतु मदद करने के उद्देश्य से गुणता प्रणाली प्रमाणन आरम्भ कर दिया है।

156

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण

109. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र बनाने के लिए इसका आधुनिकीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के लिए प्रसंस्कृत खाद्यों के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय ने वर्ष 1990-91 से कार्यान्वयन के लिए विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की थीं। इन स्कीमों में राज्य सरकारों, निगमों/सहकारिता उपक्रमों को नये एकीकृत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता, विद्यमान यूनिटों के आधुनिकीकरण, विविधीकरण एवं विस्तार आदि के लिए सहायता, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन की स्कीमें, खाद्यान्न मिलिंग सेक्टर के आधुनिकीकरण की स्कीमें आदि शामिल हैं। इन स्कीमों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं करता। परन्तु, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने चालू वर्ष के दौरान प्रसंस्कृत फल और खाद्य पदार्थों के लिए 107 करोड़ रु०, पशुओं से प्राप्त उत्पादों के लिए 196 करोड़ रु० और दूसरे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए 168 करोड़ रु० के निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए हैं। "अपेडा" द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा है।

[हिन्दी] 156-57

स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी मध्य प्रदेश की परियोजनाएं

110. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के पास मध्य प्रदेश की कौन-कौन-सी परियोजनाएं इस समय स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं; और

(ख) उक्त परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) शुजालपुर कस्बे के लिए शिवना बाढ़ नियंत्रण स्कीम तथा बाढ़ सुरक्षा स्कीम योजना आयोग के पास अनुमोदनार्थ लंबित है ।

(ख) योजना आयोग में उपर्युक्त स्कीमों के लिए निवेश स्वीकृति हेतु निर्णय, राज्य सरकार के समग्र संसाधनों की उपलब्धता तथा आठवीं योजना (1992-97) जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है, में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रकों के लिए सम्बद्ध क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं पर निर्भर है ।

[अनुवाद]

चावल का खरीद मूल्य

112. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल का खरीद मूल्य आंध्र प्रदेश की तुलना में पंजाब में अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) लेवी चावल की सुपुर्दगी करने के लिए चावल मिल मालिकों को देय लेवी चावल के वसूली मूल्यों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा विभिन्न किस्मों के लिए निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों, जो कि देश भर में एक-समान होते हैं और विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए सांविधिक करों, असांविधिक प्रभारों और धान से चावल की वसूली की प्रतिशतता के आधार पर किया जाता है । पंजाब और आंध्र प्रदेश के बीच परिवर्तनीय घटकों में अन्तर होने के परिणामस्वरूप इन दो राज्यों के लिए लेवी चावल के भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारित करने पड़ते हैं ।

विज्ञान भवन का पुनर्निर्माण कार्य

113. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से होने वाले विज्ञान भवन के पुनर्निर्माण का कार्य किसी प्रतियोगिता के बिना ही मुम्बई स्थित एक परामर्शदात्री ग्रुप को दिया गया है जबकि ऐसे कार्य के लिए सामान्यत: डिजाइन प्रतियोगिता अनिवार्य होती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) नये निर्माण के लिए डिजाइन प्रतियोगिता उपयुक्त है । चूंकि, मौजूदा परियोजना विज्ञान भवन के केवल पुनर्निर्माण हेतु है इसलिए, डिजाइन प्रतियोगिता नहीं की गई थी । तथापि, खुले प्रतियोगी प्रस्ताव निमंत्रित किए गए थे तथा एक समिति द्वारा विचार-विमर्श और ध्यानपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात् कार्य अवार्ड किया गया था ।

158

भवन का तथाकथित निर्माण

114. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 सितम्बर, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि नई दिल्ली नगर पालिका के वास्तुशिल्प विभाग की कथित सांठगांठ से करोड़ों रुपये के मूल्य के एक भवन का अवैध निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान अनधिकृत रूप से निर्मित भवनों की संख्या का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए हैं और सरकार द्वारा ऐसे अनधिकृत भवनों के मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि नये अनधिकृत तौर पर निर्मित भवन का मामला नहीं है लेकिन परिवर्धन/परिवर्तन के रूप में अनधिकृत निर्माण किए जाने का मामला है। नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में ही अनधिकृत निर्माण का पता लगाया गया था और इसके वास्तुकीय विभाग की अन्तर्ग्रस्तता का प्रश्न नई दिल्ली नगर पालिका के जांचाधीन है। कानूनी और विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका में एक अनधिकृत निर्माण कक्ष कार्यरत है और इसका मुख्य कार्य अनधिकृत निर्माण का पता लगाने हेतु इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इलाकों का सर्वेक्षण करना है तथा पंजाब म्यूनिसिपल अधिनियम के अधीन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ करना है। नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्ष के दौरान मौजूदा भवनों में परिवर्धन/परिवर्तन के रूप में अथवा अनुमोदित योजनाओं के अतिक्रम के रूप में अनधिकृत निर्माण के 414 मामलों का नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा पता लगाया गया है और पंजाब म्यूनिसिपल अधिनियम के अधीन कार्रवाई की गई है।

बिना निविदाएं आमंत्रित किए ठेके दिया जाना

158-59

115. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियरी विभाग द्वारा निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही ठेके दिए जाने के मामलों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने ठेके दिए गए हैं; प्रत्येक ठेके में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; ये ठेके किन पार्टियों को दिए गए थे; बिना निविदाएं आमंत्रित किए ठेके दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कदाचार के मामले की यदि कोई जांच कराई गई है, तो उसके क्या परिणाम निकले?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

सुपर बाजार में दवाइयों की कमी

116 श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्थित सुपर बाजार में दवाइयों आदि की बहुत कमी है, यहां तक कि सामान्य दवाइयां भी उपलब्ध नहीं होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई शिकायत मिली है और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्थित सुपर बाजार की शाखा में दवाओं की भारी कमी नहीं है। सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि उद्योग के दावे के अनुसार अवमूल्यन और स्फीतिकारी दबावों के कारण निवेश लागत में वृद्धि हुई है तथा मूल्यों में संशोधन पर विचार किया जा रहा है जिसके कारण कुछ दवाओं की सामान्य उपलब्धता पर असर पड़ा है। स्थिति में कुछ हद तक सुधार होने की सूचना प्राप्त हुई है और अधिकतर दवाएं उपलब्ध हैं यद्यपि उनकी सप्लाई कम है।

(ख) सुपर बाजार को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल की शाखा से दवाओं की अत्यधिक कमी के कारण शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

सूरत और बड़ोदरा के फल सब्जी उद्योगों को सहायता

117. श्री कमलीराम राजा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में सूरत और बड़ोदरा के फल और सब्जी उद्योगों को सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सूरत और बड़ोदरा की फल और सब्जी उद्योगों संबंधी कितनी योजनाएं सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित पड़ी हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सरकार को गुजरात राज्य के सूरत और बड़ोदरा से संबंधित कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। परन्तु, गुजरात कृषि उद्योग निगम से फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों के लिए गुजरात राज्य से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी गुजरात की योजनाएं

118. श्री काशीराम राणा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने योजना आयोग की स्वीकृति के लिए कुछ विकास योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम क्या हैं तथा ये किन स्थानों पर कार्यान्वित की जाएंगी; और

(ग) उक्त प्रत्येक योजना पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) योजना आयोग में गुजरात की पांच आधुनिकीकरण की स्कीमें सिंचाई क्षेत्रक के तहत कार्रवाई के लिए लंबित पड़ी हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

स्कीम का नाम	स्थिति (जिला)
1. दांतीवाड़ा जलाशय	पालनपुर
2. भादर सिंचाई परियोजना	गोधरा
3. शेत्रुन्जी सिंचाई परियोजना	भावनगर
4. फतेहवाड़ी नहर पद्धति	अहमदाबाद
5. खड़ीकट नहर पद्धति	अहमदाबाद

(ग) योजना आयोग में उपर्युक्त स्कीमों के लिए निवेश स्वीकृति राज्य सरकार की समग्र संसाधन उपलब्धता पर निर्भर करती है तथा आठवीं योजना (1992-97), जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, में गुजरात सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रकों के लिए क्षेत्रकीय प्राथमिकताएं सम्मिलित की गई हैं।

गुजरात में चीनी कारखाने

119. श्री काशीराम राणा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखानों की कुल संख्या तथा इनकी उत्पादन-क्षमता कितनी है;

(ख) क्या गुजरात में एक नया चीनी कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) गुजरात राज्य में सहकारी क्षेत्र में 30-9-1991 तक संस्थापित चीनी फैक्ट्रियों की कुल सं० 17 थी जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 6.534 लाख टन थी।

(ख) से (घ) 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दिनांक 2-1-1987 के प्रेस नोट के तहत जारी किए गए लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के जारी होने के बाद गुजरात राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए 9 आशय पत्र जारी किए गए हैं जिनका ब्योरा संलग्न विवरण पर है।

विवरण

गुजरात राज्य में दिनांक 2-1-1987 के प्रेस नोट के अनुसार नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए जारी किए गए आशय-पत्र

(30-9-1991 को स्थिति)

क्र० सं०	स्थान सहित फैक्ट्री का नाम	आशय पत्र की तारीख	क्षमता	क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	मै० कावेरी विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, स्थान खाटा अम्बा, बलसाड (वलसाड)	22-6-1989	2500	सहकारी
2.	मै० श्री रेवा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, स्थान व डा० अमोद, ता० अमोद, जिला भरूच	10-7-1989	2500	सहकारी
3.	श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, स्थान तरोपा, तह० नन्दोद, जि० भरूच	16-10-1989	2500	सहकारी
4.	वडोदरा जिला सहकारी सुगरकेन ग्रोवर्स यूनियन लि०, स्थान मन्डाला, तह० डबोही, जिला वडोदरा	20-10-1989	2500	सहकारी
5.	श्री खेदुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, स्थान रोहिन्द, तह० हनसोत, जि० भरूच	19-1-1990	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
6.	श्री वालोद प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, वीरपुर, ता० वालोद, जि० सूरत	20-2-1990	2500	सहकारी
7.	श्री दमनगंगा सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, सरोन्डा, तह० उमबेरगांव, जि० वलसाड	26-3-1990	2500	सहकारी
8.	श्री उकई विभाग असरग्रस्त सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, सेक्सा, तह० सोगंध, जिला सूरत	28-3-1990	2500	सहकारी
9.	श्री निजार विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, निजार, जिला सूरत	20-3-1991	2500	सहकारी

यमुना पार क्षेत्र की सफाई करना

120. श्री बी० एल शर्मा "प्रेम" : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क यमुना पार क्षेत्र, जो दिल्ली के अन्य भागों की तुलना में सबसे गन्दा क्षेत्र है, की सफाई के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यमुना पार की विभिन्न कालोनियों के गंदे पानी के निकास के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

स्वच्छता तथा कूड़ा करकट को उठाने के काम के लिए दिल्ली नगर निगम के नियंत्रणाधीन यमुना पार की विभिन्न कालोनियों में अनुमोदित मानदंड के अनुसार सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है।

2. यमुना पार क्षेत्र में निम्नलिखित किस्म की कालोनियां/क्षेत्र मौजूद हैं :

(i) अनुमोदित कालोनियां

(ii) अनधिकृत नियमित कालोनियां

(iii) पुनर्वास कालोनियां

(iv) अनधिकृत कालोनियां

(v) झुग्गी झोंपड़ी समूह

श्रेणी (i) से (iii) की श्रेणी में आने वाले कालोनियां/क्षेत्रों के मामले में, बारिश/गन्दे पानी की निकासी के लिए अधिकांश क्षेत्रों में अन्दरूनी नालियां बनी हुई हैं और जहां कहीं भी मल निर्वास की सुविधा उपलब्ध है वहां पर मकानों को मल-निर्यास प्रणाली से जोड़ा गया है।

अनधिकृत कालोनियों के मामले में, बाहरी नाले तथा मल-निर्यास सहित, समुचित नाली प्रणाली मौजूद नहीं है और नीति के अनुसार दिल्ली नगर निगम (सामान्य स्कन्ध) ऐसे क्षेत्रों में किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं कर रहा है। झुग्गी झोंपड़ी समूहों का उत्तरदायित्व पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लम विंग) पर था और इसे हाल ही में दिल्ली नगर निगम को अन्तरित किया गया है। नालियों के प्रबन्ध सहित, विकास की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के बाद इस मामले में आगे की कारंवाई की जाएगी।

3. स्वच्छता सुविधाओं के बारे में अनधिकृत/नियमित कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों, शहरी ग्रामों, सहकारी भवन निर्माण/सामूहिक आवास समितियों आदि के बारे में किए गए/किए जा रहे कार्य का ब्यौरा संलग्न अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

15-11-1991 की स्थिति के अनुसार यमुना पार क्षेत्र में मल-निर्वास सुविधाओं की स्थिति

(क) अनधिकृत/नियमित कालोनियां

यमुना पार क्षेत्र में 254 अनधिकृत/नियमित कालोनियां स्थित हैं तथा मल-निर्यास के सारांश की स्थिति इस प्रकार है :

(i)	उन कालोनियों की संख्या जहां मल निर्यास नालियां बिछाई गई हैं तथा चालू की गई हैं।	20
(ii)	उन कालोनियों की संख्या जहां अन्दरूनी सीवर बिछा दिए गए हैं लेकिन चालू नहीं किए गए हैं।	54
(iii)	उन कालोमियों की संख्या जिनमें मल निर्यात की व्यवस्था/बिछाए जाने का कार्य प्रगति पर है।	39
(iv)	उन कालोनियों की संख्या जहां योजनाओं की मंजूरी हो गई है और निविदाओं की प्रक्रिया चल रही है।	20

(ख) पुनर्वास कालोनियां

यमुना पार क्षेत्र में 13 पुनर्वास कालोनियां हैं जिनमें मल-निर्यास सुविधाओं की स्थिति इस प्रकार है :

(i)	उन कालोमियों की संख्या जहां सीवर डालने का कार्य प्रगति पर है।	2

(ii) उन कालोनियों की संख्या जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आंशिक रूप से सीवर डाले गए हैं।	4
(iii) उन कालोनियों की संख्या जहां मल निर्यास योजनाओं के तहत सीवर डालने का कार्य अनुमोदन की प्रक्रिया में है।	7
	13

(ग) शहरी ग्राम

यमुना पार क्षेत्र मे 19 शहरी ग्राम हैं जिनमें मल निर्यात की सुविधाओं की स्थिति इस प्रकार है :

(i) उन गांवों की संख्या जहां मल निर्वास प्रणाली बिछाई जा चुकी है तथा चालू हो गई है।	1
(ii) उन गांवों की संख्या जहां सीवर बिछाने का कार्य प्रगति पर है।	5
(iii) उन शहरी गांवों की संख्या जहां योजनाएं अनुमोदित हो चुकी हैं तथा निविदाएं मंगाई जा रही हैं।	2
(iv) उन शहरी गांवों की संख्या जिनके लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं।	11
	19

(घ) सहकारी भवन निर्माण तथा सामूहिक आवास समितियां

(i) यहां पर 43 सहकारी भवन-निर्माण समितियां हैं जहां पर अन्दरूनी तथा बाहरी सीवर काम कर रहे हैं।

(ii) नोयडा रोड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 के साथ-साथ कई सामूहिक आवास समितियां हैं जहां अन्दरूनी सीवर डालने का कार्य स्वयं समितियों द्वारा किया गया है। बाहरी प्रणाली आंशिक रूप से कार्य कर रही है/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिछाये जा रहे हैं।

(ङ) उपरोक्त के अलावा, कुछ ऐसी भी कालोनियां/प्राकिट्स हैं जहां मल-निर्यास प्रणाली दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई है और इनका रख-रखाव उनके द्वारा किया जा रहा है।

(च) मल निर्यास सफाई संयंत्र

शाहदरा क्षेत्र में एक 10 एम० जी० डी० मल-जल शोधन संयन्त्र कार्य कर रहा

है। एलाइड पम्पिंग केन्द्रों के साथ कोंडली में 25 एम० जी० डी० मल-जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

यमुना पार क्षेत्र में भूमि पर अवैध कब्जा

121. श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में गत छह महीनों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ख) सरकार भूमि पर ऐसे अवैध कब्जा किए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गत छ: महीनों में 111 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सार्वजनिक अभिकरणों को इस बारे में कड़ी निगरानी रखने और निवारक कारंवाई करने के निदेश दिए गए हैं। जनता द्वारा किए अतिक्रमणों की तुरन्त सूचना को सुसाध्य बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा उपायुक्त, दिल्ली द्वारा नियन्त्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं।

गत छ: महीनों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना पार क्षेत्र में 25 गिराने सम्बन्धी प्रोग्राम चलाए गए थे।

डी० डी० ए० फ्लैटों का आवंटन न किया जाना

122. श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में निर्मित ऐसे मकानों की संख्या कितनी है जो गत पांच वर्षों से अधिक समय से आवंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यमुनापार क्षेत्र में अनधिकृत कालोनियां

123. श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में यमुनापार क्षेत्र में कितनी अनधिकृत कालोनियां हैं;

(ख) क्या इन कालोनियों में पानी, बिजली, सड़कों आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जून, 1977 की निर्धारित तारीख से अनधिकृत कालोनियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ) नियमितीकरण का निर्णय होने तक दिल्ली प्रशासन ने 1-1-1981 से पहले बसी सभी अनधिकृत कालोनियों में विद्युत आपूर्ति तथा पेय जल सुविधाएं लाभभोगियों द्वारा विकास प्रभारों की अदायगी पर प्रदान करने का निर्णय लिया है । जून, 1977 के पश्चात् अनधिकृत कालोनियों को अन्य नागरिक सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित उत्तर प्रदेश में जल आपूर्ति योजनाएं

124. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों में किन्हीं जल आपूर्ति परियोजनाओं अथवा योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आएगी और ये कब तक पूरी हो जायेंगी;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाया जाना

125. **श्री हरि केवल प्रसाद** :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से गत दो वर्षों के दौरान लगाये गये नलकूपों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने नलकूप चालू हैं, कितने नलकूप बन्द हैं;

(ग) इन बन्द नलकूपों को कब तक चालू कर दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इन जिलों में विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1991-92 के दौरान कितने नलकूप लगाये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देवरिया और बलिया जिलों के फल और सब्जी उद्योगों को सहायता देना

126. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों के फल और सब्जी उद्योगों को कोई सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन्हें दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देवरिया और बलिया जिलों में इन उद्योगों से सम्बन्धित योजनाएं सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से देवरिया और बलिया सहित राज्य के 23 स्थानों पर क्वालिटी नियन्त्रण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। फंड की सीमित उपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश सरकार से पहले लखनऊ स्थित केन्द्रीय क्वालिटी नियन्त्रण प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार से अभी उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार से खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और सामुदायिक डिब्बाबन्दी केन्द्रों के उन्नयन का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ था। वर्ष 1990-91 में उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदान सहायता के रूप में 13.20 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

किसानों के प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदान सहायता के रूप में 2 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

(ग) देवरिया और बलिया जिलों से सम्बन्धित कोई विशिष्ट स्कीम सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ी है।

उत्तर प्रदेश में अल्कोहल का उत्पादन करने वाले कारखाने

127. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से स्थानों पर अल्कोहल का उत्पादन करने वाले कारखाने स्थापित करने का विचार है;

(ख) इन कारखानों की कब तक स्थापना किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या गोरखपुर डिवीजन में भी कुछ स्थानों पर ऐसे कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और इनकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में किसी अल्कोहल एकक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद] 168

देश में बाल श्रमिकों का प्रतिशत

128. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वतन्त्रता के समय तथा 1988-89 के अन्त तक बाल श्रमिकों का प्रतिशत कितना था; और

(ख) पहली और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाल श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए औसतन कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) बाल श्रम सम्बन्धी प्रामाणिक आंकड़े जनगणना पर आधारित होते हैं। यह जनगणना दस वर्षों के अन्तराल पर की जाती है। 1951 में की गयी पहली जनगणना में कामगारों के लिए आयु ग्रुप-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कुल कामगारों में बाल श्रमिकों (6—14 वर्ष की उम्र वाले) की प्रतिशतता 1961 और 1981 की जनगणना के अनुसार (असम को छोड़कर) क्रमश: 8.04 और 5.18 थी। 1981 की जनगणना में कामगारों की परिभाषा में मुख्य और सीमांत दोनों कामगारों को शामिल किया गया है। सकल्पनात्मक परिवर्तनों के कारण 1961 और 1981 के आंकड़े पूर्ण रूप से तुलनीय नहीं हैं।

(ख) बाल श्रम कल्याण योजनाओं के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई विशिष्ट धनराशि आबंटित नहीं की गयी थी। जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (1985-86 से 1989-90) इन योजनाओं के लिए 5.10 करोड़ रु० की धनराशि आबंटित की गयी थी।

168.69 **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाना**

129. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** :
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :
श्री मुमताज अंसारी :
प्रो० रासा सिंह रावत :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रवि राय :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक ब्लाक और गांव में एक-एक उचित दर की दुकान खोलने का विचार है;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य-वार कितने-कितने गांवों को शामिल किया गया है तथा अब तक कितने गांवों को शामिल नहीं किया गया है; और

(ङ) बाकी गांवों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श से, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नई दिशा देने का निर्णय किया है ताकि इस प्रणाली का लाभ विशिष्ट क्षेत्रों को मिल सके। विचार यह है कि उन ब्लाकों में रहने वाली आबादी को इस प्रणाली के तहत लाया जाए जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कुछ निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों और समेकित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों जैसे विकास कार्यक्रम क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से इन ब्लाकों का पता लगाया है। इस विचार का मुख्य जोर इस बात पर है कि इन क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए उन सभी को राशन कार्ड जारी किए जाएं जिन्हें अभी तक ऐसे कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोली जाएं तथा पर्याप्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाए।

चीनी का उत्पादन

131. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की पिराई के चालू मौसम के दौरान चीनी का अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है;

(ख) क्या इससे आन्तरिक मांग और निर्यात की वचनबद्धता को पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) सरकार ने चालू मौसम के दौरान यदि कोई प्रोत्साहन देने की घोषणा की है तो वे क्या हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) 1991-92 मौसम (अक्तूबर-नवम्बर) के दौरान चीनी का उत्पादन 120 लाख टन होने का अनुमान है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने जल्दी पेराई के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है जिसके तहत चीनी फैक्टरियों को 1 अक्तूबर, 1991 से 15 नवम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान किए गए उत्पादन पर 55 प्रतिशत के सामान्य खुली बिक्री कोटे के स्थान पर 72 प्रतिशत की दर से खुली बिक्री कोटा प्रदान किया जाएगा।

विभिन्न खाद्यान्नों का मूल्य

132 प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न राज्यों में खरीदे गये विभिन्न खाद्यान्नों का प्रति क्विटल कितना मूल्य दिया गया;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सप्लाई किए गए खाद्यान्नों के लिए विभिन्न राज्यों से प्रति क्विंटल कितना मूल्य लिया गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई विसंगति है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) रबी विपणन मौसम 1990-91 के दौरान, 215 रुपये प्रति क्विंटल के एक-समान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की वसूली की गई थी। खरीफ विपणन मौसम 1990-91 के दौरान सामान्य, बढ़िया और उत्तम किस्मों की धान की वसूली क्रमशः 205.00 रुपये, 215.00 रुपये और 225.00 रुपये प्रति क्विंटल के एक-समान न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर की गई थी। 1990-91 के रबी और खरीफ विपणन मौसमों में रबी और खरीफ के मोटे अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 180.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था।

खरीफ विपणन मौसम 1990-91 के दौरान सांविधिक लेवी के अधीन विभिन्न राज्यों में चावल मिल-मालिकों से एकत्र किए गए लेवी चावल के वसूली मूल्य उपाबन्ध में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक-समान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) खाद्यान्न जारी किए गए। ये मूल्य निम्नानुसार हैं :

खाद्यान्न	रुपये प्रति क्विंटल
गेहूं	234.00
चावल	
साधारण	289.00
बढ़िया	349.00
उत्तम	370.00
मोटे अनाज	199.00

(ग) यद्यपि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य और केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए एक-समान होते हैं, लेकिन धान की खरीदारी के लिए देय सांविधिक कर, चावल मिल-मालिकों को देय असांविधिक व्यय और धान से चावल बनाने के उत्पादन अनुपात में भिन्नता होने के कारण लेवी

चावल की खुमुंगी करने के लिए चावल मिल मालिकों को देय लेवी चावल के वसूली मूल्य राज्य-प्रति-राज्य भिन्न-भिन्न होते हैं।

विवरण

खरीफ विपणन मौसम 1990-91 के लिए लेवी चावल का वसूली मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	साधारण	बढ़िया	उत्तम
1. आन्ध्र प्रदेश	338.55	354.30	370.05
2. असम	335.75	356.75	372.60
3. बिहार	326.20	344.80	360.10
4. गुजरात	313.00	327.50	342 00
5. हरियाणा/दिल्ली	347.50	374.55	394.10
6. कर्नाटक	322.20	337.15	352.10
7. मध्य प्रदेश	334.55	350.10	365.65
8. उड़ीसा	345.05	361.10	377.15
9. पंजाब	347.25	374.30	393.80
10. राजस्थान	341.25	365 00	386.95
11. उत्तर प्रदेश	330.70	345.90	369.25
12. पश्चिम बंगाल	323.15	341.55	356.70
13. महाराष्ट्र	330.05	345.35	360.60
14. पांडिचेरी	313.90	328.20	343.00
15. चण्डीगढ़	338.20	364.55	383.50

"हुडको" की वाणिज्यिक परियोजना

171 – 72

133. डा० असीम बाला :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अक्तूबर, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित

इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "हुडको" की वाणिज्यिक परियोजना निदेशक बोर्ड की मंजूरी के बिना ही एक ठेकेदार को सौंप दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इसमें प्रक्रियात्मक खामियों के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हुडको द्वारा गत बारह महीनों के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण किये बिना ही दिये गये ठेकों और कार्य-आदेशों का ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) जी, हां। समाचार में उल्लिखित भवन-निर्माण परियोजना हुडको द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के अनुरोध पर कार्यालय स्थल तथा अन्य वाणिज्यिक स्थल के विकास हेतु आरम्भ की गई है। कार्य सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सौंपा गया था तथा इसकी जांच निगम के वास्तुशिल्पीय तथा निर्माण प्रबंध दल द्वारा की गई थी। समय के अभाव के कारण, हुडको निदेशक मण्डल का अनुमोदन नहीं लिया जा सका क्योंकि निवेद की वैधता समाप्त होने पर निगम को अत्याधिक हानि उठानी पड़ती। तथापि, मैनेजमेंट के निर्णय का निदेशक मण्डल द्वारा अनुसमर्थन किया जाना था। बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन हेतु मामला प्रस्तुत करने में विलंब की ओर बाद में निदेशक मण्डल की बैठक में ध्यान दिलाया गया था। सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात बोर्ड ने देखा कि परियोजना लेखों की कार्य-सपादन लेखा परीक्षा पूरी होने के बाद ही कार्योत्तर अनुमोदन पर एक अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। इसी बीच, लागत में वृद्धि तथा परियोजना की अर्थव्यवस्था पर इसके विपरीत प्रभाव को रोकने के लिये, बोर्ड ने परियोजना का कार्य चालू रखने की अनुमति दी है।

भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये, हुडको के निदेशक मण्डल ने हुडको में प्रक्रियाओं तथा परियोजना प्रबंध पद्धति को सरल एवं कारगर बनाने हेतु एक समिति संघटित की है जिसमे 4 निदेशक शामिल हैं।

हुडको द्वारा आरम्भ की गई अन्य परियोजनाओं में, प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई चूक हुडको के निदेशक मण्डल के ध्यान में नहीं आई है।

172-77

विदेशी पूंजी निवेश

134. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जून, 1991 से देश में औद्योगिक निवेश के लिए विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए क्या उपाय किये हैं;

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किस-किस देश से तथा किस-किस औद्योगिक उप-क्षेत्र के लिए कुल कितनी विदेशी पूंजी आयी; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी विदेशी पूंजी आने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) देश में औद्योगिक निवेश के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा किये गये उपाय 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति वक्तव्य में उल्लिखित हैं।

(ख) और (ग) अलग-अलग देश से और अलग-अलग औद्योगिक उप क्षेत्र से वित्तीय वर्षवार विदेशी पूंजी की कुल प्राप्ति के बारे में आंकड़ों संबंधी सूचना मंत्रालय में नहीं रखी जाती है। तथापि (1) अनुमोदित विदेशी निवेश की मात्रा के देशवार ब्यौरे और (2) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए विदेशी सहयोग के अनुमोदनों के उद्योगवार ब्यौरे विवरण-1 और विवरण-2 के रूप में संलग्न हैं। चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1991 के अंत तक अनुमोदित विदेशी निवेश की राशि लगभग 28,968 लाख रुपये हैं।

विवरण-1

1988 से 1990 के दौरान अनुमोदित विदेशी निवेश का देशवार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	देश का नाम	1988	1989	1990
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रेलिया	10.01	300.00	62.80
2.	आस्ट्रिया	163.90	52.00	74.35
3.	बेलजियम	—	32.52	—
4.	बहारिन	—	—	—
5.	ब्राजील	40.00	—	7.98
6.	बुलगेरिया	—	—	—
7.	कनाडा	26.00	117.00	66.00
8.	चेकोस्लावाकिया	15.00	139.00	—
9.	डेनमार्क	176.38	980.00	272.32
10.	दुबई	—	—	—
11.	एफ० आर० जी०	3099.90	12032.85	1951.22
12.	फिनलैंड	46.64	105.50	56.66

1	2	3	4	5
13.	फ्रांस	1177.97	845.69	888.00
14.	जी० डी० आर०	—	—	—
15.	हांग-कांग	56.10	110.25	115.00
16.	हंगरी	10.40	—	—
17.	ईरान	—	—	—
18.	आयरलैंड	10.00	—	—
19.	इटली	2786.74	690.44	682.74
20.	जापान	1742.58	877.93	500.15
21.	कोरिया (दक्षिण)	45.00	33.75	706.24
22.	कुवैत	—	285.00	—
23.	लक्जमबर्ग	40.00	—	—
24.	मलेशिया	—	—	12.50
25.	मैक्सिको	200.00	257.25	—
26.	नीदरलैंड	105.30	230.56	376.61
27.	नार्वे	349.90	338.50	4.00
28.	पनामा	—	—	—
29.	साऊदी अरबिया	—	—	—
30.	सिंगापुर	462.60	348.68	—
31.	स्पेन	160.00	—	—
32.	स्वीडन	84.00	416.80	33.82
33.	स्वीटजरलैंड	273.73	774.26	1350.70
34.	ताईवान	56.22	—	64.18
35.	यू० के०	1390.75	3346.14	906.70
36.	यू० एस० ए०	9713.73	6215.59	3348.24
37.	यू० एस० एस० आर०	44.00	958.00	710.80

1	2	3	4	5
38.	युगोस्लाविया	9.00	—	—
39.	एन० आर० आई०	1679.90	2117.76	524.88
40.	चीन	—	20.00	—
41.	ग्रीस	—	8.00	—
42.	पोलैंड	—	33.00	—
43.	थाईलैंड	—	—	16.25
44.	यू० ए० ई०	—	—	—
	कुल	23975.75	31666.56	12832.14

विवरण-2

वर्ष 1984 से 1990 के दौरान और मई, 1991 तक सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग के मामलों के उद्योगवार ब्यौरे

क्र० सं०	उद्योग का नाम	1988	1989	1990
1	2	3	4	5
1.	धातुकर्मी उद्योग	27	30	26
2.	ईंधन	6	1	3
3.	बायलर तथा भाप उत्पादक संयंत्र	2	11	7
4.	प्राइम मूवर्स (इरैक्ट० जनरेटर के अलावा)		2	2
5.	वैद्युत उपकरण	183	99	88
6.	दूरसंचार	23	37	69
7.	परिवहन	38	30	22
8.	औद्योगिक मशीनें	141	59	75
9.	मशीनी औजार	21	9	24
10	कृषि मशीनें	3	3	—

1	2	3	4	5
11.	अर्थ मूविंग मशीनें	4	—	—
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग	68	26	88
13.	वाणिज्यिक, कार्यालयों के तथा घरेलू उपकरण	10	18	7
14.	चिकित्सकीय व शल्यचिकित्सकीय उपकरण	18	6	5
15.	औद्योगिक औजार	43	35	38
16.	वैज्ञानिक औजार	3	5	—
17.	गणितीय सर्वेक्षण एवं रेखाचित्र संबंधी औजार	2	2	—
18.	उर्वरक	2	4	—
19.	रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)	96	66	66
20.	फोटोग्राफिक कच्ची फिल्में व कागज	2	—	—
21.	रंग सामग्री	1	—	—
22.	औषधि तथा भेषज	10	12	2
23.	वस्त्र (रंगी, छपी अथवा प्रसंस्कृत वस्त्रों सहित)	8	6	10
24.	कागज उत्पादों सहित कागज और लुगदी	7	7	7
25.	चीनी	1	—	—
26.	फरमैन्टेशन उद्योग	—	—	—
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	11	15	7
28.	सब्जी तेल तथा वनस्पति	2	5	—
29.	साबुन, कास्मेटिक और टायलेट संबंधी सामग्री	3	1	2
30.	रबड़ का सामान	11	34	10
31.	चमड़ा, चमड़े का सामान और पिकर्स	8	10	7
32.	गल्यु तथा जिलेटिन	—	—	—

1	2	3	4	5
33.	कांच	4	8	4
34.	सिरेमिक्स	20	18	8
35.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	5	3	6
36.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	1	2	—
37.	रक्षा उद्योग	—	—	—
38.	सिगरेट	—	—	—
39.	परामर्श सेवा	39	20	10
40.	विविध उद्योग	97	41	73
	योग	926	605	666

चंडीगढ़ का विस्तार 177

135. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का चंडीगढ़ और इसके दो उप-नगरों, पंचकूला तथा मोहाली के भावी विस्तार और विकास और साथ ही आस-पास के अन्य क्षेत्रों का भी शहरीकरण करने के कुछ प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो चंडीगढ़ में गंदी बस्तियों के बनने को रोकने तथा इसके पर्यावरण को खराब होने से बचाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी। 177-78

चंडीगढ़ में सार्वजनिक उद्यानों का रख-रखाव

136. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में सार्वजनिक उद्यानों के रखरखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चण्डीगढ़ में श्रमिक कालोनियों में जन सुविधाएं

137. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ की श्रमिक कालोनियों में जन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान वहां आरंभ किए गए और पूरे किए गए मुख्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के आवासीय क्षेत्रों में पानी की दरें

138. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चण्डीगढ़ में सरकारी क्वार्टरों में रह रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से लिए जाने वाले पानी के प्रभारों की दरों में भारी वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अब पानी की दरें इन क्वार्टरों के किराये से अधिक है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राजसहायता समाप्त करने के पश्चात रसायन उर्वरकों की कुल बिक्री

139. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसायन उर्वरकों पर से राज सहायता हटाये जाने के पश्चात इनकी कुल बिक्री का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या कुल बिक्री में गत तीन वर्षों के आंकड़ों की तुलना में कमी आयी है;

(ग) क्या राज सहायताओं के समाप्त अथवा कम करने के प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) चार निम्न विश्लेषण उर्वरकों, अर्थात् अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट तथा सल्फेट ऑफ पोटाश, से राज सहायता समाप्त की गयी थी। इन चार निम्न विश्लेषण उर्वरकों से उपलब्ध न्यूट्रीएन्ट कृषि में प्रयुक्त कुल न्यूट्रीएन्ट्स का एक निम्न प्रतिशत ही है। राज सहायता की समाप्ति के पश्चात उर्वरकों की राज्य-वार उठान की सूचना उपलब्ध नहीं है। खरीफ, 1991 के दौरान न्यूट्रीएन्ट्स में उर्वरकों की खपत के नवीनतम अनुमान फसल मौसम के दौरान उर्वरकों के उठान में गत वर्ष में इसी अवधि की तुलना में कोई कमी नहीं दर्शाता। खरीफ, 1991 के दौरान न्यूट्रीएन्ट्स (एन० पी० और के०) की खपत का अनुमान 63.50 लाख टन लगाया गया है जबकि इसकी तुलना में गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 57.47 लाख टन थी।

केरल में मालाबार क्षेत्र में परमाणु बिजली संयंत्र　　177

140. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मालाबार क्षेत्र में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां, लेकिन यह कार्य प्रारम्भिक/अन्वेषणात्मक अवस्था में है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश तथा कन्नूर जिले में पेरिंगोज सहित केरल में स्थलों की प्रारम्भिक/अन्वेषणात्मक जांच की गई है। इन प्रस्तावों को पुनरीक्षा और मूल्यांकन के विविध चरणों से गुजरना होगा।

[हिन्दी]　　२-स्थित　179

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वनस्पति तेल मिलों की स्थापना हेतु प्रस्ताव

141. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वनस्पति तेल मिलों की स्थापना करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक अनुज्ञा पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या तेल की कुछ मिलों को सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कौन से स्थानों का चयन किया गया है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की दिनांक 2 अगस्त, 1991 के प्रेस नोट संख्या 9 (1991 सीरिज) के अनुसार तेल मिलों की स्थापना से सम्बन्धित कार्यों हेतु किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि निर्माण हेतु प्रस्तावित वस्तु लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित न हो या प्रस्तावित परियोजना स्थल किसी शहर, जिसकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक हो, की मानक शहरी क्षेत्र सीमाओं की परिधि से 25 कि० मी० के भीतर स्थित न हो।

179-80

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण को तीन हिस्सों में बांटना

142. श्री मोरेश्वर सावे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली विकास प्राधिकरण को तीन हिस्सों में बांटने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण को तीन हिस्सों में बांटने के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार ने 1987 में दिल्ली विकास प्राधिकरण की पुनर्संरचना के लिए ताकि यह मास्टर प्लान तैयार करने, भूमि का प्रबन्ध, विकास और निपटान तथा अन्य आकस्मिक कार्यकलापों जैसे प्रमुख कार्यों के संकेंद्रित हो सके तथा एक पृथक आवास बोर्ड और एक पृथक स्लम बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया था।

(ग) और (घ) सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण कर्मचारी यूनियनों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह आशंका व्यक्त की गई कि प्रस्तावित पुनर्गठन उनके हितों को नुकसान पहुंचाएगा। सरकार का यह विचार है कि प्रस्तावित पुनर्गठन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

180—82

देश में रोजगार कार्यालय

143. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने रोजगार कार्यालय हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्षवार कुल कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) क्या रोजगार कार्यालयों को और अधिक लाभकारी बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) अगस्त, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार देश में कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों (विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो सहित) की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार में लगाये गये नौकरी चाहने वालों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	रोजगार में लगाये गए व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)
1988	3.29
1989	2.89
1990	2.64

(ग) से (ङ) रोजगार कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के एक कार्यक्रम को एक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि इन कार्यालयों द्वारा नौकरी चाहने वालों के बारे में संधारित सूचना के प्रबंधन में सुधार किया जा सके ।

विवरण

अगस्त, 1991 के अन्त में देश में रोजगार कार्यालयों (विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो सहित) की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश		रोजगार कार्यालय (विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो सहित)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	33
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	52
4.	बिहार	64
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	42
7.	हरियाणा	88
8.	हिमाचल प्रदेश	15
9.	जम्मू और कश्मीर	14
10.	कर्नाटक	37
11.	केरल	45
12.	मध्य प्रदेश	63
13.	महाराष्ट्र	42
14.	मणिपुर	9
15.	मेघालय	7
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैंड	7

1	2	3
18.	उड़ीसा	25
19.	पंजाब	42
20.	राजस्थान	31
21.	सिक्किम*	
22.	तमिलनाडु	33
23.	त्रिपुरा	4
24.	उत्तर प्रदेश	94
25.	पश्चिम बंगाल	73
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2.	चंडीगढ़	2
3.	दादरा एण्ड नगर हवेली	1
4.	दिल्ली	20
5.	दमन और दीव	2
6.	लक्षद्वीप	1
7.	पांडिचेरी	1
	योग	853

टिप्पणी : *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

कम्प्यूटरों में वैदिक गणित का प्रयोग

144. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटरों में वैज्ञानिक और वैदिक गणित के प्रयोग को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) क्या राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने रुड़की विश्वविद्यालय के माध्यम से वैदिक गणित के प्रयोग के संबंध में प्रकाशनार्थ कोई पाण्डुलिपि तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और यह पुस्तक कब तक प्रकाशित की जाएगी और इसमें प्रकाशित किया जाने वाला वैदिक गणित से संबंधित अन्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय विद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में दसवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों को वैदिक गणित सीखने के लिए दिए जा रहे अवसरों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सरकार ने कम्प्यूटरों में वैदिक गणित के अनुप्रयोग की संभावनाओं का पता लगाने की दिशा में अध्ययन शुरू किया है ।

(ख) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एम० सी० ई० आर० टी०) ने माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अपने मैनुअल को समृद्ध करने की सामग्री के रूप में उसमें वैदिक गणित के संबद्ध साहित्य शामिल करने की योजना बनाई है, जिन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में विकसित किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

183

बाल श्रमिक

145. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाल श्रमिकों के परिवारों के लिए वित्तीय मुआवजा देने हेतु कोई प्रावधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 उन कतिपय व्यवसायों तथा कार्यों में बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध और विनियमित करता है जिन्हें अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया है । कारखाना अधिनियम, 1948, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 आदि जैसे अन्य श्रम कानून हैं जो बाल श्रमिकों का नियोजन या तो प्रतिषिद्ध अथवा विनियमित करते हैं । हालांकि बाल श्रमिकों की समस्याएं मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक मजबूरियों के कारण है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में घोषित की गयी ताकि बाल श्रम से संबंधित विभिन्न श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू किया जा सके और जहां कहीं संभव हो बाल श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके जिसमें सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के परिवारों के लिए आय अर्जन वाले कार्यक्रम शामिल हैं । इसमें बाल श्रम की बहुलता वाले उन क्षेत्रों में रोजगार से निकाले गये बालकों को, बाल कर्मकारों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करके उचित रूप से पुनर्वासित करने के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू करने की परिकल्पना की गयी है जहां समेकित योगदान पैकेज जिसमें प्रतिषिद्ध नियोजनों से निकाले गये बालकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणाहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा वजीफा शामिल है, की व्यवस्था की जाती है ।

यमुनापार के क्षेत्रों में राशन कार्ड जारी करना

146. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुनापार-क्षेत्र में राशन कार्ड जारी करने हेतु आवेदन पत्र इनकी जांच किए जाने के लिए कई महीनों से लम्बित पड़े रहते हैं और कई मामलों में जांच किए जाने के बावजूद राशन कार्ड, समय पर जारी नहीं किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार खाद्य कार्ड जारी करने हेतु 365 आवेदन लम्बित पड़े हैं :—

7 दिनों से कम	7 दिनों से अधिक, किन्तु 15 दिनों से कम	15 दिनों से अधिक, किन्तु एक महीने से कम
333	25	7

खाद्य कार्ड जारी करने के वास्ते इन आवेदनों का निपटान इसलिए नहीं किया जा सका, इन मामलों में मौका पड़ताल पूरी नहीं की जा सकी थी। क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिया गया है कि वे ऐसे सभी आवेदनों का शीघ्रता से निपटान करें जो 7 दिनों से अधिक की अवधि से लम्बित पड़े हैं।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि को अन्य प्रयोजनार्थ खर्च किया जाना

147. श्री मोहन सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ग्रामीण विकास, जिसके अन्तर्गत विकास कार्य केवल ग्राम पंचायतों को ही नहीं बल्कि खण्ड और जिला बोर्ड स्तर पर भी सौंपा जाएगा, के प्रयोजनार्थ जवाहर रोजगार योजना की शर्तों को उदार बनाने का है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों ने पूरा आश्वासन दिया है कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि को केवल ग्रामीण विकास पर ही खर्च किया जाएगा; और

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु आबंटित धनराशि को कुछ राज्यों में अन्यथा खर्च किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) सरकार जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं, जिनमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों और जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों तथा जिला परिषदों की मार्फत कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है, में कोई परिवर्तन करने पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) जवाहर रोजगार योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार सृजित करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है। राज्य सरकारों को इस आश्वासन के साथ निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं कि वे इनका इस्तेमाल केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही करेंगे।

(ग) भारत सरकार की जानकारी में ऐसे कोई उदाहरण नहीं हैं जहां इन निधियों को अन्यथा खर्च किया गया हो। तथापि, यदि ऐसे कोई उदाहरण सिद्ध होते है तो भारत सरकार इस प्रकार अपव्यय की गई राशि की वसूली करेगी।

झुग्गी-झोंपड़ियों के मालिकों का मालिकाना हक देना

148. श्री मोहन सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास, चारों महानगरों में झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर, वहां पिछले चार वर्षों से रह रहे निर्धन व्यक्तियों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को झुग्गी-झोंपड़ियों का मालिकाना हक देने का विचार है;

(ख) क्या इन झुग्गी-झोंपड़ियों के मालिकों को बैंकों से ऋण-सुविधा प्रदान करके इन गंदी बस्तियों में आवासों में सुधार करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) क्या इन चारों महानगरों में से प्रत्येक में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास अन्य आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। "शहरी विकास" एक "राज्य का विषय" है तथा मलिन बस्तियों के सुधार और निर्धन व्यक्तियों को मालिकाना अधिकार देने के उपबन्ध, अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार, समय-समय पर, राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा क्रियान्वित की जाती हैं।

(ख) आवास तथा शहरी विकास निगम के पास, समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभभोगियों (1050 रुपये तक मासिक आय के परिवार) के लिए, शहरी क्षेत्रों में, 22,000 रुपये तक की अधिकतम लागत की एक आवास योजना है। इसके अतिरिक्त, हुडको 11,000 रुपये की अधिकतम लागत तक मरम्मत/संवर्धन के लिए सहायता देने की भी व्यवस्था करता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ, क्षेत्रीय अथवा राज्य आवास वित्त संस्थाओं के द्वारा, जिनका 40 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्र में रिहायशी यूनिटें बनाने का भी लक्ष्य है, पूरक सहायता प्रदान करने के लिए, एक पुनः वित्त पोषण योजना चला रहा है।

दिल्ली में, दिल्ली सहकारी आवास वित्त सोसाइटी, झुग्गी-झोंपड़ी समूहों के बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों को, अन्य सामूहिक आवास सहकारी समितियों के समान आधार पर ऋण सुविधाएं, उपलब्ध कराता है।

(ग) सही-सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, केन्द्र सरकार को दी गई सूचना के अनुसार, अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हैं :—

क्र० सं०	महानगर का नाम	महानगरों में पहचान की गई स्लम निवासियों की जनसंख्या (1981)	महानगरों में 1990 को स्लम निवासियों की अनुमानित जनसंख्या
		(आंकड़े लाखों में)	
1.	ग्रेटर बम्बई	28.314	41.26
2.	दिल्ली	18.00	32.08
3.	कलकत्ता	30.28	43.86
4.	मद्रास	13.63	21.08

186

चीनी का भण्डार

149. श्री मोहन सिंह : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जरूरत को पूरा करने के लिए वर्ष 1990-91 के लिए चीनी का भण्डार पर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो चीनी के भण्डार की क्या स्थिति है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) 30-9-1991 तक चीनी फैक्ट्रियों के पास चीनी का स्टाक अनुमानत: 31.67 लाख टन (अनंतिम) था।

84

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए समिति

150. श्री पृथ्वीराज डा० चव्हाण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के विवादों तथा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के आपसी विवादों पर नजर रखने के लिए सरकार को एक समिति का गठन करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में यदि कोई कारंवाई की गई तो उसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त समिति को गठित करने के लिए कारंवाई की जा रही है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

151. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अनिवासी भारतीयों को भारत में नये उद्यमों में 100 प्रतिशत तक की इक्विटी का निवेश करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों को पुराने एककों में 100% इक्विटी रखने की अनुमति दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) वित्त मन्त्रालय में भारत सरकार ने 28 अक्तूबर, 1991 के प्रैस नोट के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार अनिवासी भारतीयों और ओवरसीज कार्पोरेट निकायों, जो मुख्यत: उनके स्वामित्व में है, को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों तथा अन्य उद्योगों में 100% तक इक्विटी का निवेश करने की अनुमति दी है।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने हेतु आयोग

152. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन लागत और जिस दर से उन वस्तुओं को उपभोक्ताओं को बेचा जाता है उसके बीच कोई सम्बन्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कृषि मूल्य आयोग की तरह औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए कोई स्थायी आयोग नियुक्त करने का विचार है ताकि निर्माताओं द्वारा तय किए गए मूल्यों पर प्रभावी नियन्त्रण लगाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में होता है। इन वस्तुओं को कीमतें उनकी मांग और आपूर्ति के आधार पर निश्चित की जाती हैं, जो इन वस्तुओं की निवेश-लागत पर आधारित होती हैं। उपभोक्ताओं को इनकी आपूर्ति खुले प्रतिस्पर्धी बाजार में की जाती है।

(ग) से (ङ) उपोक्ता वस्तुओं के मूल्यों और आपूर्ति पर सरकार द्वारा निरन्तर नजर रखी जाती है तथा जब भी इन वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि होती है अथवा खुले बाजार मे मांग की तुलना में इनकी आपूर्ति घटती है, उचित कदम उठाये जाते है। सरकार इन वस्तुओं को आपूर्ति बढ़ाने और साथ ही इनके मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाती है। इसको मद्देनजर रखते हुए औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने हेतु स्थायी आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आबंटन

153. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के सभी पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आबंटन करने हेतु समयबद्ध योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1979 की न्यू पैटर्न स्कीम की पुस्तिका में अन्तर्विष्ट प्रावधानों का कई लोगों को हानि पहुंचाकर कई बार उल्लंघन किया गया/उनमें परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के शेष पंजीकृत व्यक्तियों को आठवीं योजना अवधि के दौरान भूमि और आधारभूत सेवाओं के अध्यधीन फ्लैट आबंटित करने के लिए ठोस योजनाएं बनाई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों का निर्माण

154. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत वर्ष 1987, 1988, 1989, 1990 और 1991 के दौरान कितने डी० डी० ए० फ्लैटों का निर्माण करने का प्रस्ताव था और वास्तव में कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया था, कितने फ्लैटों का लोगों को कब्जा दिया गया;

(ख) क्या फ्लैटों के निर्माण के लक्ष्य में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1991 तथा इसके बाद के वर्षों में निर्धारित मकानों/फ्लैटों का निर्माण पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत श्रेणीवार सभी पंजीकृत आवेदकों को कब तक फ्लैट आबंटित कर दिए जायेंगे और क्षेत्रवार फ्लैटों का कहां निर्माण किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान गिरावट आने के कारण इस प्रकार हैं :

(1) बाह्य विद्युतीकरण कार्य और कनेक्शन की विलम्बित निष्पत्ति;

(2) पानी और मल-निर्यास सिस्टम के विलम्बित कनेक्शन;

(3) ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) न्यू पैटर्न स्कीम-79 के शेष पंजीकृत व्यक्तियों को भूमि तथा आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के अध्यधीन, 1994-95 तक फ्लैट आबंटित किए जाने की सम्भावना है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में बनाए गए फ्लैटों की कुल संख्या नीचे इंगित की गई है :

वर्ष	निर्माण किए गए फ्लैटों की कुल संख्या	फ्लैटों के निर्माण के लिए लक्ष्य
1986-87	8,828	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।
1987-88	18,758	
1988-89	23,931	21,473
1989-90	21,012	21,637
1990-91	8,846	12,500

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि का अधिग्रहण

155. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली प्रशासन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किसानों की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया और इसके लिए कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया;

(ख) क्या अधिग्रहित भूमि पर कुछ बड़े भवन निर्माताओं ने अवैध कब्जा कर लिया है और उस पर बहुमंजिले भवनों का निर्माण कर लिया है;

(ग) अधिग्रहित भूमि के कितने क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया गया; और

(घ) इस सम्बन्ध में कितने अधिकारियों और भवन निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहण की गई भूमि का क्षेत्रफल तथा मूल्यांकित मुआवजा निम्नानुसार है :

वर्ष	क्षेत्रफल			
	आयोजना		आयोजना-भिन्न	
	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा
1988-89	104	02	1676	15
आयोजना	104,97,098 25 रुपये			
आयोजना-भिन्न	127,24,683.15 रुपये			
1989-90	812	04	1317	16
आयोजना	149,82,294 81 रुपये			
आयोजना-भिन्न	154,30,994.22 रुपये			
1990-91	984	05	715	15
आयोजना	521,46,536.01 रुपये			
आयोजना-भिन्न	128,04,108.94 रुपये			

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में रुग्ण लघु उद्योगों को पुन: चालू करने के लिए सहायता देना

156. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने रुग्ण लघु उद्योगों को पुन: चालू करने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को कुल कितनी सहायता प्रदान की है; और

(ख) 1991-92 के लिए कितनी धनराशि देने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित नवीनतम उपलब्ध आंकड़े सितम्बर, 1989 के अन्त तक के हैं और इन आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में जीवनक्षम रोगी लघु उद्योग एककों की सख्या 257 थी जिन पर बैंकों का 24.69 करोड़ रुपया कर्ज बकाया था और उपचार कार्यक्रम के अधीन रखे गये रोगी लघु उद्योगों की संख्या 157 थी जिन पर 19.75 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बकाया था।

रोगी लघु उद्योगों के पुनरुज्जीवन सीमान्त धन योजना के अधीन संघ सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए मंजूर की गयी कुल राशि मार्च, 1991 के अन्त तक 5 लाख रुपये थी।

वर्ष 1990-91 के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पुनर्वास हेतु अपनी पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के रोगी लघु उद्योगों की सहायतार्थ 44.50 लाख रुपये मंजूर किये थे।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान सहायता के लिए अब तक मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सीमान्त धन योजना के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

191

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र से "पिट असेम्बली सिस्टम" का गायब होना

158. **श्री साईमन मराण्डी :**
श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र से "ऑगमेन्टेड सेटेलाइट लॉंच विहिकल" का महत्वपूर्ण उपकरण "पिट असेम्बली सिस्टम" नवम्बर, 1991 के प्रथम सप्ताह से गायब है;

(ख) यदि हां; तो इस उपकरण की सहायता से "आगमेन्टेड सेटेलाइट लॉंच विहिकल" को अन्तरिक्ष में छोड़ने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस और कारगर कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या इस नुकसान से ए० एस० एल० वी० के प्रक्षेपण कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) ए० एस० एल० वी० फिन के खोए हुए दो एकल 15 कि०ग्रा० स्टेनलेस स्टील के भाग विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम के परिसर से सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हो गए हैं। ए० एस० एल० वी० फिन असेम्बली के अग्रणी कोर से सम्बन्धित यह उपस्कर वास्तविक उड़ान उपस्कर नहीं है, अपितु यह भूमि पर कुछ संरचनात्मक जांच करने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। अतः मार्च, 1992 में प्रमोचन के लिए निर्धारित ए० एस० एल० वी० को इस उपस्कर के कारण किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि यह उपस्कर भूमि पर जांच के लिए ही था तथा इसे दो सप्ताह की अवधि में निर्मित किया जा सकता था। इसके साथ ही, अग्रणी कोर सहित फिन असेम्बली के उड़ान रूपान्तर का निर्माण कर लिया गया है तथा इसे राकेट में पहले ही समाकलित किया जा चुका है।

(ग) और (घ) जिन परिस्थितियों में यह उपस्कर गुम हुआ था, इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा व्यापक उपायों की सिफारिश करने, जिसमें भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाये जाने वाले सुरक्षा सम्बन्धी उपाय भी शामिल हैं, के बारे में व्यापक जांच के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

(ङ) जी, नहीं।

बिहार और उड़ीसा में कम्प्यूटर केन्द्र

159. श्री साईमन मराण्डी :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उड़ीसा में और अधिक कम्प्यूटर केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बिहार और उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर ऐसे कम्प्यूटर केन्द्र खोले जाने की संभावना है;

(ग) ऐसे कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने में कितना खर्च होने की संभावना है; और

(घ) बिहार और उड़ीसा में पहले से ही चालू कम्प्यूटर केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) राज्य सरकारों को कम्प्यूटर आधारित सेवाएं मुहैय्या कराने के लिए अपने लक्ष्य के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने निम्नानुसार बिहार तथा उड़ीसा में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना की है ।

स्थान	स्थापित कम्प्यूटर
बिहार	
एन आई सी-बिहार राज्य केन्द्र बिहार राज्य सरकार सचिवालय, इंदिरा भवन, बेली रोड, पटना	एन डी-550 कम्प्यूटर
39 जिला मुख्यालय	प्रत्येक जिले में 80386 आधारित सुपर कम्प्यूटर
उड़ीसा	
एन आई सी क्षेत्रीय केन्द्र, सचिवालय मार्ग, यूनिट-4 भुवनेश्वर	एन ई सी-एस 1000 सुपर कम्प्यूटर
13 जिला मुख्यालय	प्रत्येक जिले में 80386 आधारित सुपर कम्प्यूटर
राजस्व मंडलीय आयुक्त का कार्यालय, बरहामपुर	80386 आधारित सुपर कम्प्यूटर

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा चित्तौड़गढ़ में सीमेन्ट फैक्टरी की स्थापना

160. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया ने चित्तौड़गढ़ में उपलब्ध चूने के पत्थर के प्रचुर भण्डार के आधार पर वहां एक सीमेंट की फैक्टरी स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) सरकार उक्त परियोजना को कब तक मंजूरी दे देगी तथा इसके लिए अपेक्षित धन कब तक उपलब्ध कराएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सी० सी० आई०) ने जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में शम्भुपुरा के निकट सीमेंट फैक्टरी की स्थापना के लिए एक संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तथापि यह प्रस्ताव सातवीं योजनावधि में निधियों के दबावों के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका।

जयपुर में मलजल निकास प्रणाली

161. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने जयपुर में मलजल निकास प्रणाली के विकास के लिए 19 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। तथापि, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, जयपुर के लिए वर्ष 1980 में, विश्व बैंक सहायता प्राप्त राजस्थान जल आपूर्ति तथा मल-निर्यास परियोजना के अन्तर्गत, 7.7194 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक मल निर्यास योजना मंजूर की गई थी।

(ख) वित्तीय कमियों के कारण, जयपुर के मल-निर्यास योजना को, 1.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, वर्ष 1985 में पुनर्संरचना की गई थी जिस मद पर वर्ष 1988 तक 2.1124 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। उसके बाद जयपुर के लिए कोई अन्य मल निर्यास योजना मंजूर नहीं की गई है।

[अनुवाद]

अजमेर के लिए पेयजल की व्यवस्था

162. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने बीसलपुर पेयजल योजना के अन्तर्गत अजमेर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सरकार को पेयजल वितरण तंत्र के संबंध में 14 करोड़ रुपये का पैकेज प्रस्ताव पेश किया था;

(ख) क्या उस शहर की पेयजल की घोर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी दिये जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो क्यों?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। राजस्थान सरकार ने बिलासपुर जलापूर्ति परियोजना के अंतर्गत अजमेर शहर के लिए वितरण नेटवर्क हेतु 14.177 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ख) इस मंत्रालय में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सी० पी० एच० ई० ई० ओ०) द्वारा 7.754 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्ताव को तकनीकी दृष्टिकोण से अनुमोदित किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि तकनीकी अनुमोदन के पश्चात भारत सरकार से कोई और मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

केरल में औद्योगिक निवेश

163. श्री पी० सी० थामस : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान समय में केन्द्रिय सरकार द्वारा केरल में औद्योगिक निवेश के रूप में कितनी (प्रतिशत) धनराशि लगाई गई है; और

(ख) अन्य राज्यों में इस क्षेत्र में औसतन कितना निवेश किया गया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) 31-3-1990 तक तथा विगत तीन वर्ष अर्थात् 1986-87, 1987-88 एवं 1988-89, केवल जिस अवधि की जानकारी उपलब्ध है, के दौरान केरल राज्य तथा एक साथ अन्य सभी राज्यों के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में निवेशित राशि तथा उसका प्रतिशत इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	सकल परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीनिवेश (प्रतिशत सहित)				कालम 2 से 5 तक का औसत
	1989-90	1988-89	1987-88	1986-87	
1	2	3	4	5	6
केरल	1701 (1.50)	1524 (1.57)	1298 (1.58)	1074 (1.58)	1399 (1.55)
एक साथ अन्य सभी राज्य	111689 (98.50)	95357 (98.43)	80882 (98.42)	67045 (98.42)	88743 (98.45)
सम्पूर्ण भारत का योग	113390 (100.00)	96881 (100.00)	82180 (100.00)	68119 (100.00)	90142 (100.00)

मलनाड विकास समिति, कांजिरापल्ली, केरल को धनराशि

164. **श्री पी० सी० थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, मलनाड विकास समिति, कांजिरापल्ली, केरल को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या इस समिति द्वारा उक्त धनराशि को समुचित उपयोग में लाया गया है;

(ग) क्या सी० ए० पी० ए० आर० टी० ने इस समिति द्वारा शुरू तथा पूरा किए गए कार्यों का कोई मूल्यांकन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सी० ए० पी० ए० आर० टी० के पास इस समिति से प्राप्त नए विकास कार्यों के लिये कुछ आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान मलनाड विकास समिति (केरल) को लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा स्वीकृत की गई निधियां नीचे दर्शायी गई हैं :

वर्ष	स्वीकृत की गई निधियां (लाख रुपये में)
1989-90	19.34
1990-91	शून्य
1991-92	9.59*

* स्वीकृति पत्र जारी किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) 1989-90 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं का लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) के मानीटर द्वारा मूल्यांकन किया गया है और उनका निष्पादन सन्तोषजनक पाया गया है ।

(घ) और (ङ) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत केवल एक परियोजना लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) के पास लम्बित पड़ी थी। अब इसे 9.59 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है और संस्वीकृति पत्र जारी किया जा रहा है ।

आंध्र प्रदेश में राज-सहायता प्राप्त चावल योजना

165. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सम्पूर्ण राज्य में राज-सहायता प्राप्त चावल योजना को लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर कितना वास्तविक व्यय होगा;

(घ) क्या केंद्रीय सरकार ने अन्य राज्यों को भी यह योजना आरम्भ करने का आग्रह किया है; और

(ङ) योजना कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राजसहायतायुक्त दरों पर चावल उपलब्ध कराने की योजना के तहत समूचा आंध्र प्रदेश राज्य आता है।

(ख) प्रति वर्ष 6,000 रु० या इससे कम की आय वाले परिवारों के लिए यह योजना लागू है। ऐसे परिवारों को हरा कार्ड दिया जाता है और प्रति महीने प्रति व्यक्ति 5 कि० ग्रा० चावल दिया जाता है, परन्तु एक कार्ड पर प्रतिमाह दिए जाने वाले चावल की अधिकतम सीमा 25 कि० ग्रा० है। ऐसे कार्डधारियों के लिए चावल का निर्गम मूल्य 1.90 रु० प्रति कि० ग्रा० है। 1990-91 में इस योजना के अंतर्गत लगभग 21.0 लाख मी० टन० चावल जारी किया गया था जिसके तहत लगभग 106 लाख परिवार आते हैं।

(ग) 1990-91 में राज्य सरकार द्वारा कुल 368.5 करोड़ रुपये की राजसहायता का भार उठाया गया था तथा 1991-92 में यह राशि लगभग 523 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद

166. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय पूल के लिए फसल कटाई के मौसम के दौरान अधिकतम सम्भव खाद्यान्न खरीदने के लिए कोई सहयोजित और विशिष्ट अभियान शुरू किया है ताकि सरकार खाद्यान्न की कमी के महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए बाजार में प्रभावी ढंग से नियंत्रण रख सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल के लिए अधिकतम खाद्यान्न की खरीद करने की सलाह दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार खाद्यान्नों के पर्याप्त भण्डार रखने के लिए उत्सुक है;

(घ) केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की गई है तथा कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद का लक्ष्य रखा गया है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) 1990-91 के मानसून मौसम के दौरान कम और अपर्याप्त वर्षा होने के कारण और कुछ हद तक खरीफ की पैदावार को क्षति पहुंचने की आशंका के परिणामस्वरूप खरीफ के खाद्यान्नों की अधिकतम वसूली करने के लिए खाद्य मंत्रालय ने सभी प्रयास किए हैं। वसूली मौसम शुरू होने से पूर्व, राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक आयोजित की गई थी और केन्द्रीय खाद्य सचिव ने अधिकतम वसूली करने के लिए सभी पग उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे धान और चावल की वसूली के मामले में किसी निश्चित स्तर तक वसूली करें। विशेषकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे बड़े धान उत्पादक राज्यों में धान की वसूली करने पर भी जोर दिया गया। इन राज्यों में यदि भारी संख्या में एजेन्सियों को लगाया जाये और दूर-दराज तथा अन्दरूनी इलाकों में मूल्य समर्थन परिचालनों की सुविधा दी जाये तो उस दशा में वहां अधिक मात्रा में धान की वसूली की जा सकती है। भारतीय खाद्य निगम ने भी ऋण की उपलब्धता, बोरियों की उपलब्धता और खाद्यान्नों की जल्दी ढुलाई आदि को सुनिश्चित कर वसूली अभियान को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए हैं।

(ङ) चूंकि केन्द्रीय पूल के लिए किसानों द्वारा खाद्यान्नों की बिक्री अपनी स्वेच्छा से की जाती है और किसानों को यदि अपने उत्पाद का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मिलता है तो वे उसे ऊंचे दामों पर बेचने के लिए स्वतन्त्र होते हैं, इसलिए वास्तव में कोई लक्ष्य निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 1991-92 के दौरान 15 नवम्बर, 1991 तक चावल के हिसाब से धान सहित 32.45 लाख मीटरी टन चावल की वसूली कर ली गई है।

विदेशी औद्योगिक एककों द्वारा उद्योगों की स्थापना

167. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री रवि राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति की घोषणा होने के बाद विदेशी औद्योगिक एककों ने भारत में निवेश करने में काफी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या 20 ब्रिटिश फर्मों ने कतिपय स्पष्टीकरण मांगे थे;

(ग) अन्य किन-किन देशों ने भारत में औद्योगिक एककों की स्थापना करने में गहरी रुचि दिखाई है; और

(घ) इसकी नवीनतम स्थिति क्या है कि कितनी विदेशी फर्मों को भारत में अपनी यूनिटें स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) जुलाई, 1991 में सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति से विदेशी औद्योगिक यूनिटों में भारत में निवेश करने की पर्याप्त रुचि उत्पन्न हुई है। विभिन्न देशों की विदेशी फर्में विभिन्न मंचों पर नई औद्योगिक नीति के संबंध में अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण मांगते रहे हैं। भारत में निवेश करने में रुचि बढ़ी है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद जारी किए गए विदेशी सहयोग अनुमोदनों की संख्या का देश-वार ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1-8-1991 से 31-10-1991 की अवधि के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग प्रस्तावों के देश-वार ब्यौरे

	देश का नाम	अनुमोदित विदेशी सहयोग प्रस्तावों की संख्या
	1	2
1.	आस्ट्रेलिया	1
2.	आस्ट्रिया	2
3.	बेल्जियम	3
4.	ब्राजील	1
5.	कनाडा	4
6.	चैकोस्लोवाकिया	1
7.	डेनमार्क	3
8.	फिनलैण्ड	2
9.	फ्रांस	8
10.	जर्मनी	40
11.	हांगकांग	2
12.	इटली	20
13.	जापान	17
14.	कोरिया (दक्षिण)	3
15.	नीदरलैंड	9

	1	2
16.	पोलैण्ड	2
17.	स्काटलैण्ड	1
18.	सिंगापुर	4
19.	स्पेन	2
20.	सऊदी अरेबिया	1
21.	स्वीडन	9
22.	स्विट्जरलैंड	13
23.	ताइवान	2
24.	यू० के०	43
25.	यू० एस० ए०	56
26.	यू० एस० एस० आर	5
	योग	254

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मुद्रास्फीति में वृद्धि

168. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा "सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मुद्रास्फीति में वृद्धि" शीर्षक से एक पत्र में व्यक्त किए गए विचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों तथा संस्थाओं द्वारा अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति अनुपूरक स्वरूप की होती है तथा अन्य उपायों के साथ-साथ इसे भी मुद्रास्फीति विरोधी उपाय समझा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए निर्मुक्त खाद्यान्न की मात्रा केन्द्रीय पूल में उपलब्धता, खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार बनाने की आवश्यकता, विभिन्न क्षेत्रों की पारस्परिक जरूरतों आदि पर निर्भर करती है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाने का निरन्तर प्रयास करती रहती है तथा इस प्रणाली में होने वाले कदाचारों को रोकने और उनके बारे में दंडित करने के लिए उपाय करती रहती है।

आन्ध्र प्रदेश में पिछड़े जिले

169. श्री० एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में उन जिलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछड़ा घोषित किया गया है तथा जो औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए केन्द्रीय राजसहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या किसी जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने के मानदंड का पुनर्निर्धारण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के जिलों की सूची में और जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) आन्ध्र प्रदेश में केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिले हैं—अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा, करीमनगर, खम्माम, कुर्नूल, महबूब नगर, मेडक, नालगोंडा, नेल्लौर, निजामाबाद, ओंगोले, श्रीकाकुलम और वारंगल।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में चीनी की फैक्टरियां

170. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में अलग-अलग इस समय चीनी की कितनी फैक्टरियां हैं तथा उनकी वर्तमान अनुमानित क्षमता कितनी है और गन्ने की खेती कितनी भूमि पर होती है और गन्ने का उत्पादन कितना होता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पास महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों से चीनी की फैक्टरियां स्थापित करने की अनुमति/लाइसेंस देने के संबंध में कोई आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) वांछित सूचना निम्न प्रकार है :

		30-9-91 को मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों की सं०	संस्थापित क्षमता (लाख टन) 30-9-91 को	1990-91 के दौरान गन्ना क्षेत्र (अनुमानित) (हजार हेक्टेयर में)	1990-91 के दौरान गन्ने का उत्पादन (अनुमानित) (हजार टन में)
1.	महाराष्ट्र	101	31.23	444	38416
2.	आन्ध्र प्रदेश	34	5.523	189	13754

(ख) व (ग) महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्य के 286 लम्बित आवेदन पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

विवरण

महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के विचारार्थ लम्बित आवेदन पत्र

(30-9-91 को स्थिति)

क्र० सं०	स्थान सहित प्रस्ताव का नाम	शर्करा निदेशालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख	क्षेत्र
1	2	3	4
	महाराष्ट्र		
	जिला प्रभानी		
1.	मै० बाराशिवामन एसएसके लि०, ज्वालाबाजार, तह० बास्मतनगर	1-2-90	सहकारी
2.	मै० श्री साईबाबा एसएसके लि०, मांकेश्वर, ता० जिन्टूर	25-4-90	सहकारी
3.	मै० श्री जगदम्बा एसएसके लि०, अकोली, ता० जिन्टूर	18-5-90	सहकारी
4.	मै० महाविष्णु एसएसके लि०, शाईखोदा, ता० गंगाखेड	29-6-90	सहकारी
5.	मै० श्री दाजेगुरु एसएसके लि०, पूरना, तह० प्रभानी	3-9-90	सहकारी
6.	मै० राजर्षि साहू महाराज मागस्वर्गीय एसएसके लि०, पूयानी, ता० गगाभेद	12-10-90	सहकारी
7.	मै० तोपई एसएसके लि०, कुरून्दा, कुरून्दा, ता० दास्मथनगर	24-10-90	सहकारी
8.	मै० गोदावरी बोरना एसएसके लि०, खदबा, ता० गंगाभेद	12-12-90	सहकारी
9.	मै० तोबा भवानी एसएसके लि०, कुरून्दा, ता० बास्मथनगर	12-12-90	सहकारी

1	2	3	4
10.	मै० बालमीकि एसएसके लि०, वालूर, ता० पथरी	12-3-90	सहकारी
11.	श्री नरसिंहा एसएसके लि०, तुलजापुर, शाहपुर	18-12-89	सहकारी
12.	नागनाथ एसएसके लि०, पेडगांव	16-8-89	सहकारी
13.	संत जनाबाई एसएसके लि०, प्रभानी	4-9-89	सहकारी
	जिला कोल्हापुर		
14.	मै० साहुवाडी एसएसके लि०, अम्बा, तह० साहुवाडी, जि० कोल्हापुर	15-2-90	सहकारी
15.	मै० सप्त गंगा एसएसके लि०, वासरीफ प्लासामाले, तह० गगा बवावा, जिला कोल्हापुर	20-4-90	सहकारी
16.	मै० महारानी ताराबाई एसएसके लि०, पेठ वादगांव, तह० हतकनगोले, जि० कोल्हापुर	16-8-90	सहकारी
17.	मै० एस० एम० जोशी एसएसके लि०, खोछी, तह० हतकनगोले, जिला कोल्हापुर	3-9-90	सहकारी
18.	मै० भुदरगढ़ तालुका एसएसके लि०, मडुर, तह० भुदरगढ, जिला कोल्हापुर	22-8-90	सहकारी
19.	मै० कगाल तालुका एसएसके लि०, कगाज (अर्जुनी), तह० करवेर, जिला कोल्हापुर	14-9-90	सहकारी
20.	मै० बैरिस्टर नाथ पाई एसएसके लि०, कवाद, ता० चान्दगढ़, जिला कोल्हापुर	1-11-90	सहकारी
21.	मै० श्री सरस्वती एसएसके लि०, गोसरवाडी, तह० सिरोल, जिला कोल्हापुर	20-11-90	सहकारी
22.	मै० सयाद्री एसएसके लि०, मानबेत, जिला कोल्हापुर	8-8-89	सहकारी
23.	मै० सिरोल तालुका मागस्वर्गीय एसएसके लि०, सैनिक तकली, ता० सिरोल, जिला कोल्हापुर	28-1-91	सहकारी

1	2	3	4
24.	मै० जतीलिंग एसएसके लि०, गोगारे, ता० साहुवाडी, जिला कोल्हापुर	19-2-91	सहकारी
	जिला बीड		
25.	मै० बेंवसूर्य एसएसके लि०, मौजाचिवादी, ता० बीड, जिला बीड	1-3-90	सहकारी
26.	मै० बलीराजा शेतकारी एसएसके लि०, स्थान बावेही, ता० कैज, जिला बीड	16-5-90	सहकारी
27.	मै० साथी एस० एम० जोशी एसएसके लि०, स्थान धाकेमोहा, ता० बीड, जिला बीड	5-8-90	सहकारी
28.	मै० स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह एसएसके लि०, स्थान बबूलतारा, ता० गिओराई, जिला बीड	29-5-90	सहकारी
29.	मै० शेतकारी एसएसके लि०, स्थान तितारवाडी, तालुका गिओराई, जिला बीड	19-6-90	सहकारी
30.	मै० श्री संत भगवानबाबा एसएसके लि०, जठनम्बपुर, तालुका पटोदा, जिला बीड	28-6-90	सहकारी
31.	मै० सिद्धविनायक एसएसके लि०, स्थान तकनुर, ता० बीड, जिला बीड	24-7-90	सहकारी
32.	मै० वैद्यनाथ एसएसके लि०, वदगांव, तालुका अम्बाजोगाई, जिला बीड	6-8-90	सहकारी
33.	मै० वैद्यनाथ एसएसके लि०, स्थान पंगारी, ता० अम्बाजोगाई, जिला बीड	24-7-90	सहकारी
34.	मै० महात्मा जतिबा फूले एसएसके लि०, महासंचवी, ता० पटोदा, जिला बीड	16-8-90	सहकारी
35.	मै० प्रबोधंकर केशव सीताराम थचकुरी एसएसके लि०, सवारगांव, तह० माजलगांव, जिला बीड	30-8-90	सहकारी

1	2	3	4
36.	मै० बलीराजा एसएसके लि०, रंजनगांव, ता० व जिला बीड	7-11-90	सहकारी
37.	मै० किसानराज एसएसके लि०, सवारगांव, तालुका माजलगांव, जिला बीड	28-11-90	सहकारी
38.	मै० वेंकतावामी एसएसके लि०, सरोला, जिला बीड	26-10-89	सहकारी
39.	मै० एम० फूले अम्बेडकर एसएसके लि०, फूले पिम्पलगांव, ता० अम्जलगांव, जिला बीड	28-1-91	सहकारी
40.	मै० महात्मा जतीबा फूले एसएसके लि०, धर्मपुरी, ता० अम्बाजोगाई, जिला बीड	19-2-91	सहकारी
41.	मै० डा० बाबासाहेब अम्बेडकर एसएसके लि०, रहेरी, ता० गिओराई, जिला बीड	21-8-91	सहकारी
42.	सिन्धापाना एसएसके लि०, लोनी	8-1-90	सहकारी
	जिला औरंगाबाद		
43.	मै० पन्धारीनाथ एसएसके लि०, स्थाव धाकेफल, ता० पैथन, जिला औरंगाबाद	2-1-91	सहकारी
44.	मै० शिवेश्वर एसएसके लि०, वकई, ता० कन्नाड, जिला औरंगाबाद	16-3-90	सहकारी
45.	मै० हरसिद्धी एसएसके लि०, कदमाव, ता/जिला औरंगाबाद	25-4-90	सहकारी
46.	मै० श्री शरद एसएसके लि०, विहामुहुवा, ता० पैथन, जिला औरंगाबाद	6-6-90	सहकारी
47.	मै० श्री हीराजी महाराज एसएसके लि०, पिशोरे, ता० कन्नाड, जिला औरंगाबाद	5-7-90	सहकारी
48.	मै० छत्रपति शिवाजी एसएसके लि०, स्थान बन्डाला, तह० पैथन, जिला औरंगाबाद	22-8-90	सहकारी

1	2	3	4
49.	मै० ओम मोरेश्वर एसएसके लि०, गिरिजानगर, ता० सिलोड, जिला औरंगाबाद	7-11-90	सहकारी
50.	मै० सिउना एसएसके लि०, देवगांव रंगारी, ता० कन्नाड, जिला औरंगाबाद	23-11-90	सहकारी
51.	मै० प्रतिष्ठान एसएसके लि०, बिदकिन, तह० पैथन, जिला औरंगाबाद	17-12-90	सहकारी
52.	मै० श्री एसएसके लि०, स्थान खुलताबाद, ता० खुलताबाद, जिला औरंगाबाद	17-12-90	सहकारी
53.	मै० श्री कृष्णा एसएसके लि०, देनगांव, ता० गंगापुर, जिला औरंगाबाद	21-1-91	सहकारी
54.	मै० महात्मा फूले मागस्वर्गीय एसएसके लि०, कचराबाद, ता० व जिला औरंगाबाद	18-1-91	सहकारी
55.	संत बहिनबाई एसएसके लि०, वाकला, ता० बैजापुर, जिला औरंगाबाद	28-2-91	सहकारी
56.	श्री बी० बी० काले, मुख्य प्रवर्तक श्री त्रिविक्रम महाराज एसएसके लि०, वारखेडी (सदाम), ता० सोगांव, जि० औरंगाबाद	23-4-91	सहकारी
57.	मै० यसवंतराव चोहान एसएसके लि०, खुलताबाद, ता० खुलताबाद, जि० औरंगाबाद	15-4-90	सहकारी
58.	घिरश्नेश्वर एसएसके लि०, खुलताबाद	30-5-89	सहकारी
	जिला चन्द्रापुर		
59.	मै० काशीनाथ महाराज एसएसके लि०, नागांव, जिला चन्द्रापुर	20-3-90	सहकारी
60.	मै० महालक्ष्मी एसएसके लि०, सिन्धेवाडी	23-1-90	सहकारी

1	2	3	4
61.	मै० काशीनाथ महाराज एसएसके लि०, शेगांव, ता० चन्द्रापुर	6-5-91	सहकारी
	जिला उस्मानाबाद		
62.	मै० शिवशक्ति ओमरगा तालुका एसएसके लि०, रामपुरपट्टी, ता० ओमेरगा	6-4-90	सहकारी
63.	मै० डा० बाबासाहेब अम्बेडकर एसएसके लि०, स्थान केशवगांव, तह०/जिला उस्मानाबाद	23-5-90	सहकारी
64.	मै० बालाघाट शेतकारी एसएसके लि०, स्थान खामसवाडी, ता० व जि० उस्मानाबाद	28-5-90	सहकारी
65.	मै० ओमेरगा शेतकारी एसएसके लि०, बिरदेव मन्दिर, ता० ओमेरगा	19-3-90	सहकारी
66.	मै० जय जवान जय किसान मागस्वर्गीय एसएसके लि०, उपलई, ता० कल्लम	24-10-90	सहकारी
67.	मै० खोंडेश्वर शेतकारी एसएसके लि०, मांडवा, तह० कल्लम	12-10-90	सहकारी
68.	मै० संत कोरबा एसएसके लि०, हिंगनगांव, ता० कल्लम	6-9-90	सहकारी
69.	मै० सम्भोमहादेव शेतकारी एसएसके लि०, कत्ती (बी० के०), ता० ओमेरगा	26-3-91	सहकारी
70.	शिवशक्ति एसएसके लि०, भूम	20-12-89	सहकारी
71.	बिट्ठल एसएसके लि०, भूकम	30-10-89	सहकारी
	जिला गढ़चिरोली		
72.	मै० सिद्धी विनायक एसएसके लि०, वाडसा, ता० अरमोवी	21-3-90	सहकारी
73.	मै० मारकन्डेश्वर एसएसके लि०, चमोरसी, ता० चमोरसी	12-4-91	सहकारी

1	2	3	4
74.	मै० सिद्धार्थ सहकारी चीनी फैक्ट्री, स्थान पोरला, तह० गढ़चिरोली	14-12-90	सहकारी
	जिला लटूर		
75.	मै० रेना शेतकारी एसएसके लि०, रेनापुर (के), ता० लटूर	6-4-90	सहकारी
76.	मै० ओमकारेश्वर एसएसके लि०, चडवाड, ता० लटूर	6-4-90	सहकारी
77.	मै० यसवंत शेतकारी एसएसके लि०, स्थान नागलगांव, ता० उदगीर	8-5-90	सहकारी
78.	मै० यसवंतराव चौहान एसएसके लि०, स्थान तेलुन्द, ता० औसा	26-4-90	सहकारी
79.	मै० नरसिंहकृपा शेतकारी एसएसके लि०, गोल्डावी, ता० औसा	18-5-90	सहकारी
80.	मै० श्री शेतकारी एसएसके लि०, पोहारगांव, जिला लटूर	5-6-90	सहकारी
81.	मै० मंजारा एसएसके लि०, गडवाड, ता० लटूर	14-6-90	सहकारी
82.	मै० श्री गणेशनाथ एसएसके लि०, भोजा, ता० लटूर	14-6-90	सहकारी
83.	मै० उदयगीरि एसएसके लि०, हाकवाडी, ता० उदगीर	6-8-90	सहकारी
84.	मै० डा० राम मनोहर लोहिया एसएसके लि०, इसमालपुर, ता० उदगीर	19-9-90	सहकारी
85.	मै० श्री राजीव शेतकारी एसएसके लि०, टका, ता० औसा	29-7-91	सहकारी
86.	मै० श्री गंगाधर राव पाटिल शेतकारी एसएसके लि०, देवराजन, ता० उदगीर	22-8-91	सहकारी
87.	मै० शिवशंकर एसएसके लि०, मेधा	19-10-89	सहकारी
88.	मै० बलीराजा एसएसके लि०, पटोदा	8-1-90	सहकारी

1	2	3	4
	जिला सांगली		
89.	मै० दोगाराई सागरेश्वर शेतकारी एसएसके लि०, काडेपुर, ता० खानापुर	3-5-90	सहकारी
90	मै० जनता एसएसके लि०, अरग, ता० मीराज	1-6-90	सहकारी
91.	मै० दुधेश्वर एसएसके लि०, सवालवाडी, ता० मीराज	1-6-90	सहकारी
92.	मै० सोनहीरा एसएसके लि०, वांगी, ता० खानापुर	6-6-90	सहकारी
93.	मै० वसंत दादा एसएसके लि०, आस्था (शिगांव), ता० वाल्वा	28-6-90	सहकारी
94.	मै० क्रांति एसएसके लि०, कुन्डल, ता० तासगांव	28-6-90	सहकारी
95.	मै० अन्नत एसएसके लि०, वाटेगांव, ता० वाल्वा	16-8-90	सहकारी
96.	मै० श्री मलिका अर्जुन एसएसके लि०, कोह्रागांव, ता० वाल्वा	16-8-90	सहकारी
97.	मै० [illegible] एसएसके लि०, कुकलाब, ता० वाल्वा	16-8-90	सहकारी
98.	मै० शिवकिरपा एसएसके लि०, बोरपाडी, तह० कवथेमानकोल	30-8-90	सहकारी
99.	मै० [illegible] भाऊ राव पाटिल एसएसके लि०, शिगांव, ता० वाल्वा	19-9-90	सहकारी
100.	मै० धनेश्वरी एसएसके लि०, उमदी, तह० जट	12-10-90	सहकारी
101.	मै० बाबासाहेब अम्बेडकर एसएसके लि०, कुन्डलवाडी, तह० वाल्वा	24-10-90	सहकारी
102.	मै० शेतकारी एसएसके लि०, कोकाले, तह० कावठे, महाकाल	17-12-90	सहकारी
103.	मै० तासगांव तालुका पूर्वा भाग एसएसके लि०, मोराटे (पेड), ता० तासगांव	28-1-91	सहकारी

1	2	3	4
104.	मै० मैनादेवी एसएसके लि०, अराला, ता० शिराला	25-2-91	सहकारी
105.	मै० जठ तालुका एसएमके लि०, दरबावाची	19-9-91	सहकारी
106.	मै० आस्ता एसएसके लि०, वाल्वा	1-11-90	सहकारी
	जिला थाने		
107.	मै० किसान एसएसके लि०, नदगांव, ता० शाहपुर	20-4-90	सहकारी
	जिला अहमदनगर		
108.	मै० अहिला देवी महिला एसएसके लि०, हुलगांव, तालुका जामखेड	8-5-90	सहकारी
109.	मै० मुक्ताबाई एसएसके लि०, धमोरी, ता० रोहुअरी	6-6-90	सहकारी
110.	मै० श्री खाटमलोस दरीदेव गनपत, मीराजगांव, ता० कारजट	14-6-90	सहकारी
111.	मै० कुकोडी एसएसके लि०, पवलगांवपिसा, ता० श्रीगौंडा	16-8-90	सहकारी
112.	मै० शेवगांव भाग एसएसके लि०, खानापुर, डा० चोतान, ता० शेवगांव	23-8-90	सहकारी
113.	मै० श्री समर्थ सदगुरू किशनगिरि बाबा एसएसके लि०, नेवासा (डीके), ता० नेवासा	22-8-90	सहकारी
114.	मै० नागर तालुका एमएसके लि०, वालकी, तह० अहमदनगर	4-9 90	सहकारी
115.	मै० फूले अम्बेडकर एसएसके लि०, कोलगांव (अहोरजे रोड पर), ता० श्रीगोन्डा	14-9-90	सहकारी
116.	मै० संगम सहकारी एसएसके लि०, स्थान व डा० नेवसा, ता० नेवसा	19-9-90	सहकारी

1	2	3	4
117.	मै० नन्दादेवी एसएसके लि०, ननज, ता० आमखेड	12-10-90	सहकारी
118.	मै० किसान क्रांति एसएसके लि०, स्थान श्रीगोंडा, ता० श्रीगोंडा	2-1-91	सहकारी
119.	मै० जय बजरंग एसएसके लि०, शेवगांव	2-1-91	सहकारी
	जिला शोलापुर		
120.	मै० मधा तालुका शेतकारी एसएसके लि०, स्थान एम० एम० जोशी नगर, डा० इम्बरनी, ता० मधा	8-5-90	सहकारी
121.	मै० विश्वनाथ प्रताप एसएसके लि०, तनाली, तालुका पन्धारपुर	21-6-90	सहकारी
122.	मै० महालिंग राय एसएसके लि०, वाटवाटे, ता० मोहल	17-8-90	सहकारी
123.	मै० अस्थविनायक एसएसके लि०, शिरापुर, तह० मोहल	3-9-90	सहकारी
124.	मै० महालक्मी एसएसके लि०, स्थान/डा० महीम, तह० सांगोला	22-8-90	सहकारी
125.	मै० सूर्या सीना एसएसके लि०, तेलगांव. तह० दक्षिण शोलापुर	14-9-90	सहकारी
126.	मै० डा० हेडगेवार एसएसके लि०, स्थान व डा० खारडी, ता० पन्धरपुर	24-9-90	सहकारी
127.	मै० श्री हनुमान एसएसके लि०, धामपुरी, ता० मालसिरस	24-10-90	सहकारी
128.	मै० चन्द्रभाग एसएसके लि०, भलवई, ता० पन्धरपुर	24-10-90	सहकारी
129.	मै० श्री मकई एसएसके लि०, भगतवाडी, रामवाडी, डा० जांटी, ता० करमला	9-1-91	सहकारी
130.	मै० बलीराजा एसएसके लि०, रोपाले (बीके) ता० पन्धरपुर	28-1-91	सहकारी

1	2	3	4
131.	मै० विकास एसएसके लि०, सालमुखवाडी, ता० मालसिरस	1-2-91	सहकारी
132.	मै० मोहल तालुका एसएसके लि०, मलिकपेट, ता० मोहल	2-4-91	सहकारी
133.	मै० अम्बरीस भागवत शेतकारी एसएसके लि०, उपलाई (थो), ता० बारशी	15-4-91	सहकारी
134.	मै० जीजा माता एसएसके लि०, पिमरी	31-1-91	सहकारी
	जिला अमरावती		
135.	मै० संत गाटेगेबाबा एसएसके लि०, स्थान/ता० चन्द्राबाजार	18-5-90	सहकारी
136.	मै० पूरना एसएसके लि०, कॉडवीर, ता० मोरशी	19-9-91	सहकारी
	जिला यवतमाल		
137.	मै० जगदम्बा एसएसके लि०, निलजाई, ता० केल्लूर	11-6-90	सहकारी
138.	मै० इन्दिरा एसएसके लि०, स्थान व ता० नालेगांव	12-7-90	सहकारी
139.	मै० शेतकारी एसएमके लि०, विगरास	20-11-90	सहकारी
140.	मै० श्री दाता एसएसके लि०, मारोली, ता० घाटन्जी	25-2-91	सहकारी
141.	मै० महा औदुमबार एसएसके लि०, फूलसावांगी, ता० महागांव	28-2-91	सहकारी
	जिला पुणे		
142.	मै० दौंड एसएसके लि०, स्थान खेदकी, ता० दौंड	23-5-90	सहकारी
143.	मै० श्री विश्वेश्वर एसएसके लि०, खदकी, ता० दौंड	5-6-90	सहकारी
144.	मै० इन्दिरेश्वर एसएसके लि०, स्थान बभूलगांव, ता० इन्दिरापुर	5-7-90	सहकारी

1	2	3	4
145.	मै० भीमा शंकर एसएसके लि०, नंगापुर थपलिंग परिसर, ता० अम्बेगांव	24-7-90	सहकारी
146.	मै० भीमा शंकर एसएसके लि०, कथापुर, ता० अम्बेगांव	24-7-90	सहकारी
147.	मै० दोन्ड हवेली एसएसके लि०, स्थान राहु, ता० दोन्ड	14-9-90	सहकारी
148.	मै० भीमा शंकर एसएसके लि०, वाकी, ता० खेड	28-1-91	सहकारी
149.	मै० जयमलाहार एसएसके लि०, भोसलेवाडी (कोठाले), ता० पुरन्धर	29-8-91	सहकारी
	जिला जालना		
150.	मै० श्री राजुरेश्वर एसएसके लि०, परदखेडा, ता० जाफराबाद	28-5-90	सहकारी
151.	मै० जनता एसएसके लि०, स्थान धंगरपिम्पलगांव, ता० आमफेड	21-6-90	सहकारी
152.	मै० प्रियदर्शनी एसएसके लि०, स्थान रानीऊंचागांव, ता० अम्बेड	16-8-90	सहकारी
153.	श्री रामेश्वर एसएसके लि०, सावरखेड, जिला जालना	8-12-89	सहकारी
154.	मै० इन्दिराई एसएसके लि०, जाफराबाद, ता० जाफराबाद	31-1-91	सहकारी
155.	मै० नारायणदेव बाबा एसएसके लि०, जाफराबाद, ता० जाफराबाद	25-2-91	सहकारी
156.	श्री महालक्ष्मी गोगल एसएमके लि०, बदनापुर, ता० जालना	15-4-91	सहकारी
157.	रेणुका शेतकारी एसएसके लि०, जालना	1-3-89	सहकारी
	जिला सतारा		
158.	मै० इन्दिरा एसएमके लि०, शिवाठे, ता० सतारा	10-7-90	सहकारी

1	2	3	4
159.	मै० परिवर्तन एसएसके लि०, सोकासों, ता० मान	12-7-90	सहकारी
160.	मै० अगाशिव एसएसके लि०, कोब, तालुका करड	24-7-90	सहकारी
161.	मै० सैनिक किसान एसएसके लि०, साठेवाडी, ता० खाटव	16-8-90	सहकारी
162.	मै० श्रीमंत छतरपती प्रताप सिंह महाराज एसएसके लि०, स्थान बादुत फाटा, ता० सतारा	17-8-90	सहकारी
163.	मै० रायत एसएसके लि०, कोकेवाडी, ता० करड	17-8-90	सहकारी
164.	मै० ओम सम्भु महादेव एसएमके लि०, महासवाड, तह० मान	30-8-90	सहकारी
165.	मै० किसान एसएसके लि०, पाली, ता० करड	6-9-90	सहकारी
166.	मै० खन्डोबा मागसोरगीरा एसएसके लि०, स्थान पाल, ता० करड	19-9-90	सहकारी
167.	मै० प्रतापगढ़ एसएसके लि०, मधा, ता० जवाली	5-10-90	सहकारी
168.	मै० शिववर्धन एसएसके लि०, ता० करड	9-10-90	सहकारी
169.	मै० शिवशक्ति एसएसके लि०, पिम्परी, तह० कोरेगांव	20-11-90	सहकारी
170.	मै० यसवंतराव चोहान एसएसके लि०, दिवाद, ता० मान	23-11-90	सहकारी
171.	मै० तुलजाभवानी देवी एसएसके लि०, भावन, तह० फाल्टन	28-11-90	सहकारी
172.	मै० किसन वीर एसएसके लि०, खंडाला	19-2-91	सहकारी
173.	मै० वेदावती एसएसके लि०, वदुज, ता० खाटव	25-2-91	सहकारी

1	2	3	4
	जिला नासिक		
174.	मै० यसवंतराय चोहान एसएसके लि०, कुसूर. ता० येओला	14-6-90	सहकारी
175.	इन्दिरा गांधी मौसम एसएसके लि०, गोलवाड	7-11-89	सहकारी
176.	मै० पचोरा तालुका एसएसके लि०, सुआले, ता० पचोरा	17-8-90	सहकारी
177.	मै० श्री रविन्द्र पी० पाटिल श्री मुक्तई एसएसके लि०, सालींगी ता० भुसवाल	4-9-90	सहकारी
178.	मै० भडगांव एसएसके लि०, भडगांव, ता० भडगांव	19-9-90	सहकारी
179.	मै० निलबंध एसएसके लि०, जलगांव (केएच), ता० जलगांव	9-10-90	सहकारी
180.	मै० लाल बहादुर शास्त्री एसएसके लि०, दीघी, ता० पचोरा	30-10-90	सहकारी
181.	मै० मधुकर एसएसके लि०, नहवीमार्ग पैजपुर, तह० यवोल	14-12-90	सहकारी
182.	मै० यवल तालुका एसएसके लि०, मवोवे, ता० यवन	9-1-91	सहकारी
183.	मै० रावेर तालुका एसएसके लि०, बोकारी शिवार, ता० रावेर	19-9-91	सहकारी
184.	आदिवासी दलित विमुक्ता भाटक्या एसएसके लि०, चालीसगांव	19-8-88	सहकारी
185.	जलगांव एसएसके लि०, कनलारी	4-8-89	सहकारी
	जिला अकोला		
186.	मै० इन्दिरा एसएसके लि०, अवगांव, ता० अकोड	28-6-90	सहकारी
187.	मै० डा० बाबासाहेब अम्बेडकर एसएसके लि०, मंगरूलपीर	10-7-90	सहकारी

1	2	3	4
188.	मै० हनुमान एसएसके लि०, वारी, भारोमड (तिल्हार) तह० तिल्हार	3-9-90	सहकारी
	जिला नान्देड		
189.	मै० श्री लक्ष्मी वेंकटेश एसएसके लि०, अदगांव, तालुका कन्धर	28-6-90	सहकारी
190.	मै० श्री विठल एसएसके लि०, प्रस्तावित मरयाला, ता० कन्धर	10-7-90	सहकारी
191.	मै० महात्मा जतिबा फूले एसएसके लि०, ववाहद, ता० नान्देड	6-8-90	सहकारी
192.	मै० देगलूर विभाग एसएसके लि०, स्थान कवलमांव, तह० देगलूर	6-8-90	सहकारी
193.	मै० पेनगंगा एसएसके लि०, उहकदेव (माहूदवी), तह० मीनट	22-8-90	सहकारी
194.	मै० राजश्री शाह मंगस्वर्गीय एसएसके लि०, मुखेड़, तह० मुखेड़	21-12-90	सहकारी
195.	मै० यशवन्तराव चाव एसएसके लि०, भानपुर, तह० नांदेड	2-11-91	सहकारी
196.	मै० पंचालपुर (खंडहर) नन्याव, खोरे एसएसके लि०, गोल, तहसील खंडहर	1-8-91	सहकारी
197.	मै० बलराज एसएसके लि०, अदगांव, खंडहर	19-8-89	सहकारी
198.	मै० नन्दीगढ़ एसएसके लि०, नांदेड़	26-6-89	सहकारी
199.	मै० सहस्रकुण्ड आदिवासी एसएसके लि०, राजगढ़	9-8-89	सहकारी
200.	मै० योगेश्वर एसएसके लि०, आवन्ती, तह० पेन	21-7-89	सहकारी
	जिला बुलधाना		
201.	मै० चामेश्वरी देवी एसएसके लि०, दंबलगांव बापसा	12-10-90	सहकारी

1	2	3	4
202.	मै० श्री संत गुलाब बाबा एसएसके लि०, संग्रामपुर, ता० संग्रामपुर	28-11-90	सहकारी
203.	मै० इंदिरा एसएसके लि०, तितह, ता० लोनार	5-12-90	सहकारी
204.	मै० मालगंगा शेतकारी एसएसके लि०, नालगंगापुर, ता० मोटाला	5-12-90	सहकारी
205.	मै० कमलाजा देवी एसएसके लि०, सुलतानपुर, तह० लोनार	14-12-90	सहकारी
206.	मै० पदमावती एसएसके लि० रौपुर, ता० चिखली	5-9-90	सहकारी
207.	मै० भारतरतन डा० बाबा साहेब अंबेडकर एसएसके लि०, देलगांव माही	21-1-91	सहकारी
208.	मै० श्री छत्रपति शिवाजी महाराज एसएसके लि०, पंगरखेड (डोगांव), ता० मेहकर	19-9-91	सहकारी
209.	मै० नालगंगापुर एसएसके लिमिटेड, नालगंगापुर	9-6-89	सहकारी
210.	मै० श्री गजानन महाराज एसएसके लिमिटेड, येलगांव	16-10-89	सहकारी
211.	मै० रेनुका देवी एसएसके लिमिटेड, पियरखेडा	17-1-90	सहकारी
	जिला धुलिया		
212.	मै० देवमोगरा मारा आदिवासी, त्रिवन सहकारी शुगर फैक्टरी लि०, अक्कलकुवा तालेडा	19-9-90	सहकारी
213.	मै० आदिवासी एसएसके लि०, तालावीपाडा	1-11-89	सहकारी
214.	मै० श्री सतपुडा तापी परिसर एसएसके लि०, शमशेरपुर और शिवा गांव के बीच, ता० नंदरबार	14-9-90	सहकारी
	जिला वर्धा		
215.	मै० रुकमणी एसएसके लि०, गांव खूबगांव, ता० अर्वी	12-7-90	सहकारी

1	2	3	4
	जिला भंडारा		
216.	मै० मनोहर एसएसके लिमिटेड, स्थान और पो० जिलमिली, ता० भंडारा	8-8-90	सहकारी
	जिला नागपुर		
217.	मै० लकमानया एसएसके लि०, बुटी बेरी	26-6-88	सहकारी
218.	मै० साईनाथ एसएसके लि०, प्रराविम्गा	29-3-89	सहकारी
	आन्ध्र प्रदेश		
	जिला नैल्लूर		
1.	मै० श्री एन० प्रदीप कुमार रेड्डी, एट-चोटापल्लीगुंडूर, जिला नैल्लूर	8-8-90	निजी
2.	मै० एम० मस्तान रेड्डी, कृष्णायानी शुगर्रस प्राइवेट, स्थान अलूरू, ता० अलूरू मंडलम, जिला नैल्लूर	16-8-90	निजी
3.	श्री एम० शिव कुमार रेड्डी, मै० लक्ष्मी शुगर प्रा० लिमिटेड, स्थान इंदुकुरपर, ता० इंदुकुरपरे मंडलम, जिला नैल्लूर	16-8-90	निजी
4.	श्री एस० वी० नागराज रेड्डी, मै० बालाजी शुगर्रस प्रा० लि०, स्थान टी० पी० गुडुके, ता० टी० पी० गुडु मंडलम, जिला नैल्लूर	16-8-90	निजी
5.	श्री एस० वी० सुधाकर रेड्डी, मै० श्री निवारा शुगर्रस प्रा० लिमिटेड, स्थान संगम, ता० संगम मंडलम, जिला नैल्लूर	16-8-90	निजी
6.	श्री एम० राम राघव रेड्डी, निदेशक, सवेरा इन्टरप्राइजिज लिमिटेड, स्थान मनूबोलू (मनूबोलू मंडलम), ता० गुडूर, जिला नैल्लूर	6-9-90	निजी

1	2	3	4
7.	मै० श्री ए० श्याम सुन्दर रेड्डी, अध्यक्ष, श्याम ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज, ता० सुलारपेर, तालुक (पुराना) जिला नैल्लूर	6-9-90	निजी
8.	मै० श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, 65, वेनथम स्ट्रीट, ग्राउंड फ्लोर, हांगकांग, फैक्ट्री स्थान चेतजराला, ता० आत्माकुर, जिला नैल्लूर	7-9-90	सार्वजनिक
9.	मै० श्री० एन० जगन मोहन रेड्डी, स्थान संगम, संगम मंडल, जिला नैल्लूर	14-9-90	निजी
10.	मै० श्री के० आर० पुरोषोत्तम, स्थान संगम, तहसील अतमाकुर, जिला नेलोर	7-11-90	निजी
11.	मै० कोट्टू पाटलीपुरम रेड्डी, संगम गांव, अटकुर बेलोर, अमताकुर मंडल, जिला नेलोर	19-2-91	निजी
12.	मै० ब्रिविज एण्ड टिसटिलराईज लि०, थानतापाडु नजदीक नारापाडें, तहसील वारीहुन्तपुडी मंडल, जिला नेलोर	25-8-91	निजी
13.	मै० श्रीमती जी० एस० रमजी, स्थान अदुरपाली, तहसील चेजेराला मंडल, जिला नेलोर	26-3-91	निजी
14.	मै० सप्ताहगीरी शुगर प्रा० लि०, मधुकुर, तहसील मधुकुर मंडलम, जि० नेलोर	1-4-91	निजी
15.	मै० एन० डी० आर० शुगर एण्ड केमीकल, पोडलाकुर, तहसील पडलाकुर मंडल, जिला नेलोर	6-5-91	निजी
16.	मै० आन्ध्रा प्रदेश पेपर मिल्स लि०, दुततालुर प्रोजेक्ट, तहसील उदयगीरी, जिला नेलोर	13-9-91	निजी

1	2	3	4
	जिला चितुर		
17.	मै० श्री एस० जयारामन चौधरी, स्थान पाला मंगलम्, तहसील ननद्रा मंडल, नगरी ता०, जिला चितुर	17-8-90	निजी
18.	मै० पी० वेसाईया नाइडू, स्थान तथा तहसील कालाहस्ती, जिला चितुर	7-9-90	निजी
19.	मै० एम० भी० जी० राव, स्थान तथा तहसील पीतचातुर, जिला चितुर	7-9-90	निजी
20.	मै० श्री चादालवाडा कृष्णा मूर्ति, स्थान वेयामान्डु, जिला चितुर	14-9-90	निजी
21.	मै० श्री ई० अशोक कुमार रेड्डी, स्थान नोन्द्रा कुन्टा, तहसील चन्द्रगीरी (पु०) पाकाला मंडल, जिला चितुर	23-11-90	निजी
22.	मै० पी० एम० पोकहाई छित्तीर, मदनपाले रैवेन्यू डिविजन, मदनपाले, ता० चितुर, जिला चितुर	28-1-91	निजी
23.	मै० डी० मिनाक्षी अमल, श्री मिनाक्षी शुगर एंड केमिकल, संचीपुरम, ता० संचीपुरम मंडल, जिला चितुर	14-3-91	निजी
24.	मै० सी० वी० सुधाकर, पिल्लेर मंडल, जिला चितुर	23-4-91	निजी
25.	मै० मारुती शुगर एंड केमिकल लि०, स्थान पुलीचेरला, तहसील पुलीचेरला मंडलम, जिला चितुर	13-3-91	निजी
	जिला मेडक		
26.	मै० अजय कुमार शुगर फैक्टरी, स्थान तूफरान, ता० तूफरान, जिला मेडक	23-5-90	निजी
27.	मै० विनोद केडिया, स्थान तूफरान, तहसील गजनाल, जिला मेडक	17-8-90	निजी

1	2	3	4
28.	मै० कैलाश एस० आर० तेगरपल्ली गांव, ता० कोहापुर मंडल, जिला मेड़क	19-3-91	निजी
29.	मै० सी० कोवसापेन्द्रराव, कोहापुर, ता० कोहापुर मंडल, जिला मेड़क	12-4-91	निजी
30.	श्री डी० सिगंरासिया, मै० आन्ध्र इलैक्ट्रानिक्स, स्थान तुफरान, तहसील तुफरान मंडल, जिला मेड़क		
31.	मै० अमाना शुगरंस लिमिटेड, परगनापुर, ता० गुजनाल, जिला मेड़क	22-3-90	निजी
32.	मै० श्री एम० महीपाल रेडी, निजामपेट, ता० नरायाजखेड, जिला मेड़क	28-6-90	निजी
	जिला रंगारेडी		
33.	मै० श्री एस० वी० चौधरी, स्थान नारायणपुर, विकाराबाद मंडल, जिला रंगारेडी	6-11-89	निजी
34.	मै० भवानी शुगरंस लि०, न्यू शुगर फैक्टरी, स्थान एकताला, मोनपेठ मंडल, मारपल्ली ता०, जिला रंगारेडी	11-6-90	निजी
35.	मै० श्री डी० पडुरंगा रेडी, स्थान कंडनशाली तडूर, ता० तेन तडूर, जिला रंगारेडी	17-8-90	निजी
36.	मै० श्री जयदेवा बलदेवा, जय हिन्द खान्डसारी शुगर फैक्टरी, स्थान मनुलगुडा, पेडूर (मंडल) ता० विकाराबाद, जिला रंगारेडी	6-9-90	निजी
	जिला निजामाबाद		
37.	मै० जी० सामपथ रेडी, रघुराम इंडस्ट्रीज, बीचकोडा-बंसवाड एरिया, ता० बंसवाड, जिला निजामाबाद	8-3-91	निजी
38.	मै० मैजो एक्सपोर्टस प्रा० लि०, स्थान/कस्बा बंडापल्ली गांव, तहसील/ता० पितलाम मंडल, जिला निजामाबाद	4-6-91	निजी

1	2	3	4
39.	मै० श्री जी० आनन्द रेडी, स्थान बंधापल्ले पितलाम (मंडल), तहसील बांसवाडा ता०, जिला निजामाबाद	30-8-91	निजी
40.	मै० कैलाश देव शंकर, स्थान न्यू पालुंचा, तहसील कामारेडी मंडल, जिला निजामाबाद	9-1-90	निजी
41.	मै० एन० सी० एस० स्टेट प्रा० लि०, भुम्मपाली/पदमावाडी, सदासिवनगर मंडल, जिला निजामाबाद	8-8-90	निजी
42.	मै० श्री के० जयोती रेडी, स्थान/तहसील बीचकोन्डा, निजामाबाद	22-8-91	निजी
	जिला विशाखापटनम्		
43.	मै० श्री एन० बी० बी० चलनाई, स्थान कोषाकोटा गांव, तहसील नरसिपतनार्म, जिला विशाखापटनम्	8-8-90	निजी
44.	मै० बेलगापुडी गोपाल कृष्णा प्रसाद एण्ड एसोसिएट, स्थान कोषाकोटा एरिया मंडल, रवीकाताम, जिला विशाखापटनम्	14-12-90	निजी
	जिला श्रीकाकुलम		
45.	मै० कोशटाल पैपर लि०, स्थान पालाकोन्डा इलाका, तहसील पालाकोण्डा मंडलम्, जिला श्रीकाकुलम	24-7-90	निजी
46.	मै० ईस्ट इण्डिया कमर्शियल क० लि०, स्थान बाजजी, तहसील पालकोन्डा मंडल, जिला श्रीकाकुलम	6-11-90	निजी
47.	मै० श्री वासवी जुटे ट्वीन मिल्स प्रा० लि०, विरागाथम तहसील (विरागथाम मंडलम्), जिला श्रीकाकुलम	26-3-91	निजी
48.	मै० श्री एम० रामा राव, स्थान पालाकोण्डा, जिला श्रीकाकुलम	28-5-90	निजी

1	2	3	4
	जिला अदिलाबाद		
49.	उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मै० निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, स्थान कोडम प्रोजेक्ट एरिया (नजदीक जैवनाराम), जिला अदिलाबाद	6-8-90	निजी
50.	मै० इमपेस शुगर एण्ड केमिकल्स लि०, नवलोपेट, तहसील काडम मंडल, जिला अदिलाबाद	1-2-91	निजी
51.	मै० एमको शुगर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड	1-2-91	निजी
	जिला वारंगल		
52.	मै० बनजारापालली शुगर एंड एलीद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बनजारापालली, तहसील धर्मासागर मंडल, जिला वारगल	6-5-91	निजी
	जिला प्रकाशम		
53.	मै० एमको शुगर्स एंड कैमिकल्स, एट मारकापुर, तहसील मारकापुर मंडल, जिला प्रकाशम	25-9-90	निजी
54.	मै० कोरामंडल शुगर्स सिगर यकोन्डा, ता० सिगरायकोन्डा मंडल, जिला प्रकाशम	9-5-91	निजी
55.	मै० मि० थियागराज एस० चेतीयार, मारकापुर गांव, मारकापुर मंडल, जिला प्रकाशम	13-9-91	
	जिला गोदावरी		
56.	मै० श्री रामचन्द्रम गोरीपटी, बुरुगुपल्ली-गोकावरम, जिला पूर्व गोदावरी	20-9-90	निजी
57.	मै० आन्ध्र प्रदेश उद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मंडापटा, तहसील मंडापटा, जिला पूर्वी गोदावरी	13-9-91	निजी सार्वजनिक
	जिला महबूबनगर		
58.	मै० जनार्दन राव कैनाई, स्थान पेंठुलापुडु, तहसील मोपुड, जिला महबूबनगर	31-1-90	निजी

1	2	3	4
59.	मै० ओमेश्वर बालईभा, स्थान शाद नगर, तहसील शादनगर, जिला महबूबनगर	16-7-91	निजी
60.	मै० श्री ए० दिवाकर, एटपा पोथालपाडु, तहसील मनोपेड मंडल, जिला महबूबनगर	3-10-91	निजी
	जिला पाराबरम		
61.	मै० श्री एस० वी० नरसिम्भा राव, स्थान सिवारामपुरम गांव, तहसील तालुर मंडल, जिला पाराबरम	21-11-90	निजी
	जिला कृष्णा		
62.	मै० श्री वेद्दो सोभनाद्देरी, स्थान कचकचेरला गांव, तहसील कचकचेरला मंडलम, जिला कृष्णा	22-8-90	सार्वजनिक
	जिला गोदावरी		
63.	मै० आन्ध्र चीनी लि०, स्थान वुटयागुडन, जिला पश्चिमी गोदावरी	14-9-90	निजी
	जिला खम्माम		
64.	मै० वामेरा काशी विश्वानाथ राव, लक्मीपुरम, प्र/का० बुरगमपुडु, तहसील बुरगमपुडु मंडलम, जिला खम्माम	12-4-91	निजी
	जिला कुरनुल		
65.	मै० मोहन शुगर एण्ड केमिकल, टाउन-मन्डी कोठुर गांव, तहसील मन्डी कोठुर मंडल, जिला कुरनुल	27-6-91	निजी
	जिला कृष्णानगर		
66.	मै० रासावा शुगर लि०, स्थान गोलापाली, तहसील गोलापाली मंडल, जिला कृष्णानगर	13-9-91	निजी

1	2	3	4
	जिला गन्टुर		
67.	मैं० मउली एगरो लि०, दीदुगु, अमरावती मंडल, जि० गन्टुर	22-3-90	निजी
	जिला कुडप्पा		
68.	मैं० श्री सी० वेंकटेश रेड्डी, स्थान बडनेल, तहसील बडनेल, जिला कुडप्पा	22-8-90	निजी

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

171. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को रुग्ण अथवा अलाभप्रद उपक्रमों में वर्गीकृत करने के लिए अपनाए जाने वाले मापदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त दो श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के किन्हीं उपक्रमों का पता लगाया है; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में और विशेष रूप से विशाखापत्तनम में ऐसा कोई उपक्रम है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकार ने वर्तमान रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 को संशोधित कर सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपने का निर्णय किया है। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार रुग्णता को "रुग्ण औद्योगिक कम्पनी" के रूप में पारिभाषित किया गया है जिसका अर्थ एक ऐसी औद्योगिक कम्पनी (कम-से-कम सात वर्षों के लिए पंजीकृत कम्पनी हो) से है जिसने किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने कुल निवल मूल्य के बराबर या उससे अधिक संचयी घाटा उठाया हो तथा उस वित्तीय वर्ष में एवं उस वित्तीय वर्ष के आसन्न पूर्ववर्ती वर्ष में नकद घाटा भी उठाया हो।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वर्ष 1989-90 तक के कार्य-निष्पादन तथा उपर्युक्त अधिनियम में वर्णित रुग्णता के प्रावधान के आधार पर सरकारी क्षेत्र के 50 उद्यमों को रुग्ण कहा जा सकता है। इनमे से दो के पंजीकृत कार्यालय आंध्र प्रदेश में स्थित हैं।

शीतागार कम्पलैक्सों की स्थापना के लिए सहायता

172. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिए कृषि/समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक शीतागार

कम्पलैक्सों की स्थापना के लिए सरकारी एजेंसियों/अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता मंजूर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"पे पैकेज डील"

173. **प्रो० राम कापसे** : क्या शहरी विकास मंत्री 8 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 304 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में लागू "पे पैकेज डील" को लिपिकीय, आरेखण और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया है यद्यपि वहां भारी संख्या में कर्मचारी बिना पदोन्नति के 10 से 20 वर्षों से ऐसे ही पदों पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कनिष्ठ इंजीनियरों और अनुभागीय अधिकारियों (उद्यान) के लिए दो वेतनमान रखने की चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों तथा एक समान वेतनमान रखने की स्टाफ की मांग तथा सरकार और एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर की गई "सर्वसम्मति" को ध्यान में रखते हुए कनिष्ठ इंजीनियरों और अनुभागीय अधिकारियों (उद्यान) के बारे में पे पैकेज डील संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। लिपिकीय, ड्राइंग और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ की रचना को इन श्रेणियों की संवर्ग पुनरीक्षा के विषय में निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाएगा।

नाभिकीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने की योजना

174. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो किस अवधि तक के लिए दीर्घावधि योजना बनाई गई है;

(ग) उस अवधि के अन्त तक नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) नाभिकीय क्षमता में वृद्धि करने और सुरक्षा पहलुओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) सन् 2002 तक।

(ग) सन् 2002 तक 7700 मेगावाट बिजली पैदा करने के स्तर तक पहुंचने का।

(घ) 8 न्यूक्लियर विद्युत रिएक्टर काम कर रहे हैं। 5 रिएक्टरों से संबंधित काफी ज्यादा कार्य हो गया है। इन रिएक्टरों को विभिन्न चरणों में सन् 1997 तक चालू कर दिया जाएगा और इस प्रकार सातवीं योजनावधि के अन्त तक विद्युत उत्पादन का स्तर 2000 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। सन् 1997 से 2002 के बीच साधन उपलब्ध होने की स्थिति में 9 विद्युत रिएक्टर चालू किए जाएंगे जिनमें से 4 रिएक्टर 500 मेगावाट क्षमता वाले होंगे ताकि 5700 मेगावाट विद्युत उत्पादन के स्तर तक पहुंचा जा सके। इसके साथ-साथ, यदि भारत सरकार ने अनुमति दे दी तो, रूस द्वारा सहायता प्राप्त कुडानकुलम परियोजना की स्थापना से बिजली के उत्पादन में 2000 मेगावाट की और बढ़ोतरी होगी। 227-28

आवास कार्यकलापों में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करना

175. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवास कार्यकलापों में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में समाज के विभिन्न वर्गों को आवास देने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास नीति प्रारूप ने आवास विकास क्रियाकलाप में निजी क्षेत्र को शामिल करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। तथापि, इस संबंध में कार्रवाई मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। कुछ राज्यों ने निजी क्षेत्र के विकासकर्त्ताओं की सक्रिय शामिलता के लिए आवास योजनाएं तैयार की हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक निर्धारित मार्गनिदेशों के अनुसार पात्र विकासकर्त्ताओं की योजनाओं को धनराशि दे रहा है।

(ग) और (घ) आवास राज्य का विषय है तथा आवास योजनाएं राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं तथा योजना संसाधनों के अनुसार तैयार की जाती हैं तथा कार्यान्वित की जाती हैं। ये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः सहायता प्राप्त स्कीमों और कार्यक्रमों द्वारा संपूरित की जाती हैं।

कुछ स्कीमें निम्नलिखित हैं :

(i) ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए इन्दिरा आवास योजना।

(ii) नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी निर्धनों के लिए आश्रय उन्नयन।

(iii) शहरी पटरी निवासियों के लिए रैन बसेरे।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार राज्य आवास और शहरी विकास अभिकरणों को राष्ट्रीय

स्तर वित्तीय संस्थानों जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक, हुडको, आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करती है ।

जहां तक दिल्ली का संबंध है, 1994-95 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए रिहायशी एककों के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना निम्नानुसार है :

	वर्ष		निर्माण का लक्ष्य (एकक)
(i)	1991-92		19,000
(ii)	1992-93		26,000
(iii)	1993-94		26,500
(iv)	1994-95		36,000
		योग	1,07,500

दिल्ली विकास प्राधिकरण सहकारी समितियों को भूमि-आवंटन के माध्यम से मकानों की व्यवस्था में वृद्धि कर रहा है ।

228

सीमेंट उद्योग पर नियन्त्रण

176. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सीमेंट उद्योग पर पुनः नियन्त्रण स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सीमेंट पर नियन्त्रण से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इससे उपभोक्ता किस प्रकार लाभान्वित होंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

228.2

स्वरोजगार कार्यक्रम

177. श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रधान मंत्री 14 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3060 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए० आदि द्वारा सृजित उत्पादन और आय के साधनों की ब्लाकवार सर्वेक्षण द्वारा देश स्तर पर जांच की गई है ताकि उनके अस्तित्व का प्रत्यक्ष रूप से पता लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रमों को उत्पादक कार्यक्रमों में परिवर्तित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (घ) भारत सरकार अक्तूबर, 1985 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में समवर्ती मूल्यांकन करती आ रही है। अब तक समवर्ती मूल्यांकन के तीन दौर पूरे हो चुके हैं। समस्त देश में सर्वेक्षण का कार्य स्वतन्त्र अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किया जाता है तथा सर्वेक्षण नमूना आधार पर चुने हुए 36 जिलों के दो-दो खण्डों से आंकड़े/सूचना एकत्र की जाती है। जनवरी से दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के लिये किये गये समवर्ती मूल्यांकन के तीसरे दौर के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 71 प्रतिशत मामलों में परिसम्पत्तियां सही हालत मे पायी गई। उन मामलों में, जिनमें परिसम्पत्तियां सही हालत में नहीं पाई गई उनके लिए अप्रत्याशित घटनायें जैसे बीमारी तथा मृत्यु और पारिवारिक उपभोग आवश्यकताओं आदि के लिए अपर्याप्त आय सृजन जैसे कारण थे। मूल्यांकन रिपोर्ट से यह प्रदर्शित होता है कि उपलब्ध कराई गई परिसम्पत्तियों से 42 प्रतिशत मामलों में 2000 रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय (रख-रखाव और ऋण की वापस अदायगी की सकल लागत), 18 प्रतिशत मामलों में 1001 रुपये से 2000 रुपये तथा 9 प्रतिशत मामलों में 501 रुपये से 1000 रुपये के बीच आय सृजित की गई। 43 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों की कुल वार्षिक पारिवारिक आय उनकी प्रारम्भिक वार्षिक आय से 50 प्रतिशत से भी अधिक थी। 20 प्रतिशत मामलों में आय में यह वृद्धि मूल्यांकित प्रारम्भिक आय से 100 प्रतिशत से भी अधिक थी।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई विभिन्न योजनाओं से 40 प्रतिशत से 44 प्रतिशत मामलों में लघु सिंचाई योजनाओं और दुकानों की योजना तथा 30 प्रतिशत से 31 प्रतिशत मामलों में हथकरघा, सिलाई तथा बुनाई और बैलगाड़ी वाली योजनाओं से लाभार्थियों को 6400 रुपये की गरीबी की रेखा को पार करने में मदद मिली।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को आबंटित गेहूं, चावल और चीनी

178. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश का गेहूं, चावल और चीनी की कुल कितनी-कितनी मात्रा आबंटित की गई;

(ख) क्या यह मात्रा राज्य सरकार द्वारा की गई मांग से कम है;

(ग) आबंटित कोटे में राज्य सरकार द्वारा उक्त मदों की कितनी-कितनी मात्रा उठाई गई;

(घ) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि राज्य के कुछ हिस्सों में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को और अधिक खाद्यान्न आबंटित किया जाएगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 (अप्रैल-मार्च) के दौरान गेहूं और चावल की मांग. आबंटन और उठान निम्नानुसार था :

(हजार मीटरी टन में)

	गेहूं	चावल
मांग	830.0	460.0
आबंटन	690.9	370.0
उठान	401.6	237.7

जहां तक चीनी का संबंध है, अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एक-समान मानदंड के आधार पर आबंटन किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश को वर्ष 1990-91 के लिए 651.05 हजार मीटरी टन चीनी का आबंटन किया गया था। चूंकि उत्तर प्रदेश सीधा अलाटी राज्य है, इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठान के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) जी, हां। सितंबर/अक्तूबर, 1991 में सूचित किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल क्षेत्र के लिए खाद्यान्नों के आबंटन में कमी कर दी गई थी।

(ङ) यद्यपि विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आबंटन समूचे राज्य के लिए होते हैं और इसके सीमा क्षेत्र तथा उपभोक्ताओं के लिए निर्गम की मात्रा सहित राज्य के अन्दर वितरण के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाना है, लेकिन राज्य के लिए गेहूं के आबंटन को अक्तूबर, 1991 में 5,000 मीटरी टन और नवंबर, 1991 में 10,000 मीटरी टन बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार राज्य के लिए चावल के आबंटन को जून, 1991 के 27,500 मीटरी टन से बढ़ाकर जुलाई, 1991 में 30,000 मीटरी टन और अगस्त-अक्तूबर, 1991 के लिए 35,000 मीटरी टन कर दिया गया है। नवंबर, 1991 के लिए 40,000 मीटरी टन का आबंटन किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी के तेल का वितरण

179. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा मिट्टी के तेल के वितरण में भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान मिट्टी के तेल की कालाबाजारी करने के कितने मामले पकड़े गए; और

(घ) मिट्टी के तेल के अनियमित वितरण के बारे मे सरकार को कितनी शिकायतें मिली हैं और अब तक कितने मामले पकड़े गए हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) मिट्टी के तेल के वितरण में कदाचार के सम्बन्ध में जब भी शिकायतें मिलती हैं, उनकी जांच दिल्ली प्रशासन द्वारा की जाती है। शिकायतें अक्सर कार्डधारियों को मिट्टी का तेल न देने, कम मापने, खुदरा विक्रेताओं द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल को अन्यत्र भेजे जाने के सम्बन्ध में होती हैं।

(ग) नियन्त्रण आदेश के उल्लंघन के बारे में दिल्ली प्रशासन ने 26 प्रथम सूचना रिपोर्टें (एफआईआर) दर्ज कराई हैं।

(घ) इस वर्ष के दौरान 312 शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा 23 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई थीं।

[अनुवाद] 231

राष्ट्रीय खाद्य तेल ग्रिड की स्थापना का प्रस्ताव

180. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य तेल की कालाबाजारी तथा इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल ग्रिड स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड उत्पादन केन्द्रों को उपभोक्ता केन्द्रों से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय तेल ग्रिड तैयार करने की योजना बना रही है ताकि सट्टेबाजी करने वाली शक्तियों के दबदबे तथा विपरीत प्रभाव को घटाया जा सके, जो क्षेत्रीय तथा मौसमजन्य कारणों से आपूर्ति और मांग के बीच अन्तर आने से उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय तेल ग्रिड के निर्माण में ये तीन मुख्य बातें शामिल हैं : (1) उपयुक्त स्थानों में भंडारण क्षमता का निर्माण करना; (2) पैकेज बनाने के केन्द्रों के एक राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना करना; और (3) अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को तिलहन और तेल पहुंचाने हेतु किफायती ढुलाई प्रणाली का विकास करना।

नगर किराया नियन्त्रण और अभिधृति अधिनियम

231-

181. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नगर किराया नियन्त्रण और अभिधृति अधिनियम मकान मालिकों की तुलना में किरायेदारों के पक्ष में अधिक है और इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में मकान खाली है और अनप्रयुक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-से उपचारी कदम उठाने का विचार है और क्या

दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास तथा अन्य महानगरों में इन कानूनों को तर्कसंगत बनाने के लिए कार्यवाही की गयी है और करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकार को किराया आवास की बढ़ी हुई आपूर्ति पर किराया नियंत्रण कानून के प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है। किराया नियन्त्रण राज्य का विषय है तथा राज्य किराया आवास के विभिन्न पहलुओं को नियन्त्रित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने के लिए पूर्णतया सक्षम हैं। केन्द्रीय सरकार पृथक राज्यों द्वारा अपनाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपयुक्त परिवर्तनों के साथ एक आदर्श किराया नियन्त्रण विधेयक तैयार कर रही है।

232

जमाखोरी के विरुद्ध अभियान

182. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर में दिल्ली में जमाखोरी समाप्त करने का अभियान चलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान में कितने छापे मारे गए; और

(ग) इस अभियान के फलस्वरूप पकड़ी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और किन वस्तुओं की जमाखोरी समाप्त हो गई ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1991 की अवधि में दिल्ली प्रशासन के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग के प्रवर्तन/जमाखोरी विरोधी शाखा द्वारा 147 छापे मारे गए।

(ग) इन छापों के परिणामस्वरूप निम्न वस्तुएं खोज निकाली गयीं :

(1)	गेहूं	221.63 क्विंटल
(2)	चावल	8.75 क्विंटल
(3)	मिट्टी का तेल	1202 लीटर

इसके अलावा 16,000 लीटर मिट्टी का तेल/एम०टी०ओ० के दो टैंकर भी पकड़े गए।

[हिन्दी]

232-233

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संबंधी समिति की सिफारिशें

183. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के प्रस्तावित उपनगरों (मेगनेट टाउन्स) के बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संबंधी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन नगरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें समिति की सिफारिशों के आधार पर उपनगरों (मेगनेट टाउन्स) में बदलने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का उपनगरों (मेगनेट टाउन्स) के नामों के बारे में कब तक निर्णय लेने का विचार है;

(घ) क्या उपनगरों (मेगनेट टाउन्स) में बदलने के लिए नगरों के नामों को अन्तिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों की सिफारिशें भी मांगी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा किन-किन नगरों को उपनगरों (मेगनेट टाउन्स) के रूप में घोषित किए जाने की सिफारिश की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से क्षेत्रीय योजना—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-2001 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विकसित किए जाने वाले निम्नलिखित काउन्टर मेग्नेट नगरों की शिनाख्त की है :

नगर का नाम	राज्य का नाम
1. बरेली	उत्तर प्रदेश
2. ग्वालियर	मध्य प्रदेश
3. हिसार	हरियाणा
4. कोटा	राजस्थान
5. पटियाला	पंजाब

ग्रामीण परिवहन प्रणाली के लिए धनराशि

233-34

184. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जवाहर रोजगार योजना अथवा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों अथवा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को वित्तीय सहायता देने के लिए किन्हीं योजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण परिवहन को सस्ता और सुगम्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) राज्य/

संघ शासित क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों का विकास/निर्माण-कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग है और इस कार्यक्रम के लिए परिव्यय सम्बन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की योजनाओं में उपलब्ध कराये जाते हैं। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण करना एक स्वीकार्य मद है और ग्राम पंचायतें अपनी प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर सड़कों का निर्माण कर सकती हैं।

[अनुवाद]

राज्यों में भूमिहीन निर्धनों को परती भूमि का वितरण

185. श्री शरद दिघे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से भूमिहीन निर्धनों को उनकी दशा सुधारने हेतु सरकारी परती भूमि आबंटित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यवार अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) भूमिहीन निर्धनों को सरकारी परती भूमि आबंटित करने से सम्बन्धित मुद्दे पर 1985, 1986 और 1988 में हुए राजस्व मन्त्रियों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया है। इन सम्मेलनों में हुई आम सहमति को इस विषय में उचित कारंवाई करने हेतु राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्र को भेजा गया था।

(ख) 1988 में हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी परती भूमि के वितरण के सम्बन्ध में हुई आम सहमति को उचित कारंवाई करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को भेजा गया था। ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में उपलब्ध है।

सरकारी परती भूमि के वितरण की राज्य-वार प्रगति संलग्न विवरण-2 में उपलब्ध है।

विवरण-1

(क) राज्य सरकारों को सरकारी परती भूमि की उपलब्धता का वहन मूल्यांकन करना चाहिए और भूमिहीन गरीब लोगों में इसके वितरण हेतु तत्काल उपाय करने चाहिएं। इस उद्देश्य के लिए ग्राम-वार आंकड़े तैयार किए जाने चाहिए और वितरण कार्यक्रम की खण्ड, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

(ख) खेती, वनरोपण तथा अन्य उत्पादक प्रयोजनों के लिए भूमि के आबंटन के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सामुदायिक आधार पर सामाजिक वानिकी के कार्यों के लिए भूमि के आबंटन पर भी विचार किया जा सकता है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के

अन्तर्गत इन जमीनों के विकास के लिए सहायता सहित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लाभ परियोजना आधार पर इन जमीनों के आबंटितियों को उपलब्ध मार्गदर्शिकाओं के अनुसार दिए जाने चाहिए। राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए निधियां निर्धारित करनी चाहिए ताकि इस कार्य को दी गई वरीयता उजागर हो सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी गई सहायता की मात्रा की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

(घ) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों को वित्तीय सहायता देने की केंद्रीय प्रायोजित योजना के लाभ सरकारी भू-दान भूमि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भावी आबंटितियों को उपलब्ध कराने के भारत सरकार के निर्णय का स्वागत किया गया था। तथापि, जहां कहीं आवश्यक हो, विगत के आबंटितियों को भी यह सहायता दी जानी चाहिए।

(ङ) आबंटितियों और उनके पति/पत्नियों के नाम में संयुक्त नामांकन/पट्टा लिखने के बारे में छठी योजना निर्देशों के कार्यान्वयन में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, हालांकि कई राज्यों ने संयुक्त पट्टा जारी करने के लिए अपने कानूनों में प्रावधान किए हैं। महिलाओं की भूमि तक अधिकाधिक पहुंच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला लाभार्थियों को भूमि के आबंटन और संयुक्त पट्टा जारी करने की समय-समय पर निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

(च) आबंटितियों का उन्हें आबंटित की गई भूमि पर बेरोकटोक कब्जा सुनिश्चित करने, भूमि से हटाने और बेदखल करने की धमकियों के विरुद्ध उन्हें संरक्षण देने, और जो लाभार्थियों विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को आबंटित भूमि से बेदखल करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विद्यमान कानूनी प्रावधानों और प्रशासनिक उपायों को सुदृढ़ किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद जो लोग भूमि के ग्रामीण गरीब आबंटितियों को परेशान करते हैं, उनके विरुद्ध उचित दण्डात्मक प्रावधानों को कड़ा बनाया जाएगा।

(छ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों और महिलाओं को आबंटित भूमि, आवास स्थलों, मकानों के हस्तांतरण को रोकने के लिए विधायी उपाय किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये परिसम्पत्तियां उनके कब्जे में बनी रहें। जहां ऐसे प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से विद्यमान हैं, ऐसे ही प्रावधान अनुसूचित जातियों महिलाओं के लिए किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि भूमि के हस्तांतरण को केवल कानून बना देने से नहीं रोका जा सकता, इसलिए इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अन्य आवश्यक प्रशासनिक एवं संस्थागत उपाय किए जाने चाहिए।

विवरण-2

(अनन्तिम)

क्रमांक	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	क्षेत्र एकड़ में	जिन्हें वितरित किया गया
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	30,40,000	हरिजनों सहित भूमिहीन गरीब लोग
2.	असम	3,74,600	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित भूमिहीन कृषि मजदूर
3.	बिहार	4,20,000	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ा वर्ग तथा सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारी
4.	गुजरात	13,73,031	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग, गैर-पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, प्रादेशिक सेना के कर्मचारी, बर्मा से लौटे लोग, पुर्तगाली कालोनियां तथा विशेष श्रेणी वाले लोग (दिसम्बर, 1987 तक)
5.	हरियाणा	3,950	हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोग
6.	हिमाचल प्रदेश	17,384	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन लोग, सेना के कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक तथा वे लोग जिनके पास कम उपजाऊ वाली भूमि की जोतें है।
7.	कर्नाटक	13,22,195	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां, भूमिहीन लोग, भूतपूर्व सैनिक तथा कार्यरत सैनिक
8.	केरल	2,72,937	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां, भूमिहीन लोग, वे लोग जिनके पास छोटी-छोटी जोतें हैं, सेना के कर्मचारी तथा कम आय वाले लोग
9.	मध्य प्रदेश	78,573*	*एन. सी. ए. रिपोर्ट, 1976 के अनुसार

1	2	3	4
10.	महाराष्ट्र	0,23,484	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जन-जातियां, भूमिहीन लोग, सेना के कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, स्वर्ण नियंत्रण आदेश से प्रभावित लोग तथा सहकारी कृषि सोसाइटियां
11.	मणिपुर	32,259	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जन-जातियां, भूमिहीन कृषक
12.	पंजाब	1,10,056*	*एन० सी० ए० रिपोर्ट, 1976 के अनुसार
13.	उड़ीसा	6,55,580	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (मई, 1988 तक)
14.	तमिलनाडु	2,07,081	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जन-जातियां, सैनिक कार्रवाई में मारे गए अथवा विकलांग हुए सैनिकों के परिवार, भूमिहीन गरीब, सशस्त्र सेनाओं में कार्य-रत कर्मचारी, बर्मा और श्रीलंका से वापस आए लोग, स्वर्ण नियन्त्रण आदेश से प्रभावित लोग तथा अन्य भूमिहीन गरीब लोग
15.	त्रिपुरा	1,31,555	(दिसम्बर, 1987 तक)
16.	उत्तर प्रदेश	7,29,000	भूमिहीन कृषि श्रमिक
17.	पश्चिम बंगाल	4,32,000	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जन-जातियां, भूमिहीन काश्तकार, वे लोग जिनके पास एक हैक्टेयर से कम रैय्यत जोतें हैं
18.	दादरा व नगर हवेली	758	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जन-जातियां
19.	दिल्ली	1241	भूमिहीन लोग
20.	गोवा, दमन और दीव	9065	भूमिहीन कृषक
21.	मिजोरम	74,074	कृषक

1	2	3	4
22.	पांडिचेरी	277	अनुसूचित जातियां, भूतपूर्व सैनिक, सेना में कार्यरत कार्मिक, भूतपूर्व वाणिज्य दूतावास का स्टाफ
		1,03,08,819	

कम्प्यूटर ... 238-29

लघु क्षेत्र के अन्तर्गत कांच यूनिटों की प्रौद्योगिकी को उन्नत करना

186. **श्री पी० एम० सईद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय ने लघु क्षेत्र के अन्तर्गत कांच एककों की प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए अपनी मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) इस सम्पूर्ण योजना को किन स्रोतों से वित्त प्रदान किया जायेगा;

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है; और

(च) इससे मुख्य रूप से क्या लाभ होंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कांच उद्योग विकास केन्द्र की स्थापना कुल 10.50 करोड़ रुपए की लागत पर यू० एन० डी० पी० की सहायता से की जानी है।

(घ) इस समूची योजना की वित्त व्यवस्था राज्य/केन्द्र सरकार तथा यू० एन० डी० पी० द्वारा ऐसे विकास कार्यों हेतु निर्धारित स्रोतों के माध्यम से की जाएगी जिसके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :

भारत सरकार	उ०प्र० सरकार	यू०एन०डी०पी०
2.47 करोड़ रुपए	2.44 करोड़ रुपए	5.14 करोड़ रुपए

(ङ) यह परियोजना संभवत: पांच वर्षों अर्थात् 1996 तक पूरी हो जाएगी।

(च) यह परियोजना कांच बनाने वाले छोटे उद्योग के आधुनिकीकरण की मूल समस्याओं से निपटने के लिए बनायी गयी है जो निम्नलिखित हैं :

(1) कच्चे माल का मानकीकरण और जांच।

(2) कच्चे माल और ऊर्जा के संसाधनों का ऐसा उपयोग सुनिश्चित करना जिसमे लागत कम लगे।

(3) तकनोलोजी का अभ्युत्थान।

(4) कौशल विकास।

(5) थर्मल और कैमिकल प्रदूषण आदि को कम करना।

[हिन्दी]

कटक के फलों और सब्जी पर आधारित उद्योगों को सहायता देना

187. **श्री श्रीकान्त जेना :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के कटक जिले के फल और सब्जी पर आधारित उद्योगों को कोई सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन्हें दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उड़ीसा के उक्त जिले में ऐसे उद्योग लगाने संबंधी योजनाएं सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय विभिन्न योजना स्कीमों का कार्यान्वयन करता आ रहा है जिनके अन्तर्गत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सेक्टर के लिए राज्य सरकारों, राज्य सरकार के उपक्रमों, सहकारिताओं आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है।

वर्ष 1990-91 के दौरान उड़ीसा को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई :

(1) खुम्बी प्रसंस्करण और बुनियादी सुविधाओं का विकास	2.41 लाख रु०
(2) खुम्बी का निर्जलीकरण, अचार बनाना और उनकी डिब्बाबंदी	21.1494 लाख रु०
(3) प्रसंस्करण यूनिटों की कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए	18.50 लाख रु०
(4) खुम्बी के विज्ञापनों और प्रचार पर होने वाले व्यय के लिए	0.41 लाख रु०

(ग) उड़ीसा के कटक जिले से संबंधित कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित नहीं पड़े हैं।

239-40

उड़ीसा की विकास योजनाएं

188. **श्री श्रीकांत जेना :** क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग को स्वीकृति हेतु कुछ विकास योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को किन-किन स्थानों पर कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) योजना आयोग ने ऐसी प्रत्येक योजना पर क्या-क्या कार्यवाही की है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) योजना आयोग में उड़ीसा सरकार से प्राप्त कोई भी विकास योजना अनुमोदन हेतु विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद] 8/7/61 240-41

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश

189. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश को पूर्ण रूप से लागू किया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान 145 औषधों पर घोषित सीमा शुल्क रियायतों का लाभ दवाओं के मूल्यों में कमी करके उपभोक्ताओं को पहुंचाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या औषध बनाने वाली कम्पनियों ने लगभग सभी औषधियों के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार औषधियों के मूल्यों पर सीमा शुल्क रियायतों के प्रभाव की निगरानी रखती है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) औषध (मूल्य नियन्त्रण), आदेश, 1987 के मुख्य उपबन्धों को लागू कर दिया गया है ।

(ख), (ग), (च) और (छ) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 145 प्रपुंज औषधों पर शुल्क में कमी नहीं की है । पिछले तीन वर्षों में 145 से अधिक औषध मध्यवर्तियों पर सीमा शुल्क 115% से कम करके 90% कर दिया गया था । शुल्क में इस कमी की अनुमति प्रपुंज औषधों के उत्पादन को अधिक मूल अवस्था से प्रोत्साहन देने के लिए दी जाती है और प्रत्येक मामले में प्रपुंज औषध के मूल्य में कमी से यह जुड़ी हुई नहीं है ।

(घ) और (ङ) सूचीबद्ध औषधों के मूल्यों पर डी०पी सी०ओ०, 1987 के अन्तर्गत दी गई कार्यविधियों और मापदण्डों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं । गैर-अनुसूचित

औषधों के मूल्यों पर सरकार कड़ी नजर रखती है। जब कभी कोई असामान्य वृद्धि सरकार की जानकारी में आती है तो यह मामले में हस्तक्षेप करती है।

मजदूर संघों को मान्यता

190. **श्री आर्थ फर्नान्डीज :** क्या प्रधान मंत्री 24 सितम्बर, 1991 को 'स्टेट्समैन" में "16 ट्रेड यूनियन्स क्लेम्स सेन्ट्रल रिकगनीशन" शीर्षक में प्रकाशित समाचार के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोलह मजदूर संघों ने केन्द्रीय मजदूर संघ का दर्जा हासिल करने का दावा किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) केन्द्रीय श्रम संघ संगठनों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से तेरह श्रम संघ संगठनों ने 31 अगस्त, 1991 की निर्धारित तारीख तक अपने संबद्ध श्रम संघों की सदस्यता से संबंधित दावे प्रस्तुत कर दिए हैं।

(ख) इस उद्देश्य के लिए बनाई गई प्रक्रिया के अनुसरण में दावों का सत्यापन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली के गांवों में भूमि पर अवैध कब्जा

191. **श्री पंकज चौधरी :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गांवों में कुछ कम्पनियों द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के कारण दूसरे मास्टर प्लान की योजनाओं को कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त गांवों में अवैध कब्जा करने वालों को वहां से हटाने के लिए अब तक कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वह भूमि अधिग्रहण समाहर्त्ता/दिल्ली प्रशासन (भूमि और भवन विभाग) द्वारा भूमि-अधिग्रहीत करने तथा इसको सौंपे जाने के पश्चात् भूमि की देख-रेख करता है। आबादी क्षेत्र के बाहर कृषि भूमि के प्रविभाजन के कुछ मामले हो सकते हैं, परन्तु यथातथ्य ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

द्वीप विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन

192. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 में गठित किया गया द्वीप विकास प्राधिकरण समाप्त कर दिया गया था;

(ख) क्या सरकार का विचार इसी द्वीप विकास प्राधिकरण को पुराने ढांचे पर पुनर्गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसका पुनर्गठन कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां। संशोधित स्वरूप के साथ द्वीप विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है और आशा की जाती है कि पुनर्गठित द्वीप विकास प्राधिकरण की बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी।

(घ) लागू नहीं होता।

औषध कम्पनियों के लिए चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रम

193. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई औषध निर्माण कम्पनियां चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रम का पालन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) औषध नीति, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रपुंज औषधों का निर्माण उनके लिए निर्धारित आरम्भिक अवस्थाओं के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। जहां कहीं प्रौद्योगिकी आदि के सम्बन्ध में कठिनाइयां होती हैं वहां तैयार प्रपुंज औषधों के आयात से बचने के लिए अवस्थाओं में विशिष्ट अवधियों के लिए ढील दी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों पर से राजसहायता वापस लेने और यूरिया पर से नियन्त्रण हटाने का प्रभाव

194. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों पर राजसहायता न देने और यूरिया पर से नियन्त्रण हटाने के कारण बहुत से उर्वरक एककों के कार्यकरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मूल्यों पर से नियन्त्रण हटाने से निर्माताओं को कोई लाभ हुआ है; और

(घ) इससे सबसे अधिक प्रभावित एककों की संख्या क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) तीन निम्न न्यूट्रिएन्ट उर्वरकों, अर्थात् कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (सी० ए० एन०) अमोनियम क्लोराइड (ए० सी० एल०) और अमोनियम सल्फेट (ए० एस०) को छोड़कर अधिकांश उर्वरकों पर अभी भी राजसहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, सल्फेट आफ पोटाश, जो पूर्णतः आयात की जाती है और जिसकी खपत बहुत कम है, से भी नियन्त्रण हटा दिया गया है। यूरिया से नियन्त्रण नहीं हटाया गया है।

(ख) तीन उर्वरकों, अर्थात् सी० ए० एन०, ए० सी० एल० तथा ए० एस० से नियन्त्रण इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हटाया गया है कि वे निम्न न्यूट्रिएन्ट उर्वरक थे और प्रति टन देय राजसहायता बहुत अधिक थी। इसके अतिरिक्त, सभी निम्न न्यूट्रिएन्ट उर्वरक देश में कुल नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन में 3.5% का अंशदान करते हैं।

(ग) नियन्त्रण उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के इरादे से नहीं हटाया गया था।

(घ) दो एककों, जो नियन्त्रण हटाए गए तीन कम न्यूट्रियन्ट वाले उर्वरकों में से एक का उत्पादन कर रहे हैं, ने सूचित किया है कि उन्हें वित्तीय रूप से हानि होगी।

दवाइयों की कीमतों में वृद्धि　　सं० 243-44

195. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई आवश्यक तथा व्यापक रूप से प्रयोग में आने वाली दवाइयों की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी औषधों की कीमतों को नियन्त्रण में लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) औषध एककों द्वारा औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन रोकने के लिए कौन से विशेष कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं। अपितु अन्तर्वस्तुओं की लागत में वृद्धि की हालत में कुछ मूल्य वृद्धि होना अपरिहार्य है। विनिमय दर समायोजन के कारण आयातित अन्तर्वस्तुओं पर आधारित दवाइयों के मूल्यों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है।

(ग) से (ङ) अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य डी० पी० सी० ओ०, 1987 के अन्तर्गत एक सूत्र एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार, जो इन सूत्रयोगों के मूल्य को समुचित नियन्त्रण में रखते हैं, नियत किए जाते हैं।

(घ) जब भी डी० पी० सी० ओ०, 1987 के उल्लंघन की कोई सूचना मिलती है, तो सरकार डी० पी० सी० ओ०, 1987 के संगत उपबन्धों के अधीन उचित कार्रवाई करती है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

196. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में उद्योग स्थापित करने में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश करने के लिए कोई सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वे सभी लाभ अपने यहां ले जायेंगे अथवा इस देश में जमा रहेगा;

(घ) सरकार का उस धन को भारत में रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) वित्त मन्त्रालय में भारत सरकार ने 28 अक्तूबर, 1991 के प्रेस नोट के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार अनिवासी भारतीयों और ओवरसीज कार्पोरेट निकायों, जो मुख्यत: उनके स्वामित्व में हैं, को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों तथा अन्य उद्योगों में 100% तक इक्विटी का निवेश करने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

दुर्गा पार्क कालोनी में सुविधाएं प्रदान करना

197. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाबरी नजीरपुर रोड, नई दिल्ली-45 पर स्थित दुर्गा पार्क कालोनी एक नियमित कालोनी है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नियमित कालोनियों को उपलब्ध सभी सुविधाएं, इस कालोनी को भी उपलब्ध करायी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस कालोनी को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) इस सम्बन्ध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिए हुडको द्वारा ऋण

198. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको द्वारा 8034 आवास निर्माण योजनाओं के लिए ऋण मंजूर किया गया है;

(ख) क्या इस ऋण का उपयोग 48 लाख आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिए किया जाएगा;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों को आवंटित प्रति व्यक्ति ऋण की सूची में बिहार का स्थान सबसे नीचे है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पिछड़े राज्य बिहार को प्रति व्यक्ति ऋण में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जा रहे उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 31-10-1991 की स्थिति के अनुसार, हुडको ने भिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विभिन्न अभिकरणों को ऋण सहायता प्रदान करने हेतु 8156 योजनाएं स्वीकृत की हैं जिनसे लगभग 48.09 लाख रिहायशी एककों का निर्माण हो सकेगा।

(ग) और (घ) 31-10-1991 की स्थिति के अनुसार, हुडको ने बिहार राज्य में विभिन्न अभिकरणों के लिये 110.22 करोड़ रुपये के ऋण घटक के साथ 99 योजनाएं स्वीकृत की हैं। इससे 122396 रिहायशी एककों का निर्माण तथा 4078 प्लाटों का विकास होगा। बिहार राज्य में अभिकरणों द्वारा लिया गया ऋण राज्य के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या को देखते हुए अपेक्षाकृत कम है। बिहार राज्य में हुडको से कम मात्रा में ऋण प्राप्त करने का मुख्य कारण हुडको को पर्याप्त योजनाएं प्रस्तुत न करना, ऋण लेने वाले अभिकरणों द्वारा राज्य सरकार की गारंटियों इत्यादि की व्यवस्था करने में विलंब के कारण उन्हें स्वीकृत योजनाओं के प्रलेखन में विलंब है।

(ङ) और (च) प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, हुडको द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल मानदंड तथा जनसंख्या मानदंड के आधार पर ऋणों का नियतन किया जाता है। नियतित की गई राशि राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को सूचित कर दी जाती है ताकि वे समुचित योजनाएं तैयार करें तथा उन्हें हुडको को प्रस्तुत करें। इसका अनुपालन करने के लिये, हुडको मार्गनिर्देशों के अनुसार हुडको को योजनाएं भिजवाने के लिये सम्मत करने तथा योजनाएं तैयार करने में प्रतिकर्षा के संबंध में परामर्श देने हेतु हुडको अधिकारियों द्वारा राज्य सरकारों तथा आवास अभिकरणों के अधिकारियों के साथ निरंतर सम्पर्क किया जाता है। हुडको ने बिहार में विभिन्न अभिकरणों के साथ संपर्क करने तथा प्रक्रिया की गति बढ़ाने में उनकी सहायता हेतु पटना में एक विकास कार्यालय भी स्थापित किया है। 245-46

संघ लोक सेवा आयोग में प्रतिनिधित्व

199. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं;

(ख) क्या सदस्यों के मनोनयन के समय विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाता है;

(ग) इन सदस्यों को मनोनयन करने वाले व्यक्ति कौन हैं;

(घ) क्या इस समय किसी सदस्य का स्थान रिक्त है; और

(ङ) यदि हां, तो ये रिक्त स्थान कब तक भर दिए जायेंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 11 सदस्य हैं।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 316 (1) के परन्तुक के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के लगभग आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी संबंधित नियुक्तियों की तारीख को भारत सरकार के अधीन अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य किया हो। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के मामले मे राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

मंगल ग्रह पर उपग्रह छोड़ा जाना

200. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत के अन्तरिक्ष कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंगल ग्रह पर उपग्रह छोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का मौसम, कम्प्यूटर और युद्ध संबंधी बहुउद्देशीय उपग्रह छोड़ने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके नाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) अन्तरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य जोर आत्मनिर्भर रूप में प्रचालनात्मक अन्तरिक्ष सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना करने तथा यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि इस आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभ हमारे समाज के मूल आधार तक पहुंचे। इस समय भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) और भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस०) का उपयोग करते हुए दो प्रचालनात्मक अन्तरिक्ष प्रणालियां संचार, प्रसारण, मौसमविज्ञान, शिक्षा विशेष रूप में ग्रामीण और विकासात्मक शिक्षा, आपदा तथा सूखा प्रबन्ध और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध एवं पर्यावरण के लिए उपग्रह-आधारित सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

भारत इन प्रणालियों के बड़े पैमाने पर विस्तार की अवसीमा पर पहुंचने वाला है। मार्च, 1992 में स्वदेशी निर्मित इन्सैट-2 ए के प्रमोचन तथा 1993 में इन्सैट-2 बी के प्रमोचन, जिनके बाद 1994-98 की कालावधि में इन्सैट-2 सी, डी, ई के प्रमोचन एवं 1995-96 में ग्रामसैट उपग्रह के प्रमोचन से देश में संचार और दूरदर्शन सेवाओं में तथा ग्रामीण शिक्षा के नये आयामों में विविध प्रकार की वृद्धि होने की संभावना है। सितम्बर, 1991 में आई० आर० एस०-1 बी० के सफल प्रचालनीकरण तथा 1994 में अगली पीढ़ी के आई० आर० एस०-1 सी० उपग्रह की योजनाबद्ध प्राप्ति से प्राकृतिक संसाधनों के चहुंमुखी और दीर्घकालीन विकास को प्राप्त करने की दिशा में आधुनिक तकनीकों को विकसित और प्रयोग में लाया जा रहा है। 1992 में संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०), ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) के निर्धारित प्रमोचन और 1995-96 में भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी० एस० एल० वी०) के प्रमोचन से भारत को प्रमोचक राकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त होने की आशा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) मार्च, 1992 में प्रमोचन के लिए निर्धारित स्वदेशी रूप में निर्मित भू-स्थायी उपग्रह, इन्सैट-2 ए, संचार, दूरदर्शन प्रसारण, रेडियो नेटवर्क, मौसमविज्ञान और आपदा प्रशमन के क्षेत्रों में मुख्य रूप में शान्तिपूर्ण उपयोगों के लिए एक बहु-उद्देशीय उपग्रह है। इस उपग्रह को कम्प्यूटरों को परस्पर जोड़ने के कार्य में भी उपयोग में लाया जायेगा।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भूतपूर्व मंत्रियों और संसद सदस्यों पर बकाया बिल

201. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भूतपूर्व मंत्रियों और संसद सदस्यों पर बिजली/पानी के शुल्क तथा मकान के किराए की राशि बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पर कितनी धनराशि बकाया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

12.00 मध्याह्न

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री हरिलाल ननजी पटेल (कच्छ)

श्री कांशीराम (इटावा)

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, मैं, आज शून्यकाल में दिल्ली की गंभीर समस्या को उठाना चाहता हूं । दिवाली के दिन और दिवाली के दो दिन बाद दिल्ली में सुरा के प्रयोग से 250 मौतें हुईं । पुलिस विभाग, ड्रग विभाग और एक्साइज विभाग की मिली-भगत और लापरवाही के कारण दिल्ली में 250 मौतें हुईं । जहरीली शराब के नाम पर बिकने वाली औषधि जिसे आयुर्वेदिक औषधि कहते हैं जिससे आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली बदनाम हुई है । मैं, इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह कांड हुआ है तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए । मुझे यह मालूम है कि न्यायिक जांच बिठायी गई है और उसकी अवधि दो मास की रखी गई है । इतने भयंकर कांड के लिए मैं यह मांग करना चाहता हूं कि 30 नवम्बर तक यह न्यायिक जांच पूरी होनी चाहिए और उसके 15 दिन के भीतर जो उसमें अपराधी माने जाएं उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए ।...(व्यवधान)

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : इस सिलसिले में दो सौ आदमी इस समय बोट क्लब पर धरना दे रहे हैं । (व्यवधान)

12.04 म० प०

वाराणसी में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में

[अनुवाद]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा का ध्यान एक गंभीर एवं अत्यन्त चिंताजनक स्थिति, जो बनारस में पिछले 12 दिनों से व्याप्त है, की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । वहां नृशंस हत्याएं हुई हैं । इस महीने की 8 तारीख को आगजनी शुरू हुई थी और वह आज तक बेरोकटोक जारी है, 25 से अधिक लोगों की हत्या की गई है, उन्हें जला दिया गया और मार डाला गया और शवों को उनके रिश्तेदारों को भी नहीं दिया गया है ।

मुस्लिम बहुल क्षेत्र मदनपुरा में मुख्यत: रहने वाले सभी शारीरिक रूप से तगड़े युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके हाथ-पैर तोड़ दिए गए । यह अत्यन्त जघन्य कृत्य है । पूरा क्षेत्र घेरे में है भोजन और दवा उपलब्ध नहीं है । यहां तक कि बच्चों को दूध भी नहीं मिल रहा । वे भूख से मर रहे हैं ।

मैं मांग करता हूं कि केन्द्र इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करे और वहां केन्द्रीय बल लगाए जाएं क्योंकि राज्य पुलिस बल पर लोगों को विश्वास नहीं है । मैं इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करने की भी मांग करता हूं ।

राष्ट्रीय दलों के नेताओं को इन अशांत क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति नहीं है । इस-लिए, मैं, मांग करता हूं कि सभी राष्ट्रीय दलों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिष्टमंडल वहां शीघ्र भेजा जाए जो बनारस के उन अशांत क्षेत्रों में सही स्थिति का पता लगाए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं और मेरे साथी बनारस गए थे। वहां पर निरीह लोगों की जानें गईं, हिन्दू-मुस्लिम दोनों की। मैं समझता हूं कि इन्सान की जान गई। राज्य सरकार उन जानों का बचाने में बिलकुल ही असमर्थ ही नहीं रही, बल्कि जो उसका कर्तव्य था उसने उसका निर्वहन नहीं किया···(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मेयर ने क्या किया और बिहार में क्या हुआ यह भी बतायें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पहले दिन जो घटना घटी और प्रशासन की ढील जिस तरह से रही उसने ऐसी चिन्गारी जगाई जिसकी पूरी आग से बनारस झुलसा। वहां पर हमें लोगों से मिलने का अवसर मिला। पहले दिन अगर सख्ती बरती जाती और एहतियाती कदम प्रशासन उठाता तो यह आग नहीं लगती। पहले दिन यह खामी रही उसके बाद कोई कार्रवाई शासन की ओर से नहीं हुई। वे दर्दनाक घटनायें फिर हुईं। मासूम लोगों की हत्यायें हुईं। उसके बाद जिस कद्र से पुलिस और पी० ए० सी० ने काम किया है वह बहुत दर्दनाक कहानी है। डा० अनीस की जान पुलिस कस्टडी में गई। हम मांग करते हैं कि उस लाश का फिर से पोस्टमार्टम हो।

यह भी अफसोस की बात है कि केन्द्र शासन कुछ नहीं बोलता। आज तक ऐसी जितनी भी घटनायें हुई हैं उनमें प्रधान मंत्री या गृह मंत्री गये हैं। लेकिन इस घटना में आज तक वहां पर कोई नहीं गया। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार आज आश्वासन दे कि बनारस की इस घटना पर वह क्या करने जा रही है और उसका इसके बारे में स्पष्ट रुख क्या है। यह आश्वासन सदन में हमें वह दे। इसके बिना कोई भी भरोसा उनकी बात का हम लोगों को नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, बनारस में जो हुआ वह इतिहास का एक और काला अध्याय है। जिस तरीके से वहां स्थिति पर नियंत्रण किया गया है, उसकी प्रत्येक व्यक्ति ने, जनता के सभी वर्गों ने निन्दा की है। यह मामला अत्यन्त गंभीर है। वहां उचित राहत उपाय किए जाने चाहिए। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए उचित उपाय किये जाने चाहिए। यह आवश्यक है कि स्थिति का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

जो मांगें पहले की जा चुकी हैं उनके अलावा मैं यह मांग करता हूं कि वहां सही स्थिति और तथ्यों का पता लगाने के लिए एक संसदीय दल भेजा जाए ताकि सदन भी वास्तविक स्थिति जान सके और उचित कदम उठाए जाएं।

मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में राहत देने के लिए या वहां के पीड़ित लोगों को सुरक्षा देने के लिए और वहां व्याप्त स्थिति से भयभीत लोगों के लिए क्या कदम उठा रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस मामले में तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए और आपसे अनुरोध करता हूं कि वहां एक संसदीय दल भेजा जाए।

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, बनारस में जो कुछ हुआ है, वह

दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको कोई मना नहीं करता है लेकिन इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि बनारस में तो क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक दंगा इस बीच में नहीं हुआ है। बनारस में बड़े-बड़े फंक्शन्स हुए, सभी शान्तिपूर्वक हुए हैं।

8 तारीख की शाम को काली बाड़ी का एक जुलूस विसर्जन के लिए जा रहा था जिसको रोका गया। पुलिस ने वहां शान्ति बनाने की कोशिश की···

एक माननीय सदस्य : वहां केवल 6 कांस्टेबिल थे।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : श्रीमान्, आपकी सूचना सही नहीं है···(**व्यवधान**) श्रीमान्, मैं स्वयं बनारस होकर वहां के हालात देखकर आया हूं। मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार सांसद की भांति मुझे सदन को सही बातें बता देनी चाहिए। यह कोई राजनैतिक मामला नहीं है। यह दुर्घटना एकाएक हुई और उस वक्त इस बात की बिलकुल आशंका नहीं थी कि काली बाड़ी के इस जुलूस में दंगा हो जायेगा। यद्यपि व्यवस्था की गयी थी परन्तु उस जुलूस में से कुछ लोग भागे और उससे वहां पर एकदम से आंतक फैला और इधर-उधर के जो और लोग थे उन्होंने छुट-पुट वारदातें कीं जिसमें 6 जानें चली गयीं।···

एक माननीय सदस्य : वे किस समुदाय के लोग थे···(**व्यवधान**)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : 8 तारीख को एक विशेष समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर मारे गये और प्रशासन ने कोई कारंवाई नहीं की···(**व्यवधान**)

श्री मोहन सिंह : जो राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की हिफाजत नहीं कर सकती, उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिये···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : मुझे लगता है कि वह बनारस में जो कुछ हुआ उसे उचित ठहरा रहे हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, खुराना जी आप बैठ जाइये।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : जहां तक समुदाय की बात है, अगर आगे मुझे कहना पड़ेगा, वह मैं नहीं कहना चाहता हूं। इसलिए जो मौतें हुईं वे इनसान की मौतें हुई हैं, यह सही बात है। उसके बाद शहर शान्त हो गया और 9, 10, 11 और 12 तारीख को कोई वारदात नहीं हुई। गिरफ्तारियां हुई हैं श्रीमन्। (**व्यवधान**)···आपकी सूचना गलत है। गिरफ्तारियां हुईं और उसके बाद 13 तारीख को पूरे बनारस में 11 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू ने रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन जो अफेक्टेड एरिया था जहां पर ये झगड़ा शुरू हुआ था, मदनपुरा का एरिया, वहां पर एकाएक···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार बीच में न बोलें। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : वहां पर लगभग ढाई बजे एकाएक, जबकि वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद थी, लेकिन हर मकान पर, हर दुकान पर तो वह नहीं हो सकती। एक पार्टिकुलर स्पाट पर कुछ लोग, जो पहले से तैयार थे, जिनकी यह साजिश थी, वे लोग एकाएक सड़कों पर निकले और जो लोग भी उनको मिले उनको पकड़ लिया।···(व्यवधान)···उनमें से कई लोग मर गए और कई लोग जख्मी हो गए···(व्यवधान)···उसके बाद फिर 16, 17, 18, 19 तारीख को कोई वारदात नहीं हुई···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको अत्यंत संक्षेप में बोलना होगा।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : क्या वह भाषण दे रहे हैं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : उसके बाद किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। यह कहना कि प्रशासन ने कोई स्टेप नहीं लिए, बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार की वारदातें यहां पर 8 तारीख और 12 तारीख को हुईं। इसलिए मेरा इस समय सदन से मात्र एक निवेदन है कि क्योंकि मैं स्वयं वहां पर देखकर आया हूं, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा न की जाए···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करिए, आपको इसे नियंत्रित करना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए। अन्य मामले भी हैं। श्री अम्बारासु बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : अभी हाल ही में आए तूफान और बाढ़ के कारण··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : उस हालत में जिस हालात में कि वहां पर दंगा हुआ है, उस हालत में वहां पर पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन जाना चाहिए, पार्लियामेंट लीडर्स को जाना चाहिए जिस वक्त एरिया कर्फ्यू बाउंड है और वहां शांति बनाए रखने के लिए तथा जो लोग जख्मी हुए हैं, उनके इलाज का प्रबंध हो रहा है, उस वक्त राजनीतिज्ञों का वहां जाना मैं समझता हूं उचित नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : भक्त जी, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार आप चर्चा कर सकते हैं ? क्या अन्य महत्वपूर्ण मामले नहीं है ? श्री अन्बारासु एक मुद्दा उठा रहे हैं । आप उन्हें भी अवसर दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : वाराणसी से हम लोग भी आते हैं, हमें भी सुना जाए।··· **(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है, आपको मुझे समय देना होगा। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि हमें भी बोलने दिया जाए···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइए। जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सभा की कार्यवाही इस प्रकार चलाते रहे तो मैं अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दे पाऊंगा। आप यह मत सोचिए कि सिर्फ इसी मामले पर सभा में चर्चा होनी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, कृपया बैठ जाएं। मेरे खड़े होने पर भी आप खड़े हो रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे अपनी बात समाप्त करने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। आप मुझे भी अपनी बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि यह महत्वपूर्ण मामला है और इस पर चर्चा की जानी है, तो हम कार्य मन्त्रणा समिति में इस पर निर्णय लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस प्रकार नहीं। आपको प्रक्रिया का पालन करना होगा। कृपया

अपना स्थान ग्रहण करें। महोदया, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। अन्यथा, आप वहां से सभा की कार्यवाही चलाएं।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : सर, वहां महिलाओं और बच्चों की बहुत बुरी हालत है। इस सम्बन्ध में, मैं आपसे एक मिनट में निवेदन करना चाहती हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरि किशोर सिंह : इस मामले पर आज ही चर्चा होनी है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम भी वाराणसी से आते हैं इसलिए हमें भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे सुनना होगा। अब बहुत हो गया। अगर प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छानुसार चर्चा करे तो आप किसी भी बात पर चर्चा नहीं कर पाएंगे।

[हिन्दी]

पहले सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। मैं आपकी सहायता करूंगा।

[हिन्दी]

आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आपको निष्पक्ष होना चाहिए। आपने वाराणसी के माननीय सदस्य को वक्तव्य देने की अनुमति दी है और आप अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) आपने उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति क्यों दी ?

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारी भी इस हाउस में कुछ अहमियत है, हमें भी कहने का मौका मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, सब लोग बैठिए। मैं आपको बताता हूं, पहले सब लोग बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, यहां पर इम्पोर्टेन्ट मैम्बर्स ने अपने व्यूज एक्सप्रैस किये हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दे रहा हूं। मैं एक के बाद एक को अनुमति दूंगा।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : हम सभी इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं। गृह मन्त्री को सभा में आकर एक वक्तव्य देना चाहिए। हम इस मामले पर आज और अभी चर्चा करना चाहते हैं। हमारी रुचि इस मामले में अधिक है और कोई और मुद्दा इस मुद्दे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी रुचि इस मुद्दे में अधिक है और गृह मन्त्री आकर इस पर वक्तव्य दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यदि आप मुझे बोलने का, अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे तो मैं यहां सदन के वैल में बैठूंगा। आप एक पक्ष की बात सुनते हैं, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनना चाहते हैं, यह क्या बात है। आप हमें भी बोलने का मौका दीजिये।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे भविष्य के लिए आपके मार्गनिर्देशन की आवश्यकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोनकर, पहले दिन से ही आपने ऐसा करना शुरू कर दिया है। यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

आप बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वाराणसी के माननीय सदस्य ने हमें यह सलाह दी कि दंगाग्रस्त क्षेत्र में जब कर्फ्यू लगा हो, तो अन्य दलों के सदस्यों को या अन्य प्रमुख सदस्यों को वहां जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह उनकी सलाह है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप ही हमें भविष्य में निर्देश देंगे, क्या यह सच है कि जब बनारस शहर में कर्फ्यू लगा था तो किसी भी

राजनीतिक, किसी भी संसद सदस्य को, किसी भी दल के किसी नेता को कोई कर्फ्यू पास नहीं दिए गए, सिर्फ श्री दीक्षित को अनुमति दी गई। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या किया जाएगा।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : यह मामला अत्यन्त सीधा है। समस्या की गंभीरता की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट किया गया है। श्री वी० पी० सिंह ने एक सुझाव दिया है कि राज्य सरकार में हमारा विश्वास नहीं है और वह राज्य में कानून और व्यवस्था पर नियन्त्रण करने में समर्थ नहीं है। इसलिए केन्द्र सरकार का एक दल जिसमें प्रधान मंत्री या गृह मंत्री हों, वहां जाना चाहिए, उसे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए और वहां कानून व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। हम केन्द्र सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : गृह मन्त्री को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य ने इस हाउस को बनारस की स्थिति से अपने ढंग से परिचित कराया है। मैं इस हाउस के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिस समय दंगा हो रहा था···**(व्यवधान)** अब ये लोग मुंह बन्द करेंगे, सच्चाई को देख नहीं सकते। **(व्यवधान)** सर, 8 तारीख को शाम को 8.20 बजे पर वहां दंगा प्रारम्भ हुआ था और उस समय हमारे माननीय सदस्य बनारस में थे ही नहीं और श्रीमान जहां पर दंगा हुआ, जिन क्षेत्रों की यह घटना है वहां काली जी की मूर्ति को ले जाने में दंगा शुरू हुआ, मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि उस स्थान पर जहां दंगा शुरू हुआ वहां पर 3-4 साल पहले भी दंगा शुरू हुआ था और हमेशा इसी अवसर पर वहां दंगा होता है। वह बहुत सेंसिटिव एरिया रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कानों में तेल डालकर बैठी हुई थी। यदि प्रशासन चाहता, तो भदैनी के पास ही जुलूस को रोक लेता और वहां पर जुलूस के रोकथाम की कोई ऐसी व्यवस्था कर दी होती, तो दंगा नहीं होता। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, माननीय श्री सेट और इस ओर के मेरे मित्रों द्वारा इस मामले में व्यक्त की गई चिंता में हम सहभागी हैं। वहां स्थिति खतरनाक है। इस क्षेत्र में सिर्फ एक संसद सदस्य को घुसने की अनुमति दी गई जबकि अन्य सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस, जनता दल एवं अन्य सदस्यों को घुसने की अनुमति नहीं दी गई। बात बिल्कुल साफ है। पहली बात तो यह है कि एक संसदीय दल को वाराणसी जाना चाहिए। दूसरे, इस दंगाग्रस्त क्षेत्र में पी० ए० सी० की भूमिका निंदनीय है। मैं गृह मन्त्री से और सभा के नेता से इस मामले में हस्तक्षेप करने का और एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों और जनता को केन्द्र सरकार से आश्वासन की आवश्यकता है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारी बात तो आपने सुनी ही नहीं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे दुखद मामलों पर भी सदन में इस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है। (**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारी बात तो पूरी नहीं हुई है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जो आप शुरू से ही ऐसा कर रहे हैं। मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। कृपया बैठ जाइये। आप ठीक से आचरण करें।

(**व्यवधान**)

12.30 म० प०

(**इस समय श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।**)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। आप ठीक से आचरण करें।

(**व्यवधान**)

12.31 म० प०

(**इस समय श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री अपने स्थान पर वापस चले गये**)

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला (गोधरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। पूरे हाउस का इनडिसीप्लीन बिहेवियर, यह तरीका ठीक नहीं है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : इतने दुखद सवाल पर भी सदन में इस तरह की प्रतिक्रिया हो यह हम सबके लिए लज्जा की बात है। 8 और 13 तारीख को जो हुआ वह दुखद है। लेकिन हमारे मित्र दीक्षित जी ने जो कहा, यह सही है कि प्रशासन वहां जो कर रहा है उसमें हमें दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं कमेटी के लिए नहीं कहूंगा, मैं आडवाणी जी, विजयराजे सिंधिया जी और

वाजपेयी जी से निवेदन करूंगा कि आप वहां जाकर देखें कि किस कानून, अनुशासन और नियम के अन्दर अजीत सिंह जैसे आदमी, यादव जी जैसे आदमी को वहां नहीं जाने दिया और दीक्षित जी को निर्बाध गति से घूमने दिया। अगर अजीत जी वहां पर जाएं तो गिरफ्तार किए जाएं। उनका क्षेत्र है लेकिन दूसरी पार्टियों के स्थानीय लोगों को भी देखना चाहिए। सोनकर जी को ऐतराज हो सकता है, उनका भी जिला बनारस है, पड़ोस में है, कैलाश जी हैं, दूसरे लोग हैं। क्या इस तरह की घटनाएं इस मामले में भी होंगी? प्रशासन अगर इस तरह की बातें करेगा तो उसके ऊपर लोगों को संदेह होगा ही। बनारस की स्थिति बहुत खराब है और इन दो दिनों के दंगे के बाद पुलिस की जो कार्यवाही हुई है वह न केवल निंदनीय है बल्कि वह इंसानियत की गिरी हुई घटना है जिसका कोई भी आदमी समर्थन नहीं कर सकता।

मैं इस मामले में बिल्कुल भावुक नहीं हो रहा हूं। यह सदन तय करे कि बी० जे० पी० के तीन महान् नेता—वाजपेयी जी, सिंधिया जी और आडवाणी जी वहां जाकर देखकर निर्णय लें कि पुलिस ने किस तरह का व्यवहार 13 तारीख की घटना के बाद किया। अगर वे कह दें कि वह जस्टीफाईड था तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मदन लाल खुराना : यह ऐसा मामला है, जैसा दीक्षित जी ने कहा, इसमें दो राय नहीं हैं। खून किसी का भी बहा है, हिन्दू का या मुसलमान का, वह देश के माथे पर कलंक है। नहीं होना चाहिए। यू० पी० की सरकार को बरखास्त करने वालों को मैं कहना चाहता हूं। अभी दो दिन पहले तो वहां की जनता ने अपना निर्णय दिया।...(व्यवधान) यह आज के एक नेशनल पेपर में है।...(व्यवधान) मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो बातचीत हो, ऐसा न हो कि उससे और साम्प्रदायिकता फैले। (व्यवधान)

अभी चन्द्रशेखर जी ने कहा कि मामले को देख लें, लेकिन मेरा यह कहना है कि दोनों तरफ देखना चाहिये। अभी तक जो कुछ कहा गया उससे ऐसा लगा कि जैसे एक ही पक्ष दोषी है। मैं केवल एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसमें यह कहा है कि वहां कांग्रेस के मेयर की उत्तेजना के कारण दंगे भड़के। वहां कांग्रेस के दो जनरल सेक्रेट्रीज ने उसको कांग्रेस से निकालने के लिये बयान दिया और एक जनरल सेक्रेट्री ने अपने ही मेयर को गिरफ्तार करने की मांग की।...(व्यवधान)...अध्यक्ष जी, यह बनारस का मामला है। इसमें केवल बी० जे० पी० को दोषी ठहराना, क्योंकि वहां पर उसका शासन है, सही नहीं है। अगर किसी ने कोई बात कहनी है तो कहां किसकी गलती है, वह स्पष्ट रूप से बतायें। मेरे पास पेपर की एक कटिंग है उसका हैडिंग है "नशे के सौदागरों की लड़ाई मजहबी फसाद में"। वहां पर लड़ाई दो शराबियों के बीच में थी और शराब बेचने वालों में थी। इन्होंने ही वहां पर दंगे कराये। अगर यहां पर बहस होगी, विचार होगा तो अगर वह एक बैलेंस में चलकर होगा तो कोई चीज निकलकर आयेगी। अगर कोई इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहेगा।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर सोनकर, आपको जो रूल से करना चाहिये, वही करना चाहिये। ऐसा देखा जा रहा है कि आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

क्या मैं आपको नियमों का पालन करने का अनुरोध कर सकता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा । लेकिन इस तरह से नहीं । कृपया बैठ जायें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं बहुत साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार यू० पी० की गवर्नमेंट ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार किया और दंगों को दबाने की कोशिश की ।...(व्यवधान)... जो आज बड़े भावुक हो रहे हैं उन्हें क्या यह मालूम नहीं कि बिहार में क्या हुआ ? क्या वे उनकी निन्दा करेंगे ? बिहार में चुनावों के अन्दर किस तरह लोगों को मारा गया, यह तो उनको अच्छी तरह से मालूम है । वे उसकी भी यहां निन्दा करें । (व्यवधान)

श्री अजीत सिंह (बागपत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि झगड़ा दो शराबी गुटों में हुआ । सवाल यह नहीं है, सवाल है कि वहां की सरकार ने, वहां के प्रशासन ने, वहां की पुलिस ने जिस तरह एक सम्प्रदाय के लोगों को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर अत्याचार किया ।...(व्यवधान)... मैं वहां पर गया हूं, मैं जेल में गया हूं, लोगों से मिला हूं । वहां के लोगों की टांग टूटी है लेकिन वे कह रहे हैं कि हम अस्पताल नहीं जायेंगे क्योंकि हमें डर है कि वहां पर हमको मार दिया जायेगा । चन्द्रशेखर जी ने कहा कि आपके नेता लोग जाकर उसी जेल में लोगों से मिल लें और जानकारी ले लें । वे प्रतिष्ठित लोग हैं, पी० एच० डी० हैं, डाक्टर लोग हैं । वे अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि एक डाक्टर को वहां की पुलिस के सामने ही मारा गया । प्रदेश की सरकार के मुख्य मन्त्री या गृह मन्त्री आज तक बनारस में जहां इतना बड़ा दंगा हो गया, उसको देखने के लिए नहीं गए । एक सवाल यह भी है कि केन्द्र की सरकार की भी जिम्मेदारी है । पूरे देश में जो हो रहा है, जो एक सम्प्रदाय के प्रति उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है, ऐसे में एक सवाल यह उठता है कि इस सम्बन्ध में केन्द्र की सरकार क्या करने जा रही है ? क्या वह अपनी जिम्मेदारी समझती है ? क्या उनकी राय में वहां पर जो कुछ हुआ... ...(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : बिहार के बारे में नहीं बोलेंगे । (व्यवधान)

श्री अजीत सिंह : क्या गृह मंत्री जी यहां हमें यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में वे अत्याचार नहीं होंगे ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमन, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं । मैं पहले जवाब दे दूं । आपने हमको समय दिया और मैं अपनी पूरी बात नहीं कर पाया ।

आपने हमको बैठाल दिया और कोई दूसरा बोलने लगा तो आपको हमको समय देना चाहिए । मैं पुराना मैम्बर हूं और मैं नियमों को जानता हूं ।

श्रीमन्, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस समय वहां पर दंगे का एक चरण जब समाप्त हो गया, तब उस समय तक कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था और प्रशासन सिर्फ अपने मन से काम कर रहा था। यहां तक कि यदि पहले वहां पर व्यवस्था कर दी गई होती तो, मैं मानता हूं, वहां पर पुलिस के लोग भी काफी घायल हुए और शाम को इतनी जबरदस्त अग्निशिखा जली, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रीमन्, इसके बाद 13 तारीख को जो घटना हुई, इस बीच इतने दिनों में जो कर्फ्यू लगा हुआ था, जो घटनाएं हुई थीं, उन पर प्रशासन चुप रहा, खामोश हो गया। एकाएक 13 तारीख को वह आग इतने भयंकर रूप से जली, जिसमें 8 तारीख के दिन के पहले दंगे से ज्यादा वहां हानि हुई और उसमें बीसियों औरतों, मासूम बच्चों को गलियों में घसीट करके मारा गया। अस्पताल में एक विशेष वर्ग के लोगों को इतने बुरे तरीके से प्रताड़ित किया गया कि अस्पताल में प्रशासन की यह स्थिति थी कि वहां दवा तक नहीं पहुंची।

अजीत सिंह जी ने सही कहा कि वहां का आदमी अस्पताल जाने से भी डर रहा है, वहां का आदमी पुलिस से भी डर रहा है और वहां इतनी बदतर हालत हो गई है कि कुछ कहिये मत। जिस समय दंगा हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी साहब दंगे से करीब 20 मिनट पहले वहां पहुंच गये थे और वह जनसंघ की नीति और अपनी बी० जे० पी० की नीतियां वहां समझा रहे थे और उसके बाद ...(व्यवधान)... यह वहां पर यदि चले गये होते, जहां पर कि तमाम आदमी मारे गए थे, यदि उस स्थान पर वह चले गये होते तो शायद यह दंगा इतना भयंकर रूप ग्रहण न करता।

अध्यक्ष महोदय : अब हो गया, बैठिये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तो श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। सरकार से हमारी मांग है कि वह इस पर वक्तव्य दे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अखबार के संवाददाताओं की रिपोर्ट्स हैं...व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मुझे अंदाज यह है कि उसको आप इजाजत देते नहीं जो हंगामा नहीं करता। मैंने जीरो ऑवर शुरू होने के बाद ही हाथ उठाया था, मैं नहीं बोला और मैं देख रहा था कि आप मुझे इजाजत देते हैं कि नहीं। तो जो हंगामा करेगा, जो आकर...

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है, आप भी बोल लें।

श्री रशीद मसूद : मैं यहां पर बैठे हुए 80 फीसदी मैम्बर्स से ज्यादा सीनियर मैम्बर हूं...

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये न, आप अच्छा क्यों कर रहे हैं इसे ?

श्री रशीद मसूद : मेरा कहना सिर्फ इतना-सा था, 8 तारीख को किसने किसको जलाया, 13 तारीख में किसने किसको मारा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता इसलिए कि इस सम्बन्ध में यहां पर पूरा डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, 8 तारीख के बाद अगर कोई एक्शन ले लिया गया होता तो 13 तारीख को कोई मामला होने वाला नहीं था। लेकिन चूंकि 8 तारीख में कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उन लोगों को, जिन्होंने

कत्ल किया और जिन्होंने इन्सानों को उठाकर आग में जिन्दा जला दिया, उन लोगों को पकड़ा तक नहीं गया और वह इसलिए कि वहां बी० जे० पी० की सरकार है···(व्यवधान)···फिर 13 तारीख को यह हुआ कि एक डाक्टर को एस० पी० और डी० एम० की मौजूदगी में मारा गया है। यू० पी० में सबका विश्वास इन्सानियत पर से उठ गया है इसलिए हमारी सरकार की यह जिम्मेदारी है कि यह सदन को बताये कि यह माइनोरिटी के लिए क्या कर रही है? (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, 8 तारीख को और 13 तारीख को जो घटनाएं बनारस में हुई, बहुत दुखद हैं। जो भी उसके लिए दोषी हैं, जो भी अपराधी हैं, उनकी भर्त्सना ही नहीं, उनको दण्डित किया जाना चाहिए और मैं स्वयं आपको कह सकता हूं कि साधारण रूप से भी कहीं पर दंगा होता है या किसी की हत्या होती है तो वह दुख पहुंचाती है। लेकिन जब 8 तारीख को बनारस की घटना हुई तो मुझे ज्यादा दुख इसलिए हुआ, क्योंकि, महीनों तक हम लगातार यह दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार बनने के बाद वहां पर अनेक बड़े-बड़े कार्यक्रम हुए, दीवाली हुई, मोहर्रम हुआ, ईद हुई, दशहरा हुआ, जन्माष्टमी हुई, यह 5-6-7 बड़े-बड़े त्योहार इसमें हुए, सब शान्तिपूर्ण हुए। यहां तक कि जिस मोहर्रम में लखनऊ में कई बार दंगा हो जाता था, वहां पर भी इस बार कोई घटना नहीं हुई। यह हम दावा करते थे। इसीलिए मेरे लिए तो यह और भी दुखद बात है। साधारण जितनी दुखद हो सकती है, उससे ज्यादा दुखद बात है। आज मैं स्वीकार करूंगा कि जितनी सारी बातें कही गई हैं, उनका उत्तर देने की स्थिति में मैं इसलिए नही हूं क्योंकि यह मंच उसका नहीं है। अगर मंच होता, तो मैं सारी डिटेल्स लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार से आता। आपने ऐसा क्यों किया, आपने दीक्षित जी को एलाउ किया और अजित सिंह जी को क्यों एलाउ नहीं किया,···

[अनुवाद]

ऊपरी तौर पर मैं इसे उचित नहीं ठहरा सकता तथा इसे ठीक नहीं कह सकता।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से यह जरूर चाहूंगा, अध्यक्ष जी, कि इस प्रकार के विषय का उल्लेख भी, चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। यह परम्परा बनी रहे। आज इस मामले में ऐसा नहीं, होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज मेरी सरकार है और यहां पर कई पार्टियां हैं, जो मेरी सरकार वहां पर आ गई है, इसलिए दुखी हैं। इसीलिए इस चर्चा···(व्यवधान)··· मैं जो बात कह रहा हूं, चन्द्र शेखर जी की बात का आदर करते हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बात का आदर करते हुए और इस सदन के हिसाब से कह रहा हूं और आपको भी यह समझना पड़ेगा, यहां पर हम उत्तर मांगते हैं, तो उत्तर हम अर्जुन सिंह जी से और नरसिंह राव जी से मांग सकते हैं। यहां पर कल्याण सिंह जी नहीं बैठे हैं, जो उत्तर दे सकें। कल्याण सिंह जी अगर यहां पर होते, तो वे पूरा उत्तर देते। हां, अगर नोटिस मुझे होता कि चर्चा होनी है, तो मैं कल्याण सिंह जी से एक-एक जितने भी पहलू हैं, उनके बारे में जानकारी लेकर आता···(व्यवधान)···मैं तो इतना ही जानता हूं, आठ तारीख और 13 तारीख के बीच में अनायास किसी व्यक्तिगत काम से, किसी शादी का निमंत्रण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, चीफ सैक्रेटरी, मुझे मिलने के लिए आए। उन

से मैंने बनारस की इस घटना के बारे में पूछा और उन्होंने उसका उत्तर दिया कि किस प्रकार वहां पर पथराव हुआ था उस दिन के जलूस पर, इत्यादि। फिर बाद में उन्होंने यह भी कहा, मेरे मुख्य मंत्री का मुझे आदेश है कि आप बनारस की इस दुर्घटना को रोकने के लिए, दंगे को रोकने के लिए, कौन हिन्दू हैं और कौन मुसलमान है, इसकी बिल्कुल चिन्ता न कर, कठोरता से जो भी दंगाई हैं, जो भी हिंसा करने वाले है, जो भी उत्पात करने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।···(व्यवधान)···मुझे इस बात का संतोष हुआ और मैंने भी उनको यही हिदायत दी, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि दंगा न केवल देश के लिए कलंक है, लेकिन अगर कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसके लिए बहुत बड़ा कलंक है और इसलिए दंगा नहीं होना चाहिए। इस मामले में जो बात मैं कह रहा हूं, जिनको बोलने नहीं दे रहे थे, मैं जनसत्ता का यह अखबार पढ़ रहा था और पढ़कर भी यह पहलू समझ में नहीं आया। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है कि वहां का मेयर भी इस प्रकार का काम करे और ऐसा काम करे कि वहां के जनरल सैक्रेटरी को यह मांग करनी पड़े कि इनको निकालो। इसीलिए चन्द्र शेखर जी की इस बात से सहमत हूं कि इस मामले को या राष्ट्रीय एकता के जो भी संकट हैं, ऐसे मामलों में दलगत राजनीति का विषय मत बनाइये। यह भी समझिए, जिस कारण से आप हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, हो सकता है वह भी योगदान कर रहा है इस स्थिति में कि 17 में से दस सीटें मेरी आयें और कांग्रेस की एक भी न आए। इसलिए ये चीजें महंगी पड़ेंगी। राजनीतिक दृष्टि से मुझे नुकसान नहीं होगा, लेकिन देश को नुकसान हो रहा है। दंगा बंद होना चाहिए, साम्प्रदायिक हिंसा बन्द होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं और इस मामले में भी ···(व्यवधान)···अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि यह परम्परा बनी रहे कि कोई विषय मुख्य रूप से प्रदेश का मामला है, ···(व्यवधान)···सारा सदन आन्दोलित है, तो अब तक जो परम्परा रही है, सदन में उसकी मांग की जाती है, हमेशा गृह मंत्री या प्रधान मंत्रीजी कहते हैं कि हम इस विषय में राज्य सरकार से पूछते हैं और यहां पर आकर टिप्पणी देंगे और उसके बाद चर्चा होगी। यही परम्परा इसके बारे में भी अपनाई जाए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री अर्जुन सिंह···मुझे खेद है, मैंने आपको बहुत बार रोका है। लेकिन इस बार मैं आपको नहीं रोकूंगा।

मोहम्मद यूनुस सलीम : मुझे उम्मीद है कि आप हमें आश्वासन देंगे कि कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : पाठक जी, आप हमेशा आपस में बातचीत करते रहते हैं। मैं आपको देख रहा हूं। यह आपके लिए अच्छा नहीं है और न ही किसी अन्य व्यक्ति के लिए अच्छा है।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, वाराणसी में हुई इस अत्यन्त दुःखद घटना पर मैं माननीय सदस्यों की भावनाएं समझ रहा हूं। मैं कुछ सीमा तक आश्वस्त हूं कि प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने भी इसकी निंदा की है। लेकिन इस सदन में जो कुछ

कहा गया है उसका अधिक महत्व है और वह दुर्भाग्य से देश के किसी भाग में हुई घटना से कहीं अधिक राष्ट्रीय दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है और यही मेरा विचार है कि सभा को इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। जब तक अपने-अपने रुख, कुछ प्रतिक्रियाओं अथवा कुछ विशेष विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए, जो हमारे विशाल राष्ट्रीय हित के अनुरूप नहीं है, का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं तब तक किसी के ऊपर दोषारोपण करने अथवा किसी को बचाने का हमारा प्रयास केवल अव्यवहारिक ही होगा। इससे राष्ट्र हित पूरा नहीं होगा।

अतः, मेरा विचार है कि हमें इसे केवल एक स्थान पर हुई घटना, जहां किसी विशेष पार्टी की सरकार सत्ता में है, के रूप में लेने की अपेक्षा इसे अधिक गम्भीरता से लेना चाहिए और इसे उस सरकार की असफलता समझना चाहिए। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं बल्कि यह एक तथ्य है कि कुछ वर्षों से देश कुछ विचारों, विश्वासों और कार्यवाहियों से निष्क्रिय हो गया है जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हैं। वाराणसी की घटना केवल उसी की अभिव्यक्ति है। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। मुझे बहुत खेद है कि आडवाणी जी को मजाक में कहना पड़ा कि ये चीजें राजनीतिक रूप से हमारे लिए सहायक होंगी। और हमें इससे कुछ फायदा होगा। मैं कहना चाहता हूं···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने कहा कि जिस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उससे पोलिटीकल नुकसान नहीं है लेकिन उससे देश का नुकसान है।

श्री अर्जुन सिंह : मैं वही कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे उससे कोई पोलिटीकल फायदा नहीं है।

[अनुवाद]

मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा था कि अगर आप इसे अपने हितों के लिए प्रयुक्त करें तो आपको इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह : मैं केवल यह कहना चाहता था कि इन पासिंग भी ये फीलिंग्स होना कि ऐसे आरोप लगाए जाएंगे, उससे आपको या किसी दूसरी पार्टी को फायदा होगा, यह भी उस मंशा और मनोदशा के अनुरूप है, जिसने आज सारे देश में आग लगा दी है। जरूरत इस बात की है कि केवल आपकी पार्टी नहीं, बल्कि इस देश में सभी पार्टियां राजनैतिक विषयों को लेकर वोट पाने या न पाने के लिए इस्तेमाल न करें, यह मूल चीज है। जहां तक इस घटना का सवाल है और सब माननीय सदस्यों ने जो बात कही है हम उनकी वेदना से सहमत हैं। हम आज आपकी तरह किसी की ऊंगली उठाना नहीं चाहते हैं लेकिन जैसी सदन की मंशा मुझे दिखाई दी उसकी पूरी जानकारी ली जाए, सदन को दी जाए और उस पर चर्चा हो, उसके बाद जैसा सदन का आदेश हो वैसा सरकार करने को तैयार है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : आप आश्वासन दें। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : गृह मन्त्री महोदय, एक वक्तव्य देंगे। आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। वाद-विवाद के दौरान उन्हें जो कुछ कहना है, वह कहेंगे। (व्यवधान) मैं भी यही कह रहा हूं। वह वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री अन्बारासु का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जा रहा है।

श्री अन्बारासु इरा : तमिलनाडु में हाल ही में आये तूफान और बाढ़ के कारण जीवन-माल का भारी नुकसान हुआ है। सड़कें और पुल नष्ट हो गए हैं। तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में और विशेषकर तन्जौर में लगभग 5 करोड़ रुपये से अधिक की खड़ी फसल बह गई। इसी प्रकार दक्षिण आरकोट, उत्तरी आरकोट और चेंगाई अन्ना जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

मद्रास शहर तो बाढ़ में लगभग डूब ही गया था। मैं व्यक्तिगत रूप से मद्रास के दौरे पर गया और मद्रास की गलियों में कमर तक आये बाढ़ के पानी में चला। हजारों झुग्गी-झोंपड़ी निवासी बेघरबार हो गये और उनके मकान बाढ़ में बह गये। लगभग सौ व्यक्ति बाढ़ के कारण मर गये।

अत:, प्रधान मन्त्री महोदय से तमिलनाडु में घटना-स्थल का दौरा करने और बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान और हानि का अनुमान लगाने का अनुरोध करूंगा और कम से कम 25 करोड़ रुपये की अनुग्रह-राशि तुरन्त राहत और पुनर्वास कार्य हेतु देने की पुनः अपील करता हूं।

मेरी प्रधान मन्त्री महोदय से अपील है कि बाढ़ में जिन लोगों ने अपना जीवन गंवाया है उनके निकट रिश्तेदारों को एक लाख रुपये देने की फिर से अपील करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने लिखित सूचना दी है, मुझे बोलने का मौका दिया जाये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा ।

(व्यवधान)*

श्री अन्बारासु इरा : अगर प्रधान मन्त्री महोदय पहले से ही व्यस्त हैं तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि तमिलनाडु के प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल अथवा एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल वहां भेजें । केवल मद्रास में ही हजारों व्यक्ति बेघर हो गये हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम लोग आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा । आप मेरे कक्ष में आ सकते हैं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : हमें कोई अवसर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही करने का प्रयत्न कर रहा हूं । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । मैं आपको अवसर प्रदान करने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

कल सभा के नेताओं से मेरी बातचीत हुई थी । आज सभा में मौजूद सभी सदस्य यह देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से उन मामलों पर जो सभा के सामने हैं, कार्यवाही करने में समर्थ होंगे । वह मामला जिस पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती, चर्चा के लिए सभा पर थोपा जा रहा है और वह मामला जो सभा के सम्मुख उचित नोटिस पर आया है, पर चर्चा नहीं हो रही है ।

क्या मैं विभिन्न पार्टियों के नेताओं को अपने पार्टी के सदस्यों से बात करने के लिए कह सकता हूं और अगर आपके दल के किसी सदस्य को कुछ कहना है तो अपने दल के सदस्यों का चयन कीजिए और उन्हें अपनी बात कहने दें । ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर चर्चा होनी है । मैं एक ही दल के सात या आठ सदस्यों को उनकी मर्जी के मुताबिक अपनी बात कहने की अनुमति नहीं दे सकता । इस पर निर्णय होना है । इससे भी अधिक हमें यह देखना पड़ता है कि इस सभा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

है किस विषय पर चर्चा हो सकती है और किस विषय पर नहीं हो सकती। अगर आप सभा को उसके कार्यसंचालन मे मदद नहीं करते तो फिर यह निश्चित है कि कोई भी बात करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। यहां आंध्र प्रदेश के सदस्य हैं। वे वहां हुई बारिश के बारे में बोलना चाहते हैं। आपके पास तमिलनाडु के सदस्य हैं। वह मामला भी महत्वपूर्ण है। उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : मैं प्रभावित व्यक्ति हूं।

[हिन्दी]

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, जुल्म फैलता जा रहा है और आप हमें अपनी बात कहने का अवसर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं आपको चांस देने की कोशिश कर रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं आपकी मदद करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप समझते क्यों नहीं? अगर आप हर वक्त ऐसे खड़े होते रहते हैं, मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं वक्त निकालने का प्रयत्न कर रहा हूं। एक सदस्य बोलना चाहते हैं और वह तकरीबन अपने बोलने के अधिकार के लिए दबाव दे रहे हैं। आपको बोलने का अधिकार है। उन्हें भी बोलने का अधिकार है। उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

वे सभी मामले जो आपके मस्तिष्क में हैं वास्तव में महत्वपूर्ण हैं लेकिन हमें प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ती हैं। हमें दूसरों के भी बोलने के अधिकार का भी ख्याल रखना पड़ता है। हमारा ही एकाधिकार नहीं होना चाहिए। मैं आपके दुःख और उत्सुकता को समझता हूं। कुछ मामलों में हमारे हृदय दुःख से भरे हुए हैं और कुछ मामलों में चिंता है लेकिन हमें उस मंच का चुनाव करना पड़ता है, हमें तरीके का चुनाव करना पड़ता है तथा बोलने वाले व्यक्ति का चुनाव करना पड़ता है, तभी हम वैसा करने में समर्थ हो सकेंगे। अगर आप सभा को उसके कार्य-संचालन में मदद नहीं देंगे तो फिर कुछ लोग तो बोलने में सफल हो जायेंगे और अन्य लोग बोल नहीं पायेंगे। सत्तारूढ़ दल के सदस्य कहेंगे कि उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता। उनकी भी समस्याएं हैं। आपने देखा है कि मैंने विपक्ष के लगभग सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है और सत्तारूढ़ दल को नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे बोलना नहीं चाहते। क्या किया जा सकता है।

1.00 म०प०

अध्यक्ष महोदय : उन्हें भी बोलने का अधिकार है। यदि आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो मैं कार्यवाही कैसे चलाऊंगा? आज पहला दिन है। आपकी अनेक समस्याएं हैं। मैं आपकी उत्सुकता को समझता हूं। मुझे आपसे सहानुभूति है और मैं ऐसा तरीका ढूंढने का प्रयास करूंगा जिससे आप इस मामले पर चर्चा कर सकें। हम यहां पर एक दूसरे की सहायता करने के लिए हैं, हम यहां पर आपको चुप कराने अथवा आपको बोलने की अनुमति न

देने के लिए नहीं हैं। लेकिन आप लोग कृपया बोलते समय थोड़ा ऐसा रवैया रखें कि स्वयं आपके लिए भी आसानी हो जाए।

मेरा सभा के नेता और विभिन्न दलों के सदस्यों के नेताओं से अनुरोध है कि वे कृपया अपने सदस्यों से बात करें। अब यदि आप सहायता नहीं करेंगे तो हम स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सरकार ने कहा है कि वह एक वक्तव्य देगी और आश्वासन देगी। मेरा निवेदन है कि आप अपने पद का यह सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल करें कि सरकार आज ही वक्तव्य और आश्वासन दे क्योंकि आप इस सबंध में सदन की उत्सुकता देख चुके हैं। यहां तक कि सत्ताधारी दल के सदस्यों ने भी ऐसी मांग की है। यदि आप सरकार से वक्तव्य और आश्वासन देने के लिए कह सकें तो इससे हम सभी को सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ भी कहेंगे उसको ध्यान में रखा जाएगा और उस पर समुचित रूप से विचार किया जाएगा। यदि सरकार ऐसा करती है तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मैं सरकार को कुछ भी कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। संभवतया गृह मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : वास्तव में मैंने कहा था कि हम तथ्यों का पता लगाएंगे और फिर गृह मंत्री इस पर वक्तव्य देंगे। मैं आज कैसे कह सकता हूं? (व्यवधान) वह बहुत जल्दी एक वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : कल छुट्टी है।

अध्यक्ष महोदय : अब यह आपके हित में है। यदि आपने इसके लिए समुचित पूर्व-सूचना दी होती तो मैंने उन्हें नोटिस दे दिया होता, मैंने उन्हें सदन में उपस्थित रहने के लिए कह दिया होता। आपका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया होता। अब यह बिना किसी पूर्व-सूचना के आ रहा है और मैं उन्हें इसके लिए बाध्य भी नहीं कर सकता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह 8 और 13 तारीख को हुआ। आज 20 तारीख है। उनके पास अभी तक जानकारी ही नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है उनके पास जानकारी हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है, मैं बोल रहा हूं। कृपया अब बैठ जाएं। श्री बासुदेव आचार्य भी कृपया बैठ जाएं। आप जानते हैं कि मैं संसद सदस्य की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं। आज पहला दिन है जब मुझे अध्यक्ष पीठ से इतना लंबा भाषण देने का अवसर मिला है। मैं नहीं बोल रहा हूं; मैं आपके बोलने को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको परस्पर एक-दूसरे की सहायता करनी होगी।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : हम आपको पूरा सहयोग देंगे। हम यह जानने के इच्छुक हैं कि क्या गृह मंत्री आज वक्तव्य देंगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान जेना, आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप केवल अपनी मर्जी मुझ पर थोप रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : हम यह जानने के इच्छुक हैं कि क्या गृह मंत्री आज वक्तव्य देंगे या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा "बहुत जल्दी।"

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, सरकार की ओर से स्पष्ट आश्वासन आना चाहिए कि आज ही सरकार का वक्तव्य आएगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सत्ताधारी दल ने आंध्र प्रदेश में चुनाव में हेराफेरी, पुलिस बल का प्रयोग, मतदान केन्द्रों पर कब्जा और बम फेंक करके लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया को एक मजाक बना दिया है। मैं मांग करता हूं कि निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी जांच करवाई जाए और उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में फिर से मतदान करवाया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होगी। अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म०प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.05 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.07 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.07 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, पंजाब में श्रमिक वर्ग जब वहां अलगाववादी शक्तियों से संघर्ष कर रहा है···

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, इस सभा में एक व्यवस्था है। प्रश्न काल समाप्त होने के

तुरन्त पश्चात् कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मामले उठाए जाते हैं और उसके पश्चात् हम अन्य विषयों को लेते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह अच्छा पूर्वोदाहरण नहीं हो सकता। हमें कुछ सिद्धांतों का पालन करना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे आज संगरूर, पंजाब से एक टेलीफोन संदेश मिला है। कल वहां पुलिस ने गोली चलाई और कई श्रमिक घायल हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय को हम कल लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : एफ० सी० आई० के कर्मचारी संघ का सेक्रेटरी मारा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैं आपको अपनी बात से सहमत कराऊंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है कि शून्य काल मे बाढ़ की विभीषिका जैसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों को लिया जाना चाहिए था। मैं जानता हूं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु काफी प्रभावित हुए हैं। किंतु दुर्भाग्य से शून्य काल का अधिकांश समय अन्य विषयों ने लिया। यह विषय परसों लिया जा सकता है। अब हम अगला विषय लेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह एक अत्यन्त गंभीर घटना है। पुलिस की गोली से एक श्रमिक मारा गया और कई श्रमिक घायल हुए···(व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, नंदयाल और वेनुगोंडा के गुंडों ने बम और बंदूकों से मेरे ऊपर हमला किया···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमने नियम बनाए हैं। यहां एक प्रक्रिया है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम यह मुद्दा उठाना चाहते थे। किंतु हमे यह उठाने नहीं दिया गया···(व्यवधान)

श्री यू० विजय कुमार राजू (नरसापुर) : महोदय, दुर्भाग्य से अध्यक्ष ने यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी। आंध्र प्रदेश मे लोकतंत्र की हत्या की गई है और विशेषत: यह लोकतंत्र का अपमान है। प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र नंदयाल में अल्लागड्डा विधान सभा क्षेत्र में चुनाव रद्द हो गया है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री राम लाल राही।

[हिन्दी]

2.12 म० प०

269

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अंतर्गत मेघालय राज्य के संबंध में अधिसूचना और मेघालय के राज्यपाल का प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम लाल राही) : मैं श्री एम० एम० जैकब की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मेघालय राज्य के संबंध मे संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 11 अक्तूबर, 1991 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 623 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपरोक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति के 11 अक्तूबर, 1991 के आदेश, जो 11 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 624 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 710/91]

(2) मेघालय के राज्यपाल के राष्ट्रपति को प्रेषित 8 और 9 अक्तूबर, 1991 के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 711/91]

[अनुवाद]

269

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1991

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत 27 सितम्बर, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन अध्यादेश, 1991 (1991 का संख्या 8) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 712/91]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, हम सभी चुनाव आयोग के व्यवहार से चिंतित हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह पक्षपात कर रहा है···(व्यवधान)

———

2.13 म०प०

उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय : मेघालय राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे में जो चर्चा आज सांविधिक संकल्प के अन्तर्गत सभा में हुई, उस उद्घोषणा की प्रतियां, उद्घोषणा तथा राज्यपाल की रिपोर्ट के पश्चात् जारी किए गए आदेश की प्रतियां प्रकाशन काउन्टर पर उपलब्ध हैं।

माननीय सदस्य अपनी प्रतियां प्रकाशन काउन्टर से प्राप्त कर सकते हैं।

2.13½ म० प०

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि आन्ध्र प्रदेश के नन्दयाल निर्वाचन क्षेत्र से इस सदन के लिए निर्वाचित सदस्य श्री गांगुला प्रताप रेड्डी ने 23 सितम्बर, 1991 को स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय को एक पत्र दिया जिसमें उन्होने लोक सभा की सदस्यता से तुरन्त त्यागपत्र दे दिया है। अध्यक्ष महोदय ने 23 सितम्बर, 1991 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीकान्त जेना, कृपया अपने मित्रों को समझाइए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री भू० विजय कुमार राजू : महोदय, जब हम यह मुद्दा उठा रहे थे तो अध्यक्ष महोदय ने सभा स्थगित कर दी थी···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप अनुभवी व्यक्ति हैं। आप सरकार में थे तथा आपको सरकार में रहना है। आपको अपनी शिकायतें बताने का अवसर मिला है। लेकिन कुछ नियमों का पालन होना चाहिए। हमने नियम बनाए हैं तथा उनका हमें आदर करना चाहिए।

(व्यवधान)

2.16 म० प०

271 — 292 — पुरःस्थापित

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

(व्यवधान)

2.17 म० प०

(इस समय श्री हरि किशोर सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गये)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे निवेदन है कि परसों जब सभा पुन: समवेत होगी तो आप यह मुद्दा उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा परसों उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि आप बहुत अधिक उद्वेलित हैं। अब कृपया सदन को अपनी नियमित कार्यवाही आगे बढ़ाने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कल छुट्टी है। परसों आप यह मुद्दा उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी से सहयोग कीजिए। परसों शून्यकाल के दौरान आप यह मुद्दा उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर जाइए। मेरी बात मान लीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीकान्त जेना, अचानक ही यह मुद्दा उठा दिया गया है तथा सरकार एकदम इसका उत्तर नहीं दे सकती । हमें अपनी परम्परा से पीछे नहीं हटना चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों से अपने मित्रों को शान्त रहने के लिए कहने का निवेदन कर सकता हूं ?···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप बहुत अधिक उद्वेलित हैं। आप अपना मुद्दा सदन के समक्ष रखना चाहते हैं। परन्तु मेरा विनम्र निवेदन यह है कि कल छुट्टी है । परसों आप अपनी शिकायतें सदन के समक्ष रख सकते है । दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश में बहुत अधिक विनाश हुआ है । हजारों मकान ढह गये हैं तथा लाखों एकड़ धान की फसल नष्ट हो गई हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होनी है । इसलिए बाकी सदस्य भी उद्वेलित हैं। मैंने श्री रेड्डी तथा दूसरे सदस्यों को अभी-अभी निवेदन किया है कि वे इस मुद्दे को नियमानुसार परसों शून्य काल के दौरान उठा सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपके साथ अन्याय हुआ है और यही आपकी शिकायत है। आपने अपना गुस्सा तथा असंतोष सदन में व्यक्त कर दिया है । क्या मैं आपको अपना स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन कर सकता हूं ? परसों आपके पास अवसर होगा तथा आप अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकते हैं । आखिरकार हम यहां पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों तथा राष्ट्र से सम्बन्धित शिकायतें व्यक्त करने के लिए हैं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि सभा स्थगित करने से उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको वही प्रक्रिया बता रहा हूं जो कि आपने बनाई है। मैं आपको वही नियम बता रहा हूं जो आपने बनाये है । आपके पास अवसर है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं अपने वरिष्ठ नेताओं को हस्तक्षेप करने तथा उन्हें राजी करने का निवेदन कर सकता हूं ?···

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : उपाध्यक्ष महोदय···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आइए, आडवाणी जी की बात सुनते हैं ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा आम चुनाव अभी-अभी सम्पन्न

हुआ है तथा उसके पश्चात् यह सभा समवेत हो रही है। इस छोटे आम चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है तथा आन्ध्र प्रदेश और बिहार में तो गंभीर अनियमिततायें हुई हैं। मैं चाहता हूं कि इन दोनों मुद्दों पर सदन में चर्चा हो तथा मैं यह चाहता हूं कि इसके लिए उचित अवसर ढूंढा जाना चाहिए···(व्यवधान)। सरकार को इसके लिए उचित अवसर ढूंढना चाहिए। अगर मुझे चुनाव आयोग के विरुद्ध कुछ कहना होगा तो मैं उसके लिए उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा तथा इस मुद्दे को प्रस्ताव प्रस्तुत किए बगैर नहीं उठाऊंगा। परन्तु जहां तक चुनावों में हुई हेराफेरी की बात है, उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जानी चाहिए···(व्यवधान)। परन्तु उसके लिए उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय···(व्यवधान) अगर आप अपने स्थान पर जायें तो मैं कुछ कहूं।···(व्यवधान)। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। विपक्ष के माननीय नेता ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रक्रिया अनुसार अगर हम चुनाव आयोग अथवा चुनाव अधिकारी के व्यवहार पर चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए नोटिस देना होगा तथा तभी उस पर चर्चा हो सकेगी···(व्यवधान)। चुनावों में हुई हेराफेरी से मैं सहमत हूं तथा मेरे विचार में इस संबंध में हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 3 बजे म०प० चर्चा कर सकते हैं। हम यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या हम यह चाहते हैं या नहीं तथा इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसलिए, मैं नहीं समझता कि इसके लिए हमें इस समय सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : महोदय, हम विपक्ष के नेता की बात मानने को तैयार हैं। परन्तु मैं आपसे यह आश्वासन चाहता हूं कि इस विषय में सदन में चर्चा अवश्य होगी।

श्री राम कापसे (ठाणे) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 3 बजे होगी। आप उस समय इस पर चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 3 बजे है। आप उस समय अपनी बात कह सकते हैं। अब श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या वित्त मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अनुमति मांगी है?

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का विरोध करता हूं। मेरे विचार में "रुग्ण उद्योग" विषय उद्योग मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। वित्त मंत्री महोदय ने इस विधेयक को क्यों पुरःस्थापित किया है। आत्म-समर्पण के लिए उठाए गए कदमों में शायद यह भी एक है क्योंकि वित्त मंत्री महोदय ही आत्म-समर्पण की इस समस्या के प्रभारी हैं। एक अच्छे व्यक्ति की छवि स्थायी रूप से खराब कर दी गई है। देश की आर्थिक

स्वतन्त्रता ही नष्ट नहीं हुई है बल्कि इस सारी प्रक्रिया में एक अच्छे व्यक्ति की छवि भी धूमिल हो रही है। मैं जानता हूं कि अपने सहयोगियों के चयन के पश्चात् उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।

मैं मौलिक सिद्धांत के आधार पर इस विधेयक का विरोध करता हूं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम उन स्थितियों से निपटने के लिए पास किया गया था जो कि विभिन्न औद्योगिक एककों और प्रतिष्ठानों के उद्योगपतियों द्वारा मचाई गई लूट के कारण पैदा हो रही थीं जिसका शिकार सारे राष्ट्र के साथ-साथ श्रमिक वर्ग भी था।

यद्यपि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में यह व्यवस्था की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में वर्चस्व होगा किन्तु अनेक वर्षों से उसका महत्व कम करने तथा उसके लिए मुश्किलें उत्पन्न करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ऐसी कई कम्पनियों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के नाम बता सकता हूं जहां वर्षों से प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है, जहां अपेक्षित आधुनिकीकरण और पुरानी मशीनों की जगह नई मशीन लाने के लिए किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं हुई है और न ही यहां धन की पर्याप्त व्यवस्था ही की जाती है। परिणामस्वरूप, कई सार्वजनिक उपक्रम संकटग्रस्त हैं। यही कारण है कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि भारत सरकार को यह सब पहले करना चाहिए। वस्तुत: राजनैतिक इच्छा की कमी है।

मैं यह आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर प्रयास किया है कि ऐसी स्थितियां पैदा की जाएं जिससे सार्वजनिक उपक्रम सुचारू रूप से कार्य न कर सकें और जनता का इनसे विश्वास ही खत्म हो जाए ताकि वे अपने मित्रों, इस देश की एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा सकें। और यही यहां हो रहा है। मूल उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक उपक्रम के विषय में लोगों के मन-मस्तिष्क पर गलत धारणा पैदा कर दी जाए ताकि निजी कम्पनियों को पुन: प्रोत्साहन मिल सके और सार्वजनिक उपक्रमों का अध्याय समाप्त हो सके।

हमें यह कहा जाता है कि इस देश की सभी समस्याओं की जड़ सार्वजनिक उपक्रम हैं। एक पर्चा बांटा गया है। इसमें हम यह पाते हैं कि 300 सार्वजनिक उपक्रमों में से मात्र 98 उपक्रम ऐसे हैं जो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मानो समस्या का मूल कारण सार्वजनिक उपक्रमों का जारी रहना ही है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। यह सरकार आज तक यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति को पूर्णतया एक ओर रख दिया गया है क्योंकि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज थी और इसे महज कागज पर ही स्वीकार किया गया और अमल में लाने की कोशिश की गई। उन्होंने आज तक 'नहीं' नहीं कहा है। अब जबकि यह सरकार आयी है तब भी इस विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार की, भारत के प्रधान मंत्री की अर्थव्यवस्था पर श्री मनमोहन सिंह का कितना नियंत्रण है। आज भारत की अर्थव्यवस्था पर जिन लोगों का नियंत्रण है वे ताज पैलेस होटल में अड्डा जमाए रखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन-से वे होटल हैं जिन्हें उन्होंने भारत सरकार की कृपा पर अधिकृत कर रखा है और कौन वे लोग हैं जो भारत के गरीबों द्वारा दिए गए एक-एक पैसे को उड़ा रहे हैं। अत:, वे कहते हैं कि

आपको सार्वजनिक उपक्रमों का त्याग कर ही देना चाहिए। अब उनके पास राजनैतिक साहस नहीं है कि इसे समाप्त कर सकें और ऐसा करने के लिए विभाग अथवा मंत्री या सरकार की दृष्टि के ख्याल से अपने बलबूते पर निर्णय कर सकें। अतः उन्हें दिखावे की जरूरत है अर्थात कन्ड्यूट पाइप की उन्हें जरूरत है। अब, क्या किया जा रहा है? वे इसे बीआईएफआर को भेज देंगे। कुमारमंगलम महोदय कहां हैं? वे कहां भाग गए? वे यहां क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा है कि बी०आई०एफ०आर० का कार्यनिष्पादन संतोषप्रद नहीं रहा है। और जहां तक बीमार इकाइयों का मामला है इसका कार्यनिष्पादन बहुत ही खतरनाक रहा है। वे इकाइयों को बन्द करने भर के लिए ही हैं। बी०आई०एफ०आर० की ओर से कम्पनी को पुनः चालू करने की कभी गंभीर कोशिश की ही नही गई। अब सरकार के पास क्या प्रस्ताव है? इसे बी०आई०एफ०आर० को भेज दीजिए। लेकिन इस महान संस्था के पास किसी व्यक्ति के हितों का ख्याल करने के लिए वक्त कहां है? यह तो मजदूरों के यूनियन से कहती है कि अपनी कम्पनी के लिए कोई खरीददार ढूंढ लो, मानो कि खरीददार ढूंढना इन मजदूरों का ही काम है। इसलिए कि कोई खरीददार इसे लेगा और कहेगा कि 'अच्छा, आप खरीददार नही ढूंढ सके, बैंक सहमत नही है, वित्त मंत्रालय के नियंत्रण के तहत, बैंक वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए सहमत नहीं है, वे इसके लिए मियाद बढ़ाना नही चाहते।' जहां तक अन्य देयताओं का प्रश्न है, अन्य मंत्रालय इसकी मियाद नहीं बढ़ा रहा है। उत्पाद-शुल्क देयता भी है, आदि-आदि, आयकर की देनदारी भी है, ये मजदूरों द्वारा खड़ी नही की गयी है। ये सभी देयताएं तो प्रबन्ध द्वारा थोपी गई है। बी०आई०एफ०आर० द्वारा कितनी बीमार इकाइयों को पुनः चालू किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अपेक्षा करूंगा कि वह देश मे आत्मविश्वास पैदा करें कि कितनी बीमार इकाइयां पुनः चालू की गई हैं और कितनी इकाइयों को बी०आई०एफ०आर० द्वारा बन्द करने का निदेश प्राप्त हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि बैंकिंग विभाग का इस विषय मे क्या दृष्टिकोण रहा है। उन्होंने इस विषय मे क्या किया है? और कितने बैंक इस विषय में मदद को आगे आए हैं। महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। अब 'जेसोप' जैसी कम्पनी क्या करेगी? वे बी०आई०एफ०आर० को भेज देंगे और बी०आई०एफ०आर० कहेगी, क्षमा चाहता हूं, बैंक और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत नहीं हो रहा है। उद्योग मंत्रालय अपना आशीर्वाद नहीं दे रहा है। भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों द्वारा आदेश नहीं दिए जा रहे हैं। वे कहते हैं कि इसके चलाने की कोई संभावना नहीं है। अतः वे उच्च न्यायालय को भेज देंगे और जैसाकि आप जानते है महोदय, कि अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि एक बार यदि बी०आई०एफ०आर० इसे बन्द करने की सिफारिश करता है और यह उच्च न्यायालय को भेजा जाता है तो उच्च न्यायालय आदेश देगा कि इसे बन्द किया जाए। अब उच्च न्यायालय इसे बन्द करने का आदेश देता है तो इससे कौन प्रभावित होता है। प्रबन्धक कहां है? उन्हें तो पदोन्नति मिल जाती है महज इसलिए कि वे विभागीय अधिकारी हैं। उन्हें तो नौकरी दे दी जाती है। लेकिन मजदूरों का क्या होगा? और नेशनल रिनीवल फंड तो बनाया है। यह धन क्या है? कितने आदमी की इसमें भागीदारी होगी? आप उन्हें कितनी रकम देंगे और किस रूप में आप उन्हें देंगे? ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हमें विश्वास में कभी लिया ही नहीं गया। महोदय, क्या यह एक अपराध है कि एक सामान्य व्यक्ति को, ऐसे नागरिक को जो अपना पसीना बहाकर दो जून की रोटी कमाता है और तब अपने परिवार और अपने

बच्चों का गुजर-बसर कर पाता है, बिना किसी कारण के, दोष के उसे सड़कों पर ला खड़ा किया जाता है। आज 44 वर्षों की आजादी के बाद भी भारत के नागरिक की वही नियति है। वे कहते हैं कि वे मजदूरों के हितों की रक्षा करेंगे। यह सब व्यर्थ है। आज तक कुछ भी नहीं कहा गया है। मुझे मि० थुंगन से सहानुभूति है। वह कर ही क्या सकते हैं ? मैं उम्मीद करता हूं कि वह जो कुछ भी कहते हैं उस पर उन्हें खुद विश्वास नहीं है। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय सभा में, जो कि इस देश का सर्वोच्च मंच है, साफ-साफ बताएं। क्या सार्वजनिक उपक्रमों को पुन: चालू करने के लिए योजना बनाने का कार्य बी०आई०एफ०आर० को सौंप रहे हैं। मि० थुंगन ने सुबह 'आदि' शब्द जोड़ दिया। यह 'आदि' बहुत ही खतरनाक चीज है क्योंकि 'आदि' का मतलब होगा इसकी तालाबन्दी न कि इसको पुन: चालू करना। कृपया आप हमें कहें कि एक भी इकाई की तालाबन्दी नहीं होगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें थोड़ी कोशिश भी करनी होगी। उन्हें मुझे गलत नहीं समझना चाहिए, उन्हें इस देश के गरीब लोगों के लिए सोचना चाहिए।** (व्यवधान)

महोदय, यह एक खण्ड का विधेयक लगता है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है जिसे सदन में पुर:स्थापित और पारित किया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री से सहमत हूं कि इस विधेयक को श्रमिक वर्ग कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। आज आप आई०एन०टी०यू०सी० के लोगों पर दबाव डाल सकते हैं कि कुछ समय के लिए अपने नये प्यार के लिए, आपका संगठन आपकी मदद थोड़े समय के लिए कर सकता है लेकिन अन्ततोगत्वा सार्वजनिक उपक्रम को समाप्त करने की इस सोची-समझी साजिश के विरुद्ध श्रमिक वर्ग अपना रोष प्रकट अवश्य करेंगे। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति देश का दृष्टिकोण बदलने की इस प्रकार की इस पूरी कोशिश को श्रमिक वर्ग और इस देश का जनसाधारण सहन नहीं करेगा। वास्तव में इस अनुचित कानून को बनाये जाने से रोकने के लिए विरोध, प्रतिकार, आपत्ति और प्रदर्शन होना भी चाहिए। और हम इसके लिए गलियों और चौराहों तक संघर्ष करेंगे। अत: हम इस विधेयक का विरोध करते हैं जो बहुत ही खतरनाक है। यदि इसे पुर:स्थापित और पारित किया गया तो इससे इस देश की अर्थव्यवस्था का विघटन, जो कि आरम्भ हो चुका है, और भी तेज हो जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इशारे पर लाया गया है। आज, इस सत्र की शुरुआत ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इशारे के कार्यान्वयन से हुई है। हमें बी०आई०एफ०आर० का अनुभव प्राप्त है। हमने इस सदन में कई बार इसका उल्लेख किया है कि किस तरह बी०आई०एफ०आर० औद्योगिक इकाइयों की तालाबन्दी की सिफारिश कर रहा है। इस बी०आई०एफ०आर० द्वारा कई औद्योगिक इकाइयों की तालाबन्दी की जा चुकी है। बी०आई०एफ०आर० तो पहले से ही काम के बोझ तले दबा हुआ है। किसी भी बीमार उपक्रम पर निर्णय लेने के लिए यह महीनों लगा देता है।

इस विधेयक का मूल उद्देश्य अनेक सार्वजनिक उपक्रमों को बन्द करना है। आज प्रश्नकाल के दौरान, उद्योग राज्य मंत्री यह स्पष्ट नहीं कर सके कि सरकार रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के साथ क्या करना चाहती है। दरअसल इस पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और इसे अमल

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में लाने की कोशिश भी की जा रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में, उन्होंने कई सार्वजनिक उपक्रमों को चुन रखा है और इन्हें बन्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। ये इस विधेयक को इसलिए लाए हैं कि रुग्ण उद्योगों को बन्द करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों को कार्यान्वित किया जा सके। आज समाचार पत्रों में कुछ और शर्तें सुनने में आयी हैं। अब वे महंगाई भत्ते को भी कुछ समय के लिए स्थगित करना चाहते हैं।

यह एक हानिकारक विधेयक है और श्रमिक वर्ग भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। आज प्रधान मन्त्री जी ने सभा में जो कुछ भी कहा था यह विधेयक ठीक उसके विपरीत है। उन्होंने आज सभा में कहा था कि कोई भी कार्रवाई करने के पहले श्रमिकों को विश्वास में लिया जाएगा। इस पर आम राय की जरूरत है। लेकिन इकाइयों को बन्द करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने के पहले क्या ट्रेड यूनियनों से परामर्श किया गया है। उन्हें इसका अनुभव प्राप्त नहीं है कि बी० आई० एफ० आर० औद्योगिक इकाइयों से किस तरह निपट रहा है। बी० आई० एफ० आर० का मूल कार्य औद्योगिक इकाइयों को बन्द करना है।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकाओं को सन्तुष्ट करने के लिए बैंकाक में यह बयान दिया था कि हमारे देश में सभी रुग्ण इकाइयों को बन्द कर दिया जाएगा।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री बसुदेव आचार्य : यह तो सभी समाचार पत्रों में छापा गया था। लेकिन आपने इसका खंडन तो कभी नहीं किया। उन्होंने इस विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह बात हमारे देश के सभी समाचारपत्रों में छपी है।

हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन हमारे सरकारी उपक्रमों को बन्द करना है, इसलिए हम इस विधेयक के हक में नहीं हैं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक का उद्देश्य भली प्रकार से स्पष्ट है और मुझे अपने अनन्य साथी को विधेयक के पुरःस्थापन के चरण से ही इसकी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। विधायी क्षमता के बारे में आपत्तियां उठायी जा सकती हैं परन्तु मुझे उम्मीद यह थी कि अभी जो व्यवधान आया है, इसके बारे में आपत्ति मेरी ओर से न होकर सत्ता पक्ष की ओर से होनी चाहिये थी।

मेरे मित्र ने जिनके प्रति मेरे मन में बहुत अधिक आदर है, बड़े धैर्य तथा इस धारणा के साथ यह तर्क दिया है कि वे इसे मानते हैं और उन्होंने अपने इस विचार को जोरदार शब्दों में भी कहा है कि उनकी राय में यह एक गलत कदम है।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या आप सत्ता पक्ष की ओर से उत्तर दे रहे हैं? **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये उनके ही प्रतिनिधि हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं अपना और अपनी पार्टी का प्रतिनिधि हूं। मैं अपने विचार रख रहा हूं और मुझे आशा है कि श्री सोमनाथ चटर्जी इससे सहमत होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आशा है कि आप इससे सहमत होंगे, यह मानवीय अक्षम्यता है।

श्री जसवन्त सिंह : यह बात खुल चुकी है। किस तरह से यह कह रहे हैं कि यह मानवीय अक्षम्यता है ? वही कहिये जो हो सकता है, इन्होंने अपने इन विचारों के बारे में धैर्यपूर्ण तथा धारणागत तर्क दिया है। मैं भी इनके विचारों का समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं भी यह नहीं सोचता कि भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्णता का भारी बोझ हमेशा के लिए वहन कर सकती है। इसलिए एक बार फिर से इस मामले के लाभ तथा हानियों पर विचार करना होगा।

मैं सोचता हूं कि इन व्यवधानों से कोई खास अन्तर नहीं पड़ेगा क्योंकि इस मामले को उठाने अथवा न उठाने में ये व्यवधान इस सदन की विधायी क्षमता का अंग नहीं है।

मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, जो कि पहले प्रश्नकाल में हमारे नेता तथा विपक्ष के नेता ने भी किया है कि बेहतरी इसमें होगी कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की मौजूदा स्थिति पर संसद में एक श्वेत-पत्र पेश किया जाये क्योंकि माननीय प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थिति पर हम विचार-विमर्श कर सकते है। पर जब तक हमें यह ज्ञात न हो कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां किस स्थिति में है, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह मैं इसके पुरःस्थापन के चरण पर कह रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 72 के अन्तर्गत प्रावधान यह है कि पुरःस्थापन चरण में केवल वही बोल सकते हैं जो पुरःस्थापन का विरोध करना चाहते है। मेरे परम मित्र, श्री जसवन्त सिंह इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वे इसे शीघ्रता से पूरा किये जाने के पक्ष में हैं। इसलिये इस स्थिति में वे बोलने के कतई हकदार नहीं हैं। मेरे परम मित्र इस गुणवान सरकार की सहायता के लिए तैयार हैं। अब सभा को भी इसकी जानकारी हो गयी है और रहस्यात्मक व्यवस्था अब रहस्य नहीं रह गयी है। अब यह खुल गया है।

दूसरे, एक मुद्दा उठाया गया है। चूंकि मेरे नाम का उल्लेख किया गया है, मैं इसका उत्तर देने का हकदार हूं। नियम 72 के अन्तर्गत यह कहा गया है :

> "यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे तो प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेत्तर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा।"

विधायी क्षमता अथवा अन्यथा के बारे में कोई रोक नहीं है।

इसमें एक परन्तुक है जो कि एक अतिरिक्त प्रावधान है :

> "परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष, इस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

इसलिये यह केवल एक परन्तुक है। जब कभी विपक्ष विधायी क्षमता पर अड़ता है तो केवल ऐसे विशेष अवसर पर ही एक व्यापक परिचर्चा की अनुमति दी जा सकती है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि केवल विधायी क्षमता पर ही विरोधी पक्ष को अनुमति दी जाती है। किसी सूरत में, विधेयक का समर्थन न तो परिचर्चा में भाग ले सकता है, और न ही वह सभा का समय ले सकता है। उसे अपनी असंदिग्ध योग्यता व क्षमता को कमी पढ़ने में और कभी, मेरे विचार से, भ्रम में डालने में प्रयोग करने दीजिये।

श्री जसवन्त सिंह उचित अवसर पर बोलेंगे। यदि आप भी उनका साथ देना चाहते है तो उन्हें परिणाम भी भुगतने होंगे। मैं सोचता हूं कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी में बहुत अधिक गड़बड़ है। अब आप उनके साथ क्यो मिल रहे हैं। इसलिये जो कुछ उन्होंने कहा है, उचित नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं अभी इसे समाप्त करता हूं। माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न का स्वयं ही उत्तर दे दिया है। यदि किसी विधेयक अथवा विधेयक के किसी भाग पर उसके प्रस्तुतिकरण पर किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति उठायी जाती है तो अध्यक्षपीठ अपने विवेकानुसार व्यापक चर्चा की अनुमति दे सकती है। आपने इस आशय की व्यापक चर्चा की अनुमति दी है कि माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई आपत्तियां मान्य हैं अथवा अमान्य और व्यापक चर्चा के ही एक भाग के रूप में, बिना उत्तर प्रदेश, बिहार अथवा कहीं और गये, जैसा कि वह गये हैं, मैंने विधायी क्षमता के बारे में केवल अनुरोध ही किया है।

इसलिये इस मुद्दे पर जब चर्चा होगी तब इस पर विचार करेंगे। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं और पहले भी दिन में उठाये गये मुद्दे को दोहराना चाहूंगा जो कि वास्तव में माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने स्वीकार भी किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का दर्जा अथवा उनकी मौजूदा स्थिति संसद की जानकारी में लायी जानी चाहिये। इससे चर्चा में और अधिक जानकारी बढ़ेगी तथा और अधिक प्रकाश डाला जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया है। आज का दिन इस देश के संसदीय इतिहास में और भारत के स्वतंत्रोत्तर काल में काफी महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : क्या माननीय सदस्य की ओर से कार्यालय में कोई सूचना प्राप्त हुई है क्योंकि मुझे इसकी प्रतिलिपि नहीं मिली है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें विधेयक की गहराई में नहीं जाना चाहिये। हमें इसका विरोध करने वाली अपनी आपत्तियों पर अडिग रहना चाहिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : क्योंकि आज ही के दिन नए प्रधान मंत्री जी ने शपथ ग्रहण की है

और उन्होंने 1956 में, जो जवाहर लाल नेहरू और राष्ट्रीय आन्दोलन के तहत चिन्तन हुआ था, इस देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए, उस चिन्तन को जिसकी उपज 1956 की औद्योगिक नीति थी, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी से ज्यादा अच्छा पात्र उनको कोई नहीं मिल सकता था।

माननीय वित्त मन्त्री जी का मैं बहुत आदर करता हूं और इस बात को वह जानते हैं और उसी विश्वविद्यालय से वह पढ़े हैं जहां जवाहर लाल नेहरू भी पढ़े थे और उनके विचार जो अभी तक रहे हैं पब्लिक सैक्टर के सम्बन्ध में, औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में, देश के गरीबों को राहत दिलाने के सम्बन्ध में, श्रमिकों को राहत दिलाने के सम्बन्ध में, वे जगजाहिर हैं। उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की है, साऊथ-साऊथ कमीशन की जो रिपोर्ट, जो नैरेरे की अध्यक्षता में हुई थी, जिसके वह सेक्रेट्री जनरल थे और जिसको वेननज्वेला में रिलीज किया गया था। मुझे भी इत्तिफाक से उस अवसर पर उपस्थित रहने का मौका मिला था और मैंने उनकी सराहना की थी, लेकिन आज क्या हो गया है ? मैं उनकी नीयत पर संदेह नहीं करता हूं लेकिन उनकी मजबूरी पर मुझे बहुत ही तरस आता है।

उपाध्यक्ष जी, यह इस देश के साथ क्या मजाक हो रहा है ? क्या जो नयी संस्कृति है वह सरकार इस देश में चलाना चाहती है। आदरणीय राव जी के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है और मैं काफी दिनों से उनको जानता हूं।

3.00 म० प०

काफी योग्य आदमी हैं, लेकिन आज उनकी सरकार की नीयत पर मुझे संदेह है और नीयत पर संदेह इसलिए है कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक द्वारा इस देश को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को प्लेज करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि यह काम मनमोहन सिंह जी को सौंपा गया है। उनकी भी कोई मजबूरी होगी, मै नहीं जानता, लेकिन इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि कम्पनी लॉ और पार्लियामेंट्री अफेयर्स राज्य मन्त्री, हमारे योग्य मित्र, योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, जिन्होंने पब्लिक सेक्टर के पक्ष में इस सदन में वक्तव्य दिए हैं, केवल उनका स्मरण उनको करवाना चाहता हूं। उन्होंने अपने पिताजी से कुछ सबक सीखा है तो उसको भी याद दिलाने की चेष्टा करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, 1956 में, जब से यह औद्योगिक नीति शुरू हुई है, तब से सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करने की चेष्टा होती चली आ रही है। उसी के परिणामस्वरूप स्वतन्त्र पार्टी की स्थापना हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, आप तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, यह तो नहीं कहूंगा, बहुत पुराने जानकार हैं और उस समय से यह चेष्टा की जाती रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरण न हों। आज मैं नरसिंह राव जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज ही उन्होंने शपथ ग्रहण की है और आज ही राष्ट्रीय आन्दोलन की उपज, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी की लीगेसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन मुझे उन पर बहुत तरस आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपकरण हैं, उनको बदनाम किया जाता है। मेरे प्रांत बिहार में हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन है। मैं माननीय उद्योग मंत्री, वित्त मन्त्री जी से और सरकार से जानना चाहता हूं कि जब से इसकी स्थापना हुई है, तब से लेकर अब तक उसके कितने चेयरमैन बनाए गए, कितने चेयरमैन बदले गए और कौन चेयरमैन कितने दिनों तक रहा और बहुत अच्छे दिनों के इसकी कितनी कैपेसिटी का उपयोग किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार 197 -76 में जब श्री नरसिंह राव जी कांग्रेस के महामन्त्री थे, उन्होंने बीस सूत्रीय कार्यक्रम की योजना लिखकर दी थी, उनके मस्तिष्क की उपज थी। मेरी जानकारी के अनुसार 30 परसेंट से अधिक कभी इसकी कैपेसिटी का उपयोग नहीं होने दिया गया। भारत सरकार के जो विभिन्न कारखाने या उपकरण हैं, सबके पीछे यही साजिश काम करती है। इस उपकरण के साथ भी यही हुआ। विदेशों को आर्डर भेजे गए, लेकिन इस उपकरण को आर्डर नहीं दिए गए। आज आप मालवीय जी को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वे भी इसके चेयरमैन रह चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ही मेरे एक प्रश्न के जवाब में सरकार का जवाब है, मैं बताना चाहता हूं। मैंने पूछा था कि कितने पब्लिक सेक्टर्स कब से हैड-लैस हैं। जवाब में बताया गया है कि 25 ऐसे बड़े-बड़े कारखाने हैं जो टाप-लैस हैं।

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : यह टाप-लैस का मतलब क्या है ?

श्री हरि किशोर सिंह : टाप-लैस का मतलब मनमोहन सिंह जी समझते हैं, आप भी जानते हैं, काफी परिचित हैं इसमें। **(व्यवधान)** चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में 22-3-1990 से कोई नहीं है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड में 19-4-91 से कोई नहीं है। चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि० में 1-3-91 से नहीं है। चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, हिन्दुस्तान वैजीटेबल्स ऑयल कारपोरेशन लि० में 12-7-90 से नहीं है। चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर बोंगायी-गांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्ज लि० 11-5-91 से नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर, एजूकेशनल कन्सलटेंट्स इण्डिया लि० का 4-1-91 से कोई कर्ता-धर्ता नहीं है। चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, एन० टी० सी० (ए० पी० के०) 10-9-90 से टॉपलैस है।

अभी थुंगन जी जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग री-हैबिलिटेट करेंगे। री-हैबिलिटेशन इण्डस्ट्री लि० 10-1-91 से टापलैस है। चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर माडर्न फूड इण्डस्ट्री 21-6-91 से टापलेस है। मैनेजिंग डायरेक्टर वायुदूत, वायुदूत स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक परिकल्पना थी और सरकार में बहुत से ऐसे मन्त्री हैं जो उनकी कृपा पर इस सदन में आए हैं और उन्होंने ही उन लोगों को बनाया है। वायुदूत को बहुत ही प्रचारित किया गया, अखबारों में बड़े-बड़े फोटो छपे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। कौन उसमें पार्टनर था, किसका दोष था···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

श्री विजय नवल पाटिल (इरन्दोल) : इस विषय पर यह व्यापक चर्चा नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह : आपके लिए यह असुविधाजनक हो सकता है।

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : महोदय, इसके बारे में हमें नियमों का पता लगाना है कि क्या इस विषय पर व्यापक चर्चा अब की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिंह, कृपया अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिये। कृपया विस्तार में न जाएं। आप केवल यह बतायें कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : यदि आप चर्चा की अनुमति दे रहे हैं तो हम सब इसमें भाग लेना चाहेंगे। और यदि चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है तो क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर अथवा अकेले तकनीकी पहलुओं पर इन्हें अपना अनुरोध प्रश्न तक ही सीमित रखना चाहिये। लेकिन उनमें से कोई भी इन पहलुओं में से किसी का भी उल्लेख नहीं कर रहा है। ये केवल व्यापक तथा विस्तृत चर्चा की ही बात कर रहे हैं। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो हम सभी इसमें भाग लेना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस तथा श्रीमती बासव राजेश्वरी दोनों ने एक बात कही है और वह बात संगत है। इस स्तर पर हम विस्तार में नहीं जा सकते। यदि कोई इसका विरोध करता है तो उसे केवल विरोध का कारण बताना चाहिए। यह तो प्रारम्भिक चरण ही है।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मुझे उद्धरण प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिये। नियम 72 के अन्तर्गत यह कहा गया है :

> "यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा।"

क्या यह एक संक्षिप्त वक्तव्य है? इसमें एक उपबन्ध भी है कि उन्हें विस्तार में नहीं जाना चाहिये जैसा कि बहस में होता है। लेकिन इसे अब बहस ही बनाया जा रहा है। माननीय सदस्य श्री हरि किशोर सिंह इस देश में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जांच कर रहे हैं। क्या यह सही नहीं है। इस मामले में हमें भी अनुमति मिलनी चाहिए। अध्यक्षपीठ यदि अन्य सदस्यों को भी अनुमति देने के लिए तैयार है तो इसे भी भलीभांति अनुमति दे सकती है। लेकिन नियम 72 के अनुसार उन्हें विधेयक पर विस्तार से नहीं बोलना चाहिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : तीनों माननीय सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न ही उठाया है। व्यवस्था का यह प्रश्न सही है। नियम 72 के अनुसार कोई भी इसके विस्तार में नहीं जा सकता। विरोध

करने वाले को इसके कारण बताने होंगे। हमें इस पर दृढ़ रहना होगा। वे बिल्कुल सही हैं। श्री हरि किशोर सिंह, कृपया सही बात पर आयें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : मैं यह कह रहा हूं कि वायुदूत 7-9-90 से खाली है और इसी प्रकार उ० प्र० ड्रग्स एंड फार्मेसियुटीकल्स लि० 7-4-88 से खाली है। मैं यह कह रहा हूं कि इस देश में 1956 से यह षडयंत्र रचा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बदनाम किया जाए या उनको सिक किया जाता है। उसका एक छोटा-सा मैंने उदाहरण दिया। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 72 अति सीमित है। अब केवल तीन सदस्य श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, श्री लोकनाथ चौधरी तथा श्री भोगेन्द्र झा ही इस पर और बोलने वाले रह गये हैं।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : यदि यह चर्चा है, तो हमें भी बोलने की अनुमति होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : यह चर्चा नहीं है। महोदय, नियम बहुत स्पष्ट है। केवल वही जो विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करते हैं, उन्हें आपके विवेकानुसार बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 72 बहुत ही स्पष्ट है, हमें इसका पालन करना चाहिये। माननीय सदस्यों को हमें नियम 72 पढ़ने के लिए कहने अथवा हमें दिशा-निदेश देने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहली बात यह है कि यह सरकार की अनैतिक बात है। मैं कहता हूं कि यह अनैतिक और बदनीयत से किया गया कार्य है। विधेयक की मात्र भावना इतनी है—उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी वक्तव्य में कहा गया है कि सरकारी कम्पनियों को मूल विधेयक से सम्मिलित किया जाता है ताकि सरकार इसे बी० आई० एफ० आर० को सौंपने में समर्थ हो सके। इसका अर्थ यह हुआ कि इस विधेयक की भावना सरकारी कम्पनियों के एक भाग का निजीकरण करने की है। वे सार्वजनिक क्षेत्र के

उद्योगों के लिए न ही निजीकरण और न ही 'निन्दा' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उनकी भावना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बदनाम करने अथवा उनका निजीकरण करने की है।'' (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या कोई व्यक्ति आंखों देखा हाल बता सकता है?

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं बोल रहा हूं; मेरा प्रश्न सीमित है। यह दुर्भावना पूर्ण क्यों है, क्या मुझे यह कहने का अधिकार नहीं है?

इस्पात मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : आप इसके हकदार हैं।

श्री चित्त बसु : यह दुर्भावनापूर्ण है क्योंकि सरकार की इच्छा उनका निजीकरण करने की है। वे उसे अधिक शब्दों मे नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस विधेयक में उन सरकारी कम्पनियों को भी लिया गया है जिन्हें मूल विधेयक में शामिल नहीं किया गया था। अत: इसकी भावना गलत है और यह अनैतिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार लोगों का प्रतिनिधित्व करती है; सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसे अपने लक्ष्य स्पष्ट करने चाहिए तथा उसे इस विधेयक के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसी वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

दूसरे, यह राष्ट्रीय नीति का प्रश्न है। यह औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में निर्धारित हमारी राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई आर्थिक नीति का पूर्ण रूप से तथा स्पष्ट उल्लंघन है।

मेरा विचार है कि यह मेरे अधिकार में आता है कि क्या मैं इस संसद को ऐसी स्थिति में जाने की अनुमति दूं जो कि राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध जाती है। आप इसे अपने मत द्वारा कर सकते हैं। अगर आपका उस पर नियन्त्रण है तो आप बहुमत द्वारा इस कार्य को कर सकते हैं। मेरे विचार में सरकार को इस मुसीबत से उबारने के लिए वे वहां होंगे। मैं संसद को बिना किसी विरोध, बिना किसी आपत्ति के उसके अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता जो प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है।

यह केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को भी प्रभावित करता है। यह हमारे देश के संविधान के संघीय उद्देश्य के विरुद्ध है। अभी-अभी श्री हरि किशोर सिंह ए० सी० सी० के बारे में बता रहे थे। क्या आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अगर केन्द्र सरकार ए०सी०सी० को बन्द करने का निर्णय लेती है तो बिहार सरकार उसका विरोध करेगी? (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : वे उसका अभिग्रहण क्यों नहीं कर लेते? (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : आपके अपने सुझाव हैं। अगर बिहार सरकार केन्द्रीय सरकार के ए० सी० सी० को बन्द करने के निर्णय का विरोध करेगी तो क्या इससे आप केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को नहीं बिगाड़ रहे हैं? क्या आप केन्द्र तथा राज्य के बीच संतुलन को बिगाड़ नहीं रहे हैं? (व्यवधान) समानत:...

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह भी आप लोग सपोर्ट करते है कि आदमी की नौकरी जाये।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : इसी प्रकार, जहां तक मुझे याद है पश्चिम बंगाल सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कुछेक इकाइयां बंद करने का निर्णय लिया है जिससे लगभग 50,000 श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे। केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध खराब होंगे। यह राष्ट्रीय-हित में नहीं है।

अन्त में, एक जनादेश का प्रश्न भी है। क्या सरकार को निजीकरण के लिए जनादेश मिला है ? क्या सरकार ने चुनाव से पूर्व लोगों को इस बारे में बताया था। दूसरी तरफ हम जनादेश मिला है ? 29 नवम्बर को राष्ट्र के सभी कामगार इस अहितकर और राष्ट्र-विरोधी औद्योगिक नीति, जिसका यह भी एक अंग है, का विरोध करेंगे। और यह तो आत्मसमर्पण दस्तावेज का ही एक अंग है जिस पर डा० मनमोहन सिंह पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। यह संसद आपको देश की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता के साथ सौदेबाजी करने की अनुमति नहीं दे सकती। यह संसद देश की स्वतन्त्रता, आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता की सुरक्षा के लिए है। अतः, अगर किसी विधेयक का विरोध करने के लिए ये कारण पर्याप्त नहीं हैं तो सरकारी नीति सम्बन्धी किसी विधेयक का विरोध करने के लिए अन्य वैध कारण क्या होंगे ?

इन राजनीतिक और आर्थिक आधारों पर, मैं इस विधेयक को पेश किए जाने का कड़ा विरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि श्री संतोष मोहन देव को सद्बुद्धि आएगी कि वे सरकार को, श्री मनमोहन सिंह को, देश की संप्रभुता की रक्षा हेतु इस विधेयक को वापिस लेने की सलाह देंगे तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने घुटने न टेकने की सलाह देंगे। देश की प्रभुसत्ता का समर्पण मत कीजिये।

इन शब्दों के साथ, मैं पुनः इस विधेयक को प्रस्तावित किए जाने का विरोध करता हूं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं। यहां विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के पहले ही हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने देश के बाहर वक्तव्य दे दिया कि वे बीमार उद्योगों को बन्द करने जा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसा विश्व मुद्रा कोष, एकाधिकार घरानों और अन्य देशों के दबाव में आकर किया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि हमारी राष्ट्रीय नीति जिसका अब तक पालन किया जा रहा था, उसका इस सरकार द्वारा त्याग किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वहां थे तो भारतीय पूंजीवादी वर्ग ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि वे इसके लिए आधारभूत संरचना चाहते थे। सार्वजनिक क्षेत्र को जो घाटा हुआ है वह इस सरकार के कुप्रबन्ध के कारण है। सार्वजनिक क्षेत्र ने निजी क्षेत्र को विकसित होने में सहायता की है। लेकिन अब यह देश के कुछ पूंजीपतियों के प्रभाव में है, जो सार्वजनिक क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहते हैं। सरकार को यह अहसास होना चाहिये कि यह देश श्रमिक वर्ग और जनता के हित में नहीं है।

तीसरे, महोदय इस विधेयक का पेश होना और पारित होना बहुत से लोगों के लिए मुसीबतें उत्पन्न करेगा। बहुत से लोग सड़कों पर होंगे। जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तो

यह भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जायेगा। यह सरकार नेहरूवादी आदर्शों पर चल रही है और यह नेहरू जी ही थे जो चाहते थे कि सार्वजनिक क्षेत्र फले-फूले और संविधान के नीति-निदेशक सिद्धान्तों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। और अब यह विधेयक उन सिद्धान्तों का उल्लंघन करने जा रहा है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : महोदय, यह श्री संतोष मोहन देव को भी लगता है और लग सकता है कि वित्त मन्त्री जल्दबाजी कर रहे हैं और वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह मान लेंगे तथा इस सभा की सलाह वह नहीं मानेंगे।

महोदय, अगर हम गत दस वर्षों में हुए सर्वेक्षणों को देखें तो हमें पता चलेगा कि उनमें से कुछ ही सर्वेक्षण किए गए थे और उनके प्रतिवेदन स्वयं श्री मनमोहन सिंह द्वारा लिखे गए थ। इन रिपोर्टों का श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र ने ले लिया कि वर्ष 1980 से हर वर्ष निजी क्षेत्र में रोजगार का स्तर गिर रहा था और सार्वजनिक क्षेत्र में कम-से-कम रोजगार का स्तर अनुकूल रहा था। यह संशोधन उस स्थिति को बदल देगा। देश में बेरोजगारी और भी बढ़ेगी क्योंकि निजी क्षेत्र की इसमें रुचि नहीं है और प्रौद्योगिकी के नाम पर तो इसने औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार न बढ़ाने का निर्णय ले लिया है।

महोदय, अब यह विधेयक सरकार को रोजगार कम करने में समर्थ बनायेगा। एक कारण यह भी है कि इस संकट की स्थिति में इसे क्यों रोका जाना चाहिए।

दूसरे, महोदय किसी व्यक्ति को कोई आशंका नहीं है। मैं श्री जसवन्त सिंह से आरम्भ कर रहा हूं कि आज कुछ ऐसी भी इकाइयां हैं जो आज अनर्थक्षम लगती हैं और उसके कुछ कारण हमारे नेता श्री सोमनाथ चटर्जी ने बताये हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को जानबूझकर समाप्त करने की इच्छा थी ताकि निजी क्षेत्र फल-फूल सके। सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों से सभी लाभ निचोड़ लेने और उसको अच्छी तरह से विकसित करने के पश्चात् वे अब लाभ प्रदान करने वाली उन इकाइयों को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। महोदय, केवल यही बात नहीं है। बीमार इकाइयों को भी देखिये। श्रमिक वर्ग के आन्दोलनों के दबावों, संसद में आये निर्वाचित प्रतिनिधियों के दबाव के कारण, ऐसी बहुत-सी इकाइयां हैं जिनमें पिछले कुछ वर्षों से श्रमिकों को केवल वेतन अथवा मजदूरी का ही भुगतान किया गया था। वास्तव में वहां कोई प्रौद्योगिकी अनुसंधान नहीं किया गया है जिसके बारे में अन्यथा हम बात करते हैं। वे प्रौद्योगिकी रूप से पिछड़े होने की बात करते हैं। हालांकि मुझे बन्द की गई इकाइयों के बारे में जानकारी है। यहां तक कि उद्योग मन्त्री ने उनमें से एक उद्योग का दौरा किया है। पिछले दस वर्षों से एक बायलर की कमी के कारण अत्यधिक क्षमता वाली एक इकाई को समाप्त किया जा रहा है और कल यह भी रुग्ण उद्योगों की सूची में होगी। मशीनरी और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के लिए मजदूरी और वेतन का भुगतान किए जाने की बजाय सहायता राशि दी जानी चाहिए। अब अगली पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर कम व्यय होगा। उसके लिए आधार तैयार किया गया है ताकि वे उस पर खर्च न करें और इसे बन्द किया जा सके। उसके पीछे यही उद्देश्य है।

तीसरे, प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए हमने एक विधान लाने की मांग की है

और इस सत्र की कार्यसूची में प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए एक विधेयक है। श्रमिक स्वयं इस संबंध में सजग हैं। हमें भारत उद्योग निगम सहित अनेक उद्योगों की जानकारी है कि श्रमिकों ने मशीनों को बदलने, कामगारों को पुन: लगाने तथा ऐसे ही कुछ परिवर्तनों के सम्बन्ध में सही सुझाव हैं। लेकिन प्रबन्धकों ने दो कारणों की वजह से उनकी बात नहीं सुनी। सबसे पहली बात, उसका तात्पर्य यह है कि वे प्रत्यक्ष रूप में श्रमिकों के बेहतर ज्ञान को स्वीकार करते हैं जिन पर वे अपना आधिपत्य रखना चाहते हैं। एक अन्य कारण यह है कि वे औद्योगिक इकाइयों के सुधार के लिए अपने मालिकों से धन न मांगकर उन्हें संतुष्ट रखना चाहते हैं।

अत: जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है, यह विधेयक लाने में बहुत जल्दबाजी की गई है। प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी संबंधी विधेयक पहले क्यों नहीं पारित किया जाता? इसका एक वर्ष तक पालन कीजिए और अपने अनुभव को देखिये। यह देखिये कि क्या श्रमिक सरकार की सहायता और अपनी सद्भावनाओं से अक्षमक्षम इकाइयों को प्रभावकारी और अक्षम इकाइयों में बदल सकते हैं अथवा नहीं। पहले यही कीजिये। वह विधेयक लाइये और हम उसे सर्वसम्मति से पारित करेंगे। एक वर्ष बाद अपने अनुभवों को परखिये आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे अन्यथा, हमें इस दुर्भाग्यपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा। वित्त मन्त्री के विचारों में सच्चाई को हम मानते हैं। लेकिन यदि वह जल्दबाजी में यह महसूस करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और इसीलिए यह विधेयक लाया गया है तब हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए अफसोस होता है कि वह गलत कदम उठा रहे हैं जिससे उनकी व्यक्तिगत छवि भी धूमिल होगी। अतएव, मैं अंशत: उनकी छवि को बचाने के लिए इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मुझे इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य चोरी-छिपे हमारे औद्योगिक विकास की दिशा बदलने से है उस औद्योगिक विकास जिसका लक्ष्य हमारी आर्थिक, वित्तीय और राष्ट्रीय सार्वभौमिकता को सुदृढ़ करना है। वित्त मंत्री के लिए यह उचित होता यदि वह 1956 के औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में संशोधन लाते जिससे राष्ट्र और यह सदन इस पर चर्चा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचता। मात्र अधिनियम में दी गई कुछ धाराओं जिनमें यह परिभाषित किया गया है कि इसमें सरकारी कम्पनी शामिल नहीं है मात्र इस वाक्य के कुछ अंश को निकाल कर वह हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों और नीतिगत प्रस्तावों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इस पर आपत्ति है।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि इस विधेयक के माध्यम से हमारे राष्ट्र की समूची सम्पत्ति को वह कुछ निजी कम्पनियों और व्यक्तियों की सम्पत्ति के साथ बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी सही नहीं है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राष्ट्र के मूल उद्योगों के रूप में स्थापित किया गया था न कि मूल उद्योगों की जननी के रूप में। उदाहरण के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची का ही उदाहरण लीजिए जिसमें बोकारो संयंत्र के बराबर एक वर्ष में मशीनें और औजार बनाने की क्षमता है। बोकारो संयंत्र 10 मिलियन टन इस्पात का प्रति वर्ष उत्पादन कर सकता है।

मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री का लक्ष्य राष्ट्र में औद्योगिकीकरण को बंद करने का नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि निजी कम्पनियों का उद्देश्य जल्दी और आसानी से लाभ कमाना है। इन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को जल्दी और आसान लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया। इन्हें हमारे औद्योगिक विकास का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए स्थापित किया गया था जिससे अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता की रक्षा की जा सके। अतएव आज कुछ पूंजीवादी कम्पनियां और कुछ एकाधिकार घराने प्रसन्न हो सकते हैं लेकिन कल उन्हें भी अफसोस करना होगा क्योंकि फोर्ड और राकफालरो से जो हमारे राष्ट्र में आर्थिक और औद्योगिक रूप से दखल करेंगे टाटा और बिड़ला उनका मुकाबला नहीं कर पायेंगे। उस समय यदि वित्त मंत्री यहां मौजूद हुए तो उन्हें अपने किये पर और जो उन्होंने नहीं किया उस पर पछताना पड़ेगा। महोदय, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि विधेयक को वापिस ले लेना चाहिए। इसके बजाए उन्हें औद्योगिक नीतिगत प्रस्ताव में संशोधन का सीधा-सा प्रस्ताव लाना चाहिए और इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और फिर उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

पिछले सत्र में, इसी सदन में वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार 19:6 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के प्रति कटिबद्ध है और मैं यह समझता हूं कि यही चुनावी वायदा प्रधान मंत्री ने भारत के लोगों के साथ किया था जिन्होंने उन्हें हाल ही में भारी मतों से चुना है क्योंकि हाल में ही सम्पन्न हुए चुनावों में श्री नरसिंह राव को नहीं अपितु भारत के प्रधान मंत्री को चुना गया था। मैं समझता हूं कि लोगों ने प्रधान मंत्री और उनकी सरकार में जो विश्वास व्यक्त किया था उसके साथ यह धोखा है। अतः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव को वापिस लिया जाये।

हमारे देश में एक योजना मंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका में खुले आम कहा था कि भारत मां को विदेशी पूंजी के प्रवेश के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। उस योजना मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा लेकिन उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था की छवि धूमिल की। हमारे रुपये का 57 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। जैसा कि विश्व बैंक ने मांग की थी, चार वर्षों के लिए योजना को स्थगित रखा गया। उस मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया गया और राष्ट्र ने अन्य नीतिगत उपाय अपनाये।

वित्त मंत्री बैंकाक में थे। उन्होंने एक वक्तव्य दिया जिससे हमारी राष्ट्रीय सार्वभौमिकता और राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ा। मुझे वित्त मंत्री और शासक दल के अन्य लोगों को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जब हम ईस्ट इंडिया कम्पनी के गुलाम थे तो किस तरह हमारी सार्वभौमिकता खतरे में पड़ गई थी। उस समय मीर जाफर ने यह महसूस नहीं किया था कि वह अपने और राष्ट्र के प्रति क्या अपराध कर रहा है। हम सभी उसका परिणाम जानते हैं। अतः महोदय, मैं समझता हूं कि बैंकाक में वित्त मंत्री ने जो वचन दिया है या प्रतिबद्धता दर्शाई है—राष्ट्र के बाहर प्रथम बार दिखाई गई प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रति बहुत अपमानजनक है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं वित्त मंत्री और सत्ता पक्ष से अपील करूंगा कि

वह इस विधेयक को वापिस ले लें। यदि वह ऐसा नहीं करते है तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस विधेयक को नियमों के विरुद्ध घोषित कर इस सदन में प्रस्तुत किये जाने के अयोग्य करार कर दें क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय मूलभूत औद्योगिक ढांचे के विरुद्ध है, चोरी-छिपे यह मूलभूत राष्ट्रीय नीति का उल्लंघन करता है। अतः मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इसे निरस्त कर दें।

श्री मनमोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा था कि विधायी उपयुक्तता को देखने का यह साधारण-सा अवसर होगा लेकिन यह एक विस्तृत वाद-विवाद का विषय बन गया है। मैं यह कहूंगा कि मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि बहुत-सी बातें कही गई हैं और इनमें से बहुत-सी बातें सही नहीं है। कुछ बेबुनियाद आशंका पर आधारित हैं। मैं इस सुअवसर का स्वागत करते हुए इस आशंका और भ्रम को विधेयक के पुरःस्थापित करने के पहले चरण में ही दूर करना चाहूंगा।

3.35 म० प०

(श्री राम सिंह पीठासीन हुए)

यह बहुत ही साधारण विधेयक है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के एक बहुत ही छोटे से भाग, जो बहुत रुग्ण है, से संबंधित है। मैं सम्मानपूर्वक यह अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को अन्यथा नही लिया जाना चाहिए कि इस विधेयक के माध्यम से औद्योगिक नीति के प्रस्ताव से हटने और निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है। जो कुछ माननीय सदस्य और श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री आचार्य, श्री लोकनाथ चौधरी और श्री झा ने कहा है उसकी सच्चाई का मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है उसका मैं हृदय से आदर करता हूं। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। लेकिन गंभीरतापूर्वक मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप राष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा अहित कर रहे हैं। यदि आप हमें जो हम करना चाहते हैं, नहीं करने देंगे तो आप राष्ट्र में श्रमिक हितों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। यदि वर्ष दर वर्ष हानि पर चल रही सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को इस खराब स्थिति में चलने देंगे तो आप इस राष्ट्र की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक हानि पहुंचायेंगे।

मैं समझता हूं कि पंडित नेहरू का उल्लेख किया गया है। पंडित जी का क्या सपना था? जिस समय पंडित जी ने औद्योगिकीकरण की बात कही थी उस समय सार्वजनिक क्षेत्र अपनी ऊंचाइयों पर था। पंडित जी का सपना था कि सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था के बचतों को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। हम इस बचत को दिखावटी विलासिता के उपभोग की वस्तुओं पर व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम उसका पुनर्निवेश करेंगे। लेकिन यहां मैं सद्भावपूर्वक यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपके पास ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र है जो लाभ में नहीं चल रहा है और वास्तविकता में वह बजट पर भार है, वह सार्वजनिक क्षेत्र किस तरह से वह काम पूरा कर सकता है जिसके लिए उसकी स्थापना की गई है? वास्तव में उन कार्यों पर, जिनसे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, सार्वजनिक राजस्व को खर्च करके आप बेरोजगारी की समस्या, ग्रामीण निर्धनता की समस्या, सामाजिक सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा की समस्याओं से निबटने से आप हमें रोक रहे हैं। अतएव मैं आदरपूर्वक अनुरोध करूंगा कि इस सीमित विधेयक को प्रस्तुत करने से न रोकिये।

सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है। इन चिंताओं पर चर्चा की जा सकती है। इन सभी मामलों पर पूर्ण वाद-विवाद के लिए हम तैयार हैं। जो कुछ मेरे बारे में कहा गया है मैं उस बारे में भी कहूंगा कि बैंकाक में मैंने क्या कहा है? यह प्रकाशित वक्तव्य है और मैं इसे सदन के किसी भी माननीय सदस्य को देने को तैयार हूं, मैं फिर दोहराऊंगा कि जो कुछ मैंने कहा वह था प्रत्यक्ष रूप से अनर्थक्षम। मैं इन शब्दों को फिर दोहराऊंगा प्रत्यक्ष रूप से अनर्थक्षम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बन्द किया जाएगा या उन्हें बन्द किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इन सबके लिए हमें एक सक्षम सामाजिक सुरक्षा कवच विकसित करना होगा। मैंने यह भी कहा था कि राजनीतिक दलों और श्रमिक संघों से बातचीत करके हमें राष्ट्रीय सहमति बनानी होगी। यदि आप इस पर आपत्ति कर रहे हैं तो मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि यह राष्ट्रीय नीति है।

आपका यह कहना है कि यह विधेयक विशेष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष आत्मसमर्पण है। वास्तव में यह मेरे बजट भाषण का ही एक भाग था। हमने सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों को बी० आई० एफ० आर० तरह की व्यवस्था द्वारा देखने का जो वायदा किया था वह औद्योगिक नीति के हमारे वक्तव्य में दिया हुआ है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इन इकाइयों को बी० आई० एफ० आर० के द्वारा देखे जाने का यह तात्पर्य नहीं है कि इन सभी इकाइयों को बन्द कर दिया जाएगा। जितनी भी इकाइयों को फिर से चालू किया जा सकता है, जिन भी इकाइयों को सक्षम बनाया जा सकता है, उनके बारे में मैं आपको यह आश्वासन दूंगा कि इन इकाइयों को सक्षम बनाने के लिए सरकार अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसे बी० आई० एफ० आर० के बिना भी कर सकते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : यदि हम बी० आई० एफ० आर० के बिना कर सकते हैं, तो हम ऐसा ही करेंगे। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं। लेकिन यदि श्रमिक संघों और सभी के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यदि हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इकाई बेकार है और उसे सक्षम नहीं बनाया जा सकता तो मैं सम्मानपूर्वक अनुरोध करूंगा कि यह राष्ट्र के हित में ही होगा कि श्रमिक वर्ग के हितों को पूर्णतः सुरक्षित रखते हुए इकाई को बन्द करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए।

श्री भोगेन्द्र झा : तब आप विचार-विमर्श तक के लिए इस विधेयक को स्थगित क्यों नहीं कर देते हैं?

श्री मनमोहन सिंह : मैं आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है चाहे इसके लिए एकक बन्द करने जैसा कठोर उपाय ही क्यों न करना पड़ा। लेकिन एकक बन्द करना पहला उपाय नहीं है बल्कि अन्तिम उपाय होगा। अतः इस विधेयक को सरकारी एककों को और रुग्ण बनाने, उन्हें बन्द करने अथवा उनका निजीकरण करने का प्रयास नहीं मानना चाहिए।

श्री ई० अहमद : अब भी बी० आई० एफ० आर० विभिन्न राज्य सरकारों के साथ-साथ अन्य एककों से प्राप्त सभी अनुरोधों पर विचार करने की स्थिति में नहीं है। फिर उन्हें और दायित्व क्यों दिया जाए? आप इसका कोई और तरीका क्यों नहीं ढूंढते हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इस विधेयक का विरोध कर सकते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : यह उल्लेख किया गया था कि बी० आई० एफ० आर० ने अपने कितने एकक पुनः चालू किए हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार उन्होंने 331 एककों को पुनः चालू करने और 37 एककों को बन्द करने के आदेश दिए थे। अतः यह सत्य नहीं है कि बी० आई० एफ० आर० एकक बन्द करने का मात्र एक यन्त्र है। मेरे विचार से यह निष्कर्ष सही नहीं है।

मैं श्री हरि किशोर सिंह का सम्मान करता हूं। उन्होंने दक्षिण आयोग की रिपोर्ट से उद्धृत किया है। मैं उस रिपोर्ट विशेष से अध्याय उद्धृत कर सकता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि लाभकारी सरकारी क्षेत्र इस देश की शक्ति का स्रोत है।

श्री हरि किशोर सिंह : यह आपका अभिनन्दन है। आपने यह पुस्तक लिखी है। यह एक महान दस्तावेज है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे विचार से क्यूबा और चीन के व्यक्तियों ने भी इस रिपोर्ट से संबधित कार्य में भाग लिया था। हम सबका एकमत से यही विचार था कि यदि सरकारी क्षेत्र के एककों में ऐसे ही हर वर्ष घाटा होता रहा, तो उससे आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

सितम्बर माह में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 'सेन्ट्रल कमेटी' की इसी समस्या पर विचार करने के लिए बैठक हुई थी। प्रधान मन्त्री, ली फंग, ने कहा था कि सरकारी क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं हमारे सामने हैं वही समस्याएं चीनियों के समक्ष भी है। उन्होंने कहा कि चीन में सरकारी क्षेत्र के 114 प्रतिशत एकक रुग्ण हैं, केवल एक-तिहाई अच्छी स्थिति में हैं, एक-तिहाई सामान्य स्थिति में हैं और शेष एक-तिहाई में भारी सुधार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार चीनी लोग भी इन सभी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। इसका अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई संबंध नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विरोध से मैं सहमत नहीं हूं और सभा यह जानना चाहती होगी कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में यह सब बातें कहते रहते हैं और दूसरी ओर गत माह चीनी सरकार ने उत्साह के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक को चीन की राजधानी में एक बड़ा कार्यालय खोलने के लिए आमन्त्रित किया था। चीन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : उसकी शर्तें क्या हैं ?

श्री मनमोहन सिंह : मैंने इस सभा को आश्वासन दिया था कि हमने जो शर्तें स्वीकार की हैं मैं उन्हें इसी सत्र में सभा पटल पर रखूंगा। अतः आप जान जाएंगे कि हमने कौन-सी शर्तें स्वीकार की हैं। यह कहा गया है कि यह अनैतिक कार्य है, हमने देश की संप्रभुता और सम्मान को बेच दिया है। मैं इस सभा के अति वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करता हूं और मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि यह गलत धारणा पर आधारित है। विश्व बदल गया है। मेरे विचार से इस देश को भी बदलना होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमने जो किया है यदि वह

न किया होता, तो इसी सभा में हम गंभीर बेरोजगारी की स्थिति, मुद्रास्फीति तथा इस देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विघटन पर चर्चा कर रहे होते ।

इन शब्दों के साथ मैं फिर आपसे इस विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अपने उत्तर में उन्होंने कहा कि हम सभा और देश को सरकारी क्षेत्र के एककों के बारे में सरकार की वास्तविक नीति के बारे में बताना चाहते हैं । उन्होंने नया कुछ नहीं कहा और केवल वही बातें दोहराई हैं जो उन्होंने पहले कही थीं । हम इससे पूर्णतः असहमत हैं । यह खतरनाक और राष्ट्रविरोधी विधेयक है ।

मैं कहना चाहता हूं कि हम इसके विरोध में सभा से बहिर्गमन करते हैं ।

3.39 म० प०

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राममोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।*

3.41 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) 'शाखामेढी' गांव के संबंध में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच विवाद की जांच के लिए एक समिति के गठन की आवश्यकता

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच गांव 'शाखामेढी' को लेकर अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद है जो कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही उड़ीसा के बालासोर जिले के भोगरई प्रखंड के अन्तर्गत दौले ग्राम पंचायत का एक भाग है । वहां एक प्राथमिक विद्यालय (उड़िया माध्यम) है जिसे उड़ीसा सरकार की स्वीकृति प्राप्त है । इस गांव के मतदाता उड़ीसा राज्य में ही अपना मत देते हैं । लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार बार-बार इस गांव को अपने राज्य का भाग बताती है । इस गांव के लोगों से ही पूछा जाना चाहिए कि वे किस राज्य में रहना चाहते हैं । मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 2 दिनांक 20-11-91 में प्रकाशित ।

हूं कि उसे एक समिति गठित करनी चाहिए जो इस सीमा विवाद के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(दो) आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हरियाणा पुलिस को आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित करने और हरियाणा में, विशेषकर पंजाब की सीमा से लगते हुए जिलों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की अधिक कम्पनियां तैनात करने की आवश्यकता

कुमारी शैलजा (सिरसा) : हरियाणा में आतंकवाद की बढ़ती हुई गतिविधियां अत्यन्त चिंता का विषय है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र सिरसा इससे अत्यन्त प्रभावित है क्योंकि यह पंजाब के साथ लगा क्षेत्र है। हाल ही में इस महीने की नौ तारीख को आतंकवादियों ने सिरसा में नौ निर्दोष लोगों को मार दिया और अनेक लोगों को जख्मी कर दिया। 20 वर्ष के एक सिक्ख युवक ने उनका साहस से सामना किया और एक आतंकवादी को पकड़कर उसकी बन्दूक आसमान की ओर मोड़ दी जिससे अनेक जानें बच गईं। एक दूसरे आतंकवादी ने उसको अनेक गोलियां मारीं और उसे वहीं ढेर कर दिया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उस व्यक्ति को असाधारण साहस दिखाने के लिए मरणोपरांत उचित सम्मान दे।

हरियाणा सरकार ने मृतक के परिवार को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने तथा एक व्यक्ति को रोजगार देने की पहले ही घोषणा कर दी है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह हरियाणा पुलिस को और अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र दे और हरियाणा में, विशेष रूप से उन जिलों में जो पंजाब की सीमा से लगे हुए हैं, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की और अधिक कम्पनियां तैनात की जाएं ताकि उस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों का अधिक प्रभावी तरीके से सामना किया जा सके।

(तीन) महाबलेश्वर, महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में पेयजल प्रदान करने के लिए महाबलेश्वर-पंचगनी पहाड़ी सैरगाह क्षेत्र में वेन्ना नदी पर प्रस्तावित बांध को मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : सतारा जिले में महाबलेश्वर-पंचगनी पर्वतीय क्षेत्र महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह मुख्य शैक्षणिक केन्द्र भी है। पिछले पचास साल से वेन्ना नदी पर छोटा-सा बांध इस क्षेत्र को पीने का पानी उपलब्ध करा रहा है। तथापि जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां पानी की भारी कमी हो गई है और इस कारण पर्यटन पर बुरा असर पड़ रहा है। राज्य सरकार का यह प्रस्ताव है कि वेन्ना नदी पर वर्तमान बांध के साथ एक और बांध बनाया जाए। नया बांध बनने से एक बड़ा जलाशय बन जाएगा जिससे महाबलेश्वर को अगले कई वर्षों तक पर्याप्त पीने का पानी मिलता रहेगा। लेकिन प्रस्तावित झील में 28 हेक्टयर वन भूमि है और इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति आवश्यक है।

महाराष्ट्र सरकार ने 25 मई, 1987 को यह प्रस्ताव केन्द्र को भेजा था लेकिन इसको अभी भी स्वीकृति नहीं मिली है। राज्य सरकार ने अनिवार्य वनरोपण का आश्वासन दिया है। मेरा पर्यावरण और वन मंत्री से यह अनुरोध है कि सभी एजेंसियों में समन्वय किया जाए और उपर्युक्त परियोजना को स्वीकृति दी जाए।

(चार) कर्नाटक में मंगलौर तेलशोधक कारखाना और पेट्रोरसायन परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : योजना आयोग ने पांच वर्ष पहले मंगलौर तेलशोधक कारखाना और पेट्रो-रसायन परियोजना शुरू करने की स्वीकृति दी थी लेकिन किसी न किसी कारण से इसमें विलम्ब किया जाता रहा। 1987 में भारत सरकार ने इसे संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने की अनुमति दी थी।

राज्य सरकार परियोजना प्राधिकारियों द्वारा मांगी गई सहायता और समर्थन देने को तैयार है। नई कम्पनी ने केवल डी० पी० आर० पर ही पर्याप्त धन देने का आश्वासन दिया क्योंकि कुछ समय पहले भारत सरकार ने पेट्रो-रसायन परियोजना के साथ छोटे तेलशोधक कारखाने (करनाल में बड़े कारखाने के स्थान पर) की एकीकृत परियोजना के संबंध में आश्वासन दिया था।

महोदय, हमें आशंका है कि परियोजना प्राधिकारियों को आशय पत्र जारी करने में विलम्ब करने से न केवल लागत बढ़ जाएगी बल्कि इससे परियोजना प्राधिकारियों का उस पर कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा। अत: औपचारिक स्वीकृति के लिए डी० पी० आर० जमा करने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

अतः मेरी सरकार से अपील है कि इस संबंध में तत्काल निर्णय लिया जाए और निर्धारित समय के भीतर अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएं।

[हिन्दी]

(पांच) वन सम्पदा को आग से बचाने को नई तकनीक विकसित करने की आवश्यकता

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : सभापति महोदय, आजकल देश में पर्यावरण के लिए जगह-जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है और वन सम्पत्ति बढ़ाने का कार्य हो रहा है, जो अच्छी बात है। लेकिन वृक्षारोपण एवं वन सम्पत्ति बढ़ाने के साथ-साथ पहले यह जरूरी है कि उनको बचाने और उन पर ध्यान रखने हेतु समुचित ध्यान दिया जाए तथा सही ढंग से आयोजन किया जाए।

आज देश में वन-जंगल सम्पत्ति विपुल मात्रा में है। वन काटे एवं जलाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी रक्षा की कोई योजना नहीं है। सौराष्ट्र क्षेत्र में मेरे जूनागढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन-जंगल हैं जहां शेर होते हैं एवं देश-विदेश के लोग शेर तथा अन्य जंगली जानवर देखने आते हैं, लेकिन इस वन की रक्षा तथा उसको बचाने का कोई सही आयोजन नहीं है। जब जूनागढ़ के इस वन में आग लगती है, आग जलती और फैलती रहती है, लेकिन उनको बचाने का कोई ठोस उपाय नहीं किया जाता है। इससे वन सम्पत्ति नष्ट हो गई है। अब तो यह वन आधा रह गया है और मुझे लगता है कि इस जलते हुए वन को बचाने का आधुनिक उपाय तथा आधुनिक तकनीक नहीं ढूंढी गई तो वन बच नहीं पाएगा।

अत: सरकार से मेरी अपील है कि न सिर्फ जूनागढ़ की वन सम्पत्ति बल्कि देश की सारी

वन सम्पत्ति एवं उसे आग से बचाने की आधुनिक तकनीक एवं उपाय ढूंढ़ा जाए तथा उपयोग में लाया जाए।

(छः) राजकोट से दिल्ली के बीच नियमित हवाई सेवा पुनः शुरू करने की आवश्यकता

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : सभापति महोदय, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, अमरेली, राजकोट, सुरेन्द्रनगर संसदीय क्षेत्रों से दिल्ली आने के लिए कोई सीधी हवाई जहाज सर्विस नहीं है। पहले राजकोट से एक हवाई सर्विस दैनिक भी थी लेकिन बाद में बंद कर दी गई।

यदि "राजकोट-दिल्ली" नियमित दैनिक हवाई जहाज सेवा कर दी जाए तो उपरोक्त सब संसदीय क्षेत्र एवं जिला क्षेत्रों को उनका लाभ मिल सकेगा, क्योंकि इस सबके बीच में राजकोट है जो करीब एक डेढ़ घण्टे में जब अपने-अपने क्षेत्र से राजकोट पहुंचकर दिल्ली के लिए हवाई जहाज ले सकते हैं। इस क्षेत्रों के संसद सदस्य भी इस सुविधा से अपना संसदीय कार्य सुचारू रूप से कर सकेंगे।

इन क्षेत्रों में उद्योग-धन्धा बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। इससे व्यापारी एवं उद्योग में लगे लोगों को भी न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर भारत के लिए हवाई जहाज की सुविधा मिल जाएगी।

हवाई जहाज पट्टी एवं अन्य सब सुविधा राजकोट हवाई अड्डे पर है ही, क्योंकि पहले भी राजकोट-दिल्ली हवाई सेवा थी। इसलिए कोई नया खर्च भी नहीं करना पड़ेगा।

अन्त में हम सब सौराष्ट्र क्षेत्र के संसद सदस्यों तथा जनता की मांग है कि राजकोट-दिल्ली की एक नियमित हवाई जहाज सेवा चालू कर दी जाये।

(सात) बिहार का द्रुत औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए भाड़ा समानीकरण नीति समाप्त करने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : बिहार राज्य के धीमी औद्योगिक विकास के अन्य कारणों में फ्रेट इक्वलाईजेशन एवं खनिजों पर फिक्स रायल्टी महत्वपूर्ण है। यह बात सही है कि वर्ष 1983 तक बिहार में करीब 6000 करोड़ रुपए का औद्योगिक पूंजी निवेश पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु आदि विकसित राज्यों से अधिक है फिर भी बिहार अभी देश में औद्योगिक मानचित्र में अपना उचित स्थान नहीं प्राप्त कर सका है।

फ्रेट इक्वलाईजेशन के कारण राज्य में स्थापित मौलिक बृहत उद्योगों के उत्पादन का उपयोग सहायक औद्योगिक निर्माण की दिशा में बहुत कम हुआ है। राज्य में उपलब्ध लोहा एवं कोयला का लाभ देश के उन राज्यों, जहां पहले से आधारभूत सुविधा उपलब्ध थी, को ही अधिक मिला है। इस तरह राज्य के खनिज सम्पदा एवं औद्योगिक पूंजी निवेदन का सीधा लाभ बिहार प्राप्त करने से वंचित रहा। इसका मूल कारण केन्द्रीय फ्रेट इक्वलाईजेशन नीति रही है।

अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार फ्रेट इक्वलाईजेशन नीति को तत्काल समाप्त करे ताकि बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र में विकास कर सके।

(आठ) देश में जल संसाधनों के संरक्षण और उचित प्रबंध के बारे में राष्ट्रव्यापी चर्चा आयोजित करने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मानव प्राणी की मूलभूत जरूरत एवं विकास कार्य को योजनाबद्ध करने के लिए मुख्य तत्व है। जल की मांग बढ़ती जा रही है। परन्तु प्रकृति में उसकी उपलब्धता सीमित है। अतः देश के प्रत्येक नागरिक का यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इसका संरक्षण करे, इसे प्रदूषण से बचाए तथा इसका उपयोग अत्यधिक क्षमता एवं कम खर्चीली विधि से करे। यदि देश में उपलब्ध जल का विकास एवं प्रबंधन व्यवस्थित, कुशल तथा पूर्ण रूप से किया जाये तो भविष्य में पीने के लिए, सिंचित कृषि, जल-विद्युत आदि उपयोगों के लिए जल की आवश्यकता पूरी की जा सकती है।

सम्पूर्ण देश में इस विषय पर चर्चा कराने की आवश्यकता है। देश में बढ़ती हुई जल की जरूरतों के प्रति, प्रकृति में इसकी सीमित उपलब्धता के प्रति तथा देश के पर्यावरण के उपेक्षित सुधार में जल के भूमिका के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। कार्यान्वयन के उन ठोस सुझावों की ओर भी ध्यान देना होगा जोकि देश भर में इस विषय पर हुई बातचीत से उभरेगी!

———

3.57 म० प०

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधन बढ़ाने और प्रदूषण को रोकने के लिए पानी के उपयोग में मितव्ययता बरतने के संबंध में है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित करने से तथा उद्योगों और शहरों में तीव्र विकास होने से प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का दायित्व व कार्य बहुत बढ़ गया है। इन बोर्डों के पास बढ़ती हुई लागत के अनुरूप तथा बढ़े हुए वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।

उपकर की दरें 1977 में निर्धारित की गई थीं और यह बहुत कम हैं तथा इनमें अभी तक संशोधन नहीं किया गया। केन्द्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने यह सिफारिश की कि उपकर की दरें दोगुनी कर दी जाएं और इसे बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अधिनियम में अन्य कमियां दूर की जाएं। उपकर की विद्यमान दरें पिछले 12 साल से वही हैं और जो प्रस्तावित वृद्धि है वह इस अवधि में लागत वृद्धि से बहुत कम है। मुद्रा स्फीति के कारण वास्तव में उपकर भार में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

में आर्थिक प्रोत्साहन देने और प्रोत्साहन नहीं देने के विचार को भी प्रस्तावित संशोधन में रखने जा रहा हूं। सरकार के विचार में दो विशेष उद्देश्य हैं, पहला सबसे अच्छी किस्म की उपलब्ध व्यवहारिक और तकनीकी समाधान जो प्रदूषण के स्रोत को रोक सके उसे बढ़ावा देने का विचार है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन विशेष तौर पर जल का संरक्षण। हमारा यह अनुभव है कि प्रदूषण रोकने के उपाय करने के बजाय हमें अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन को कम करना और उसे पुनः व्यवहार में लाने के कार्य को प्रोत्साहित करना चाहिए।

वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति या स्थानीय अधिकारी अपशिष्ट पदार्थ ट्रीटमैंट प्लांट लगाता है तो उसे 70 प्रतिशत छूट दी जाती है परन्तु उसका दुरुपयोग हो रहा है। प्रायः केवल अपशिष्ट पदार्थ 'ट्रीटमेंट प्लांट' स्थापित करने के आधार पर ही उद्योगों द्वारा छूट मांग की जाने लगती है जबकि यह पूरा कार्य करना भी शुरू नहीं करता है, अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग निर्धारित मानदंडों के अनुरूप भी नहीं किया जाता है।

विधेयक में हमने वर्गीकृत छूट के ढांचे का प्रस्ताव किया है जिससे प्रदूषण पर रोक लगाने में अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

4 00 म० प०

छूट लेने के लिये उद्योगों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कार्य करना होगा। वे उद्योग निर्धारित मानदंडों का पालन करेंगे, उन्हें 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा, जिन उद्योगों में जल के उपयोग के लिए मानदंड निर्धारित हैं उन्हें भी इस मानदंड का पालन करना होगा ताकि उन्हें छूट का लाभ मिल सके। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे जहां जल संरक्षण की आवश्यकता है वहां साथ ही जल की गुणवत्ता को भी बढ़ाने की भी आवश्यकता है। हमारे देश में जल एक दुर्लभ संसाधन होता जा रहा है।

इस विधेयक में उन उद्योगों को निरुत्साहित करने का प्रावधान है जो निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करते। प्रदूषकों को बढ़े हुए दर पर उपकर देना होगा। इसलिए वैसे औद्योगिक एकक जो प्रसंस्करण के जाल का उपयोग करते हैं और जहां प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ प्राणियों के लिए हानिकारक (बायो-डिग्रेडेबल) नहीं हैं और विषैली है, तो वर्तमान दर 2.5 पैसे से बढ़ाकर 9.5 पैसे प्रति किलो लीटर होगी। हम विशेषकर विषैले पदार्थों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के बारे में चिंतित हैं जो प्राणि के लिये हानिकारक ही नहीं है बल्कि कैंसरजनक भी हैं।

इस विधेयक में देर से भुगतान करने पर ब्याज के दर में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष से 2 प्रतिशत प्रतिमाह करने की भी बात कही गई है, यह आयकर अधिनियम के अनुरूप ही किया गया है। यह विधेयक उपकर वसूल करने वाले अधिकारियों एवं प्राधिकारियों को उपकर की राशि का निर्धारण करने की भी शक्ति दी गई है जहां विवरणियां दाखिल न किये जाने की स्थिति में उपकर की राशि के मूल्यांकन हेतु उपकर एकत्र किया जाना है।

इस विधेयक को केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति और मंत्रालयों के विभागों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद तैयार किया गया।

मैं आपके बहुमूल्य विचारों का स्वागत करता हूं और इस उपाय के लिये आपके सहयोग का निवेदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"मैं प्रस्ताव करता हूं (जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री जसवंत सिंह बोलें।

श्री कमल नाथ : वह धौलपुर से हैं।

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : मैं समझता हूं कि मंत्री जी को कुछ गलत सूचना मिली है। उन्होने इसे कुछ इस तरह कहा है जिसके लिए वह बदनाम है। उन्होंने यह गलत कहा कि मैं धौलपुर से हूं। मैं धौलपुर से नहीं हूं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि उनसे बोलने में भूल हो गई है।

श्री जसवंत सिंह : यह एक तरह की असहमति है।...

सभापति महोदय : मुझे पूरा विश्वास है कि श्री जसवंत सिंह किस क्षेत्र के हैं इसकी जानकारी मंत्री जी को होगी।

श्री जसवंत सिंह : मुझे विश्वास है कि वे जानते हैं कि कांग्रेस में कुछ ऐसे युवा वर्ग हैं जो किसी के भी बात सहमत नहीं होने के लिये बदनाम हैं। निश्चय ही हमें खुशी नही हुई वह एक महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। सत्ता पक्ष में बैठकर मखौल उड़ाना एक मंत्री के लिये शोभनीय नहीं है। आप क्या कर रहे हैं यह स्पष्ट करेंगे ?

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : कृपया इसे हल्के-फुल्के ढंग से लें।

श्री जसवंत सिंह : मैं इसे हल्के-फुल्के ढंग में लेने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय : अब मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप अपना भाषण शुरू करें।

श्री जसवंत सिंह : यही एक तरीका है जिसमें हमें कठिनाई नहीं महसूस होती है। ऐसा करना आवश्यक क्यों हो गया, इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि इससे संसाधनों में वृद्धि होगी और संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि कार्य बढ़ गया है। यद्यपि उन्होंने यह सुझाव दिया है कि अतिरिक्त कोष की आवश्यकता है और अपशिष्ट पदार्थ नियंत्रण एवं उसके फिर से उपयोग करने के संबंध में भी उल्लेख किया गया है।

संसद् को उद्देश्य और कारणों का वक्तव्य पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है और परिचालित किया गया है। यह 1977 के विधेयक के क्रम में ही है जिसे संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति के लिए लागू किया गया था।

महोदय, संसाधनों को बढ़ाने के लिए जो सुझाव और तरीके सरकार द्वारा बताए गए हैं वे

असंगत हैं या अपवादस्वरूप हैं क्योंकि जल शुल्क पर अतिरिक्त उपकर लगाया गया है— मैं इसके आंकड़ों को नहीं बता रहा हूं—साथ ही विलम्बित भुगतान पर अतिरिक्त ब्याज लगाया गया है। और उपकर में छूट को कम कर दिया गया है···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इस विधेयक को गणपूर्ति के बिना ही पारित कर दिया जाएगा ?

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घंटी बजाई जाए। अब गणपूर्ति हो गई है। सज्जनों, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए जो समय निर्धारित किया है वह दो घंटे है और वह दलों के आधार पर विभाजित है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे निर्धारित समय के अंदर ही चर्चा करें। धन्यवाद।

अब श्री जसवन्त सिंह अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह महोदय, मैं शुरू में ही यह कह रहा था कि यह विधेयक केवल अतिरिक्त उपकर को बढ़ाने और रियायतों को कम करने इत्यादि के लिए है। उद्देश्य और कारणों में जो बातें कही गई हैं और जो बातें माननीय मंत्री ने कही हैं वह वास्तव में सवालिया है। उद्देश्य और कारणों के वक्तव्य में और मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि औद्योगीकरण की वृद्धि, जनसंख्या मे वृद्धि और शहरों का विकास हुआ है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि औद्योगीकरण बढ़ा है। शहरी क्षेत्र में वृद्धि हुई है और जनसंख्या मे भी वृद्धि हुई है लेकिन वास्तव मे इस मुद्दे पर प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता हैं। हम 14-15 वर्ष पुराने बनाए गए कानून की चर्चा कर रहे हैं। जो कानून पहले से ही बने थे और ऐसी गतिविधियों और शहरों में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए थे। यदि वह कानून संतोषजनक तरीके से कार्य करता और यदि इस विधेयक के उद्देश्य को ऐसी समितियों के गठन से संतोषजनक तरीके से लगातार पूरा किया जाता तो वे औद्योगीकरण के वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या की वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप जो दबाव सीवेज बोर्डों आदि पर है उसके साथ भी तालमेल रख सकते थे। मेरा यह कहना है कि यह कार्य नहीं किया गया और इसे नहीं करने का मूल कारण एक ही है।

इसके बाद, मैं पूरी कार्य नीति की चर्चा करूंगा जो आजकल पर्यावरण मंत्रालय में चल रही है। मैं यह स्वीकार करता हू कि औद्योगीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण मंत्रालय के कार्य में वृद्धि हुई है। कार्य बढ़ गया है परन्तु उसके अनुरूप जो परिवर्तन या बदलाव या कार्य नीति में जो प्रगति होनी चाहिए वह नहीं हुई है। इसलिए कार्य नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है और कार्य में वृद्धि हो गई है। यदि सरकार केवल इतना ही कहती है कि उसे अधिक राशि की आवश्यकता है क्योंकि काम अधिक है लेकिन वे अपनी कार्य नीति और कार्य शैली में परिवर्तन लाने नहीं जा रहे हैं फिर भी यदि उन्हें अधिक धन दे दिया जाएगा तो समस्या का हल हो जाएगा तो यह कोई मान्य तर्क नहीं होगा। बल्कि एक ओर यह बहुत ही कमजोर और दोषपूर्ण तर्क होगा। प्रदूषण फैला है और मैं यह समझता हूं कि वास्तव में मंत्रालय जानबूझकर प्रदूषण को कम करने या प्रदूषण से मुक्त होने का बहाना करता है।

अपशिष्ट पदार्थों के नियन्त्रण और उसके पुन: उपयोग के बारे मे मैं सरकार से जानकारी

प्राप्त करना चाहता हूं। देश के कुछ शहरों, कस्बों और औद्योगिक क्षेत्रों की मुझे जानकारी है। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी शहर के बारे में सरकार यह दावा के साथ कहे कि उसकी सफलता का यह उज्ज्वल उदाहरण है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक भी ऐसा उदाहरण दें।

यहां तक कि कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र में भी, जो कभी क्षेत्र की स्वच्छता और सफाई, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आवासीय परिस्थितियां और जीवन स्तर के लिए प्रायः जाना जाता था, अब वह स्थिति नहीं रही। यदि ऐसी ही बात है तो मैं सरकार से अवश्य जानना चाहूंगा कि उसकी उपलब्धि क्या है। वे अपने बेहतरीन कार्य का एक भी उदाहरण देने दें और वे कहें : इस अच्छे कार्य को देखते हुए हम चाहते हैं कि इस सुन्दर उदाहरण को पूरे देश में दुहराना है और इसके लिए ही हमें अधिक धन की आवश्यकता है क्योंकि कार्य अधिक हो गया है। उन्हें मात्र एक उदाहरण देने को कहें। भारत के शहरों, कस्बों और गांवों की वास्तविकता क्या है? जहां तक पेयजल का सम्बन्ध है, मुझे खुशी होगी यदि मेरी बात को गलत प्रमाणित कर दिया जाए कि इस देश में एक भी शहर ऐसा नहीं है जहां निश्चित रूप से 24 घंटे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही हो। पूरे देश में एक भी ऐसा शहर नहीं है।

सभापति महोदय : लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह मामला राज्य का होगा। क्या ऐसा नहीं है?

श्री जसवन्त सिंह : मैं इन मामलों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि पूरी समस्या यह है कि यदि पर्यावरण मंत्रालय यह कहे कि उक्त कार्य को करने के लिए उसे अधिक धन की आवश्यकता है तो निश्चय ही इन 44-45 वर्षों में हमें कुछ उपलब्धि हो सकती थी। पेयजल पर उपकर लगाया गया है। विधेयक के उद्देश्य में कहा गया है यह उपकर पेयजल पर है।

हमारे देश में हजारों गांव ऐसे हैं जहां पेयजल का अभाव है। वहां पर पेयजल आपूर्ति का जो निश्चित माध्यम है वह उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री को ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता और न मैं ऐसा कोई स्वांग ही रच रहा हूं। मुझे विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली है कि वह पर्यावरण, पारिस्थितिकी, प्रदूषण आदि के बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं। यदि वह अपने ज्ञान का कुछ अंश इस सभा को दें तो हम उससे लाभान्वित होंगे।

इस पूरे मामले पर एक बात यह है कि हम अभी इस विधेयक पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं और अपने उत्तरदायित्व के बारे में मंत्रालय के दृष्टिकोण और कार्यकरण के बारे में भी एक बात कहनी है। मेरा यह मानना है कि जिस तरह अस्सी का दशक सम्पूर्ण मानव हित का दशक था और पुनः पूरे विश्व में परमाणु हथियारों के विनाश से जहां इस महान जीवन के साथ जीवन और मृत्यु का प्रश्न है मैं यह मानता हूं कि नब्बे के दशक में पूरे विश्व में जो महत्वपूर्ण मुद्दा हो वह यह कि दुनिया की स्थिति क्या होगी। इस धरती पर रहने वाले लोगों के जीवन का स्तर क्या होगा और इस दशक का महत्वपूर्ण मुद्दा होगा···

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि मैंने आपको बीच में टोका है। लेकिन हम इस विधेयक के क्षेत्र को नहीं बढ़ा रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह : मैं जानबूझकर इसके क्षेत्र को बढ़ा रहा हूं क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय ने बहुत सीमित क्षेत्र सामने रखा है जिसका हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसके माध्यम से माननीय मन्त्री जी के और सभा के विचार को जानने का अवसर प्राप्त किया है। और यदि ऐसा होने जा रहा है जो नब्बे के दशक का महत्वपूर्ण मुद्दा होगा तो महोदय, मेरा यह कहना है कि पर्यावरण मन्त्रालय को जैसा कि आज हम उसे देख रहे हैं और जिस तरह आज वह कार्य कर रहा है उसे अपने उत्तरदायित्वों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। महोदय, पर्यावरण मन्त्रालय के प्रति जो हमारा नजरिया है वह यह कि यह मन्त्रालय कोई हुक्म चलाने वाला नहीं है, यह पूरे देश में अपना आदेश नहीं चला सकता और न यह कोई ऐसा आदेश देने वाला निकाय है जो अपना निर्णय संघ के राज्यों पर लागू करवाए। इतने रूखे तौर पर अपने विचार रखने के लिए मुझे क्षमा करें क्योंकि हम उदारीकरण के दौर में जबकि रास्ते खोले जा रहे हैं तथा नियमों को उदार बनाया जा रहा है तो पर्यावरण मन्त्रालय ही सबसे बड़ा अड़चन बन गया है। जबकि हम नियमों को उदार बना रहे हैं और कार्य सरल करने के लिए नौकरशाही के अड़चनों को दूर कर रहे हैं, वन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जीवन स्तर के प्रति लोगों में सजगता ला रहे हैं तो यह किसी आदेश देने वाले या अवरोध पैदा करने वाले के तौर पर नहीं कर रहे हैं। महोदय, मैं आपकी चिंता से सहमत हूं कि अब यह खुलेआम कहा जा रहा है कि पर्यावरण मन्त्रालय चाहे वह यहां हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में जब यह अपना कार्य एकमात्र विनियमित करने का अधिकार प्राप्त अभिकरण है इसलिए तो यह पर्यावरण के संरक्षण के अतिरिक्त जो भी कार्य करती है तो यह उस विनियमन के अधिकार का दुरुपयोग करती है। जो माहौल देश में है यदि आप किसी प्राधिकृत अभिकरण को 'नहीं' कहने या मना करने की शक्ति देते हैं तो आप उस प्राधिकृत अभिकरण को 'मना करने' की शक्ति का दुरुपयोग करने का अवसर देते हैं।

मैं इस समय इस मुद्दे पर अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा किन्तु सामान्यत: यह कहा जा रहा है कि यदि नवें दशक का मुख्य मुद्दा पर्यावरण है तो, यह उचित तरीका नहीं है कि भारत सरकार, पर्यावरण मन्त्रालय एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए अपना कार्य करने के लिए कह सकती है।

यह एक नियंत्रक संस्था तो है ही, इसके साथ ही यह एक सलाहकार संस्था भी है। अगर कोई संस्था अपने कार्य को संतोषजनक ढंग से नहीं कर पा रही तो मंत्रालय को अपनी विशेषज्ञता से उसे सलाह देनी चाहिए और कहना होगा, "आपको 4 या 5 या 3 अतिरिक्त काम करने चाहिए और यदि आप यह काम पहले से ही कर रहे हैं तो इन्हें करते रहिए।" मंत्रालय आज जिस तरीके से कार्य कर रहा है वह पर्यावरण के प्रति सजगता में भी बाधक है क्योंकि यह इसके विपरीत कार्य कर रहा है।

महोदय, अब मैं पुन: विधेयक पर आता हूं। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि इस विधेयक के उद्देश्य सीमित हैं, उद्देश्य समझे जा सकते हैं। अपनी आपत्तियों और समस्याओं को मैं कह चुका हूं और इस पर स्पष्टीकरण मांगे हैं। इसके बावजूद मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : सभापति महोदय, मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 1991 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, ऐसे विधेयक पर बोलते हुए, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है, कोई अपने को इसके दंडात्मक एवं पुरस्कारात्मक प्रावधानों तक ही सीमित नहीं रख सकता।

महोदय, विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण द्रुत गति से बढ़ते हुए शहरीकरण एवं औद्योगीकरण पर उचित बल देता है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्डों की जिम्मेदारी एवं कार्यभार बढ़ गया है और इसके साथ ही इन बोर्डों को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा। जब तक इन बोर्डों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक वे भलीभांति कार्य नहीं कर पाएंगे। तथापि हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि उपकर से जो राशि प्राप्त होगी उससे लागत का अत्यन्त कम भाग ही पूरा होगा और सिर्फ उपकर लगाने से ही प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो जाएगा। इन प्रदूषण नियंत्रक बोर्डों को अधिक अधिकार देने होंगे। उपकर देने वाले उद्योगों को सूचीबद्ध करने के अतिरिक्त, इसे अधिक यथार्थवादी और संशोधित बनाने की आवश्यकता है। 1977 के अधिनियम में केवल 15 उद्योगों का नाम सूचीबद्ध किया गया है, जिन पर उपकर लगाया जा सकता है। आज के इस प्रौद्योगिकी युग में, जबकि उद्योगों द्वारा लगभग सभी नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। हमने देखा है कि, आंध्र प्रदेश रेयान लिमिटेड जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक) उपकर अधिनियम, 1977 की अनुसूची के अनुसार जिसे उद्योग भी नहीं माना जाता, उसके खिलाफ आंध्र प्रदेश राज्य बोर्ड की ओर से जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए काफी लम्बी कानूनी प्रक्रिया की गई, इस सबके बावजूद वह बेदाग बच निकला।

दूसरे, हमें ध्यान रखना चाहिए कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद प्रदूषण मुक्त जल के मुद्दे का काफी प्रचार हुआ। यह अब सिद्ध हो चुका है कि देश के सर्वोच्च निकाय का मत है कि एक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता उसे मिलने वाले जल एवं वायु की गुणवत्ता पर निर्भर है। यह निर्णय संविधान के इक्कीसवें अनुच्छेद, जीने के मूलभूत अधिकार को अधिक सारगर्भित बनाता है। अब से जीवन का पूरा आनन्द उठाने के लिए प्रदूषण मुक्त जल या वायु पाने के अधिकार से जीने के अधिकार का निर्धारण होगा। स्वभावतः, इस सन्दर्भ में, केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को बड़ी चुनौतियां स्वीकारनी चाहिए। इन चुनौतियों को स्वीकार करने में सिर्फ धन ही पर्याप्त नहीं है। जब तक कि इन बोर्डों का नियंत्रण वचनबद्ध लोगों को नहीं सौंपा जाता तब तक ऐसी जिम्मेदारियों से अर्थपूर्ण ढंग से निभाया नहीं जा सकता। अतः बोर्ड में उचित व्यक्तियों को रखने का प्रश्न उत्पन्न होता है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य से उत्पन्न विशाल समस्या को हमें भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि भारत के नगरों में 80 प्रतिशत जल आपूर्ति घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में जल निकासी व्यवस्था में चली जाती है। लाखों लीटर गन्दा पानी बिना उचित रूप से साफ हुए, नालों इत्यादि में वापस चला जाता है। इसके परिणामस्वरूप, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन में कहा गया है, विश्व की 80% जल के कारण होने वाले रोग गंदे पानी से फैलते है और वास्तव में पानी में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि यदि विश्व के सारे

पानी को एक गैलन के रूप में देखें तो उसमें पेयजल की मात्रा सिर्फ दो लीटर होगी। फिर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, भूजल का सिर्फ 70 प्रतिशत मानव उपभोग के योग्य है। हालांकि औद्योगिक प्रदूषण कुल नदी प्रदूषण का औसतन 10 से 15 प्रतिशत ही है, फिर भी यह काफी घातक है क्योंकि नदी में जहरीले तत्व फेंके जाते हैं। इनमें से कितने उद्योग नदी में अपशिष्ट छोड़ने से पूर्व उन्हें साफ करते हैं? और कितने ऐसे मामले पकड़े जाते हैं और इन बोर्डों द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाती है? ऐसा नहीं है कि ऐसे अपराधों के लिए कोई दंड नहीं है; नदी या कुएं या किसी सार्वजनिक जल स्रोत को प्रदूषित करने पर छः वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है। जिन मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार इसके द्वारा दिया गया है, उन मामलों में कोई अन्य दीवानी अदालत कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकती। यह प्रावधान इसमें है। तथापि, कितने बोर्डों ने निवारक दंड देने के लिए इन दंडात्मक कानूनों का सहारा लिया है। यह बोर्ड की अपने उद्देश्य के प्रति वचनबद्धता का प्रश्न है न कि इसे धन देने का। मैंने माननीय मंत्री के समक्ष यह टिप्पणी भी की कि यह सिर्फ धन देने का प्रश्न नहीं है। इसके प्रति वचनबद्धता की आवश्यकता है। हमें बोर्ड में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो इस खतरे से लड़ाई लड़ने के लिए इस उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध हों। सिर्फ ऐसे लोगों को इस बोर्ड में रखा जाना चाहिए।

यह टिप्पणी करते हुए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में यह उचित समय पर लाया गया एक उचित विधेयक है। मेरे मित्र, श्री जसवन्त सिंह ने कहा है कि इस विधेयक को काफी पहले लाया जाना चाहिए था। किन्तु, प्रश्न यह है, हम यह देख चुके हैं कि समय के साथ प्रदूषकों की प्रतिशतता, नदी में फेंके जा रहे अपशिष्टों की प्रतिशतता किस प्रकार बढ़ चुकी है। अब इस समस्या से निपटने का समय आ गया है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री उचित उपाय करेंगे। इसके साथ ही, बोर्डों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना होगा और इसके लिए उपकर का संग्रहण एक तरीका है।

मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक प्रभावी होगा।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक का समर्थन करने के साथ मैं इस विधेयक के प्रावधानों के संबंध में कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा।

उद्देश्य तथा कारण बताने वाले विवरण में यह कहा गया है कि प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों का उत्तरदायित्व एवं कार्यभार काफी बढ़ गया है। इसलिए उपकर की मात्रा बढ़ानी होगी। महोदय, इस सम्बन्ध में सरकार के इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं। केन्द्र या राज्य स्तर पर बोर्ड के प्रशासनिक खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है और इसलिए वे उपकर की राशि बढ़ाना चाहते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त उद्योगों पर अतिरिक्त उपकर लगाना चाहते हैं। यह कदम स्वागतयोग्य नहीं है। मैं कहूंगा कि, यदि यही विचारधारा रही तो भविष्य में इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। नई औद्योगिक इकाइयां लगाई जा रही हैं। मैं यह मानता हूं कि यदि 1977 के मूल अधिनियम में निर्धारित दरों के अनुसार राशि इकट्ठी की जाती है तो भी सरकार इन प्रदूषण नियंत्रक बोर्डों के प्रशासनिक खर्चों की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ होगी। सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह प्रशासनिक खर्च को पूरा करे और सरकार को लोगों पर उपकर लगाने और नया कानून लाकर इसे बढ़ाने के उपाय नहीं करने चाहिए।

मैं यहां यह भी उल्लेख करूंगा कि बोर्ड का दायित्व और कार्यभार भविष्य में और बढ़ेगा और मुझे आशा है कि सरकार निकट भविष्य में प्रशासनिक खर्च के नाम पर लोगों पर और अधिक उपकर नहीं लगाएगी।

इस विधेयक में, घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले पानी पर भी उपकर की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार ने घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले पानी की दर एक पैसा प्रति किलो लीटर से बढ़ाकर 2 पैसे प्रति किलो लीटर करने का प्रस्ताव क्यों किया है? अगर यह राशि सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में ही बढ़ाई गई होती, तो कोई इसे भली-भांति समझ सकता था क्योंकि औद्योगिक उपक्रम इस उपकर को पूरा करने में समर्थ होते। किन्तु 'घरेलू खपत' को विधेयक में उपकर की बढ़ोतरी से अलग रखना चाहिए और इस अवसर पर मैं मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे उस संगत संशोधन को हटा दें ताकि घरेलू खपत के लिए पूर्व निर्धारित एक पैसा किलो लीटर ही लिया जाए।

माननीय मंत्री से मैं एक और बात जानना चाहूंगा कि केन्द्र और राज्य स्तर पर इन प्रदूषण नियंत्रक बोर्डों ने दोषी कम्पनियों और उनके प्रबंधकों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं या कार्यवाही की है। केन्द्र और राज्य का कार्य सिर्फ उपकर एकत्र करना और प्रशासनिक खर्च को पूरा करना नहीं है। केन्द्र तथा राज्यों में विधान के अंतर्गत जो प्रावधान हैं, उन्हें पूरा करना भी उनकी जिम्मेदारी है। इस प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अस्तित्व को न्यायोचित ठहराने वाले या इसके कार्यकरण को जनता के संतोषानुसार उचित ठहराने वाली कोई बात मुझे नहीं मिली। अब लोग प्रदूषण के खतरे से भली-भांति परिचित हैं। वे पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण सभी प्रकार के प्रदूषणों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। इसलिए, सरकार को इस बोर्ड को और अधिक अधिकार देने के लिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए और जैसा कि अभी मेरे मित्र ने सही कहा है। इस प्रदूषण बोर्ड को प्रभावी संस्था बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

यहां मैं एक और अन्य सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार को लोगों से उपकर एकत्र करने की अपेक्षा, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब भी एक औद्योगिक परियोजना तैयार की जाए, तो उस उद्यम की परियोजना लागत में संयंत्र के शोधन की लागत भी शामिल हो। तब सरकार को राशि एकत्र करने के लिए प्रबंध करने की या प्रशासनिक खर्च पूरे करने के लिए उपकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यह शर्त होनी चाहिए कि जब भी किसी औद्योगिक परियोजना को प्रदूषण संबंधी अनुमति दी जाए तो उसके साथ यह शर्त भी लगा देनी चाहिए कि उस उद्योग के शोधन संयंत्र की लागत भी उस उद्योग की परियोजना लागत में शामिल की जानी चाहिए।

मैं इस अवसर पर मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे प्रदूषण, जो विशेषकर दिल्ली व

आगरा जैसे शहरों में एक खतरा बन गया है, को समाप्त किया जाए। मथुरा के आस-पास तथा अन्य स्थानों पर कई उद्योग लगाए जा रहे हैं। इससे सिर्फ लोगों को ही नुकसान नहीं होगा बल्कि ताजमहल जैसे स्मारकों को, जो विश्व का एक आश्चर्य है, के लिए भी खतरनाक है। समाचार पत्रों में एक बहुत ही घबराहट पैदा करने वाला समाचार आया था कि प्रदूषण से ताजमहल के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो सकता है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इस ऐतिहासिक स्मारक के अस्तित्व को प्रदूषण से बचाए।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे 'घरेलू उपभोग पर उपकर वृद्धि' को समाप्त कर दें।

डा० रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : सभापति महोदय, इस समय सदन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रहा है।

इस विधेयक का मूल उद्देश्य केन्द्र तथा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए उपकर में वृद्धि करके अधिक राशि जुटाना है।

यह हम सब जानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। जल जो कि जीवन है, वही मौत का कारण बन जाता है। हम यह अच्छी तरह जानते हैं। परन्तु आज हर वस्तु प्रदूषित हो रही है। शहरीकरण तथा औद्योगीकरण की बढ़ती हुई गति के साथ सारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हमारे विश्व के वृहत् भागों का आधार जल है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जल जीवन का मुख्य स्रोत है। अगर जल दूषित अथवा प्रदूषित हो जाता है तो केवल मानव जीवन का अस्तित्व ही नहीं अपितु अन्य प्राणियों तथा पौधों का जीवन भी मुश्किल में पड़ जायेगा। कई बार जल प्रदूषण के कारण मानव जीवन को खतरा हो जाता है तथा अन्य प्राणियों और पौधों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है।

1974 में एक विधेयक पास किया गया था। उसमें 'जल प्रदूषण' को परिभाषित किया गया था। उस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदूषण का अर्थ था जल को दूषित करना, मल और औद्योगिक अपशिष्टों अथवा अन्य पदार्थों को जल में मिलाना जो कि खतरनाक सिद्ध हो सकते हों अथवा उस जल को जन स्वास्थ्य, सुरक्षा, अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य अथवा जीवन, पौधों अथवा जल प्राणियों के लिए घातक बनाते हों। परन्तु आज केवल मानव जीवन ही नहीं बल्कि प्राणी तथा वनस्पति जीवन खतरे में है। समाज में विकास के साथ शहरीकरण तथा औद्योगीकरण आवश्यक हो गया है। परन्तु शहरीकरण और औद्योगीकरण के प्रभावों के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। औद्योगीकरण सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। औद्योगीकरण ऐसे सुनियोजित ढंग से लिया जाना चाहिए कि पर्यावरण प्रदूषित न हो तथा इससे जीवन के अस्तित्व को कोई खतरा न हो। परन्तु हम यह देखते हैं कि कई बार बड़े-बड़े उद्योगपति देश में लागू नियमों और अधिनियमों की परवाह नहीं करते। इन विधेयकों के माध्यम से लागू किए गए बचाव और सुरक्षा उपायों की वे परवाह नहीं करते। इसके परिणामस्वरूप कई बार जल प्रदूषित हो जाता है तथा जन-जीवन और सामाजिक जीवन को खतरनाक परिणामों का सामना करना पड़ता है। इस विधेयक का उद्देश्य शुल्क वृद्धि का प्रावधान करना है। मैं मंत्री महोदय को तथा उनके माध्यम से

सरकार को ऐसा प्रावधान करने का सुझाव देता हूं । देश में केन्द्रीय तथा प्रदूषण निमन्त्रण बोर्ड कार्य कर रहे हैं । परन्तु हम इन बोर्डों की कार्य प्रणाली से वाकिफ नहीं । कई बार जन सामान्य को भयंकर खतरों का सामना करना पड़ता है परन्तु किसी को भी दण्ड नहीं मिलता यद्यपि इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है । कूओं अथवा नदियों में प्रदूषण पैदा करने वाले पदार्थों के छोड़ने के लिए 6 साल तक की जेल तथा जुर्माना हो सकता है ।

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घण्टी बजाई जाये ।

अब गणपूर्ति है । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि पिछले चालीस मिनट में दूसरी बार गणपूर्ति के लिए घण्टी बजानी पड़ रही है । इसलिए मैं सभी दलों के सचेतकों से निवेदन करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि सदन का समय गणपूर्ति के लिए नष्ट न हो । धन्यवाद ।

डा० रामचन्द्र डोम : महोदय, दिन-प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है । सारे विश्व के लिए जल जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है । अगर जल दूषित अथवा प्रदूषित होता है तो जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा तथा जिसके परिणामस्वरूप सभ्यता के विकास की प्रक्रिया को खतरा उत्पन्न हो जायेगा । औद्योगीकरण की आवश्यकता है परन्तु अगर औद्योगीकरण का मानव जीवन को मूल्य चुकाना पड़े तो इस पर नियंत्रण करना आवश्यक होगा, निश्चित रूप से औद्योगिकरण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जीवन को दयनीय बनाने के लिए नहीं है । परन्तु वे विवेकहीन लोग तथा उद्योगपति जो कि सभ्यता, जीवन की परवाह नहीं करते वही ऐसे प्रदूषण पैदा करने वाली प्रणाली को अपनाते हैं । इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाली कोई भी सरकार इसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी । और आज यह विधेयक हमारे समक्ष है । केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्य करते हैं परन्तु सामान्यतया यह बोर्ड आशा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हैं । इसलिए औद्योगीकरण का दुष्परिणाम प्रदूषण हमारे सामने नहीं आ पाता है । परन्तु जब कोई बड़ी औद्योगिक दुर्घटना होती है तो इससे सारी सभ्यता, सारा समाज, जन स्वास्थ्य तथा प्रत्येक वस्तु प्रभावित होती है । इसलिए मेरा सरकार को यह सुझाव है कि इस सम्बन्ध में भी कोई संशोधन किया जाना चाहिए ताकि कोई भी विवेकहीन उद्योगपति अथवा कोई अधिकारी ऐसे लोगों से सांठ-गांठ करके बच न जाये ।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं । 'हरित क्रांति' के लाभों के परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि हम आजकल बहुत से रसायनों तथा कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं । परन्तु इनका प्रयोग बिना सोचे समझे तथा बिना किसी विशेषज्ञ से सलाह-मशविरा किए किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप उत्पादन तो अधिक होता है, परन्तु हम पर्यावरण सम्बन्धी प्रदूषण की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं । कई बार, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि रसायनों, खादों तथा कीटनाशकों के कारण जल प्रदूषण होता है । कई बार ये प्रदूषण तत्व जल के साथ मिल जाते हैं तथा यही जल नदियों, नहरों तथा तालाबों में आकर मिल जाता है तथा ग्रामीण लोग जो इस

जल का प्रयोग करते हैं कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं विशेषकर आंत्रशोथ के। कई बार यह जन स्वास्थ्य के लिए समस्यायें उत्पन्न करता है। इस संबंध में भी सरकार को उपाय करने चाहिए तथा कोई कानून पारित करना चाहिए ताकि यह विवेकहीन प्रक्रिया रोकी जा सके तथा जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके।

मेरा यह सुझाव है कि केन्द्रीय तथा राज्य नियंत्रण बोर्डों के कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए उपकर में अधिक वृद्धि आवश्यक है तथा इसके साथ सरकार को बढ़ रहे प्रदूषण की ओर भी ध्यान देना होगा ताकि यह नियंत्रण बोर्ड जन स्वास्थ्य के सामने आने वाली समस्याओं से निपट सके।

इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : महोदय, मैं आरम्भ शुरू में ही माननीय मंत्री महोदय को इस जागरूकता देने संबंधी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहूंगा क्योंकि हम पर्यावरणीय परिस्थितियों से अवगत नहीं हैं, हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि वातावरण कैसे प्रदूषित हो रहा है।

जब नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया तो सारा विश्व स्तब्ध रह गया था। उसके बाद जापान में जो बच्चे पैदा हुए वे या तो अन्धे थे या अशक्त थे या अपंग थे या विकलांग थे। यहां तक कि जब खाड़ी का युद्ध भी हुआ तो विश्व के पर्यावरणविद बहुत घबराये हुए थे कि विश्व को प्रदूषण के कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि उस समय समस्त हिमालय शृंखला, सारी ग्लेशियर, काली राख से भर गयी थी।

मेरे मित्र ने सभा में कहा है कि वातावरण प्रदूषित हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है और इसी तरह की बातें कही हैं। विश्व में एक विश्व व्यवस्था है न कि अव्यवस्था। लेकिन हम विश्व को अव्यवस्थित बना रहे हैं। जीवन क्या है ? हमने इस जीवन शैली में स्वयं को भुला दिया है। अर्थात हम ठीक ढंग से नहीं रह रहे हैं। हमने इस जीवन शैली में स्वयं को भुला दिया से अर्थ है कि हम प्रदूषित शहरों, प्रदूषित वातावरण, प्रदूषित जल में, पूरी तरह से प्रदूषण में रह रहे हैं। लेकिन हम फिर भी स्वयं को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखे हुए हैं।

एक बार चीन में 'हीरोन' जैसी चिड़िया की जाति कीटनाशकों के प्रयोग के कारण पूरी तरह से खत्म हो गयी थी। फिर विश्व पर्यावरणविदों को यह यह पता लगाने के लिए आमंत्रित किया गया कि विश्व की इस दुर्लभ प्रजाति को कैसे बचाया जाय।

लेकिन यहां विधेयक का उद्देश्य इस तरह का नहीं है। इससे तो केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधन में वृद्धि करने की कोशिश की गयी है। मुझे यहां यह बताया गया है कि इस तरह से लोगों, कम्पनियों, सरकार को इस संबंध में जानकारी दी जा रही है।

दूसरी बात यह है कि इससे संसाधन बढ़ाने की कोशिश की गयी है ताकि जल के प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रण करने के लिए कदम उठाये जा सकें। हमें अपने स्रोतों में वृद्धि करनी होगी

क्योंकि प्रतिदिन हमारी जरूरतों की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि हमारा बजट दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारा बजट तो बढ़ रहा है लेकिन हम पर्यावरण के लिए बजट बढ़ाने में झिझक रहे हैं जोकि हमारे जीवन के वास्ते बहुत आवश्यक है। यह तो सीधे ही मनुष्य के जीवन से जुड़ा है।

मेरे एक मित्र ने बताया कि मंत्री जी का दृष्टिकोण छोटा है और उनमें जिम्मेदारी की भावना बहुत कम है, लेकिन मेरा उनसे मतभेद है। मंत्री जी की इस संबंध में भावना या उनके मंत्रालय का दृष्टिकोण और जिम्मेदारी बहुत व्यापक है और यही जीवन के अनुकूल है। इसी वजह से यह विधेयक लाया गया है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और इस सभा के सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि इसका समर्थन करें क्योंकि मुझे बताया गया है कि इसका सीधे मानव जीवन से संबंध है।

माननीय सदस्यों ने कुछ उपाय सुझाये हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इन पर कुछ कार्यवाही करेंगे क्योंकि उनके उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं। इसी वजह से उपकर में वृद्धि की गयी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि घरेलू उपयोग में लाये जाने वाले पानी पर उपकर में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। यह वृद्धि तो मात्र पैसा की ही है। लेकिन इस प्रक्रिया में जिससे जल प्रदूषित हो जाता है और अपशिष्ट पदार्थ इसमे आसानी से घुल-मिल कर इसे जैविक रूप से विकृत कर देते हैं, तो यह वृद्धि 3.5 गुना है। अतः इस प्रक्रिया मे जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है और ये अपशिष्ट पदार्थ आसानी से जैव अवक्रमित नहीं होते हैं और जहरीले होते हैं तो यह वृद्धि तीन गुना है। मंत्री महोदय का यह दृष्टिकोण स्वागत योग्य है। अब मंत्री उन बड़े शहरों में भी कुछ उपाय कर सकते हैं जहां पर्यावरण प्रदूषित है। कलकत्ता का ही मामला लें, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है, यहां आप धूयें और धूल के सिवा सांस नहीं ले सकते हैं। कलकत्ता में इस धूयें और धूल से निजात पाने के लिए जल और वायु के प्रदूषण से बचने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। कोई वैज्ञानिक योजना बनायी जानी चाहिए। आप जानते हैं रूस के लोगों ने खाड़ी युद्ध के बाद प्रदूषण से बचने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। विश्व के दूसरे हिस्सों में भी पर्यावरणविद् और वैज्ञानिक सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि जल प्रदूषण (निवारक और नियंत्रण) बोर्ड में या तो राज्यों में या केन्द्र में कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यदि आप अधिक उपकर लगाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इस तरह के थोड़े उपकर से हमार लोगों को हानि नहीं होगी।

5.00 म० प०

यही कारण है कि मैं आपको इस तरह के विधेयक अर्थात् ऐसे विधेयक, जिसमें इस संदर्भ में जानकारी दी है, लाने के लिए बधाई दे रहा हूं। इसी वजह से मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से इस विधेयक को समर्थन देने का अनुरोध कर रहा हूं! माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि अधिकारियों के पास शक्ति दी जायेगी तो वे भ्रष्ट हो सकते हैं। पूरी शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार नियंत्रण करने के लिए कुछ

समय-समय पर और संतुलन होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार से बचा जा सके। माननीय सदस्य के मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अध्यक्ष पीठ को धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य देश भर में विभिन्न जो जल प्रदूषण मंडल हैं उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने से सेस बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सेस बढ़ाना तो सरल है लेकिन उन मंडलों की कार्यक्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से भी इस समय विचार किया जाना भी आवश्यक है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, औद्योगीकरण बढ़ता जा रहा है, इससे प्रदूषण की समस्या भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। विशेष करके उन क्षेत्रों में जहां पर रसायनिक उद्योग हैं, जहां पर रेयन उद्योग है, चमड़ा उद्योग है या जहां पर स्टार्च उद्योग है। उन उद्योगों में लगने वाला पानी और जो उपयोग के बाद बहने वाला पानी है, वह दूषित होता है, उन उद्योगों के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि उद्योग लगाने से पहले हम पूरी तरह से प्रदूषण का ध्यान रखेंगे, लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। जहां तक मुझे ज्ञात है विभिन्न उद्योगों के बारे में उन्होंने अपनी तरफ से इस प्रकार का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लिया है, प्रदूषण मंडलों से, फिर चाहे वह राज्य के हों या केन्द्र के हों, लेकिन बाद में चल करके उन्होंने उन नियमों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों के आस-पास जितने जल स्रोत हैं वह सारे प्रदूषित हो गए और कठिनाई यह हुई कि 15-15 किलोमीटर तक दूर अगर चले जाएं, तो भी अगर दो से तीन सौ फुट गहरे नलकूप से पानी निकाला जाए तो वह भी गन्दा पानी निकलता है।

मैं केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात नहीं करना चाहता, लेकिन जहां-जहां इस प्रकार के उद्योग हैं उनसे इस प्रकार का प्रदूषण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और स्थिति यह बन गई है कि उद्योगों के आस-पास नदी या जल स्रोतों के किनारे पर रहने वाले गांव वालों को छोड़ कर अन्यत्र अपने रहने का स्थान ढूंढ़ना पड़ रहा है। पशु मर रहे है, खेती के लिए जो उपजाऊ जमीन हैं वह समाप्त हो रही है। इसलिए इस बारे में बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मुझे जहां तक ज्ञात है कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनके ऊपर प्रदूषण निवारण मंडल से कार्यवाही भी की गई है, लेकिन वर्षों से संबंधित न्यायालयों में लम्बित हैं और उन पर अगर ठीक से कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उसके कारण वह अपने आप में स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र ही नहीं स्वच्छंद हो गए और स्वच्छंद हो करके इस प्रकार निरंतर जल को या जो अन्य जल स्रोत है उनको प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। हम अभी तक प्रदूषण में गंगा-यमुना की बात करते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में बहने वाली गंभीर चम्बल, क्षिप्रा और नर्मदा भी प्रदूषण से प्रभावित हैं। उज्जैन के निकट क्षिप्रा और नागदा के निकट चम्बल वहां जो रेयान कम्पनी है उससे जो जल निकलता है, 10-15 कि० मी० आगे तक जल प्रदूषित है, रतलाम में जहां सज्जन केमिकल्स, जयंत विटामिन्स हैं उनसे निकलने

वाला पानी आस-पास को जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है। मैंने स्वयं जाकर उन स्थानों का निरीक्षण किया है और साथ ही मैंने इस बारे में केन्द्र से भी निवेदन किया है और आपके मंत्रालय को इस बारे में लिखा है कि इस बारे में उपयुक्त कार्यवाही होनी चाहिए। जहां तक स्टार्च उद्योग का सम्बन्ध है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंदसौर में शिवना नदी और हमारे माननीय सदस्य फूलचंद वर्मा जी के निर्वाचन क्षेत्र, मकसी नामक जगह पर, दोनों जगह स्टार्च उद्योग हैं उनसे भी वहां के जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, इस कारण से पीने के पानी की कठिनाई हो गई है। इसलिए इस प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कोई उपर्युक्त कार्यवाही की जानी आवश्यक है। आप सेस बढ़ाने की बात करते हैं, नियमों में, कानूनों में कोई संशोधन की आवश्यकता हो वह भी करें इस प्रकार से प्रभावी मदद देनी हो तो निश्चित रूप से देनी चाहिए, जिससे कि नियंत्रण हो अन्यथा प्रदूषण इतना ज्यादा हो रहा है कि आस-पास के रहने वाले, खेती करने वाले किसान परेशान हैं और पीने का पानी भी उनको नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों रतलाम की कैमिकल फैक्टरी से पानी बह रहा था, मैं वहां गया था, इतना प्रदूषित पानी निकला कि पक्षी तक मर गये मोर भी वह पानी नहीं पी सका। 200 मोर मर गए। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आस-पास के पत्ते झड़ गए, जलती हुई आग की लपटें तक निकलीं। मुझे आश्चर्य होता है, प्रदूषण निवारण मण्डल कुछ करते है या नहीं? सेस आप बढ़ाइये किंतु कार्यक्षमता भी बढ़ानी होगी, उसे और साधन देने हों तो और दीजिए इस बारे में निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रदूषण रोका जा सके।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। किसी उद्योग को लगाने से पहले आप प्रदूषण के संबंध में प्रमाण-पत्र देते हैं, उसकी जांच-पड़ताल ठीक से होनी चाहिए। केवल कुछ अधिकारी लोग घूम आएं और देखकर कह दें कि ठीक है, सारी चीजों की, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली गयी है और उनको क्लीयरेंस सर्टीफिकेट मिल गया और उसके बाद उद्योग लगा दिया। बाद में चल कर वे उसका परिपालन नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्राथमिक सर्वे करने के बाद इस प्रकार का प्रमाण-पत्र या क्लीयरेंस देना मायने नहीं रखता, उसका कोई औचित्य नहीं है। इस दृष्टि से भी उस पर विचार किया जाना आवश्यक है। नियमों में कठोरता हो।

अभी माननीय सदस्य, जसवन्त सिंह जी ने जिस बारे में ध्यान दिलाया कि इसका मानवीय पहलू भी है क्या पीने का पानी उपलब्ध होगा या नहीं? वह पानी दूषित होता चला जा रहा है। नर्मदा जैसी नदी, गंभीर चम्बल, क्षिप्रा नदी और शिवना नदी प्रभावित होती चली गयीं तो पीने के पानी की उपलब्धता बनी रहेगी या नहीं, इस बारे में गंभीरता में विचार किया जाना आवश्यक है। और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में आप विचार करें और बोर्ड को सक्षम बनाएं और उनको प्रभावी शक्तियां दें। केवल कुछ अधिकारियों को शक्तियां देने से काम नहीं चलेगा, मण्डल अधिकारियों के पास शक्तियां रहें किंतु नियंत्रण हो ताकि अधिकारी मनमानी न कर सकें। उदारता उद्योगों के प्रति न बरतें, निश्चित दोषी व्यक्तियों के प्रति कठोर कदम उठाना आवश्यक है। यह आज की आवश्यकता है। प्रदूषण करने वालों के संबंध में जो कार्यवाही करते हैं उसकी समय सीमा तय की जानी चाहिए अन्यथा उसको नोटिस दिया, बाद में उन्होंने उत्तर दिया, बरसों तक

कार्यवाही चलती रहती है, उन पर असर नहीं होता। इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने चाहिएं, मैं इतना ही निवेदन करता हूं। तभी वर्तमान में हो रहे प्रदूषण को और संभावित प्रदूषण को रोका जा सकेगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर संशोधन अधिनियम, 1991 का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य प्रदूषण-रोधी बोर्ड के कार्यों को बेहतर बनाने के लिए धन जुटाने का है। यह विधेयक अविवादास्पद विधेयक है और इसे सभा के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। यह उन कुछ विधेयकों में से एक है जो एकमत से पारित किया जा रहा है।

हम प्रतिदिन बढ़ रहे प्रदूषण के खतरों के बारे में जानते हैं। प्रतिदिन वायु, जल और शोर का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और यह कहना गलत नहीं होगा कि न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता पर इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है जो विष के समान है।

5.10 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी, जो बहुत ही उत्साही हैं और प्रदूषण रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रहें हैं, से जानना चाहता हूं कि सरकार अथवा इन बोर्डों को इन स्रोतों से कितनी आय हो रही है और यह संशोधन होने के बाद इसमें कितनी वृद्धि होगी और क्या यह आवश्यक क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करेगा। मैं ऐसा नहीं समझता। सरकार को और धन देना पड़ेगा और उन्हें इन संगठनों को आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी।

श्री राजीव गांधी के शासन काल में गंगा सफाई योजना शुरू की गई थी। मेरे ख्याल से यह योजना धन की कमी के कारण अधूरी ही पड़ी है। हमने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण आदि के बारे में काफी चर्चा की है। हमें देखना चाहिए कि इस अनिवार्य क्षेत्र के लिए सभी स्रोतों से धन प्राप्त हो।

इस विधेयक में तीन प्रावधान हैं। इसका उद्देश्य उपकर की दरें बढ़ाकर इन स्रोतों को बढ़ाना है। यह अधिनियम 14 वर्ष पहले पारित किया गया था। इन 14 वर्षों में आर्थिक ढांचे में बहुत परिवर्तन हुए हैं। सभी क्षेत्रों में कीमतें बढ़ गई हैं और उद्योग चलाने के लिए उन्हें जल के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। महोदय, जो पहले 70% रियायत थी वह अब कम करके 25% की जा रही है।

तीसरे, लाभ न होने के कारण स्थानीय अधिकारियों को दिए जाने वाले उपकर की राशि निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त हैं।

अतः महोदय, सभी प्रावधानों का स्वागत है लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। स्रोतों के बढ़ाने संबंधी प्रस्तावित संशोधन पर्याप्त नहीं होंगे और यह इतने विशाल कार्य की छोटी-सी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाएगा। प्रदूषण को रोकना एक बहुत बड़ा कार्य है। जल

प्रदूषण तो और भी अधिक खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कुल जल का 80% भाग केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का प्रदूषित है। भारत के बारे में बात करते हुए यदि हम राजधानी दिल्ली की बात करें जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है; यहां प्रदूषण के बारे में अधिक चिंता की बात है। इस नदी का उपयोग मछली पकड़ने, सिंचाई करने, शवों को बहाने, जल-मल व्ययन तथा औद्योगिक अपशिष्ट फेंकने के लिए किया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक और रिपोर्ट के अनुसार इस नदी में 2000 मिलियन लीटर बेकार जल मुख्यत: दिल्ली और उसके आस-पास के लघु उद्योगों द्वारा डाला जाता है। महोदय, यह कितनी विकट स्थिति है? महोदय, लगभग 350 मिलियन गैलन गंदा पानी प्रतिदिन इस नदी में जमा होता है। इसमें से केवल 40 मिलियन गैलन को जल-मल व्ययन संयंत्र में साफ किया जाता है। यदि देश की राजधानी में यह स्थिति है तब देश के अन्य कस्बों और शहरों में क्या स्थिति होगी? मुझे यह देखकर दुख हुआ है कि गंगा में सफाई होने के बाद कानपुर में चमड़े के कारखानों से गंदा पानी गंगा में डालकर उसकी सफाई योजना को विफल कर दिया गया। इसके लिए जो आवश्यक था वह नहीं किया गया। जो कुछ किया गया वह गंगा में फिर से गंदा पानी डालकर बेकार किया जा रहा है।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या गंगा सफाई योजना एक समयबद्ध कार्यक्रम है? यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

आज देश में एक नदी या नाला नहीं है जो प्रदूषण रहित है। यहां तक कि हरियाणा और राजस्थान की सरकारें भी यह कह रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित बहुत से उद्योग गंदा पानी नदी में फेंकते हैं। अत: यह एक बहुत बड़ा कार्य है और इस दिशा में प्रयास करने चाहिएं, क्योंकि अंधेरे में आशा की किरण सदैव रहती है। भारत सरकार नई राष्ट्रीय नदी कार्य योजना शुरू करने का विचार कर रही है। इस योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं जो केन्द्र और राज्य सरकारें आधा-आधा खर्च वहन करेगी। पहले चरण में 13 नदियों को लिया जाएगा जिसे गंगा सफाई कार्य चरण-दो कहा जाएगा।

इस प्रकार हम देश के तकनीकी विकास अथवा समृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। औद्योगिक विकास के बिना हम समृद्ध नहीं हो सकते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि की काफी समस्या है। तीव्र औद्योगिकीकरण से विशाल जल स्रोतों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इन दोनों के बीच संतुलन की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब से यह उद्योग स्थापित किए गए हैं तब से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इन संयंत्रों का कार्य धुंआ रोकना भी है। इस प्रकार के संयंत्रों की आवश्यकता है लेकिन यह अत्यंत महंगा कार्य है। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र में भी उद्यमियों ने उन्हें नहीं अपनाया। किन्तु, अब यह जरूरी है। भविष्य में जो भी संयंत्र लगने जा रहे हैं, उनमें उसका होना आवश्यक है।

इसके साथ ही, वर्तमान सभी संयंत्र जिनमें ये उपकरण नहीं हैं, जिनमें ये परिशोधन संयंत्र नहीं हैं उन्हें चरणों में सुधारा जाएगा; और इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए; इस कार्य को अतिशीघ्र किया जाना चाहिए, इसके लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से राशि का प्रबंध करना चाहिए।

प्रायः सभी नगर पालिकाएं अपने अपशिष्ट पदार्थ उन जल स्रोतों में छोड़ती हैं जिनका प्रयोग जनता करती है।

अब एक अच्छा अधिनियम आया है और इसमें हम समय से कुछ संशोधन भी कर रहे हैं। किंतु यह पर्याप्त नहीं है। जैसा कि मैंने विभिन्न अवसरों पर कहा है। भारत एक ऐसा देश हैं जहां इन प्रगतिशील कानूनों की कमी नहीं है किन्तु उनके सही क्रियान्वयन की कमी है और इस मामले में भी, यही बात लागू होती है। अतः हमारे अधिनियमों में जो भी प्रावधान हों, जो कुछ भी हमारी वैधानिक पुस्तिका में है, उन्हें उचित रूप से तथा पूर्णतः एवं गम्भीरतापूर्वक लागू करना चाहिए।

प्रदूषण नियंत्रक बोर्डों के कार्यकलाप और कार्य निष्पादन के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि वह अच्छा नहीं है, कुछ राज्यों में तो वे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। ऐसे बोर्डों से जुड़े हुए कुछ सदस्य मुझ यह कहते हुए दुःख हो रहा है, इन सदस्यों में से कुछ का आचरण और निष्ठा भी संदेह से परे नहीं है।

विश्व की सबसे बड़ी बांध परियोजनाओं में से एक परियोजना हीराकुण्ड बांध परियोजना, जो भारत की अग्रतम बहु-नदी परियोजना है, का क्या हुआ? अन्य दो परियोजनाएं हैं—दामोदर घाटी परियोजना और भाखड़ा नगल बांध। विश्व का सबसे लम्बा बांध, जिस पर हमें गर्व है, वह हीराकुण्ड बांध परियोजना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सम्बलपुर उड़ीसा के पास स्थित है, उसमें दरारें पड़ गई हैं।

एक रिपोर्ट में संकेत किया गया है कि बजराजनगर की ओरियन्ट पेपर मिल्स द्वारा नदी में अपशिष्ट के रूप में छोड़े गए पारे के कारण यह दरार पड़ी है। किंतु बोर्ड इत्यादि ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैं यहां इस मामले को पहले भी उठा चुका हूं।

उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी का क्या हुआ? वह अब एक शोक नदी है। ढेंकानाल के माननीय सदस्य, श्री के० पी० सिंह देव, जो यहां हैं, वे भी मुझसे सहमत हैं कि उनका क्षेत्र भी इससे प्रभावित है। वहां स्थित सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के कई उद्योगों द्वारा ब्राह्मणी नदी में अपशिष्ट पदार्थ छोड़े जाते हैं जिससे वहां का जल मानव के उपयोग के योग्य नहीं रहता। किंतु ये बोर्ड इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते कि यह कैसे हो रहा है। मैं इन बोर्डों को और अधिक अधिकार देने के पक्ष में हूं। किंतु क्या वे उसका प्रयोग करने को तैयार हैं? उन्हें दोषियों को दण्ड देना चाहिए और कुशलता से कार्य करना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री से इन सब बातों पर नजर रखने का अनुरोध करता हूं। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि यह राज्य का विषय है और बोर्ड स्वायत्तशासी है। इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि सारी जनता चिंतित है और धीमे जहर का सामना कर रही है। इन चीजों को हमें सबसे पहले रोकना चाहिए।

चाहे जो भी व्यक्ति है, चाहे वह बड़ा उद्योगपति हो, प्रमुख उद्योगपति हो व चाहे वह प्रभावशाली उद्योगपति ही क्यों न हो, उसे प्रदूषण नियंत्रक विधेयक के शिकंजे से मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं पूर्णतः इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये उचित रूप से व पूर्णतः, पूरी गंभीरता से क्रियान्वित हों।

मैं जानना चाहता हूं कि इन संशोधन के बाद कितनी अरिरिक्त राशि आएगी क्योंकि इस विशाल कार्य की जरूरतें काफी बड़ी हैं। इसलिए, आवश्यक राशि का प्रबंध करना होगा। इस अनुरोध के साथ मैं पुनः तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

5.26 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

सातवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

5.27 म० प०

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : इस विधेयक का विरोध करना कठिन है लेकिन मेरे लिए इसका समर्थन करना भी कठिन है, क्योंकि मैं अपने मित्र युवा मन्त्री महोदय से इस मामले पर अधिक महत्व दिए जाने की आशा कर रहा था। जब भी किसी बहुउद्देश्यीय बांध अथवा परियोजना की बात उठाई जाती है तब पर्यावरण के नाम पर काफी शोर किया जाता है। टिहरी बांध परियोजना तथा नर्मदा परियोजना और अन्य परियोजनाओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब भी कोई आंदोलन होता है तब बहुत शोर मचाया जाता है जैसे हम अपने देश को 6000 वर्ष पीछे ले जा रहे हों जो कि संभव नहीं है। पेड़ों और वनों के संबंध में यह मंत्रालय सहायता कर सकता है। सभी नहरों, उप-नहरों तथा शाखा नहरों के दोनों किनारों और सड़कों तथा रेलवे लाइनों के दोनों ओर पेड़ लगाए जा सकते हैं। कुछ स्थानों पर ऐसा किया भी गया है। लेकिन यदि इसे अनिवार्य कर दिया जाए तो यह पूरे देश के लिए अच्छा होगा। उससे वायु शुद्ध होगी तथा काफी हद तक वायु का प्रदूषण भी रोका जा सकेगा।

जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा था कि पेड़ 'प्राणवायु' अर्थात् ऑक्सीजन देते हैं तथा अप्राणवायु अर्थात् कार्बनडाई आक्साइड लेते हैं जिसे हम श्वास द्वारा बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार जल के बारे में भी ऐसा ही है। औद्योगिकीकरण के पहले चरण में उद्योग नदियों के किनारे स्थापित किए गए थे ताकि उत्पाद को सस्ता तथा प्रतियोगी बनाया जा सके। इस प्रकार नदियां भी प्रदूषित हो गयीं और अब उनको प्रदूषण रहित बनाने के लिए हमें सुधारात्मक उपाय करने

हैं। यमुना और अन्य नदियों का जल उपयोग योग्य नहीं है। मेरा सुझाव है कि मंत्रालय इस मामले पर विचार करे और वहां भी उद्योग स्थित हैं और प्रदूषित जल निकालते हैं, वह जल नदियों और नालों में न डाला जाए बल्कि कुछ उप-नहरें तथा भूमि के नीचे नहरें बनाई जाएं ताकि वह पानी जमीन में समा जाए। यदि कुछ स्वच्छ पानी बाहर निकाला जा सके तो उतना अधिक प्रदूषण नहीं होगा जो हमारे लिए हानिकारक है। मैं चाहता हूं कि मन्त्रालय इस पहलू पर भी जांच करे।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि क्या हम अब तापीय अथवा कोयला ऊर्जा पर आधारित उद्योगों के स्थान पर जल विद्युत और सौर ऊर्जा पर आधारित उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हैं। इस समय आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाना है। जहां तक मंत्रालय का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव तैयार कर योजना आयोग को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जहां तक ऊर्जा स्रोतों का सम्बन्ध है, कोयले के भंडार समाप्त हो रहे हैं। यह भंडार जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। साथ ही उर्वरक उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग किया जा सकता है। उड़ीसा में तेलचर में ऐसा एक उद्योग कार्यरत है। कोयले के धुंए से वायु, जल और नदी प्रदूषित होते हैं। यदि हम तापीय और सौर ऊर्जा के स्रोतों पर ध्यान दें तब वायु और जल कम-से-कम प्रदूषित होंगे। हम औद्योगिकीकरण का विरोध नहीं कर सकते हैं। हमें कम प्रदूषण वाले बेहतर तरीके अपनाने होंगे।

मेरे अधिकांश मित्रों ने अपने भाषणों में कहा है कि उद्योगपति अपराधी हैं। यदि आप उद्योगपतियों पर कर लगाते हैं तब अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों पर कर लगेगा क्योंकि उद्योगपति उपभोक्ताओं पर इसका भार डालेंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष को उद्योग का स्वामित्व की अनुमति न दें। लेकिन देश को औद्योगिकीकरण की आवश्यकता है तथा अधिक उत्पादन और प्रतियोगिता के लिए उद्योगों को सहायता की आवश्यकता है। जब हम बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के लिए अपने बाजार खोल रहे हैं तब हमारे देश के उद्योगों को अपने औद्योगिक उत्पादन के लिए प्रतियोगी कीमतों की आवश्यकता हैं। इस पिछड़ी आर्थिक स्थिति में हम उद्योगपतियों पर अधिक से अधिक कर लगा सकते हैं।

इस प्रस्तावित विधेयक में जल उपकर यहां तक कि घरेलू खपत के लिए भी दो से तीन पैसे प्रति लीटर तक वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। क्या यह आवश्यक है ? इसके लिए आप कोई सीमा निर्धारित कर सकते हैं जिससे अधिक वृद्धि करने पर यह महंगी होगी। लेकिन जल के न्यूनतम उपयोग के लिए उपकर में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। साथ ही अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होना चाहिए कि कौन-सा उद्योग इसका उपयोग अथवा दुरुपयोग कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है अथवा नहीं। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि इन नियमों और निदेशों का पालन किया जाना है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इससे प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं होगा बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस पर नियंत्रण लगाना कठिन है। अत: अधिक वैज्ञानिक और बेहतर तरीके अपनाए जाने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि यदि मन्त्री महोदय यहां कही हुई बात को मानें तो वह घरेलू उपयोग के लिए जल उपकर में हुई वृद्धि को समाप्त कर सकते हैं। वह सीमा लगा सकते हैं ताकि उस सीमा के बाद यह न बढ़े।

अधिकारियों को शक्तियां देने से वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे जिनसे उपभोक्ताओं पर ही प्रभाव पड़ेगा। इससे उत्पाद महंगा हो जाएगा। उद्योगपति इसे अपनी जेब से नहीं देगा बल्कि उपभोक्ताओं पर भी इसका असर पड़ेगा। इस कारण इसका समर्थन करना अत्यन्त कठिन है। चूंकि यह एक प्रदूषण-विरोधी उपाय है अतः इसका विरोध करना भी मुश्किल है। लेकिन मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस चर्चा का उत्तर देते समय मेरे सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

श्री राम कापसे (ठाणे) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि शहरों का विकास और औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हवा और पानी के प्रदूषण के कारण जीवन बहुत दुःखद हो चला है। उसके लिए अधिनियम है। बोर्ड कार्य करते हैं परन्तु दिन-प्रतिदिन अप्रदूषित हवा और पेयजल प्राप्त करना लगभग असम्भव-सा हो गया है।

हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। लेकिन हम आश्वस्त नहीं हैं कि केवल उपकर बढ़ा देने से सारी समस्या हल हो जायेगी।

बोर्डों अथवा सरकार के पास जो शक्तियां निहित हैं, उनको भली प्रकार से प्रयुक्त नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार के अनुदानों के लिए अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा दिए गए समान अनुदान राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए हैं। मुझे इसकी पूर्ण जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार 1980 से 1985 के बीच राज्य सरकारों को समान अनुदान देने के लिए तैयार थी बशर्ते वे उसे पांच वर्षों के पश्चात् इसे खर्च करने की जिम्मेदारी लें। कुछ प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्य भी किया जाना था। कुछ प्रयोगशाला-सहायक भी नियुक्त किये जाने थे। बहुत-सी राज्य सरकारों ने केन्द्रीय-अनुदान स्वीकार नहीं किया था और प्रदूषण नियन्त्रण के लिए उपयोगी जो धन स्वीकार किया गया था उसका भली प्रकार से उपयोग नहीं किया गया।

यह सब हुआ है इसलिए मेरी मन्त्री महोदय से उम्मीद है कि उन्हें यह देखना चाहिए कि जहां अनुदानों के उपयोग का सम्बन्ध है राज्यों और केन्द्र के बीच बेहतर समन्वय हो। तभी यह विधेयक लाभकारी होगा।

हरेक व्यक्ति जानता है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार अत्यधिक है। इसका सबसे दुःखद पहलू यह है कि स्थानीय सरकारी प्राधिकरण जैसे निगम और नगरपालिकाएं भी अपने कर्तव्य से विमुख हैं। परिणामस्वरूप भारत की लगभग सभी नदियां प्रदूषित हैं। अतः इन निगमों और नगरपालिकाओं का कौन ध्यान रखेगा ? अगर उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं तो नगरपालिका संस्थायें भी प्रदूषण में सहायक हैं। उसके कारण सभी नदियां प्रदूषित हैं।

मुझे सरकार से यह उम्मीद है कि नई औद्योगिक नीति हमें पर्यावरण के प्रति लापरवाह नहीं बनायेगी। मैं एक उदाहरण दूंगा। यह एक नया औद्योगिक नीति दस्तावेज है। पृष्ठ 8 पर यह कहा गया है कि यह निर्णय किया गया है कि "सिवाय उस उद्योग के जहां जनसंख्या 10 लाख है स्थानीय बाधाओं को हटा दिया गया है। ऐसे बड़े शहरों के मामले में भी जो उत्पाद वातावरण को प्रदूषित नहीं करते, इससे 25 किलोमीटर दूर लगाये जा सकते हैं।" मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। ठाणे की जनसंख्या 10 लाख है। मुम्बई शहर की जनसंख्या 25 लाख से भी अधिक

है। और आप इस तथ्य पर ध्यान दिए बगैर ही कि यह ठाणे जिला औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करेगा, नई मुम्बई में उद्योगों का विस्तार करने के पक्ष में हैं। आप पहले ही कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति दे चुके हैं। अतः पिछले कुछ महीनों से यह औद्योगिक नीति और कुछ फाइलों पर मंत्री महोदय की स्वीकृति ने मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में समस्या उत्पन्न कर दी है। अतः जब हम औद्योगिक विकास का समर्थन करते हैं तो उसका तात्पर्य यह नहीं होता कि हम नागरिकों को प्रदूषित जीवन प्रदान करने के तथ्य को स्वीकार करते हैं।

मैं सरकार से यह भी उम्मीद रखता हूं कि वह राज्यों के साथ समन्वय को बनाये रखे और यह देखे कि बोर्डों में स्टाफ कम न होने पाये और न केवल उद्योग बल्कि स्थानीय सरकारों को भी इसके लिए मजबूर किया जाना चाहिए कि वे इस बात का ध्यान रखें कि वे जल-प्रदूषण को न बढ़ायें। हम उपकर बढ़ाते हैं। विधान वहां मौजूद है लेकिन उचित प्रशासन ही हमें बेहतर जीवन प्रदान करेगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र ठाणे में, जो मुम्बई के बिल्कुल निकट स्थित है, दोनों ही समस्याओं —जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण का सामना कर रहा हूं। सम्पूर्ण समस्या को एक नया आयाम दे दिया गया है क्योंकि पर्यावरण मंत्री ऐसे बहुत से उद्योगों के विस्तार के पक्ष में हैं जो न केवल जोखिमकारी और प्रदूषित उद्योग हैं बल्कि वे पानी को, जो कि मनुष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है, बहुत बड़ी मात्रा का उपभोग करते हैं। जब नागरिकों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, ग्रामीणों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, ये जल उपभोज्य उद्योग जैसे मुम्बई में नॉसिल आपके मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर रहे हैं।

श्री कमल नाथ : राज्य प्रदूषण-नियंत्रण बोर्ड से अथवा केन्द्रीय-प्रदूषण-नियंत्रण बोर्ड से ?

श्री राम कापसे : मित्र, आपके मन्त्रालय से यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। और अगर केन्द्रीय-प्रदूषण-बोर्ड ऐसा कर रहा है तो कृपया आप उसे चेक करें और यह देखें कि लोगों को जल तथा साथ ही पेयजल भी प्राप्त हो। जबकि लोगों को पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, नये मुम्बई में किस प्रकार से यह सरकार जल-उपभोज्य उद्योगों को स्वीकृति दे रही है। पर्यावरण विभाग को ठाणे जिले में, जो कि अत्यधिक प्रदूषित है और जहां पीने का पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, उद्योगों के विस्तार हेतु स्वीकृति देते हुए, नागरिकों को पेयजल की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण मामले पर पुनः विचार करना चाहिए।

औद्योगिक विकास का अर्थ अनिवार्यतः नागरिकों को दयनीय जीवन प्रदान करना नहीं है। सरकार को संतुलन रखना चाहिए और नागरिकों के मूल अधिकारों की अवहेलना नहीं करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, मैं जल (प्रदूषण नियंत्रण और निवारण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1991 का स्वागत करता हूं और यह विधान लाने के लिए मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। प्रारंभिक टिप्पणियों में उन्होंने यह विधान लाने के कारण दिए हैं अर्थात् राज्य और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की धनराशि में वृद्धि और पानी

जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है तथा विभिन्न प्रयोज्यों के लिए जिसे हमने अभी तक उचित रूप में प्रयुक्त नहीं किया है, के सीमित उपयोग को भी बढ़ावा देना तथा 1977 में बने विधेयक की कमी को दूर करने के लिए यह विधान लाये हैं। यह संशोधन विधेयक संसद में लाने के लिए ये सभी बहुत ही प्रशंसनीय कारण हैं। माननीय महोदय ने स्वयं धूम्रपान छोड़कर और हवा के प्रदूषण को कम करके एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है। मैं कामना करता हूं कि अन्य लोग भी उनके महान उदाहरण का अनुसरण करें।

अत: जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) उपकर (संशोधन) अधिनियम को और अधिक निवारक और दण्डात्मक बनाने के प्रयत्न में, मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि मानवीय दृष्टिकोण लुप्त नहीं होना चाहिए। वास्तव में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर हमारे देश में पर्यावरण विश्लेषण होना चाहिए, जहां पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता चाहे वह वायु, जल या वातावरण या आवाज सम्बन्धी प्रदूषण हो, हमारे देश म बहुत ही निम्न स्तर पर है और लोगों में बढ़ती जागरूकता के अतिरिक्त प्रभावी विधान भी आवश्यक है। परन्तु जैसा कि मेरे मित्र, विशेषकर श्रीबल्लभ पाणिग्रही, ने बताया था कि हमारे अभिलेखों में संविधियों की कोई कमी नहीं है। पिछले 40-45 वर्षों में हमने कई संविधियां पारित की हैं परन्तु वे संविधि ही बने रहते हैं तथा क्रियान्वित नहीं होते हैं। अत: उनका क्रियान्वयन होना जरूरी है।

मैं एक नदीय तथा समुद्रवर्ती उड़ीसा जैसे राज्य से सम्बन्धित हूं जहां पर बड़ी संख्या में नदियां हैं चाहे वह महानदी हो अथवा रुशीकुलिया अथवा ब्राह्मणी अथवा सुवर्ण रेखा नदी हो, तथा मेरे राज्य उड़ीसा में वन सम्पदा तथा खनिज पदार्थों के अथाह भंडार हैं तथा भारी मात्रा में वहां पर इनके मिलने की सम्भावना है। इनमें से अधिकतर नदियों का जल न केवल निजी क्षेत्र की परियोजनाओं तथा संयंत्रों के बहि:स्राव से बल्कि संयुक्त क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के बहि:स्राव से भी प्रदूषित हुआ है। जबकि कोई ऐसा कानून लाना आवश्यक है जो कि निवारक हो तथा अधिकारियों को इसके लिए दोषी उद्योगों अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा स्थानीय व्यक्तियों के खिलाफ भी निवारक तथा प्रभावी कदम उठाने के अधिकार दिये गये हैं परन्तु वास्तविकता अब भी यही है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जैसे तलचेर स्थित तलचेर विद्युत तापीय संयंत्र अथवा राऊरकेला स्थित राऊरकेला इस्पात संयंत्र तथा कंथवाल और राऊरकेला का सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, चाहे वह बरहामपुर स्थित जयश्री रासायनिक काम्पलेक्स हो अथवा इंडियन रेअर अर्थ्स हो अथवा ऑस्कम सैंड काम्पलेक्स हो, जहां तक कारगर उपाय करने का सवाल है, इन सभी ने दृढ़ता से इस कानून का विरोध किया है।

अभी केवल कुछ माह पूर्व ही एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल तथा वर्तमान संसद की प्राक्कलन समिति ने इनमें से कुछ संयंत्रों का दौरा किया है। परन्तु जहां तक जागरूकता का सवाल है, जो कि वहां के उन व्यक्तियों में तो होनी चाहिए जो शिक्षित हैं, दक्ष हैं तथा जो पर्यावरणीय प्रदूषण, चाहे वह वायु, जल अथवा वातावरणजनित हो, की समस्याओं से अवगत हैं, वह जागरूकता उनमें नहीं है। उन्होंने कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठाया है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने भी उनके खिलाफ कोई कारगर कदम नहीं उठाया है। ये राज्य अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड कोई कारगर कार्रवाई नहीं करते। साधारण

व्यक्तियों अथवा निजी क्षेत्र के विरुद्ध राज्य द्वारा कार्रवाई करना बिल्कुल सही है। जहां तक प्रदूषण का सम्बन्ध है, सार्वजनिक क्षेत्र, जो कि सरकार का अपना उद्योग है, को दूसरे उपक्रमों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

इस संबंध में वे व्यक्ति ही प्रभावित हैं जो बहुधा नदी तटों और नदियों, घाटियों के किनारे रहते हैं। उनमें से अधिकतर व्यक्ति अपने आहार और जीवन-निर्वाह के लिए नदियों पर निर्भर हैं। अधिकतर घनी आबादी वाले गांव, कम से कम मेरे राज्य में, तो नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं। हमने देखा है कि विशेष रूप से महानदी तथा ब्राह्मणी नदी राऊरकेला से लेकर पारादीप तक प्रदूषित हैं। समुद्री जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मानव जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। लोग अपनी शिकायतों पर खुलेआम विचार-विमर्श कर रहे हैं। लोग आंदोलन कर रहे हैं। परन्तु मेरे राज्य में जो शक्ति होनी चाहिए उसे अभी और जागरूक करना है। इसी मामले में मैं अपने सहयोगी मित्र श्री जसवंत सिंह से सहमत नहीं हूं कि केन्द्रीय सरकार को निरीक्षक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से यही वह उचित समय है जब केन्द्रीय सरकार निरीक्षक तथा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और यह सुनिश्चित करे कि अक्रियल राज्य सरकारें तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कुछ मार्गनिर्देशों का कार्यान्वियन करने में प्रभावी और कारगर कदम उठा रहे हैं तथा मिसाल कायम करें जो कि माननीय मंत्री जी के अनुसार राज्य सरकारों तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों के साथ काफी परामर्श इत्यादि करने के पश्चात् यह स्तर निर्धारित किया गया हैं। अतः इस मामले में ये अधिकतर वे ही व्यक्ति हैं जो समाज के कमजोर वर्ग के हैं तथा जो नदी किनारों पर रहते हैं और नाव खेना, मछली पकड़ना तथा जाल डालना आदि कार्य करते हैं, वे व्यक्ति ही इससे प्रभावित होते हैं। हमारे पास उनके लिए जीविका-निर्वाह और रोजगार का कोई दूसरा वैकल्पिक साधन भी नहीं है। इससे समाज में तनाव बढ़ता है। इन सामाजिक-आर्थिक कारणों से कानून और व्यवस्था तथा पुनर्वास संबंधी ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं जो समस्याएं इन क्षेत्रों के प्रदूषित होने से पूर्व वहां पर नहीं थीं। अतएव समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए तथा कोई व्यवस्थित पहल की जानी चाहिए ताकि जब कभी भी ऐसा उद्योग अथवा कोई दूसरा उपक्रम लगाया जाये, तो पुनर्वास तथा जीविका-निर्वाह और शुद्ध पेय जल का वैकल्पिक साधन देने के प्रश्न पर भी विचार किया जाये।

यदि मैं आपको उदाहरण दूं कि मेरे जिले तालचेर में विश्व के सबसे बड़े कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्र हैं जैसा कि माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा तथा श्रीवल्लभ पाणिग्रही द्वारा जिक्र किया गया था। हमारे यहां सबसे बड़ा कोयला पर आधारित अल्युमिनियम कारखाना 'नैलको' तथा भारी जल संयंत्र हैं। हमारे यहां पर तालचेर विद्युत तापीय स्टेशन भी है। जहां तक 'नैलको' का संबंध है, मैं यह कह सकता हूं कि यह एक आदर्श उपक्रम है। इसने प्रदूषण विरोधी उपाय भी किये हैं। परन्तु दूसरी इकाइयां भी हैं तथा करीब दो लाख व्यक्ति जो इन क्षेत्रों में नदियों के दोनों किनारों पर रहते हैं, उन्हें शुद्ध पेयजल नहीं मिल सकता। कुछ समय पूर्व हमारे एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री जी ने एक समन्वयन बैठक यह ज्ञात करने के लिए बुलाई थी कि ये उपक्रम जो ब्राह्मणी नदी को प्रदूषित कर रहे थे, वे कम से कम इस समन्वय विकास के एक अंश के रूप में ही और अधिक नलकूपों का निर्माण करने में अपना योगदान दें। इस समय वहां पर 300

व्यक्तियों के लिए एक नलकूप है। यह सुझाव दिया गया था कि 150 व्यक्तियों के लिए एक नलकूप की व्यवस्था की जाए ताकि सदियों से बसे इन गांवों तथा इन व्यक्तियों के लिए पेयजल का एक वैकल्पिक साधन सुनिश्चित हो सके। परन्तु अभी तक यह क्रियान्वित नहीं हो सका है।

यही प्रश्न उन मछुआरों के लिए जीविका-निर्वाह का कोई वैकल्पिक साधन ढूंढने का भी है जो काफी बड़ी संख्या में कई सदियों से यहां पर रह रहे हैं। ये यहीं व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने कोई दूसरा धन्धा शुरू नहीं किया है। मेरे विचार से ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जो उन्हें कोई प्रशिक्षण देने अथवा उन्हें पुनर्वास सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार कर रहा हो। कुछ अधिकारी विशेष को दण्डित करने और यहां तक कि कार्यवाही करने के लिए अधिकार देना बहुत अच्छा है। किन्तु यदि हम इसका मानव पक्ष भूल जाएं तो, यह इसी प्रकार होगा जैसे एक विदेशी सरकार हमारे देशवासियों को अपने लाभ के लिए कर रही थी जो उस विदेशी सरकार को मिल रहा था। अब हमारे पास एक अपनी सरकार है जिसे रोजगार अथवा जीवन-यापन का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व के बिना व्यवस्था करने अथवा अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले लोग प्रभावित होते है, तो केन्द्र अपने संवैधानिक कर्त्तव्य से बच नहीं सकता है।

आपके माध्यम से, मैं सरकार का ध्यान एक अन्य मुद्दे की ओर भी दिलाना चाहता हूं। यह नदी जल-व्यवस्था के सम्बन्ध में है। हमने गंगा कार्य योजना आरम्भ की थी जो एक सराहनीय परियोजना है। किन्तु, दुर्भाग्य से, इसे बीच में ही छोड़ दिया गया। ब्राह्मणी, महानदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियों के नदी जल व्यवस्था पर विचार करना है तथा उनके लिए 'मास्टर' योजनाएं तैयार करनी हैं। नये उपक्रमों द्वारा एक एकीकृत उपाय अपनाना है जिसके द्वारा अवशिष्ट पदार्थों का विसर्जन किया जा सके। पूरे मुद्दे की जांच की जानी चाहिए। केवल तभी उन लोगों के कष्टों को, जो पिछले एक दशक अथवा डेढ़ दशक से कष्ट सह रहे हैं, कम किया जा सकेगा।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से कुछ जानकारी पाकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जहां तक घरेलू सामान के उपभोक्ताओं का प्रश्न है, क्या वे हमें यह सूचना देना चाहेंगे कि इस कानून से घरेलू सामान के उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और चूंकि यह कानून 14 वर्षों के अन्तराल के बाद आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि 5 या 10 वर्षों के पश्चात् आप इसका पुनर्निरीक्षण करना चाहेंगे और फिर यह लगातार रहने वाली एक प्रक्रिया बन जायेगी क्योंकि मैं नहीं सोचता कि आज यह कानून समाप्त हो जायेगा क्योंकि 10 वर्ष के पश्चात् शायद अगला अधिकारी यह कहेगा कि पिछला कानून 1991 में पारित किया गया था, उत्पादन की लागत बढ़ गई है, औद्योगिक उपक्रमों की गतिविधियों का दायरा बढ़ गया है, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों पर कार्यभार भी बहुत बढ़ गया है, अतः, इन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए और उपकर लगाया जाना चाहिए। और यदि ऐसा है तो, हमें अपने लोगों को अभी पीने लायक, साफ, पेय जल उपलब्ध कराना बाकी है और जनसंख्या के केवल एक खंड विशेष को ही यह उपलब्ध कराया जा रहा है क्योंकि हम इसे पूर्ण जनसंख्या को उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, जो केन्द्रीय सरकार की एक वचनबद्ध नीति थी, सही, वास्तविक अर्थों में इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि इस कानून से मान-

वीय कष्टों का पता नहीं लगाया जा सकता, और जब 1986 में मुख्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, हममें से कुछ को यह शंका थी कि पर्यावरण के प्रभाव के विश्लेषण का कार्य छः वन अधिकारियों को सौंपा गया था जिनके पास अधिकार तो था किन्तु विभिन्न राज्य सरकारों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं था। 13 संशोधन हुए थे जो सत्तारूढ़ दल के सदस्यों तथा विपक्ष के कुछ माननीय मित्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, महाराष्ट्र, बंगाल तथा उड़ीसा के लोग, जो सबसे अधिक प्रभावकारी थे, तथा तत्कालीन माननीय मन्त्री जी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके क्योंकि इन छह वन अधिकारियों के सिवाय कोई पर्यावरणविद एवं संरक्षणविद नहीं था, और उस समिति में आम जनता का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इस बात का निर्णय लेना, कि क्या किसी बांध अथवा उद्योग की स्थापना करनी चाहिए, उच्च शक्ति वाली तारें लगाई जानी चाहिए अथवा नहीं, मात्र छ. वन अधिकारियों का काम था। और इस संदर्भ में, उड़ीसा जैसे राज्य से संबंध रखते हुए, स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व विभिन्न मूल राज्यों में विभिन्न नियम थे और लोगों के पास बहुत अधिकार थे, जैसे, वे बहुत ही कम उपकर दिया करते थे। वन उत्पाद के लिए वे मात्र 25 पैसे का ही भुगतान किया करते थे। छोटे कम उत्पादों के लिए वे चार आनों का भुगतान किया करते थे और आज पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे संसद में पारित किया गया था, के कारण राज्य सरकारें इस तथ्य का लाभ उठा रही हैं कि केन्द्र ने रोक दिया है और हम कृषकों के लिए छोटे वन उत्पादों की अनुमति नहीं देंगे, हम वन उत्पाद का प्रयोग छतों अथवा इमारतों की मरम्मत के लिए या लोगों द्वारा इसका लकड़ी के रूप में उपयोग, जैसा वे 1989 तक के अन्त तक कर रहे थे, करने की अनुमति नहीं देंगे। इससे उन लोगों के लिए समस्या पैदा हो गई है जो वन क्षेत्रों के आसपास रह रहे हैं अथवा जिन्हें पिछले सैकड़ों वर्षों से ये अधिकार प्राप्त रहे हैं। तभी अचानक उन्हें लकड़ी के गोदाम से खरीदना पड़ा जो कम से कम 10 से 20 गुणा महंगी है। अतः कुछ वैकल्पिक साधनों के बारे में सोचा जाना चाहिए और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें क्योंकि यह मंत्रालय बहुत परिवर्तनशील रहा है। मैं पर्यावरण मंत्रालय को परिस्थिति-विज्ञान संबंधी कार्य बलों की स्थापना का श्रेय देता हूं, वो विश्व के पहले कार्य बलों में से एक है जहां किसी क्षेत्र विशेष के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पर्यावरण के स्तर को बढ़ाया जा रहा है, इसमें बहुत अच्छा काम किया है जिस कारण जापानी, जर्मन तथा स्वीडिश लोग इन परिस्थिति-विज्ञान संबंधी कार्य बलों के बारे में सीखने के लिए भारत आ रहे हैं। गंगा कार्य योजना का भी समान प्रश्न है। अतः, मुझे उम्मीद है कि पर्यावरण मंत्रालय उन लोगों के लिए भी कुछ परिवर्तन लाना चाहेंगे जिनके पास वनों तथा जल व्यवस्थाओ, जो हमारे देश में अधिसंख्य हैं तथा जिनसे लोगों को वंचित किया गया है, संबंधी अधिकार थे।

महोदय, इसी के साथ, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं तथा इन समस्याओं को सामने लाना चाहता था।

6.00 म०प०

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में प्रदूषण की समस्या ने इतना गंभीर रूप ले लिया है और हमें आज मुख्यतः इसी बात पर विचार करना है। इस बारे में हमारे देश में दूरदर्शिता से कार्य नहीं लिया गया। यदि इस समस्या का समाधान आज से 30-40 वर्ष पूर्व सोचा जाता तो निश्चित रूप से देश को इतने गंभीर परिणाम नहीं देखने पड़ते।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप शुक्रवार को अपनी बात जारी रख सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सोमवार को इस विधेयक का उत्तर देना चाहते हैं। अतः, मेरा सुझाव है कि हम पंजाब के संबंध में अनुदान की मांगें शुक्रवार को लें तथा इस विधेयक विशेष को सोमवार को लें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यही इच्छा है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः, इस विधेयक को सोमवार को लिया जायेगा।

सभा शुक्रवार, 22 नवम्बर, 1991 को 11 म० पू० बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 22 नवम्बर, 1991/1 अग्रहायण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

— — — —

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित